सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राज्य वित्त)

रिपोर्ट 18.07.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

राजस्थान सरकार

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवदेन

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(राज्य वित्त)

राजस्थान सरकार

विषय सूची

प्राक्कथन		iii
कार्यपालिक सारांश		v
अध्याय I		
राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध		
1.1	प्रस्तावना	2
1.2	वर्ष 2012-13 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश	2
1.3	राज्य के संसाधन	10
1.4	राजस्व प्राप्तियाँ	13
1.5	पूँजीगत प्राप्तियाँ	24
1.6	लोक लेखा प्राप्तियाँ	25
1.7	संसाधनों का उपयोग	25
1.8	व्यय की गुणवत्ता	35
1.9	सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण	42
1.10	परिसम्पत्तियां और देयताएं	50
1.11	ऋण प्रबंधन	56
1.12	राजकोषीय असंतुलन	63
1.13	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	68
अध्याय II		
वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण		
2.1	प्रस्तावना	71
2.2	विनियोग लेखाओं का सारांश	72
2.3	वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबंधन	73
2.4	बजट प्रतिपादन एवं बजटरी नियंत्रण	95
2.5	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	97
2.6	कोषालयों के निरीक्षण के परिणाम	101
2.7	सहायतार्थ अनुदान का गलत वर्गीकरण	102
2.8	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	103
2.9	सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें	104
2.10	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	105
अध्याय III		
वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग		
3.1	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	107
3.2	लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना	108
3.3	स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	109
3.4	विभागों द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	109
3.5	दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि	109
3.6	निजी निक्षेप खाते	110
3.7	लघु शीर्ष 800- 'अन्य व्यय' तथा 'अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत पुस्तांकन	112
3.8	पुस्तक समायोजन	113
3.9	प्राप्तियों एवं व्ययों का अंकमिलान	113
3.10	उचन्त लेखों के अन्तर्गत बकाया शेष	114
3.11	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	116

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1.1	राज्य की रूपरेखा	119
परिशिष्ट 1.2	भाग-अ सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप भाग-ब वित्त लेखे का खाका	120 121
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर समय श्रेणी आँकड़े	122
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2012-13 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	124
परिशिष्ट 1.5	31 मार्च 2013 को राजस्थान सरकार की सारीकृत वित्तीय स्थिति	128
परिशिष्ट 1.6	2012-13 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आँकड़े	130
परिशिष्ट 1.7	भारत सरकार द्वारा राज्य के कार्यकारी अभिकरणों को निधियों के सीधे स्थानान्तरण का विवरण-पत्र	132
परिशिष्ट 1.8	वर्ष 2012-13 के दौरान मुख्य एवं मध्यम सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	134
परिशिष्ट 1.9	विभाग द्वारा नियंत्रित वाणिज्यिक/अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारीकृत वित्तीय विवरण-पत्र	135
परिशिष्ट 1.10	संस्थाओं/संगठनों द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	136
परिशिष्ट 1.11 अ	आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता परियोजनाओं की स्थिति (31 मार्च 2013 तक) पूर्ण परियोजनायें	137
परिशिष्ट 1.11 ब	आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता परियोजनाओं की स्थिति (31 मार्च 2013 तक) -निष्पादनाधीन परियोजनायें	142
परिशिष्ट 1.12	आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता परियोजनाओं की स्थिति (31 मार्च 2013 तक) -आयोजनाधीन/प्रक्रियाधीन परियोजनायें	146
परिशिष्ट 1.13	बाजार उधार	149
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण (जहाँ बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक साथ ही कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी)	151
परिशिष्ट 2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र (आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ के साथ ही कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक था)	152
परिशिष्ट 2.3	प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	154
परिशिष्ट 2.4	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अन्तिम आधिक्य/बचत ₹ एक करोड़ से अधिक था)	155
परिशिष्ट 2.5	31 मार्च 2013 को ₹ 20 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण	157
परिशिष्ट 2.6	₹ एक करोड़ से अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण पत्र	159
परिशिष्ट 2.7	₹ एक करोड़ से अधिक तथा बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत से अधिक के एक मुश्त प्रावधानों का विवरण पत्र	160
परिशिष्ट 2.8	वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण (₹ एक करोड़ एवं अधिक) का विवरण पत्र	168
परिशिष्ट 2.9	व्यय की अधिकता	169
परिशिष्ट 2.10	अनुदान संख्या 24 के अन्तर्गत व्यय की अधिकता	175
परिशिष्ट 2.11	वर्ष 2012-13 तक लम्बित विस्तृत आकस्मिक बिल	176
परिशिष्ट 3.1	31 अगस्त 2013 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	179
परिशिष्ट 3.2	निकायों एवं प्राधिकरणों जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये, के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र	180
परिशिष्ट 3.3	स्वायत्त निकायों के निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	186
परिशिष्ट 3.4	विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण-पत्र	187
परिशिष्ट 3.5	दुर्विनियोजन चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहाँ जून 2013 के अन्त तक अन्तिम कार्यवाही लंबित थी)	188
परिशिष्ट 3.6	सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	189
परिशिष्ट 3.7	वर्ष 2008-13 के दौरान असंचालित रहे निजी निक्षेप खातों का विवरण-पत्र	190
परिशिष्ट 3.8	निजी निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेषों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	191
परिशिष्ट 3.9	मुख्य शीर्ष '8658-उचन्त लेखे' के अन्तर्गत बकाया शेष	192
परिशिष्ट 4.1	पदों की पारिभाषिक शब्दावली	193
परिशिष्ट 4.2	संक्षिप्त एवं परिवर्णी शब्द	195

प्राक्कथन

- यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

- इस प्रतिवेदन के अध्याय I और II में 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्रमशः सरकार के वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल है। जहाँ कहीं आवश्यक था राजस्थान सरकार से भी सूचना प्राप्त की गई है।

- अध्याय III 'वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग' पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

- निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों में लेनदेनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और सांविधिक निगमों, मण्डलों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आक्षेपों और राजस्व प्राप्तियों पर आक्षेपों से युक्त प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते है।

कार्यपालिक सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राजस्थान सरकार के अंकेक्षित लेखों के आधार पर राज्य सरकार के वित्त का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन सरकार के राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, बजट दस्तावेजों, वर्ष 2012-13 की आर्थिक समीक्षा, तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों से प्राप्त किये गये अन्य वित्तीय आँकड़ों के आधार पर किया गया है। प्रतिवेदन को तीन भागों में बाँटा गया है।

अध्याय I वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं 31 मार्च 2013 को राजस्थान सरकार की राजकोषीय स्थिति का आंकलन करता है। यह बजट से इतर राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को केन्द्रीय निधियों के सीधे अंतरण के संक्षिप्त विवरण के अलावा प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्तियों, उधार के पैटर्न की जानकारी देता है।

अध्याय II विनियोग लेखे पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदान-दर-अनुदान विवरण एवं सेवा प्रदाता विभागों द्वारा उन्हें आवंटित संसाधनों का जिन तरीकों से प्रबन्ध किया गया, को दर्शाता है।

अध्याय III राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों की अनुपालना का विवरण है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न स्त्रोंतों से एकत्रित किये गये अतिरिक्त आँकड़ों का **परिशिष्ट 1** भी दिया गया है। अन्त में दिए गए ***परिशिष्ट 4.1*** में इस प्रतिवेदन में उपयोग में लिये गये राज्य अर्थव्यवस्था से संबंधित चयनित पदों की पारिभाषिक शब्दावली दी गयी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राज्य सरकार ने कर एवं कर-भिन्न राजस्व दोनों में सुधारात्मक वृद्धि दर्शाते हुए राजकोषीय समेकन की ओर वापसी प्रदर्शित की है। राजकोषीय घाटा राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधित) अधिनियम, 2011 द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत रहा। तथापि, यह 2011-12 में 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 1.8 प्रतिशत हो गया, जोकि वर्ष के दौरान निवल पूँजीगत व्यय और वितरित निवल ऋण एवं अग्रिमों में वृद्धि के कारण था।

(अनुच्छेद 1.2.1, 1.12.1 एवं 1.12.2)

बजट अनुमान: वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय क्रमश: छ: प्रतिशत एवं दो प्रतिशत से बढ़े। परिणामस्वरूप, राजस्व अधिशेष बजट अनुमानों की तुलना में ₹ 2,523 करोड़ से बढ़ा। वास्तविक राजकोषीय घाटा एवं प्रारम्भिक घाटा बजट अनुमानों से क्रमश: ₹ 116 करोड़ एवं ₹ 141 करोड़ कम हुए, राजकोषीय घाटा बजट अनुमान में आंकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2.14 प्रतिशत की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत रहा।

(अनुच्छेद 1.2.1 एवं 1.2.2)

राजस्व प्राप्तियाँ: वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में 17.4 प्रतिशत बढ़ी। राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2008-09 में 14.5 प्रतिशत से वर्ष 2012-13 में 14 प्रतिशत, मामूली रूप से गिरी।

(अनुच्छेद 1.4)

राजस्व व्यय: वर्ष 2012-13 के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का 83 प्रतिशत रहा; आयोजना भिन्न राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 78 प्रतिशत रहा। आयोजना भिन्न राजस्व का कुल राजस्व व्यय से अनुपात गत वर्ष (77 प्रतिशत) की तुलना में एक प्रतिशत से बढ़ा। राज्य की लगभग 57 प्रतिशत प्राप्तियाँ प्रतिबद्ध व्यय में खर्च हुई। प्रतिबद्ध व्यय को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 1.7.2, 1.7.5 एवं 1.8.3)

पूँजीगत व्यय को अपर्याप्त प्राथमिकता: पूँजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत बढ़ा और यह कुल व्यय का 14 प्रतिशत था। यह वर्ष 2012-13 के लिए मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में किये गये आंकलन से 10 प्रतिशत अधिक रहा। मार्च 2013 के अन्त तक उत्तरोत्तर पूँजीगत व्यय में 166 अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध ₹ 8,659 करोड़ शामिल है।

(अनुच्छेद 1.2, 1.7.3, 1.9.2 एवं परिशिष्ट 1.3)

सरकारी निवेशों की समीक्षा: राजस्थान सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों में किये गये निवेश पर औसत प्रतिलाभ गत तीन वर्षों के दौरान 0.2 एवं 0.4 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि सरकार ने इस निवेश पर 7.4 से 7.7 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो भारी हानि उठा रहे हैं, के कामकाज की समीक्षा किया जाना विवेकपूर्ण होगा तथा उनके पुनरूद्धार अथवा बन्द करने के लिए उचित नीति बनायी जानी चाहिये।

(अनुच्छेद 1.9.3)

विवेकपूर्ण रोकड़ प्रबन्ध: राज्य के पास ₹ 12,887 करोड़ का बहुत बड़ा अधिशेष रोकड़ रहा। क्योंकि, बहुत बड़ा निष्क्रिय रोकड़ शेष रखना विवेकपूर्ण रोकड़ प्रबन्धन नहीं है, अत: लाभ प्राप्त करने हेतु इसके यथोचित रूप से उपयोग के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिए।

(अनुच्छेद 1.9.7 एवं 1.11.1)

भारत सरकार से राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित निधियों की अनदेखी: भारत सरकार द्वारा राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को ₹ 7,826 करोड़ की केन्द्रीय निधियों को सीधे ही अन्तरित की गई, जिससे इन एजेन्सियों द्वारा निधियों के अनुपयुक्त उपयोग का जोखिम रहता है। बजट से इतर कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे निधियों का अंतरण राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम की पारदर्शिता और जबाबदेही की आवश्यकता को बाधित करता है। इनके उपयोग के अनुश्रवण के

लिए कोई भी एजेन्सी नहीं है तथा किसी वर्ष विशेष में मुख्य फ्लैगशिप योजनाओं पर वास्तव में कितनी राशि का व्यय किया गया है, के आंकड़े सुलभता से उपलब्ध नहीं है।

(अनुच्छेद 1.3.2)

वित्तीय प्रबन्धन और बजटरी नियंत्रण: वर्ष 2012-13 के दौरान, कुल अनुदानों एवं विनियोगों के समक्ष ₹ 6,836.94 करोड़ की समग्र बचत हुई जो दोषपूर्ण बजट को दर्शाती है। अनुदान संख्या 11 एवं 20 में हुए आधिक्य व्यय ₹ 0.79 लाख का भारत के संविधान की धारा 205 के अधीन नियमितीकरण अपेक्षित है। सभी 55 अनुदानों/विनियोगों में ₹ 6,717.45 करोड़ (कुल बचतों ₹ 6,836.94 करोड़ का 98 प्रतिशत) का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में किया गया जिससे इन निधियों का उपयोग किसी अन्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। 179 मामलों में, ₹ 1,539.34 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान करते हुए संशोधित राज्य बजट नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। ₹ 1,539.34 करोड़ में से ₹ 1,275.09 करोड़ (83 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे। वर्ष के अन्त में व्यय की अधिकता एक अन्य चिरकालिक प्रवृत्ति है, जो कमजोर बजटरी नियंत्रण का सूचक है। राज्य सरकार द्वारा माह मार्च 2013 के दौरान आहरित की गई ₹ 2,198.60 करोड़ की राशि बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिये जमा शीर्ष में जमा कराई गई।

(अनुच्छेद 2.2 एवं 2.3)

कुछ अनुदानों की समीक्षा में पाया गया कि (i) राजस्व, आबकारी, लोक निर्माण, जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों में निरन्तर बचतें थी, (ii) जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत तीन योजनाओं में ₹ 22.39 करोड़ का सम्पूर्ण बजट आबंटन, बिना कोई व्यय किये समर्पित किया गया, (iii) गृह विभाग में, वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमश: 61.9 एवं 97 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के लिए किया गया ₹ 0.50 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान बिना व्यय किये 31 मार्च 2013 को समर्पित किया गया तथा (iv) शिक्षा, कला एवं संस्कृति विभाग में अनुमानित प्राप्तियों का उचित रूप से आंकलन नहीं किया गया परिणामस्वरूप वर्ष 2010-13 के दौरान प्राप्तियों में (-)2.71 से 575 प्रतिशत का अन्तर रहा।

(अनुच्छेद 2.3.2.1, 2.4 एवं 2.5)

कोषालयों के निरीक्षण से उनकी कार्यप्रणाली में कमियाँ प्रदर्शित हुई। ₹ 1.83 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान को राजस्व प्रभाग के बजाय पूँजीगत प्रभाग में लेखांकित किया गया। आकस्मिकता निधियों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा चार प्रकरणों में आकस्मिकता निधि से अग्रिम हेतु ₹ 19.64 करोड़ की स्वीकृतियाँ जारी की गई, जिसमें से ₹ 3.75 करोड़ की तुरन्त आवश्यकता नहीं थी। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा 31 मार्च 2013 तक 659 सारांशीकृत आकस्मिकता बिलों पर आहरित किये गये ₹ 95.57 करोड़ के अग्रिमों के समक्ष विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत नहीं किये थे।

(अनुच्छेद 2.6 से 2.9)

विभाग को निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं एवं व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये और अधिक वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने चाहिये। बजटरी नियंत्रणों को मासिक व्यय नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। प्रत्याशित बचतों को समय से अभ्यर्पित कर देना चाहिए ताकि निधियों का विभिन्न विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों में उपयोग हो सके। सरकार को आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति केवल अप्रत्याशित एवं आकस्मिक प्रवृत्ति के व्यय को पूरा करने के लिए ही देनी चाहिए। कोषालयों की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली से बचने हेतु उनकी प्रणाली का अनुश्रवण होना चाहिये।

(अनुच्छेद 2.10)

वित्तीय रिपोर्टिंग: राज्य सरकार की विभिन्न नियमों, क्रियाविधियों एवं निर्देशों की अनुपालना सन्तोषप्रद नहीं थी जैसाकि विभिन्न अनुदानित संस्थानों से, कर्जो एवं अनुदानों के समक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र देरी से प्रस्तुत करने से स्पष्ट है। वर्ष 2011-12 के लिये देय 110 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2013 तक प्राप्त नहीं हुये थे। 31 मार्च 2013 को सरकारी धन की हानियों एवं दुर्विनियोजन के ₹ 46.84 करोड़ की राशि के प्रकरण थे। ऐसे प्रकरणों में दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विभागीय जाँचों में शीघ्रता लायी जानी चाहिए। भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(अनुच्छेद 3.2 एवं 3.5)

1,491 निजी निक्षेप खातों में ₹ 2,173.73 करोड़ का अव्ययीत शेष पड़ा हुआ था।

(अनुच्छेद 3.6)

लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत पुस्तांकित व्यय (₹ 4,888.85 करोड़) एवं प्राप्तियों (₹ 2,364.10 करोड़) की उल्लेखनीय राशियों को, वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे में उपयुक्त लेखाशीर्ष में दर्शाया नहीं गया, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता प्रभावित हुई। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त की गई और व्यय की गई राशियों को लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत मिलाने की बजाय, राज्य लेखाओं में पृथक रूप में दिखाया जाना चाहिये।

(अनुच्छेद 3.7)

मुख्य प्रतिवेदन

अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

राजस्थान की रूपरेखा

राजस्थान देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है जो कि भौगोलिक भू-भाग (342.24 हजार वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तथा जनसंख्या में आठवां स्थान रखता है। राज्य की जनसंख्या 2001 में 5.65 करोड़ से बढ़कर 21.44 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि के साथ 2011 में, 6.86 करोड़ हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत, सम्पूर्ण भारत के औसत 21.9 प्रतिशत से भी कम 14.7 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर ₹ 4,78,160 करोड़ (अग्रिम अनुमान) था। इसी अवधि के दौरान साक्षरता दर 60.4 प्रतिशत (2001 की जनसंख्या) से बढ़कर 67.1 प्रतिशत (2011 की जनसंख्या) हो गई जो कि सम्पूर्ण भारत के औसत 74 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशतता बिन्दु कम थी। **राष्ट्रीय औसत आय ₹ 68,747 की तुलना में राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय ₹ 60,652[1] है।** राज्य से सम्बन्धित सामान्य आँकड़ें ***परिशिष्ट 1.1*** में दिये गये हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

जीएसडीपी, दी गई समय अवधि में राज्य में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समस्त अन्तिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है चूँकि यह राज्य की आबादी के जीवन स्तर को इंगित करती है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एवं राज्य की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर की प्रवृत्ति को **तालिका 1.1** में इंगित किया गया है:

तालिका 1.1 : वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी एवं जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत की जीडीपी# (₹ करोड़ में)	53,03,567	61,08,903	72,66,967[2]	83,53,495[3]	94,61,013[4]
जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.7	15.2	19.0	15.0	13.3
राज्य की जीएसडीपी* (₹ करोड़ में)	2,30,949	2,65,825	3,41,865[5]	4,16,755[6]	4,78,160[4]
जीएसडीपी की वृद्धि दर प्रतिशतता)	18.5	15.1	28.6	21.9	14.7

स्रोत: # सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार एवं
* आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

1 स्त्रोत: आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार
2 द्वितीय संशोधित अनुमान
3 प्रथम संशोधित अनुमान
4 अग्रिम अनुमान
5 प्रावधिक अनुमान
6 त्वरित अनुमान

राजस्थान ने, वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान, 2009-10 को छोड़कर जबकि जीएसडीपी वृद्धि दर कम रही, भारत की जीडीपी की वृद्धि दर की तुलना में अधिक जीएसडीपी वृद्धि दर प्राप्त की। वर्ष 2012-13 के दौरान जीएसडीपी की वृद्धि दर जीडीपी की वृद्धि दर (13.3 प्रतिशत) की तुलना में 14.7 प्रतिशत थी।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्थान सरकार के वित्त प्रबन्ध के व्यापक परिदृश्य को प्रस्तुत करता है तथा गत पाँच वर्षों की सभी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय समग्रों में दृष्टिगत् परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे शामिल होते है। वित्त लेखाओं का नया प्रारूप वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ किया गया, जो कि दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड । में सरकार के सारांशीकृत वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया गया है जबकि खण्ड ।। में विस्तृत वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया गया है। सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप को ***परिशिष्ट 1.2 (भाग अ)*** में स्पष्ट किया गया है तथा वित्त लेखों का स्वरूप ***परिशिष्ट 1.2 (भाग ब)*** में दर्शाया गया है।

1.2 वर्ष 2012-13 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

तलिका 1.2 गत वर्ष (2011-12) की तुलना में चालू वर्ष (2012-13) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय संव्यवहारों के सारांश को प्रस्तुत करती है, जबकि ***परिशिष्ट 1.4*** चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियाँ एवं संवितरणों को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2012-13 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2011-12	2012-13		2011-12	2012-13
अनुभाग-अः राजस्व					
कर राजस्व	*25,377.06*	30,502.65	सामान्य सेवायें	*18,708.52*	20,495.80
कर-भिन्न राजस्व	*9,175.10*	12,133.59	सामाजिक सेवायें	*21,927.87*	25,292.94
संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा	*14,977.04*	17,102.85	आर्थिक सेवायें	*12,743.89*	17,408.02
भारत सरकार से अनुदान	*7,481.56*	7,173.92	सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान	*273.03*	265.03
योग अनुभाग-अ राजस्व प्राप्तियाँ	**57,010.76**	**66,913.01**	**योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय**	**53,653.31**	**63,461.79**

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2011-12	2012-13		2011-12	2012-13
अनुभाग-ब : पूँजीगत एवं अन्य					
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	15.73	8.12	पूँजीगत परिव्यय	7,119.25	10,683.57
कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,229.31	1,101.56	संवितरित कर्जे तथा अग्रिम	1,109.10	2,411.83
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	5,918.40	9,955.00	लोक ऋण की पुनर्अदायगी *	3,490.42	4,706.72
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,27,214.84	1,56,563.24	लोक लेखा संवितरण	1,22,319.61	1,50,175.41
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	6,087.76	9,785.11	अन्तिम रोकड़ शेष	9,785.11	12,886.72
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	**1,40,466.04**	**1,77,413.03**	**योग अनुभाग-ब संवितरण**	**1,43,823.49**	**1,80,864.25**
महा योग (अ+ब)	**1,97,476.80**	**2,44,326.04**	**महा योग (अ+ब)**	**1,97,476.80**	**2,44,326.04**

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

*** मार्गोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल संव्यवहारों के अलावा**

वर्ष 2012-13 में राजकोषीय संचालन के मुख्य बिन्दुओं को नीचे दिया गया है:

- राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 9,902.25 करोड़ (17.4 प्रतिशत) की वृद्धि, स्व-कर राजस्व (₹ 5,125.59 करोड़), कर-भिन्न राजस्व (₹ 2,958.49 करोड़) एवं संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 2,125.81 करोड़) के कारण हुई जो कि भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान (₹ 307.64 करोड़) में कमी से प्रतिसन्तुलित हुयी। राजस्व प्राप्तियाँ मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) 2012-13 में किये गये आंकलन से ₹ 3,766 करोड़ अधिक रही।

- राजस्व व्यय ₹ 9,808.48 करोड़ (18.3 प्रतिशत) से बढ़ा। यह वृद्धि सामान्य सेवा क्षेत्र (₹ 1,787.28 करोड़), सामाजिक सेवा क्षेत्र (₹ 3,365.07 करोड़) एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 4,664.13 करोड़) के अन्तर्गत हुई जो कि सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान (₹ 8 करोड़) में कमी से प्रतिसन्तुलित हुयी। यह वर्ष के लिए एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 1,243 करोड़ अधिक रही।

- पूँजीगत परिव्यय में ₹ 3,564.32 करोड़ (50.1 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यत: आर्थिक सेवा क्षेत्र: ₹ 2,675.24 करोड़, सामान्य सेवा क्षेत्र: ₹ 45.69 करोड़ एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र: ₹ 843.39 करोड़ के अन्तर्गत हुई।

- लोक ऋण प्राप्तियाँ (मार्गोपाय अग्रिम के अलावा) में ₹ 4,036.60 करोड़ (68.2 प्रतिशत) से वृद्धि हुई जबकि लोक ऋण की पुनर्अदायगी में ₹ 1,216.30 करोड़ (34.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं संवितरण में क्रमशः ₹ 29,348.40 करोड़ (23.1 प्रतिशत) एवं ₹ 27,855.80 करोड़ (22.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- रोकड़ शेष में ₹ 3,101.61 करोड़ (31.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

1.2.1 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

मई 2005, में राजस्थान सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में अपना 'राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम' अधिनियमित किया। राज्य सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मार्च 2011 एवं सितम्बर 2011 में अधिनियम में संशोधन किया। सरकार ने वर्ष 2012-13 का एमटीएफपीएस विधानमण्डल में रखा (मार्च 2012)। एफआरबीएम अधिनियम की धारा 8 की अनुपालना में, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक लोक व्यय पुनर्वालोकन समिति का गठन किया (फरवरी 2006)।

राज्य में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबन्धन सुनिश्चित करने और राजवित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा एफआरबीएम अधिनियम 2005 और एफआरबीएम (संशोधित) अधिनियम 2011 अधिनियमित किया गया। अधिनियम, राजकोषीय स्थिरता के साथ संगत राजस्व घाटे का उत्तरोतर विलोपन, राजकोषीय घाटे में कमी एवं विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन की परिकल्पना करता है। राजवित्तीय विवेक सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में अधिक राजवित्तीय पारदर्शिता लाने तथा मध्यकालिक रूपरेखा में राजवित्तीय नीति संचालन करने और उससे सम्बद्ध विषयों हेतु भी प्रावधान हैं। अधिनियम और/अथवा इसके अधीन बने नियमों में उल्लेखित प्रबंध सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:

- वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना और उसके बाद उसे बनाये रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना;

- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक प्राप्त करना तथा उसके आगे उक्त अनुपात को बनाये रखना या कम करना;

- वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए कुल बकाया ऋण को जीएसडीपी के क्रमशः 39.3, 38.3, 37.3 और 36.5 प्रतिशत तक सीमित रखना;

- राज्य अर्थव्यवस्था और सम्बन्धित राजवित्तीय युक्ति के लिए संभाव्यताएं बताते हुए वार्षिक विवरण बनाना।

तेरहवे वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित बजट में एवं राज्य के एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित मुख्य राजकोषीय चर लक्ष्यों को नीचे **तालिका 1.3** में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय लक्ष्य एवं वास्तविक

राजकोषीय चर	2012-13			
	राज्य के लिए तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट/ एमटीएफपीएस में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	(+) 928	(+) 3,451
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	3.0	3.0	2.14	1.8
सरकार के कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	38.3	38.3	28.65	24.64

बकाया ऋण एवं राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का क्रमश: 24.64 प्रतिशत एवं 1.8 प्रतिशत रहा, जो कि निर्धारित सीमा के अन्तर्गत था।

1.2.2 बजट अनुमान एवं वास्तविक

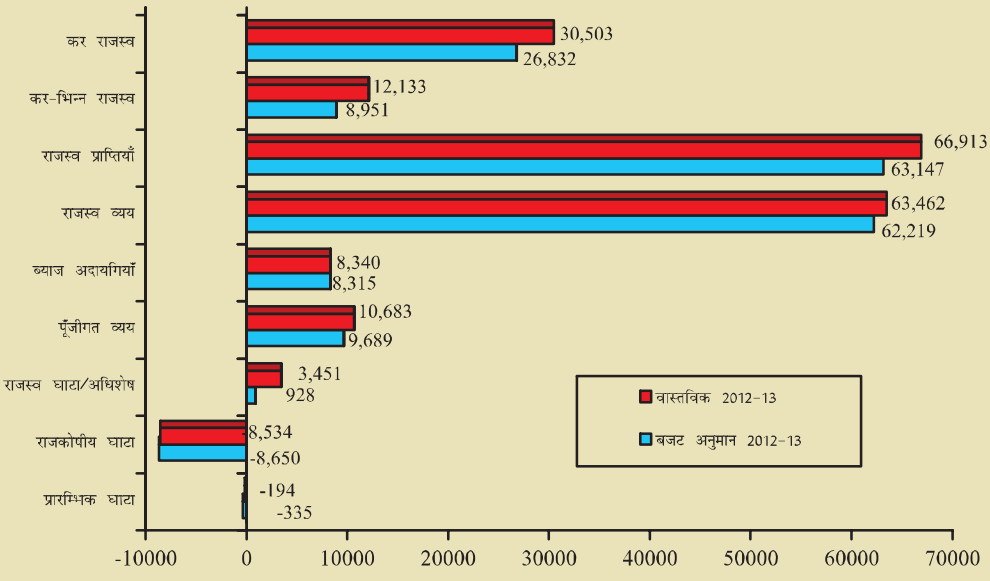
राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट प्रपत्र राजकोषीय वर्ष विशेष के लिए प्राप्तियों तथा व्यय के आंकलनों अथवा अनुमानों का विवरण उपलब्ध कराते हैं। समग्र आर्थिक प्रबन्धन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में प्राप्तियों एवं व्यय के आंकलन में शुद्धता के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन, विभिन्न कारणों से - कुछ के सरकार के नियन्त्रण में होने एवं कुछ के सरकार के नियन्त्रण से बाहर होने के कारण, अपेक्षित राजकोषीय उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति और गैर-अनुकूलन के सूचक हैं।

राज्य बजट नियमावली, 1995 (2012 में संशोधित) के अनुसार वित्त विभाग विभिन्न विभागों के वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों एवं व्ययों के विभागीय अनुमान, नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों के परामर्श से तैयार किये जाते हैं और निर्धारित तिथियों तक वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जाते है। तत्पश्चात् वित्त विभाग अनुमानों का समेकन करता है तथा बजट अनुमानों को तैयार करता है।

वर्ष 2012-13 के लिए वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्ययों में बजट अनुमानों एवं वास्तविकों की तुलना में क्रमश: छ: प्रतिशत एवं दो प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, राजस्व अधिशेष में बजटीय राजस्व अधिशेष की तुलना में ₹ 2,523 करोड़ की वृद्धि हुई। पूँजीगत व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में 10 प्रतिशत की

वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्ययों के अन्तर्गत बजटीय एवं वास्तविक आंकड़ें निम्न **चार्ट 1.1** एवं **परिशिष्ट 1.6** में दर्शाये गये है।

चार्ट 1.1 चयनित राजकोषीय पैमाने: बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक (₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

देखा जा सकता है कि अनेक मुख्य पैमानों पर बजट अनुमानों एवं वास्तविकों के मध्य पर्याप्त अन्तर रहा। बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,766 करोड़ (छः प्रतिशत) का सकारात्मक अन्तर कर राजस्व के साथ साथ कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि के कारण था। राज्य कर राजस्व (संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश) बजट अनुमान से ₹ 3,067 करोड़* (सात प्रतिशत) अधिक रहा। आगे, कर-भिन्न राजस्व बजट अनुमान से ₹ 3,182 करोड़ (36 प्रतिशत) अधिक रहा लेकिन भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान बजट अनुमान से ₹ 2,483 करोड़ (26 प्रतिशत) कम रहा। राजस्व प्राप्तियों की लगभग सभी श्रेणियाँ (कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, माल एवं यात्री कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, श्रम एवं रोजगार, मुख्य सिंचाई, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश एवं भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान) बजट अनुमानों से अधिक रहीं।

राजस्व व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में दो प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, विविध सामान्य सेवाऐं, परिवार कल्याण, शहरी विकास, श्रम एवं रोजगार, प्राकृतिक आपदा के कारण राहत,

* राज्य कर राजस्व में ₹ 3671 करोड़ की वृद्धि हुई एवं संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश में ₹ 604 करोड़ की कमी हुई।

सहकारिता, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, विद्युत तथा नागरिक आपूर्ति इत्यादि में बजट अनुमानों की तुलना में अधिक व्यय के अन्तर्गत हुई। परिणामस्वरूप, राजस्व अधिशेष ₹ 928 करोड़ के बजट अनुमान से बढ़कर ₹ 3,451 करोड़ हो गया, जबकि राजकोषीय घाटा[7] ₹ 8,650 करोड़ के बजट अनुमान से कम होकर ₹ 8,534 करोड़ रह गया, एवं प्रारिम्भक घाटा भी ₹ 335 करोड़ के बजट अनुमान से कम होकर ₹ 194 करोड़ रह गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान, पूँजीगत व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यत: अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों एवं विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत दृष्टिगत हुई।

1.2.3 जेंडर बजटिंग

जेंडर रिस्पानसिव बजटिंग (जीआरबी) यह सुनिश्चित करने का एक साधन है कि जन संसाधनों का न्यायसंगत रूप से विनिधान किया गया है ताकि विशेष जेंडर समूहों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ने 2009-10 के बजट भाषण के दौरान जीआरबी के तैयार करने की घोषणा की जिससे प्रत्येक विभाग के बजट का जेंडर आधारित विश्लेषण हो सके। तद्नुसार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन (अगस्त 2009) किया गया एवं 2009-10 के दौरान महिला अधिकारिता विभाग (विभाग) में एक जेंडर प्रकोष्ठ का गठन किया गया। जीआरबी के कार्यो एवं उद्देश्यों में से एक, सरकार के बजट में बजट योजनाओं का समेकन करना एवं जेंडर विश्लेषण एकीकरण को सरल बनाना था। आगे, वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न विभागों में विभिन्न जीआरबी पहलों के कार्यान्वियन के उद्देश्य से फोकल जेंडर बजट डेस्कों का भी गठन किया गया। इसके अलावा, राज्य वित्त विभाग ने संशोधित राज्य बजट नियमावली के पैरा 13.27 के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 से, बजट अनुमान को तैयार करने के लिए नये एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, विभाग-वार महिलाओं पर किये गये निधियों के आवंटन एवं व्यय का स्थितिजनक विश्लेषण प्रदान करने की दृष्टि से, जेंडर बजट विवरण का समावेश करने का निर्णय लिया (अगस्त 2011)। राजस्थान सरकार ने बजट आवंटन एवं विनिधान के सम्बन्ध में चार श्रेणियाँ[8] बनाई है

राजस्थान सरकार ने प्रथम बार जेण्डर आधारित बजट वर्ष 2012-13 में नीचे दी गई चार श्रेणियों के अन्तर्गत आवंटित किया:

7 पृष्ठ 193 पर शब्दावली देखें।

8 श्रेणी अ: महिलाओं के लिए 70 प्रतिशत से अधिक बजट विनिधानित किया गया;
श्रेणी ब: महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत के मध्य बजट विनिधानित किया गया;
श्रेणी स: महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत के मध्य बजट विनिधानित किया गया;
श्रेणी द: महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत तक बजट विनिधानित किया गया;

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	आयोजना-भिन्न	आयोजना	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	योग
1	अ	1,323.59	783.80	120.20	2,227.59
2	ब	7,289.41	7,443.80	781.15	15,514.36
3	स	99.00	119.49	37.38	255.87
4	द	49.98	124.79	34.94	209.71

तथापि, प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत व्यय के विवरण को विभाग द्वारा संधारित/उपलब्ध नहीं कराया गया (सितम्बर 2013), इसके अभाव में जीआरबी के प्रभाव का आंकलन किया जाना संभव नहीं था।

विभाग द्वारा वर्ष 2010-13 के दौरान आयोजित एचएलसी की बैठकों की संख्या की सूचना भी प्रस्तुत नहीं की गई।

1.2.4 बजट में प्रमुख नीतिगत पहल

माननीय मुख्यमंत्री ने 2012-13 के अपने बजट भाषण में कई योजनाओं तथा नीतियों की घोषणा की (26 मार्च 2012)। सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचित की गई (जुलाई एवं अगस्त 2013) प्रमुख नीतिगत पहलों एवं उन पर की गई कार्यवाहियों की स्थिति का सार नीचे **तालिका 1.4** में दिया गया है:

तालिका 1.4: नीतिगत पहल

क्र. सं.	विभाग का नाम	घोषित प्रमुख नीतिगत पहल	की गई कार्यवाही की स्थिति
1	लोक निर्माण विभाग	नाबार्ड सहायता से 1,500 गाँवों के लिए ₹ 800 करोड़ की लागत से 3,302 किलोमीटर लंबाई की वाटर बाउण्ड मैकाडम (डब्ल्यूबीएम) सड़कों का निर्माण	595 गाँवों के लिए 1,096.35 किलोमीटर सड़क पूर्ण की गई (जुलाई 2013)
2	लोक निर्माण विभाग	₹ 25 लाख की लागत से सभी जिला कलेक्टरों के परिसर में शौचालय और पीने के पानी के साथ प्रतीक्षालयों का निर्माण	33 प्रतीक्षालयों में से 23 पूर्ण किये गये (जुलाई 2013)।
3	निदेशक, स्थानीय निकाय	जोधपुर में ₹ 90 करोड़ की लागत से 90 मिलियन लीटर डेली (एमएलडी) क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण के साथ 2012-13 के लिए जोजरी नदी में मिलाये जाने वाले अनुप्रचारित सीवरेज के पानी से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ₹ 25 करोड़ का आवंटन।	सालावास में 50 एमएलडी के एसटीपी का निर्माण कार्य 18 दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने हेतु 13 दिसम्बर 2012 को कार्य आदेश जारी किये जिस पर ₹ 1.25 करोड़ व्यय किया जा चुका है (अगस्त 2013)। बंसी बेन्दा में 40 एमएलडी के एसटीपी के निर्माण कार्य पर निविदा का कार्य प्रक्रियाधीन था (अगस्त 2013)

क्र. सं.	विभाग का नाम	घोषित प्रमुख नीतिगत पहल	की गई कार्यवाही की स्थिति
4	निदेशक, स्थानीय निकाय	अच्छे पर्यावरण सहित खनन से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ के उचित निपटान के लिए किशनगढ़, मकराना एवं राजसमन्द प्रत्येक नगर हेतु बहुउद्देशीय विकास कार्यो के लिए ₹ 5 करोड़ का प्रावधान किया गया।	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 23 नवम्बर 2012 को जारी की गई। कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया (मार्च 2013)।
5	पशुपालन विभाग	राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन के माध्यम से पाली में ₹ 25 करोड़ की लागत से पशु चारा संयंत्र एवं जयपुर में ₹ 40 करोड़ की लागत से दुग्ध पाउडर संयंत्र स्थापित किया जाना।	पाली संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण पूर्ण किया गया। राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर के साथ निर्माण कार्य के लिए अनुबंध निष्पादित किया गया और संयंत्र की आवश्यकता का आंकलन किया जा रहा है। दुग्ध पाउडर संयंत्र जयपुर के सम्बन्ध में विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि जिला कलेक्टर जयपुर को भूमि आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है। तथापि, फिर बताया (नवम्बर 2013) गया कि जनवरी 2013 में जयपुर-सीकर हाईवे पर गोविन्दगढ़ गाँव में भूमि क्रय कर ली गयी है और संयंत्र हेतु सिविल निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है (अगस्त 2013)। उत्तर विरोधाभाषी है, इसके लिए विभाग से सही स्थिति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया (दिसम्बर 2013)। उत्तर प्रतीक्षित है।
6	पंचायती राज विभाग	लगभग तीन लाख लोगों के स्व-रोजगार के लिए ₹ 300 करोड़ का प्रावधान राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका परियोजना (आरआरएलपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनआरएलपी) और पश्चिमी राजस्थान में गरीबी का शमन (एमपॉवर) के लिए किया गया।	एमपॉवर परियोजना जोधपुर संभाग के छः शहरों के लिए लागू की गई एवं 2012-13 के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत 34,045 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त 11,000 व्यक्तियों को आरआरएलपी के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया। भारत सरकार द्वारा एनआरएलपी के लिए वार्षिक कार्य योजना (2012-14) का सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया।
7		राज्य सरकार के 2 अक्टूबर 2010 के निर्णय के माध्यम से पाँच विभागों से सम्बन्धित निधियों, कार्यो एवं पदाधिकारियों	19,846 लोअर डिवीजन क्लर्क एवं अन्य संवर्गो में 4,080 नये पदों को सृजित किया गया, जिनके विरूद्ध

क्र. सं.	विभाग का नाम	घोषित प्रमुख नीतिगत पहल	की गई कार्यवाही की स्थिति
		के स्थानान्तरण द्वारा पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के बाद, पंचायती राज संस्थानों द्वारा महानरेगा सहित मुख्य योजनाओं को कियान्वित किया जा रहा है जिसके लिए तन्त्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत 23,000 से अधिक पदों का सृजन किया जायेगा।	अनुकंपा नियुक्तियों के माध्यम से लोअर डिवीजन क्लर्क के 202 पदों एवं ग्रुप 'डी' के 143 पदों को भरा गया और शेष पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर थी।
8		प्रत्येक ग्राम पंचायत को विभिन्न योजनाओं के अनुश्रवण और लेखों के संधारण इत्यादि के लिए एक कम्प्यूटर प्रदान किया जाएगा जिन पर लगभग ₹ 25 करोड़ का व्यय किया जाएगा।	राजकॉम्प को 6,528 कम्प्यूटर, प्रिंटर और यूपीएस के क्रय आदेश जारी किये गये (7 दिसम्बर 2012) जिसके लिए ₹ 12.46 करोड़ आवंटित किये गये। उक्त सामानों की आपूर्ति के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
9		जनप्रतिनिधि और पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए कोटा, भरतपुर एवं बीकानेर प्रत्येक में ₹ 2 करोड़ की लागत से नया पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र (पीटीसी) स्थापित किया जाना।	प्रत्येक जिला परिषदों, कोटा, भरतपुर और बीकानेर के पीडी खातों में ₹ 1.5 करोड़ हस्तान्तरित किये जा चुके है। भूमि आवंटन तथा निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन था।
10		प्रत्येक जिला परिषद परिसर में ₹ 25 लाख की लागत से जनता के लिए विश्राम गृहों का निर्माण।	लागत संशोधित कर ₹ 50 लाख करने के बाद, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 29 जिला परिषदों में विश्राम गृहों का निर्माण किया जा रहा था (अगस्त 2013)।

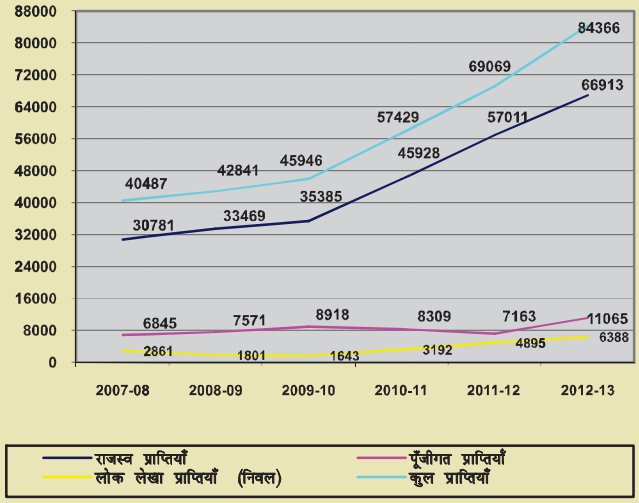
1.3 राज्य के संसाधन

1.3.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

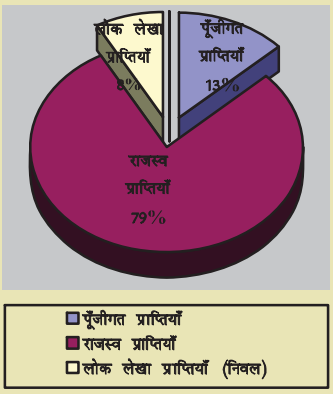
राजस्व एवं पूँजी प्राप्तियों के दो घटक हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का आधार बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल होते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, कर्जे और अग्रिमों की वसूलियाँ, आन्तरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार से कर्जे, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से कर्जे और अग्रिम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अपने घाटे की वित्त पूर्ति करने हेतु लोक लेखे में संवितरण के बाद उपलब्ध निधियों का भी उपयोग किया जाता है। **तालिका 1.2** वार्षिक वित्त लेखे में दर्ज चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है, जबकि **चार्ट 1.2** 2007-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति

दर्शाती है। **चार्ट 1.3** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को दर्शाता है।

चार्ट 1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)



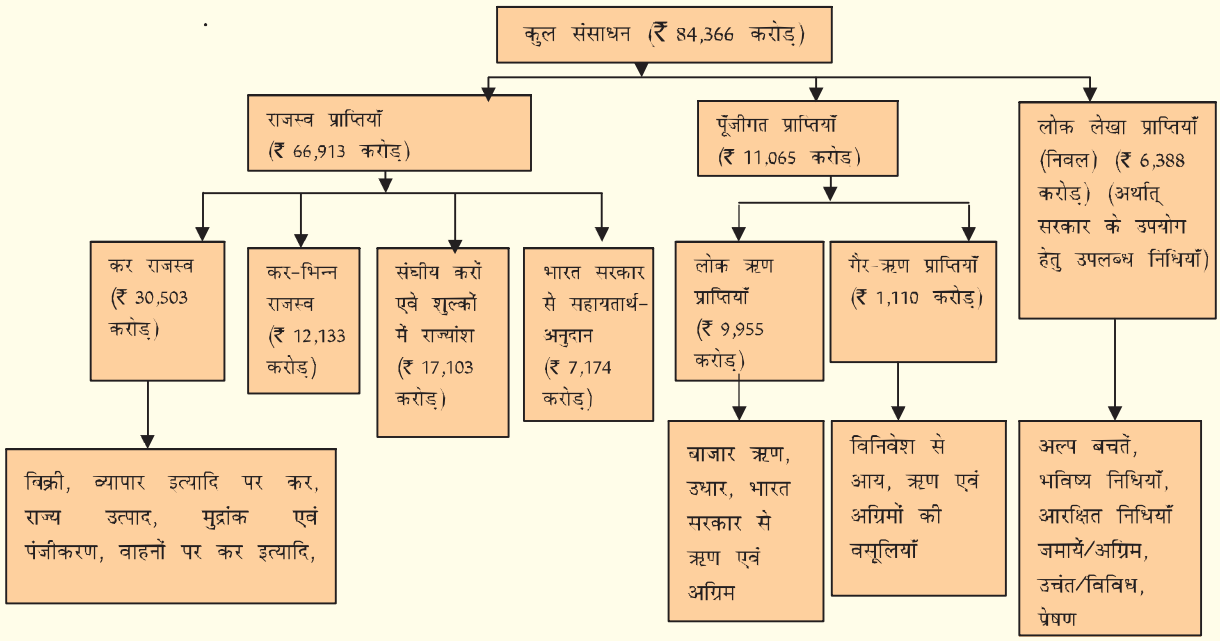
चार्ट 1.3 2012-13 के दौरान प्राप्तियों का संयोजन (प्रतिशत में)



स्रोतः वित्त लेखे

संसाधनों के घटकों तथा उप-घटकों को निम्नलिखित फ्लो चार्ट में प्रदर्शित किया गया है

संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों के अलावा) 2007-08 में ₹ 40,487 करोड़ से 2012-13 में 108 प्रतिशत बढ़कर ₹ 84,366 करोड़ हो गई तथा गत वर्ष की तुलना में ₹ 15,297 करोड़ (22 प्रतिशत) से बढ़ी। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 79 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों का अधिक विवरण नीचे **पैरा 1.4** में दिया गया है।

लोक लेखा प्राप्तियों में ऐसी प्राप्तियाँ शामिल हैं जिनके लिये सरकार लोक निधि हेतु एक बैंकर/ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। जो कि वर्ष 2007-13 के दौरान औसतन कुल प्राप्तियों का छः प्रतिशत थी। निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ जो कि 2007-08 में कुल ₹ 2,861 करोड़ थी 2012-13 में बढ़कर ₹ 6,388 करोड़ हो गई। लोक लेखा प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादिः ₹ 2,164 करोड़, जमा तथा अग्रिमः ₹ 3,416 करोड़ तथा आरक्षित निधिः ₹ 781 करोड़ में हुयी। आरक्षित निधियों का संक्षिप्त विश्लेषण नीचे **पैरा 1.10.3** में दिया गया है।

पूँजीगत प्राप्तियाँ 2007-08 में ₹ 6,845 करोड़ से 2012-13 में 62 प्रतिशत बढ़कर ₹ 11,065 करोड़ हो गई। पूँजीगत प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों की 13 प्रतिशत रही। ऋण प्राप्तियाँ जो कि पूँजीगत प्राप्तियों का मुख्य संघटक है गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,037 करोड़ से बढ़ी। आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम ऋण प्राप्तियों के दो घटक है जो कि कुल ऋण प्राप्तियों का क्रमशः 98 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत थे। आन्तरिक ऋण में गत वर्ष की तुलना में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 41 प्रतिशत की कमी राज्य आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत कम ऋण जारी किये जाने के कारण हुई।

1.3.2 राज्य बजट से बाहर राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को निधियों का अन्तरण

केन्द्रीय सरकार अति महत्वपूर्ण माने गये सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में निधियाँ सीधे राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों[9] को अन्तरित कर रही है। वर्तमान प्रक्रिया में इन निधियों का अन्तरण राज्य बजट/राज्य कोषालय के माध्यम से नहीं किया जाता है अतः इनका राज्य के वित्त लेखे में उल्लेख नहीं होता है। इस प्रकार, राज्य के वित्त लेखे राज्य सरकार के संसाधनों की समग्र स्थिति को नहीं दर्शाते है।

वर्ष के दौरान, ₹ 7,826 करोड़ की केन्द्रीय निधियाँ भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदत्त 49 कार्यक्रमों/योजनाओं के लिये राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित की गई। जिसमें से, ग्रामीण विकास[10] के लिए ₹ 5,169 करोड़ (66 प्रतिशत), सर्व शिक्षा अभियान के लिए ₹ 1,535 करोड़ (20 प्रतिशत) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के

[9] राज्य कार्यकारी एजेन्सियों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए वे संगठन/संस्था सम्मिलित है जिसको राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

[10] ₹ 2,585 करोड़: महानरेगा एवं ₹ 1,406 करोड़: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम।

लिए ₹ 502 करोड़ (6 प्रतिशत) अन्तरित किये गये। राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित निधियों को ***परिशिष्ट 1.7*** में प्रस्तुत किया गया है।

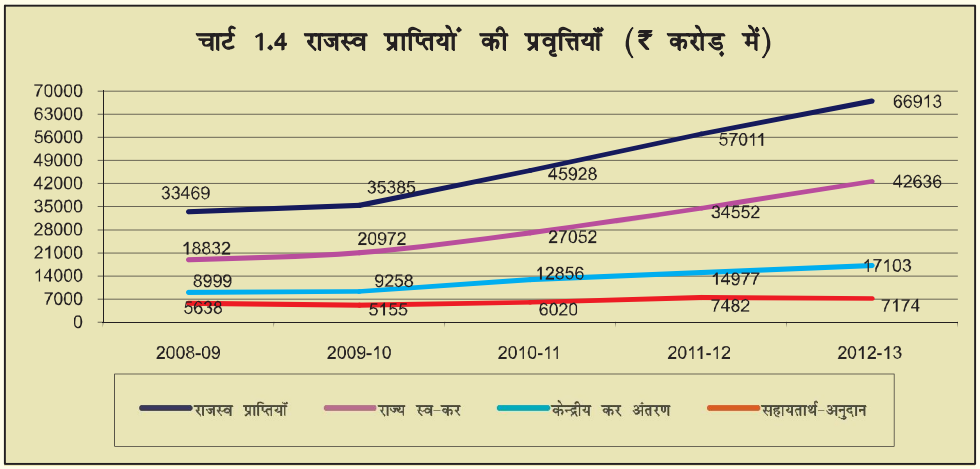
यह दृष्टिगत हुआ कि कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित की गई निधियाँ (केन्द्रीय अंश) गत वर्ष (₹ 6,994 करोड़) की तुलना में ₹ 832 करोड़ से बढ़ गई। यह वृद्धि मुख्यत: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (₹ 1,395 करोड़) तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (महानरेगा) (₹ 966 करोड़) के अन्तर्गत हुई जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 516 करोड़), फसल बीमा (₹ 337 करोड़), इन्दिरा आवास योजना (₹ 208 करोड़), साक्षर भारत मिशन (₹ 81 करोड़), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 71 करोड़), सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन (₹ 68 करोड़), मरूस्थलीय विकास कार्यक्रम (काम्बेटिंग)(₹ 67 करोड़), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹ 60 करोड़), मॉडल स्कूल (₹ 50 करोड़), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (₹ 47 करोड़) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधायों के लिए प्रावधान (₹ 27 करोड़) में कमी से प्रतिसन्तुलित हुई।

वर्तमान प्रक्रिया राज्य सरकार के अधीन संसाधनों का सम्पूर्ण चित्रण नहीं करती है। भारत सरकार द्वारा राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरण से इन एजेन्सियों द्वारा निधियों की उपयोगिता पर शासकीय नियंत्रण की कमी का जोखिम रहता है।

1.4 राजस्व प्राप्तियाँ

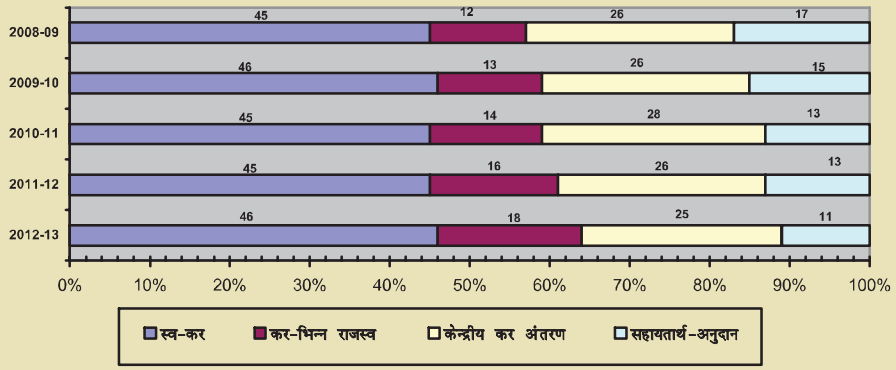
सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण वित्त लेखे के **विवरण-11** में दिया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल है। वर्ष 2008-13 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संयोजन को ***परिशिष्ट 1.3*** में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमश: **चार्ट 1.4** एवं **चार्ट 1.5** में भी दर्शाया गया है:

चार्ट 1.4 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.5 वर्ष 2008-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संयोजन (अंश प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियाँ में 2008-09 में ₹ 33,469 करोड़ से 2012-13 में ₹ 66,913 करोड़ की उत्तरोत्तर वृद्धि दृष्टिगत हुई। 2008-13 की अवधि के दौरान राजस्व का औसत 60 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया। शेष भारत सरकार से संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं सहायतार्थ-अनुदान के रूप में आया।

राज्य के स्व-संसाधनों में कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व शामिल है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2008-13 के दौरान 45 एवं 46 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि कर-भिन्न राजस्व 2008-09 में 12 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 18 प्रतिशत हो गया।

नीचे **तालिका 1.5** में जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ दर्शाई गयी है:

तालिका 1.5: जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	**33,469**	**35,385**	**45,928**	**57,011**	**66,913**
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.7	5.7	29.8	24.1	17.4
राज्य स्व-कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.6	9.8	26.5	22.3	20.2
राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत)	14.5	13.3	13.4	13.7	14.0
उत्प्लावकता अनुपात[11]					
राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	0.5	0.4	1.0	1.1	1.2
राज्य स्व-कर उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	0.7	0.6	0.9	1.0	1.4
राजस्व उत्प्लावकता राज्य स्व-कर के संदर्भ में	0.7	0.6	1.1	1.1	0.9

स्रोत: वित्त लेखे

[11] उत्प्लावकता अनुपात मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय परिवर्ती की प्रतिक्रिया की मात्रा या लचीलापन दर्शाता है।

राजस्व उत्प्लावकता, जो कि राजस्व प्राप्तियों एवं जीएसडीपी की वृद्धि दर के सीधे समानुपाती है, इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में उतार चढ़ाव के कारण व्यापक रूप से परिवर्तित हुई। वर्ष 2008-10 के दौरान जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर कम होने से राजस्व उत्प्लावकता अनुपात कम रहा। राजस्व उत्प्लावकता अनुपात जो कि 2009-10 में निम्नतम 0.4 था 2010-11 में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में अधिक वृद्धि के कारण बढ़कर 1.0 हो गया। इसके बाद भी यह गत वर्ष 1.1 की तुलना में 2012-13 में बढ़कर 1.2 हो गया।

वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य का स्व-कर राजस्व, प्राप्तियों का सबसे बड़ा घटक था एवं इसकी वृद्धि दर की प्रवृत्ति ने राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को प्रभावित किया। इस अवधि के दौरान स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर 2009-10 में सबसे कम थी। वर्ष 2012-13 के दौरान स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर में गत दो वर्षो की तुलना में कमी हुई। तथापि, जीएसडीपी की वृद्धि दर में कमी के कारण, जीएसडीपी के सन्दर्भ में स्व-कर राजस्व का उत्प्लावकता अनुपात बढ़कर 1.4 हो गया। स्व-कर राजस्व उत्प्लावकता अनुपात जीएसडीपी के सन्दर्भ में 2009-10 में सबसे कम एवं 2012-13 में सबसे अधिक था। 2012-13 में गत वर्ष की वृद्धि दर की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुई एवं जीएसडीपी 7.2 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुई **(तालिका 1.1)** और इसने जीएसडीपी के सन्दर्भ में, राजस्व उत्प्लावकता को एवं राज्य स्व-कर राजस्व उत्प्लावकता को प्रभावित किया जैसाकि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है।

2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 17 प्रतिशत की वृद्धि राज्य के स्व-करों (20 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व (32 प्रतिशत) तथा केन्द्रीय कर अन्तरण (14 प्रतिशत) के वृद्धि के पेटे थी जो कि सहायतार्थ-अनुदान (4 प्रतिशत) में कमी से प्रतिसन्तुलित हुयी ***राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 66,913 करोड़) राज्य सरकार द्वारा 2012-13 के लिये एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 63,147 करोड़) से 6 प्रतिशत अधिक रही (चार्ट 1.1)।***

1.4.1 राज्य के स्व-संसाधन

जैसाकि केन्द्रीय करों एवं सहायतार्थ-अनुदानों में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंषाओं के आधार पर किया जाता है, राज्य के संसाधन जुटाने की निष्पादकता का आंकलन उसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न संसाधनों से किया गया।

नीचे **तालिका 1.6** में तेरहवें वित्त आयोग तथा एमटीएफपीएस द्वारा किये गये आंकलन के समक्ष राज्य के वास्तविक कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ की गयी है:

तालिका 1.6: 2012-13 के लिए कर एवं कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग का आंकलन	बजट/एमटीएफपीएस अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ
कर राजस्व	25,199	26,832	**30,503**
कर-भिन्न राजस्व	6,311	8,951	**12,133**

कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलनों से क्रमशः 21 (₹ 5,304 करोड़) एवं 92.3 (₹ 5,822 करोड़) प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में निर्धारित लक्ष्यों से क्रमशः 13.7 (₹ 3,671 करोड़) एवं 35.5 (₹ 3,182 करोड़) प्रतिशत अधिक रही।

1.4.1.1 कर राजस्व

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर 61 प्रतिशत के योगदान के साथ राज्य के कर राजस्व के मुख्य स्रोत थे, इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क (13 प्रतिशत), मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (11 प्रतिशत) एवं वाहनों पर कर (7 प्रतिशत) थे। मुख्य करों एवं शुल्कों के सम्बन्ध में सकल संग्रह की घटक वार स्थिति नीचे **तालिका 1.7** एवं **चार्ट 1.6** में दी गई है:

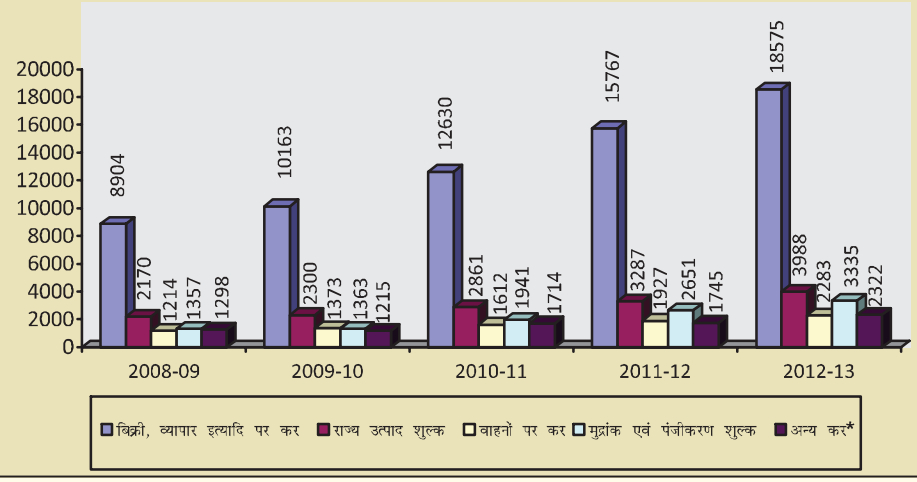
तालिका 1.7: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	8,904	10,163	12,630	15,767	18,575	17.8
राज्य उत्पाद शुल्क	2,170	2,300	2,861	3,287	3,988	21.3
वाहनों पर कर	1,214	1,373	1,612	1,927	2,283	18.5
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	1,357	1,363	1,941	2,651	3,335	25.8
भू-राजस्व	163	148	222	209	304	45.5
माल तथा यात्री कर	190	176	231	220	249	13.2
अन्य कर[12]	945	891	1,261	1,316	1,769	34.4
योग	**14,943**	**16,414**	**20,758**	**25,377**	**30,503**	**20.2**

स्रोत: संबंधित वर्षो के वित्त लेखे

चार्ट 1.6 2008-09 से 2012-13 के दौरान राज्य स्व कर राजस्व के घटक (₹ करोड़ में)



*** अन्य करों में भू-राजस्व, माल तथा यात्री कर, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत कर तथा शुल्क एवं कृषि आय पर कर शामिल है**

[12] अन्य कर में कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत कर तथा शुल्क तथा कृषि आय पर कर शामिल है।

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर के माध्यम से राजस्व, न केवल कर राजस्व का मुख्य सहयोगी (61 प्रतिशत) रहा, अपितु इसमें गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। वर्ष 2012-13 के दौरान, बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की वृद्धि दर (18 प्रतिशत) गत वर्ष (25 प्रतिशत) की तुलना में 7 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुई। तथापि, वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्ति ₹ 16,550 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में ₹ 18,575 करोड़ थी।

राज्य उत्पाद शुल्क की वृद्धि दर जो कि 2009-10 में सबसे कम 6 प्रतिशत थी 2010-11 के दौरान 24 प्रतिशत हुयी, 2011-12 में वृद्धि दर एक बार फिर गिरकर 15 प्रतिशत रह गई। राज्य उत्पाद शुल्क 2012-13 में गत वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यत: विदेशी शराब, स्प्रिट की बिक्री एवं सेवा शुल्कों के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण थी। 2012-13 के दौरान राजस्व वसूली (₹ 3,988 करोड़) अनुमान (₹ 3,250 करोड़) से 22.7 प्रतिशत अधिक रही।

राज्य मोटर यान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि वाहनों पर कर (₹ 2,283 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी। मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 3,335 करोड़) में भी 25.8 प्रतिशत की वृद्धि स्टाम्प-न्यायिकेत्तर की अधिक बिक्री तथा दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्कों से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

संग्रहण की लागत

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किये गये व्यय एवं ऐसे व्यय का सकल संग्रहण से प्रतिशतता सकल भारत की 2010-11 एवं 2011-12 के लिए संग्रहण पर व्यय की सकल संग्रहण से सम्बद्ध औसत प्रतिशतता के साथ **तालिका 1.8** में निम्न प्रकार है:

तालिका 1.8: संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	सकल भारत की औसत प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2010-11	12,630	87	0.69	0.75
	2011-12	15,767	85	0.54	0.83
	2012-13	18,575	89	0.48	उपलब्ध नहीं
राज्य उत्पाद शुल्क	2010-11	2,861	88	3.08	3.05
	2011-12	3,287	83	2.53	2.98
	2012-13	3,988	83	2.08	उपलब्ध नहीं
वाहनों पर कर	2010-11	1,612	31	1.92	3.71
	2011-12	1,927	41	2.13	2.96
	2012-13	2,283	40	1.75	उपलब्ध नहीं
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	2010-11	1,941	34	1.75	1.60
	2011-12	2,651	43	1.62	1.89
	2012-13	3,335	49	1.47	उपलब्ध नहीं

स्रोत: वित्त लेखे एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) कार्यालय को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना

गत वर्ष की तुलना में संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत, बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर एवं मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क में कम हुआ। वर्ष 2011-12 के दौरान, राजस्व के उक्त सभी चारों शीर्षों में संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत सकल भारत की औसत प्रतिशतता की तुलना में कम था।

1.4.1.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों की प्रवृत्तियों को नीचे ***तालिका 1.9*** एवं ***चार्ट 1.7*** में दिखाया गया है:

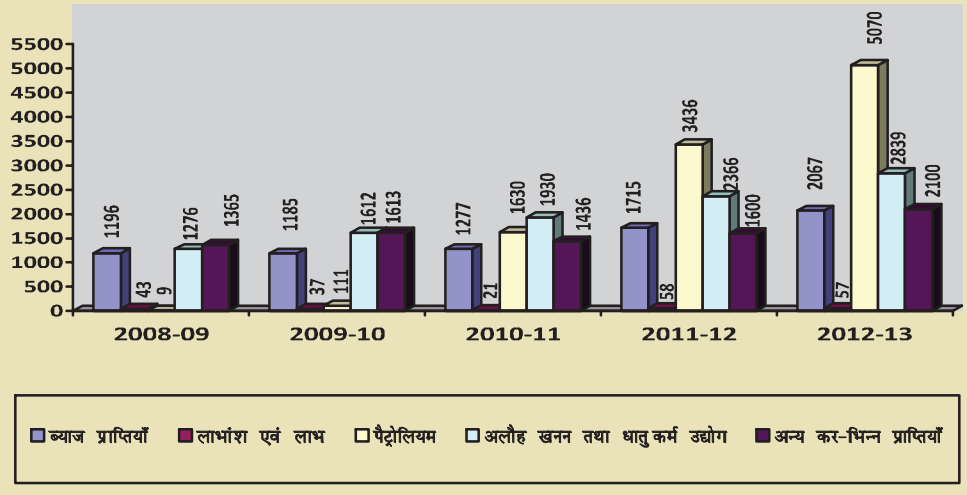
तालिका 1.9: कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि
ब्याज प्राप्तियाँ	1,196	1,185	1,277	1,715	2,067	20.6
लाभांश एवं लाभ	43	37	21	58	57	(-)1.7
पैट्रोलियम	9	111	1,630	3,436	5,070	47.6
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,276	1,612	1,930	2,366	2,839	20.0
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	1,365	1,613	1,436	1,600	2,100	31.2
योग	**3,889**	**4,558**	**6,294**	**9,175**	**12,133**	**32.2**

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.7 2008-09 से 2012-13 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के घटक (₹ करोड़ में)



कर-भिन्न राजस्व (₹ 12,133 करोड़), जो कि 2012-13 में कुल प्राप्तियों का 18 प्रतिशत था, में गत वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत (₹ 2,958 करोड़) की वृद्धि हुई। पैट्रोलियम प्राप्तियाँ, कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि के कारण रॉयल्टी की अधिक प्राप्ति के परिणामस्वरूप, ₹ 1,634 करोड़ से बढ़ी। ब्याज प्राप्तियाँ मुख्यत: विभागीय सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्त ब्याज के पुस्तकीय समायोजन तथा रोकड़ शेष के निवेश पर ब्याज प्राप्ति के कारण हुयी।

निवेश पर प्रतिलाभ 2011-12 के 0.4 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 0.3 प्रतिशत रह गया।

1.4.1.3 सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली

कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों (एनटीआरआर) का आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (एनपीआरई) से अनुपात को सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली के सूचक के रूप में माना जाता है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा सफाई, मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई एवं सड़क तथा सेतु के सम्बन्ध में वर्तमान मूल्य की वसूली का विवरण एनटीआरआर का एनपीआरई से अनुपात के रूप में नीचे **तालिका 1.10** में दिया गया है:

तालिका 1.10: सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेवा	2011-12			2012-13		
		एनटीआरआर	एनपीआरई	लागत वसूली (प्रतिशत में)	एनटीआरआर	एनपीआरई	लागत वसूली (प्रतिशत में)
1	प्रारम्भिक शिक्षा	7.80	5,053.91	0.15	10.99	5,642.60	0.19
2	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	59.38	1,932.75	3.07	96.04	2,357.56	4.07
3	जलापूर्ति तथा सफाई	254.03	1,625.26	15.63	258.61	1,697.08	15.24
4	मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई	109.87	383.33[13]	28.66	102.61	484.37[13]	21.18
5	सड़क तथा सेतु	5.66	770.62	0.73	3.17	796.58	0.40

स्रोत: वित्त लेखे

सिंचाई क्षेत्र में 2011-12 के दौरान ₹ 109.87 करोड़ की प्राप्तियाँ 2012-13 में 6.6 प्रतिशत गिरकर ₹ 102.61 करोड़ रह गई जबकि वसूली की वास्तविक लागत गत वर्ष की तुलना में 7.48 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुयी।

[13] ब्याज अदायगियाँ 2011-12: ₹ 961.67 करोड़ एवं 2012-13: ₹ 1,002.86 करोड़ के कल्पित समायोजन के अतिरिक्त।

वर्ष 2012-13 के दौरान मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई के अन्तर्गत सिंचाई की वास्तविक वसूली दर तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन (32 प्रतिशत) से कम (21.18 प्रतिशत) रही।

1.4.2 भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान

जैसाकि नीचे **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है, भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान 2008-09 में ₹ 5,638 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 7,174 करोड़ हो गया:

तालिका 1.11: भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयोजना भिन्न अनुदान	1,272	1,715	1,716	2,901	2,675
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,077	1,606	2,488	2,416	2,316
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	67	128	165	166	92
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	2,222	1,706	1,651	1,999	2,091
योग	**5,638**	**5,155**	**6,020**	**7,482**	**7,174**
गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	14.5	(-) 8.6	16.8	24.3	(-) 4.1
कुल अनुदान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	16.8	14.6	13.1	13.1	10.7

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ-अनुदान (₹ 7,174 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में चार प्रतिशत (₹ 308 करोड़) की कमी हुई। यह कमी आयोजना-भिन्न अनुदान (₹ 226 करोड़), राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 100 करोड़) एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 74 करोड़) के अन्तर्गत हुई जो कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 92 करोड़) में वृद्धि से प्रतिसन्तुलित हुयी। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा ₹ 2,409.50 करोड़ (राज्य विशिष्ट अनुदान: ₹ 37.50 करोड़ सहित) आयोजना-भिन्न अनुदान के अन्तर्गत निर्मोचित की गई।

1.4.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

केन्द्रीय करों में राज्यों के 30.50 प्रतिशत हिस्से (बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश) को तेरहवें वित्त आयोग द्वारा बढ़ाकर 32 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई। केन्द्रीय करों (सेवा कर के अतिरिक्त) के निवल आगमों एवं सेवा करों के निवल आगमों में राज्य का हिस्सा क्रमश: 5.85 प्रतिशत एवं 5.95 प्रतिशत निर्धारित किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय करों का हिस्सा (₹ 17,103 करोड़) बजट अनुमानों (₹ 17,707 करोड़) से ₹ 604 करोड़ कम था।

केन्द्रीय कर अन्तरण में गत वर्ष की तुलना में ₹ 2,126 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि राजस्व प्राप्तियों का 25.6 प्रतिशत था। यह वृद्धि निगम कर (₹ 248 करोड़), सेवा कर (₹ 710 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 245 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 684 करोड़) एवं संघ उत्पाद शुल्क (₹ 251 करोड़) के अन्तर्गत हुई जो कि सम्पदा शुल्क (₹ 12 करोड़) में कमी से प्रतिसन्तुलित हुयी।

1.4.4 तेरहवें वित्त आयोग की अनुदानों का अधिकतम उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2012-13 के दौरान, निम्न **तालिका 1.12** में दर्शित क्षेत्रों में, राज्य को ₹ 2,776.60 करोड़ अन्तरित करने की सिफारिश की थी।

तालिका 1.12: सिफारिश किये गये अन्तरण एवं वास्तव में निर्मोचित सहायतार्थ-अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंतरण	तेरहवे वित्त आयोग की सिफारिश		मार्च 2012 के अंत में अप्रयुक्त राशि/ आधिक्य व्यय (-)	2012-13 में वास्तविक निर्मोचन	2012-13 तक प्राप्त अनुदान की तुलना में 2012-13 के दौरान व्यय	2012-13 तक निर्मोचित के सन्दर्भ में अनुपयोजित राशि/ अधिक व्यय (-)
		2010-15	2012-13 के लिए				
1	2	3	4	5	6	7	(5+6) - 7=8
	स्थानीय निकायें						
	(i) *पीआरआई को अनुदान*	3,938.64	838.23	66.93	880.00	946.95	(-) 0.02
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	*2,575.24*	*497.15*	*(-) 0.02*	*522.15*	*522.15*	*(-) 0.02*
	(ब) पीआरआई को सामान्य निष्पादन अनुदान	*1,363.40*	*341.08*	*66.95*	*357.85*	*424.80*	-
	(ii) *यूएलबी को अनुदान*	1,194.26	254.14	21.56	251.71	273.63	(-) 0.36
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	*780.86*	*150.72*	*(-) 0.36*	*158.33*	*158.33*	(-) 0.36
	(ब) यूएलबी को सामान्य निष्पादन अनुदान	*413.40*	*103.42*	*21.92*	*93.38*	*115.30*	-
	(iii) विशेष क्षेत्र अनुदान	30.90	7.20	0.37	7.20	6.85	0.72
	(अ) विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	*18.20*	*3.60*	*0.37*	*3.60*	*3.43*	0.54
	(ब) विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	*12.70*	*3.60*	-	*3.60*	*3.42*	0.18
	योग (1)	**5,163.80**	**1,099.57**	**88.86**	**1,138.91**	**1,227.43**	**0.34**
(2)	**आपदा राहत**						
	(i) आपदा राहत निधि	2,489.30	496.67	-	496.67	496.67	-
	(ii) क्षमता निर्माण	30.00	6.00	2.53	6.00	2.50	6.03
	योग (2)	**2,519.30**	**502.67**	**2.53**	**502.67**	**499.17**	**6.03**
(3)	**परिणाम में सुधार के लिए अनुदान**						
	(i) न्याय वितरण में सुधार	268.51	53.70	63.22	-	16.84	46.38
	(ii) यूआईडी निर्गम के लिए प्रोत्साहन	134.90	26.98	13.49	-	-	13.49
	(iii) जिला नवाचार निधि*	33.00	-	16.50	-	2.94	13.56
	(iv) राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों का सुधार	33.00	6.60	6.17	-	5.12	1.05
	(v) कर्मचारी और पेंशन डाटा बेस	10.00	0.00	2.50	-	2.36	0.14
	योग (3)	**479.41**	**87.28**	**101.88**	**-**	**27.26**	**74.62**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंतरण	तेरहवे वित्त आयोग की सिफारिश		मार्च 2012 के अंत में अप्रयुक्त राशि/ आधिक्य व्यय (-)	2012-13 मे वास्तविक निर्मोचन	2012-13 तक प्राप्त अनुदान की तुलना मे 2012-13 के दौरान व्यय	2012-13 तक निर्मोचित के सन्दर्भ में अनुपयोजित राशि/ अधिक व्यय (-)
		2010-15	2012-13 के लिए				
1	2	3	4	5	6	7	(5+6) - 7=8
(4)	**पर्यावरण सम्बन्धित अनुदान**						
	(i) वनों की सुरक्षा	88.32	22.08	3.23	15.13	17.28	1.08
	(ii) जल क्षेत्र प्रबंधन	224.00	56.00	56.00	-	-	56.00
	योग (4)	**312.32**	**78.08**	**59.23**	**15.13**	**17.28**	**57.08**
(5)	**प्रारम्भिक शिक्षा**	**1,766.00**	**356.00**	**-**	**356.00**	**356.00**	**-**
(6)	**सड़क एवं पुल**	**1,509.00**	**353.00**	**-**	**353.00**	**353.00**	**-**
(7)	**राज्य विशिष्ट अनुदान**	**1,200.00**	**300.00**	**197.17**	**37.50**	**231.85**	**2.82**
	महायोग (1 से 7)	12,949.83	2,776.60	449.67	2,403.21	2,711.99	140.89

स्रोतः तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं वित्त लेखे

* **वर्ष 2011-12 के दौरान प्रथम किश्त के पेटे ₹ 16.50 करोड़ की राशि निर्मोचित की गई। तथापि, प्रथम किश्त के उपयोग करने के बाद ही द्वितीय किश्त निर्मोचित की जानी थी।**

मार्च 2013 तक राज्य सरकार ने ₹ 2,776.60 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की तुलना में, राज्य विशिष्ट अनुदान (₹ 262.50 करोड़), जल क्षेत्र प्रबंधन (₹ 56 करोड़), वनों की सुरक्षा (₹ 6.95 करोड़), न्याय वितरण में सुधार (₹ 53.70 करोड़), यूआईडी निर्गम के लिए प्रोत्साहन (₹ 26.98 करोड़) एवं राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों के सुधार (₹ 6.60 करोड़) के अन्तर्गत ₹ 412.73 करोड़ के कम निर्मोचन के कारण, कुल ₹ 2,403.21 करोड़ (भारत सरकार से शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए प्राप्त अनुदान ₹ 6.29 करोड़ को छोड़कर) का अनुदान, प्राप्त किया जोकि स्थानीय निकायो के अन्तर्गत अधिक निर्मोचन (₹ 39.34 करोड़) से प्रतिसन्तुलित हुआ। इन सभी प्रकरणों में, वर्ष 2010-11 या 2011-12 के दौरान प्रथम अंतरण/किश्त बिना किसी शर्त के जारी की जानी थी तथा अगली किश्तें निश्चित शर्तो, जिनका विवरण जैसाकि प्रत्येक अनुदान के सामने नीचे **तालिका 1.13** में दिया गया है, को पूर्ण किये जाने के बाद निर्मोचित की जानी थी। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तो को राज्य द्वारा पूर्ण नहीं किया गया जिससे आगामी किश्तें निर्मोचित नहीं की गई।

तालिका 1.13: तेरहवें वित्त आयोग की अनुदान के निर्मोचन के लिए शर्तें

अंतरण	अगली किश्त के निर्मोचन के लिए शर्त
यूआईडी के लिए प्रोत्साहन अनुदान	विभिन्न मानदण्डों पर आधारित पुनर्भरण आधार पर निर्मोचित की जायेगी।
न्याय वितरण में सुधार	राज्य द्वारा राज्य वाद नीति पेश किये जाने के बाद निर्मोचित की जायेगी।
सरकारी कर्मचारियो और पेंशनरो के लिए डाटाबेस	डाटाबेस को तीन वर्षो में पूर्ण किया जाना है। बकाया राशि राज्य द्वारा यह प्रमाणित करने के बाद दी जाएगी कि उसने डाटाबेस तैयार कर लिया है।
जल क्षेत्र प्रबंधन*	राज्य 2011-12 तक जल विनियामक प्राधिकरण स्थापित करे और 31 मार्च 2012 तक अधिसूचित करे।
राज्य विशिष्ट अनुदान	राज्य द्वारा अनुबन्ध का उल्लंघन किये जाने की अवधि के दौरान रोकी जायेगी। यदि राज्य द्वारा वर्ष के किसी भाग में उल्लंघन किया गया, तो यह अनुदान उस अनुपात तक कम किया जायेगा।

*** प्रथम किश्त निर्मोचित करने के लिए शर्त**

वर्ष 2012-13 के दौरान, उपलब्ध अनुदान राशि ₹ 2,852.88 करोड़ (मार्च 2012 के अन्त में अनुपयोजित अनुदान राशि: ₹ 449.67 करोड़; वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त अनुदान राशि: ₹ 2,403.21 करोड़) के समक्ष संबंधित राजस्व शीर्षो के अन्तर्गत राशि रूपये 2,711.99 करोड़ का व्यय पुस्तांकित किया गया। मार्च 2013 तक ₹ 140.89 करोड़ की अनुदान राशि मुख्यत: जल क्षेत्र प्रबंधन ₹ 56 करोड़; न्याय आपूर्ति में सुधार: ₹ 46.38 करोड़; जिला नवाचार निधि: ₹ 13.56 करोड़ तथा यूआईडी निर्गम के लिए प्रोत्साहन: ₹ 13.49 करोड़ अनुपयोजित रही।

1.4.5 छोड़ा गया राजस्व

वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य द्वारा विभिन्न करों के अन्तर्गत बट्टा माफी, छूट, आस्थगित इत्यादि के कारण छोड़े गये राजस्व पर विभागों से संकलित सूचना निम्नानुसार थी:

- मुद्रांक एवं पंजीकरण विभाग ने बॉण्डस, गैर-परिवर्तनीय बॉण्डस, अंश प्रमाणपत्रों आदि को सम्मिलित करते हुये दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क माफ किया जिससे ₹ 53.80 करोड़[14] का राजस्व छोड़ा गया।

- परिवहन विभाग ने विभिन्न लाभार्थियों यथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अन्तर्गत स्कूटी के नि:शुल्क वितरण का लाभ लेने वाली 500 छात्राओं को एक मुश्त लगने वाले कर एवं अधिभार के भुगतान, उर्स के दौरान अजमेर में अन्य राज्यों से आने जाने वाले सभी यात्री वाहनों पर ₹ 3,500 से अधिक राशि का देय मोटर वाहन कर, विशेष सड़क कर एवं अधिभार, महावीर विकलांग सहायता समिति, जोधपुर द्वारा चलाये जा रहे महेन्द्रा जायलो वाहन पर मोटर वाहन कर, विशेष सड़क कर एवं उस पर अधिभार के भुगतान की राशि पर ₹ 2.08 करोड़ की छूट प्रदान की।

- भू-राजस्व विभाग ने छोड़े गये राजस्व से सम्बन्धित मात्र दो जिलों यथा जोधपुर (₹ 4.90 करोड़) एवं बीकानेर (शून्य) की सूचना उपलब्ध करवाई।

- खनन एवं भूविज्ञान तथा राज्य उत्पाद विभागों के संबंध में सूचना शून्य थी।

- वाणिज्यिक कर विभाग से सूचना प्रतीक्षित रही।

[14] (1) राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम: ₹ 10.00 करोड़, (2) आरआरवीपीएनएल: ₹ 7.87 करोड़, (3) जयपुर मैट्रो रेल निगम लिमिटेड: ₹ 0.15 करोड़ (4) मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड: ₹ 20.11 करोड़, (5) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड: ₹ 0.01 करोड़, (6) आरएफसी: ₹ 2.00 करोड़, (7) आरआरवीपीएनएल: ₹ 9.62 करोड़, (8) आरएफसी: ₹ 4.00 करोड़ एवं (9) राजस्थान राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 0.04 करोड़।

1.5 पूँजीगत प्राप्तियाँ

वर्ष 2008-13 की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.14: पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूँजीगत प्राप्तियाँ	7,571	8,918	8,309	7,163	11,065
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	4	9	13	16	8
ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	89	112	319	1,229	1,102
लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,478	8,797	7,977	5,918	9,955
ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	47.7	17.6	- 9.3	- 25.8	68.2
गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	- 94.8	30.1	174.4	275.0	- 10.8
जीएसडीपी की वृद्धि दर	18.5	15.1	28.6	21.9	14.7
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.6	17.8	- 6.8	- 13.8	54.5

स्रोत: वित्त लेखे

1.5.1 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण एवं गैर-ऋण प्राप्तियाँ) 2012-13 में 2008-09 से 46 प्रतिशत एवं गत वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत बढ़ी।

1.5.2 कर्जे एवं अग्रिम की वसूलियाँ

कर्जे एवं अग्रिम की वसूलियों का बड़ा भाग मुख्यत: अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 323 करोड़, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 280 करोड़, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 275 करोड़, राजस्थान राज्य सहकारी बीज उत्पाद संघ (तिलम संघ): ₹ 73 करोड़, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड: ₹ 38 करोड़, राज्य सरकार के पेन्शनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना हेतु राजस्थान पेन्शनर मेडीकल फण्ड: ₹ 36 करोड़, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड: ₹ 24 करोड़ एवं राजस्थान वित्त निगम: ₹ 19 करोड़ रहा। गत वर्ष की तुलना में कर्जे एवं अग्रिम की वसूलियाँ ₹ 127 करोड़ कम हुई।

1.5.3 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2012-13 के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि से उधार, गत वर्ष की तुलना में 75 प्रतिशत (₹ 4,174 करोड़) से बढ़ी जबकि बाजार ऋण प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,541 करोड़ (79 प्रतिशत) से बढ़ी।

1.5.4 भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम

भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम की प्राप्तियाँ 2012-13 में 2008-09 के ₹ 326 करोड़ की तुलना में 39 प्रतिशत कम होकर ₹ 200 करोड़ रह गई। यह गत वर्ष से

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्जे के अन्तर्गत 41 प्रतिशत (₹ 137 करोड़) से कम हुई।

1.6 लोक लेखा प्राप्तियाँ

अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचन्त, प्रेषण इत्यादि से सम्बन्धित कुछ लेन-देनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो कि समेकित निधि के भाग नहीं है, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं होता है। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है और संवितरण के बाद शेष राशि का उपयोग करती है। लोक लेखा प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.15** में दिया गया है:

तालिका 1.15: लोक लेखा प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखा प्राप्तियाँ					
अ. अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,106	3,975	5,130	5,630	7,171
ब. आरक्षित निधि	1,945	-267	873	1,638	1,568
स. जमा तथा अग्रिम	81,808	99,446	1,07,666	1,14,301	1,40,748
द. उचन्त तथा विविध	150	75	11	27	43
य. प्रेषण	6,571	6,128	5,810	5,619	7,033
योग	**93,580**	**1,09,357**	**1,19,490**	**1,27,215**	**1,56,563**

स्रोत: वित्त लेखे

लोक लेखा प्राप्तियों में 2008-13 के दौरान उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदर्शित हुई एवं गत वर्ष की तुलना में ₹ 29,348 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यत: जमा तथा अग्रिमों (₹ 26,447 करोड़) के अन्तर्गत थी।

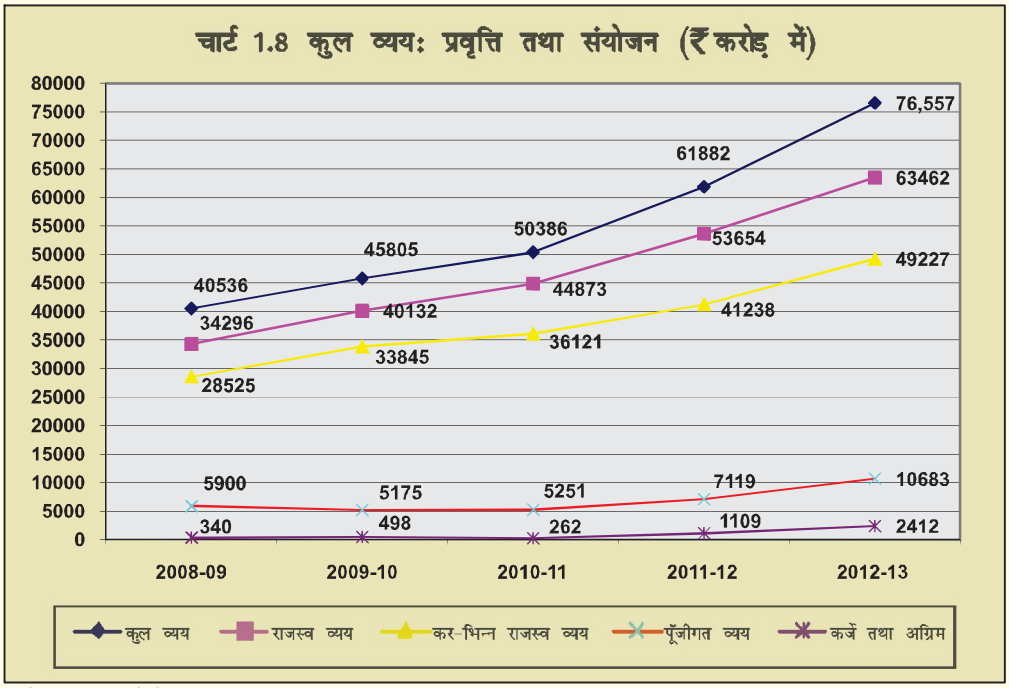
1.7 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है चूँकि व्यय का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के दायरे में, घाटे अथवा उधारों से वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय रूकावटें होती हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय सुधार एवं दृढ़ीकरण प्रक्रिया व्यय, विशेषतया सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय, की लागत पर नहीं है।

1.7.1 व्यय का संयोजन तथा वृद्धि

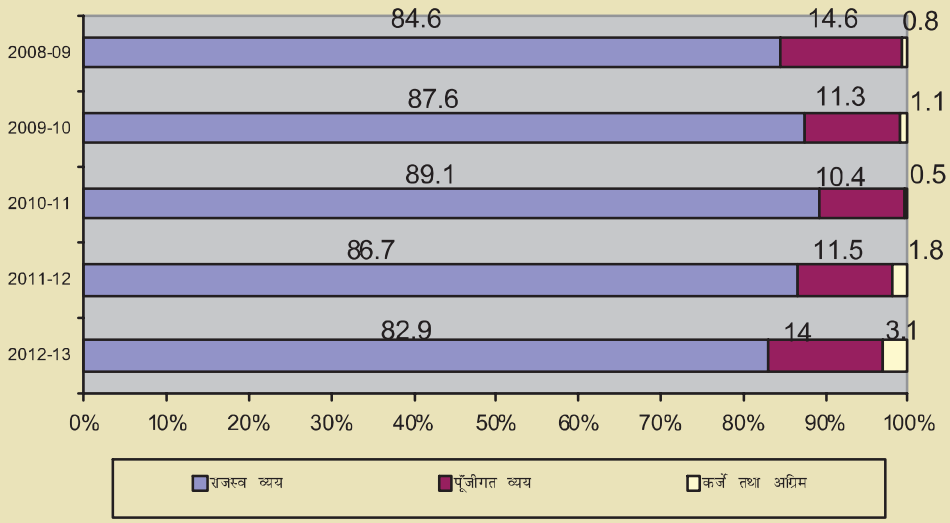
नीचे दिखाये गये **चार्ट 1.8** पाँच वर्षों (2008-13) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति को और **चार्ट 1.9** एवं **1.10** क्रमश: 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों के अनुसार व्यय' के रूप में इसके संयोजन को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.8 कुल व्ययः प्रवृत्ति तथा संयोजन (₹ करोड़ में)



स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 1.9 कुल व्ययः इसके घटकों के भागों की प्रवृत्ति में (भाग प्रतिशत में)

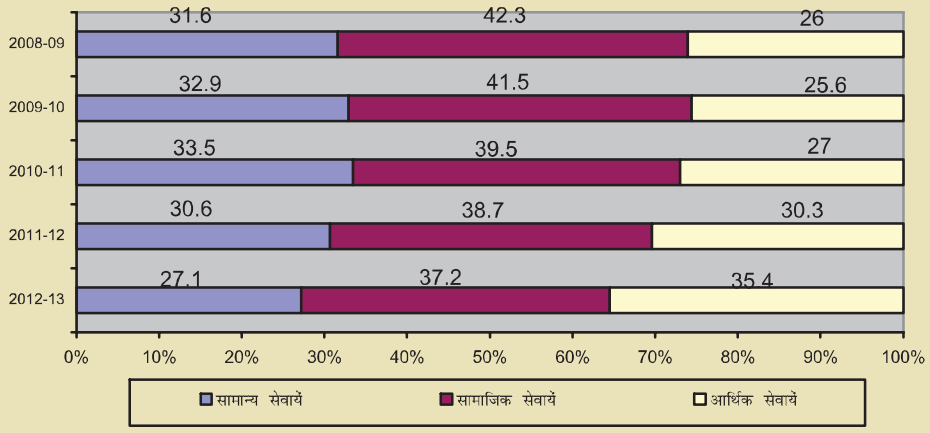


कुल व्यय

राज्य का कुल व्यय 2008-09 से 2012-13 में 89 प्रतिशत एवं 2011-12 की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2011-12 की तुलना में राजस्व व्यय ₹ 9,808 करोड़ (18 प्रतिशत) से, पूँजीगत व्यय ₹ 3,564 करोड़ (50 प्रतिशत) से तथा ऋण एवं अग्रिमों की पुनर्अदायगी ₹ 1,303 करोड़ (117 प्रतिशत) से बढ़ा। वास्तविक कुल व्यय राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए एमटीएफपीएस में किये गये आंकलनों

(₹ 71,956.61 करोड़) की तुलना में 6 प्रतिशत (₹ 4,601 करोड़) से बढ़ा जो कि मुख्यत: विद्युत परियोजना पर ₹ 4,313 करोड़ (राजस्व व्यय: ₹ 1,164 करोड़, पूँजीगत व्यय: ₹ 1,320 करोड़ तथा ऋण एवं अग्रिम: ₹ 1,829 करोड़) की वृद्धि के कारण हुआ।

चार्ट 1.10 कुल व्यय: "कार्यकलापों" के अनुसार प्रवृत्ति (भाग प्रतिशत में)



कुल व्यय में उक्त घटकों से सम्बन्धित अंश का चलन यह इंगित करता है कि जबकि कुल व्यय में सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं का अंश 2008-09 में 31.6 प्रतिशत तथा 42.3 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में क्रमश: 27.1 प्रतिशत तथा 37.2 प्रतिशत रह गया, आर्थिक सेवाओं का अंश 2008-09 में 26 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 35.4 प्रतिशत हो गया। सामान्य सेवाओं पर माना गया गैर-विकासात्मक व्यय 2011-12 में 30.6 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में 27.1 प्रतिशत हुआ, यह गत वर्ष की तुलना में 3.5 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुआ। दूसरी ओर, विकासात्मक व्यय, यथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं दोनों पर मिलाकर व्यय 2011-12 में 69 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में 72.6 प्रतिशत हो गया, यह गत वर्ष की तुलना में 3.6 प्रतिशतता बिन्दु से बढ़ा।

1.7.2 राजस्व व्यय

कुल व्यय का अधिकांश भाग राजस्व व्यय में प्रवाहित हो जाता है। यह वर्तमान स्तर की सेवाओं को बनाये रखने एवं पिछले दायित्व के भुगतान पर व्यय होता है और इस प्रकार राज्य के आधारभूत ढांचे एवं सेवाओं के नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती।

राजस्व व्यय 2008-09 के ₹ 34,296 करोड़ से 85 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 63,462 करोड़ हो गया। विभिन्न निकायों/संगठनों को दिये गये अनुदान को राजस्व व्यय में इस पर विचार किये बिना कि निकायों/संगठनों द्वारा इसे किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, वर्गीकृत किया गया। राजस्व व्यय की जीएसडीपी से प्रतिशतता

2008-09 में 14.9 से कम होकर 2012-13 में 13.3 रह गयी। तथापि, यह वर्ष 2011-12 की तुलना में 12.9 प्रतिशत से बढ़ी। राजस्व घाटे का 2008-09 एवं 2009-10 में जीएसडीपी से अनुपात क्रमश: 0.4 एवं 1.8 था और राज्य 2010-11 और इसके बाद राजस्व अधिशेष की ओर अग्रसर रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 83 प्रतिशत था। यह राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए एमटीएफपीएस में किये गये अनुमानों (₹ 62,219 करोड़) से 2 प्रतिशत अधिक रहा।

1.7.3 पूँजीगत व्यय

₹ 10,683 करोड़ का पूँजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 9,689 करोड़) से 10 प्रतिशत अधिक रहा। पूँजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत (₹ 3,564 करोड़) से बढ़ा एवं 2008-09 के ₹ 5,900 करोड़ से 81 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 10,683 करोड़ हो गया। सरकार ने 2012-13 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र: ₹ 3,868 करोड़, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति क्षेत्र: ₹ 120 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र: ₹ 214 करोड़ एवं शहरी विकास: ₹ 979 करोड़ में विनिवेश किया।

1.7.4 आयोजनागत सहायता का विचलन

₹ 62,414 करोड़ (₹ 66,913 करोड़ - ₹ 2,316 करोड़ - ₹ 2,183 करोड़) ***(परिशिष्ट 1.4)*** की राजस्व प्राप्तियाँ (भारत सरकार से प्राप्त आयोजनागत सहायता के अलावा) एनपीआरई के ₹ 49,227 करोड़ **(चार्ट 1.8)** से ₹ 13,187 करोड़ अधिक थी जो कि यह इंगित करता है कि एनपीआरई की पूर्ति करने हेतु आयोजनागत सहायता का उपयोग नहीं किया गया।

1.7.5 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय मुख्यत: ब्याज अदायगियों, वेतन तथा मजदूरी, पेन्शन पर व्यय तथा अर्थ-सहाय्य से बनता है। वर्ष 2008-2013 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को निम्न **तालिका 1.16** एवं **चार्ट 1.11** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.16: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वेतन एवं मजदूरी- आयोजना-भिन्न शीर्ष	11,053	13,348	13,730	14,829	16,825
वेतन एवं मजदूरी- आयोजना शीर्ष **	650	682	840	1,018	770
कुल वेतन एवं मजदूरी	11,703 (35.0)	14,030 (39.7)	14,570 (31.7)	15,847 (27.8)	17,595* (26.3)
ब्याज अदायगियाँ	6,224 (18.6)	6,769 (19.1)	7,369 (16.0)	7,892 (13.8)	8,340 (12.5)
पेन्शन पर व्यय	3,322 (9.9)	4,887 (13.8)	5,151 (11.2)	5,920 (10.4)	6,858 (10.2)

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अर्थ-सहाय्य	1,435 (4.3)	1,493 (4.2)	2,227 (4.8)	3,200 (5.6)	5,464 (8.2)
कुल प्रतिबद्ध व्यय	**22,684** **(67.8)**	**27,179** **(76.8)**	**29,317** **(63.8)**	**32,859** **(57.6)**	**38,257** **(57.2)**
अन्य घटक	11,612 (34.7)	12,953 (36.6)	15,556 (33.9)	20,795 (36.5)	25,205*** (37.7)
कुल राजस्व व्यय	**34,296**	**40,132**	**44,873**	**53,654**	**63,462**
राजस्व प्राप्तियाँ	**33,469**	**35,385**	**45,928**	**57,011**	**66,913**

टिप्पणी: कोष्ठक में दी गयी संख्या राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाती है।

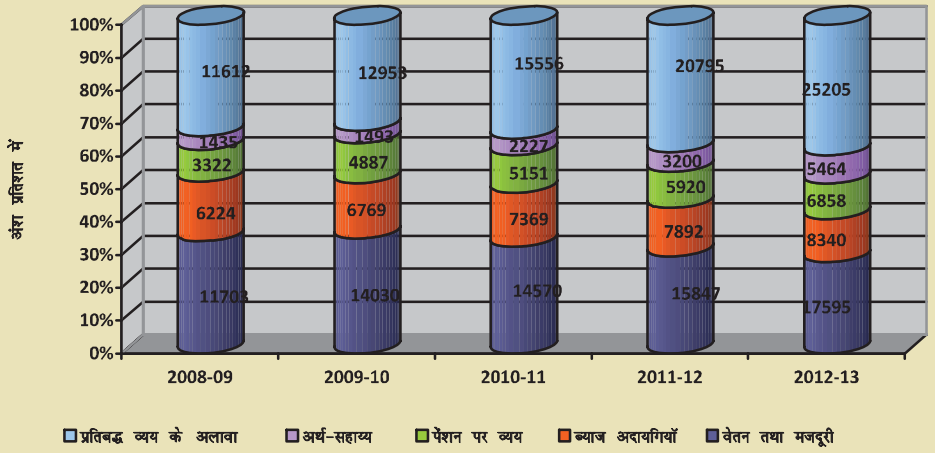
* वेतन: ₹ 17,214 करोड़ एवं मजदूरी ₹ 381 करोड़

** आयोजनागत शीर्ष में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान किए गए वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।

*** वित्तीय सहायता: ₹ 10,526 करोड़; सहायतार्थ-अनुदान सामान्य (वेतन): ₹ 5,035 करोड़; निधियों को अंतरण: ₹ 1,324 करोड़; एवं रखरखाव: ₹ 392 करोड पर व्यय सम्मिलित हैं।

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.11: वर्ष 2008-13 के दौरान राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश (चिन्हित मूल्य ₹ करोड़ में)



वर्ष 2012-13 में प्रतिबद्ध व्यय ₹ 38,257 करोड़ था जो कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का क्रमश: 60 प्रतिशत एवं 57 प्रतिशत था। यह स्पष्ट करना उचित होगा कि यदि स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता (₹ 10,526 करोड़) एवं सहायतार्थ-अनुदान सामान्य (वेतन) (₹ 5,035 करोड़) को प्रतिबद्ध व्यय में जोड़ दिया जावे तो प्रतिबद्ध व्यय की राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता बढ़कर क्रमश: 85 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत एवं राज्य स्व-कर राजस्व से प्रतिशतता 126 प्रतिशत हो जायेगी।

वेतन तथा मजदूरी

वेतन तथा मजदूरी पर व्यय वर्ष 2008-09 के ₹ 11,703 करोड़ से 50 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 17,595 करोड़ हो गया। तथापि, वेतन तथा मजदूरी पर आयोजना-भिन्न एवं आयोजना व्यय इसी अवधि के दौरान क्रमश: 52 प्रतिशत एवं 18

प्रतिशत बढ़ा। वेतन तथा मजदूरी पर व्यय गत वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत से बढ़ा। यह तेरहवें वित्त आयोग[15] द्वारा सिफारिश किए गए (6 प्रतिशत) से 5 प्रतिशतता बिन्दु अधिक एवं राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 18,488 करोड़) से कम रहा।

पेन्शन भुगतान

पेन्शन भुगतान पर व्यय वर्ष 2008-09 के ₹ 3,322 करोड़ से 106 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 6,858 करोड़ हो गया। पेन्शन भुगतान पर गत वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि अभिलेखित की गई जो कि तेरहवें वित्त आयोग[16] द्वारा अनुशंसित 10 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक थी। पेन्शन के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि पेन्शनरों की कुल संख्या में 11,955[17] (3.6 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण रही। वास्तविक पेन्शन भुगतान, तेरहवें वित्त आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये अनुमान/आंकलन का तुलनात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि वास्तविक पेन्शन भुगतान (₹ 6,858 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन (₹ 4,374 करोड़) से 57 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 6,723 करोड़) से 2 प्रतिशत (₹ 135 करोड़) अधिक रहा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेन्शन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ पर व्यय कुल राजस्व व्यय का 11 प्रतिशत हुआ।

तेरहवें वित्त आयोग ने सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए डाटाबेस तैयार करने के लिए ₹ 10 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 2.50 करोड़ की राशि बिना किसी शर्त के जारी की गई। तथापि, ₹ 7.50 करोड़ की बकाया राशि के निर्मोचन के लिए राज्य से यह प्रमाणित किया जाना अपेक्षित था कि उसने डाटाबेस तैयार कर लिया है और इसे लेनदेन के आधार पर राजकोष के साथ समेकित कर दिया गया है। इस डाटाबेस से नवीन पेंशन योजना (जनवरी 2004 से लागू) को शीघ्र क्रियान्वित करने और वेतनपंजी से सम्बद्ध कटौती के लिए आधार और सेवा प्रदाताओं को अंशदान के अंतरण की भी व्यवस्था की जानी थी। तथापि, राज्य सरकार ने मार्च 2013 के अन्त तक डाटाबेस को तैयार करने का कार्य पूर्ण नहीं किया था।

अप्रेल 2008 से पूर्व राज्य सरकार, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के भुगतानों के लिए उत्तरदायी थी। अप्रेल 2008 से नवीन प्रक्रिया लागू की गई जिसके अन्तर्गत इन अधिकारियों के पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के भुगतानों को उचन्त शीर्ष 8658 के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना था तथा भारत सरकार से पुनर्भरण के लिए मांग की जानी थी। वर्ष 2012-13

[15] तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का अनुच्छेद संख्या 7.60

[16] तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का अनुच्छेद संख्या 7.65

[17] पेन्शनरों की संख्या 2011-12: 3,30,335 एवं 2012-13: 3,42,290

के दौरान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को संवितरित किये गये पेंशन परिलाभ ₹ 0.22 करोड़ का निपटान उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित रहा।

ब्याज अदायगियाँ

ब्याज अदायगियाँ वर्ष 2008-09 के ₹ 6,224 करोड़ से 34 प्रतिशत एवं गत वर्ष (₹ 7,892 करोड़) से 6 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 8,340 करोड़ हो गई। मुख्य घटक आन्तरिक ऋण पर ब्याज (₹ 5,445 करोड़), अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज (₹ 2,238 करोड़) एवं केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (₹ 534 करोड़) थे।

आन्तरिक ऋण पर ब्याज 2011-12 के ₹ 5,269 करोड़ से 3 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 5,445 करोड़ हो गया, जोकि गत वर्ष की तुलना में मुख्यत: बाजार के कर्जे पर ब्याज के भुगतान में 15 प्रतिशत एवं अन्य आन्तरिक ऋण पर ब्याज के भुगतान में 16 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था।

अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज भी 2011-12 के ₹ 1,971 करोड़ से 14 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 2,238 करोड़ हो गया, जोकि गत वर्ष की तुलना में मुख्यत: राज्य प्रावधायी निधि पर ब्याज एवं बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज में क्रमश: 17 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था।

वर्ष 2012-13 के दौरान की गयी ब्याज अदायगियाँ राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 8,315 करोड़) से अधिक रही परन्तु तेरहवें वित्त आयोग में किये गये आंकलन (₹ 8,666 करोड़) से कम रही।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात, राज्य के ऋण के टिकाऊपन को निर्धारित करता है। वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियों का राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 12 प्रतिशत रहा जो कि तेरहवें वित्त आयोग के मानकों (15 प्रतिशत) के भीतर था।

अर्थ-सहाय्य

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के साधनहीन वर्ग को अर्थ-सहाय्य/आर्थिक सहायता प्रदान करना असामान्य बात नहीं है। अर्थ-सहाय्य केवल प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं दी जाती है बल्कि जनता को अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक सेवाऐं उपलब्ध कराके भी वितरित की जा सकती है। अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य की श्रेणी में वित्तीय संस्थाओं को बजटीय सहारा, निवेशों पर अपर्याप्त प्रतिलाभ एवं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर उपभोक्ता प्रभारों की अल्प वसूली शामिल है।

चालू वर्ष के दौरान ₹ 5,460 करोड़ की प्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य वित्त लेखे **(परिशिष्ट III)** में दर्शायी गयी है जो कि गत वर्ष की तुलना में मुख्यत: विद्युत (₹ 4,861 करोड़), खाद्य वितरण (₹ 311 करोड़), घरेलू गैस (₹ 123 करोड़) एवं फसल कृषि-कर्म (₹ 125) क्षेत्रों में ₹ 2,263 करोड़ (71 प्रतिशत) से अधिक रही।

विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य (₹ 4,861 करोड़) कुल अर्थ-सहाय्य (₹ 5,464 करोड़) का 89 प्रतिशत था जो कि गत वर्ष (₹ 2,801 करोड़) की तुलना में 74 प्रतिशत (₹ 2,060 करोड़) अधिक था। इसमें, दरें न बढ़ाने के लिए अनुदान (₹ 2,446 करोड़), विद्युत कर के लिए अनुदान (₹ 1,150 करोड़), बॉण्डस् पर ब्याज हेतु अनुदान (₹ 829 करोड़), वित्तीय रि-मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत नकद सहायता (₹ 400 करोड़) एवं ब्याज के लिए अनुदान (₹ 36 करोड़) शामिल हैं।

खाद्य अर्थ-सहाय्य एवं घरेलू गैस अर्थ-सहाय्य गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 23 प्रतिशत एवं 120 प्रतिशत से बढ़ी। फसल कृषि-कर्म अर्थ-सहाय्य भी गत वर्ष की तुलना में 116 प्रतिशत से बढ़ी।

अर्थ-सहाय्य आंशिक चित्र प्रस्तुत करती है क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य सम्मिलित नहीं है। अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य अन्य बातों के साथ, जब सरकार सामाजिक एवं आर्थिक माल/सेवाओं के प्रावधान में आई लागत को वसूल करने में असमर्थ हो जो मुख्यत: निजी माल/सेवाओं की प्रकृति के हों, उत्पन्न होती है। यद्यपि, यह अप्रत्यक्ष भी हो सकती है अथवा कर रियायतों के रूप में हो सकती है।

1.7.6 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को गत वर्षों के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान अनुदान एवं कर्जों के माध्यम से प्रदान की गई सहायता निम्न प्रकार है:

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक
शैक्षणिक संस्थाएं (अनुदानित विद्यालय, अनुदानित कॉलेज एवं विश्वविद्यालय इत्यादि)	234.99	448.63	1,506.21	2,013.12	2,309.02	2,302.98
नगर निगम एवं नगरपालिकाऐं	932.41	1,047.23	1,130.04	1,339.94	2,262.92	2,255.06
पंचायती राज संस्थाऐं	2,993.02	3,868.59	4,365.15	6,217.95	7,682.94	7,675.24
विकास अभिकरण	52.96	376.36	354.18	75.07	121.80	118.94
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाऐं	96.23	107.51	117.03	72.50	84.42	84.27
अन्य संस्थाऐं	2,178.99	2,195.49	2,743.03	2,618.23	3,788.70	3,781.66
योग	**6,488.60**	**8,043.81**	**10,215.64**	**12,336.81**	**16,249.80**	**16,218.15**
राजस्व व्यय	34,296	40,132	44,873	53,654	62,219	63,462
सहायता का राजस्व व्यय से प्रतिशत	19	20	23	23	26	26

स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संकलित वाउचर

गत वर्ष की तुलना में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं की वित्तीय सहायता 31 प्रतिशत की वृद्धि दर अभिलेखित करते हुए ₹ 3,881 करोड़ से बढ़ी तथा वर्ष 2008-13 के दौरान यह राजस्व व्यय के 19 से 26 प्रतिशत के मध्य रही। वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय सहायता मुख्यत:, पंचायत समितियों को प्राथमिक स्कूलों के

लिए: ₹ 2,413 करोड़ (14.9 प्रतिशत), सर्व शिक्षा अभियान: ₹ 1,821 करोड़ (11.2 प्रतिशत), फसल कृषि-कर्म: ₹ 856 करोड़ (5.3 प्रतिशत), मिड-डे मील: ₹ 686 करोड़ (4.2 प्रतिशत), राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत: ₹ 833 करोड़ (5.1 प्रतिशत), पंचायती राज संस्थानों के लिए निर्बन्ध विकास निधियाँ: ₹ 645 करोड़ (4 प्रतिशत), विद्युत कम्पनियों को दायित्वों के कारण होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए: ₹ 700 करोड़ (4.3 प्रतिशत) एवं नगरपालिकाएं/नगर परिषद को विशेष अनुदान: ₹ 564 करोड़ (3.5 प्रतिशत), हेतु दी गई थी।

सामान्यत: ये निधियाँ कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण रूप से व्यय नहीं की जा रही है। राजकीय खातों से बाहर रखे जाने के कारण अव्ययित शेष की कुल राशि सहज रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती। अत: वित्त लेखों में उस सीमा तक दिखाये गये सरकारी व्यय अन्तिम नहीं है।

1.7.7 स्थानीय निकायों से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु

स्थानीय निकायों यथा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) एवं शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) मे संबंधित मुख्य बिन्दुओं की स्थिति निम्नानुसार सारांशीकृत है:

1.7.7.1 पंचायती राज संस्थान

प्रस्तावना

31 मार्च 2013 को राज्य में 33 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), 33 जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ), 248 पंचायत समितियाँ एवं 9,177 ग्राम पंचायतें हैं। राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग पंचायती राज संस्थान का प्रमुख है।

लेखापरीक्षा

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (डीएलएफएडी) प्राथमिक लेखापरीक्षक है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा करता है। राज्य सरकार द्वारा पीआरआई के सभी वर्गों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टीजीएस) सीएजी को सौंपा गया (फरवरी 2011)। तदुपरान्त, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम (आरपीआरए) 1994 की धारा 75 में संशोधन (मार्च 2011) द्वारा उप-धारा 4 के परन्तुक का वाक्य 'इन लेखों की लेखापरीक्षा एवं इनका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जायेगा' से प्रतिस्थापित किया गया।

लेखांकन

31 मार्च 2013 तक, स्थानीय निकायों के लेखे, आरपीआरए, 1994 के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान पंचायती राज नियम (आरपीआरआर), 1996 के अन्तर्गत पारम्परिक प्रारूपों में संधारित किये जा रहे थे। इसी बीच, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के परामर्श से जारी किये गये सरलीकृत लेखांकन पद्धति वर्ष 2009 को डाटा प्रविष्टि तथा आठ डाटाबेस प्रारूपों के रखरखाव हेतु आदर्श लेखांकन 'पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर' (पीआरआईए सॉफ्ट) के साथ अप्रैल 2011 से अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए स्वीकार किया गया। इसके अनुसरण में वर्ष 2012-13 के दौरान, सभी 33 जिला परिषदों, 230 पंचायत समितियों एवं 1567 ग्राम पंचायतों में डाटा प्रविष्टि कार्य प्रारम्भ किया जा चुका था और शेष 18 पंचायत समितियों एवं 7610 ग्राम पंचायतों में डाटा प्रविष्टि का कार्य प्रक्रियाधीन था। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2013) कि आरपीआरआर, 1996 के नियम 245 एवं 246 में संशोधन प्रक्रियाधीन है।

हस्तांतरण

तिहत्तरवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अन्तर्निर्दिष्ट भारत के संविधान की धारा 243जी, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयों के सम्बन्ध में पंचायती राज संस्थानों को निधियों, कार्यों एवं कर्मियों के हस्तांतरण का परिकल्पन करती है। हस्तांतरण पर मुख्य आदेश राज्य सरकार द्वारा जून 2003 एवं अक्टूबर 2010 में जारी किये गये। उपलब्ध कराई गई सूचना (जून 2013) के अनुसार निधियों, कार्यों एवं कर्मियों से सम्बन्धित क्रमशः 20, 28 एवं 20 विषयों का हस्तांतरण किया गया (जून 2013)।

1.7.7.2 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)

प्रस्तावना

राज्य में 5 नगर निगम, 30 नगर परिषद एवं 149 नगर पालिकाऐं है। राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग यूएलबी के प्रमुख है।

लेखापरीक्षा

डीएलएफएडी यूएलबी का प्राथमिक लेखापरीक्षक है एवं सीएजी (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत सीएजी इनकी लेखापरीक्षा करता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम (आरएमए) 2009 की धारा 99-ए, राजस्थान नगरपालिका (दूसरा संशोधन) अधिनियम 2011, के द्वारा जोड़ी गयी। तदनुसार, अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार सीएजी नगरपालिकाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा। राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा पर टीजीएस

सीएजी को सौंपी जायेगी तथा राज्य सरकार स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन टीजीएस पर सीएजी की वार्षिक तकनीकी जाँच प्रतिवेदन के साथ राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखने के लिए तैयार करवायेगी।

लेखांकन

निदेशालय स्थानीय निकाय (डीएलबी), जयपुर द्वारा सूचित किया गया (जून 2013) कि राज्य की सभी 184 नगर निकायों को 01 अप्रैल 2010 से उपार्जन आधारित लेखांकन पद्धति से लेखे संधारित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है एवं राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखे उपार्जन लेखांकन पद्धति से संधारित किये जा रहे हैं। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि जोधपुर नगर निगम के अलावा अन्य सभी स्थानीय निकायों द्वारा उपार्जन आधार पर लेखे संधारित नहीं किये जा रहे हैं।

हस्तांतरण

चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अन्तर्निर्दिष्ट धारा 243डब्ल्यू में संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों के सम्बन्ध में नगरपालिकाओं को शक्ति एवं उत्तरदायित्व का हस्तांतरण परिकल्पित था। डीएलबी द्वारा दी गई सूचना (जून 2013) के अनुसार, यूएलबी द्वारा 16 विषयों पर कार्य पहले से ही किये जा रहे हैं और एक विषय (पेयजल) वर्ष 2013-14 से सात यूएलबी को आंशिक हस्तान्तरण किया गया है। तथापि, शेष विषय 'शहरी नियोजन के साथ नगर नियोजन' पर शक्तियों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत ढ़ाँचे की उपलब्धता उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मूलत: तीन दृष्टिकोण शामिल होते है, यथा व्यय की पर्याप्तता (लोक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावोत्पादकता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम के सम्बन्धों का आंकलन)।

1.8.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत ढ़ाँचे से सम्बन्धित व्यय की राज्य सरकार को सौंपी गयी जिम्मेदारियां मुख्यतया राज्य का विषय है। मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय को बढ़ाये। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात), यदि यह सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से नीचे है तो उस क्षेत्र विशेष से जोड़ कर देखी जाती है।

नीचे दी गयी **तालिका 1.18** वर्ष 2012-13 के दौरान विकासात्मक व्यय, सामाजिक व्यय एवं पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.18: वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	समग्र व्यय/ जीएसडीपी	विकासात्मक व्यय # / समग्र व्यय	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ समग्र व्यय	पूँजीगत व्यय/ समग्र व्यय	शिक्षा/समग्र व्यय	स्वास्थ्य/ समग्र व्यय
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत* (अनुपात) 2009-10	17.06	66.05	35.73	14.96	16.19	4.24
राजस्थान का औसत (अनुपात) 2009-10	17.23	67.06	41.53	11.30	20.26	5.13
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13	15.93	65.79	32.77	13.23	17.23	4.47
राजस्थान का औसत (अनुपात) 2012-13	16.01	72.56	37.16	13.95	17.10	5.15

* दिल्ली, गोवा एवं पांडिचेरी के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के राज्य।

\# विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

स्रोत: जीएसडीपी के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार से संग्रहित सूचना एवं वित्त लेखे

तालिका 1.18 निम्नानुसार सूचित करती है:

1. सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राजस्थान अपने जीएसडीपी का समग्र व्यय के रूप में मामूली रूप से अधिक खर्च कर रहा है। तथापि वर्ष 2009-10 की तुलना में, राजस्थान अपने जीएसडीपी का समग्र व्यय पर कम अंश व्यय कर रहा है।

2. राजस्थान में समग्र व्यय के अंश के रूप में विकासात्मक व्यय भी सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक है। विकासात्मक व्यय में आर्थिक क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय दोनों को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में सामाजिक क्षेत्र व्यय (समग्र व्यय के अंश के रूप में) सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक है।

3. राजस्थान द्वारा 2009-10 की तुलना में 2012-13 में पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2012-13 में, पूँजीगत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अंश से अधिक रहा।

1.8.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों के लिए व्यय सुव्यवस्थीकरण के समुचित उपाय

करना और कोर पब्लिक गुड्स एण्ड मैरिट गुड्स[18] के प्रावधान पर बल देना, महत्वपूर्ण है। विकासात्मक व्यय[19] के लिए आवंटन में सुधार के अतिरिक्त, व्यय के उपयोग की दक्षता पूँजीगत व्यय का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात और विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं रख रखाव पर किये जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। इन घटकों का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। विकासात्मक व्यय में सामाजिक आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत कर्जे एवं अग्रिम सहित राजस्व एवं पूँजीगत व्यय समाविष्ट है। **तालिका 1.19** राज्य की चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष उस वर्ष के बजटीय एवं गत वर्ष में वास्तविक की तुलना में विकासात्मक व्यय की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.19: विकासात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासात्मक व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक
अ. विकासात्मक राजस्व व्यय	21,320 (52.6)	24,466 (53.4)	28,115 (55.8)	34,672 (56.0)	41,727 (58.0)	42,701 (55.8)
ब. विकासात्मक पूँजीगत व्यय	6,045 (14.9)	5,752 (12.6)	5,096 (10.1)	6,915 (11.2)	9,309 (12.9)	10,434 (13.6)
स. विकासात्मक कर्जे एवं अग्रिम	340 (0.8)	498 (1.1)	262 (0.5)	1,109 (1.8)	48 (0.1)	2,412 (3.2)
विकासात्मक व्यय(अ से स)	**27,705 (68.3)**	**30,716 (67.1)**	**33,473 (66.4)**	**42,696 (69.0)**	**51,084 (71.0)**	**55,547 (72.6)**
विकासात्मक व्यय की वृद्धि दर	15.2	10.9	9.0	27.6	24.0	30.1
कोष्ठक में संख्या समग्र व्यय से प्रतिशतता को प्रकट करती है।						

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

[18] कोर पब्लिक गुड्स वह साधन एवं सेवाऐं है जिसका सभी नागरिक समान रूप से उपयोग इस भाव से करते है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इनके उपयोग करने से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी सामग्री के उपभोग करने में कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का प्रवर्तन, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु एवं अन्य पर्यावरणीय साधन तथा सड़क आधारभूत संरचनाऐ इत्यादि। मेरिट गुड्स वे जिन्स है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि वे किसी व्यक्ति तथा समाज के पास, सरकार को भुगतान करने की इच्छा एवं क्षमता के बजाय, आवश्यकता की कुछ धारणा के आधार पर होने चाहिए और इसलिए उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहता है। इन जिन्सों की व्यवस्था के उदाहरणों में गरीबों को पोषण देने के लिए निःशुल्क अथवा रियायती दर पर खाद्यान्न, अस्वस्थ्यता में कमी एवं जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना, सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, पीने का पानी, सफाई व्यवस्था इत्यादि।

[19] व्यय के आँकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्यय में अलग-अलग किया गया है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्व किया गया है। मोटे तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक सेवाऐं विकासात्मक व्यय बनाते है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकासात्मक व्यय माना गया है।

विकासात्मक व्यय में शामिल सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम, 2008-09 के ₹ 27,705 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 55,547 करोड़ हो गया। कुल व्यय से प्रतिशतता, 2008-09 में 68.3 से बढ़कर 2012-13 में 72.6 हो गयी एवं यह 2012-13 के दौरान गत वर्ष की तुलना में 3.6 प्रतिशतता बिन्दु से बढ़ी। वर्ष 2008-13 के दौरान विकासात्मक व्यय का औसत 55 प्रतिशत राजस्व खाते पर रहा तथा शेष पूँजीगत खाते, जिसमें ऋण एवं अग्रिम शामिल है, पर रहा।

नीचे दी गयी **तालिका 1.20** पूँजीगत व्यय तथा चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किये गये राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.20: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	2011-12			2012-13		
	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में		पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में	
		वेतन एवं मजदूरी का अंश	अनुरक्षण एवं रख रखाव का अंश		वेतन एवं मजदूरी का अंश	अनुरक्षण एवं रख रखाव का अंश
(अ) सामाजिक सेवायें						
सामान्य शिक्षा	0.04	59.18	नगण्य	0.13	59.56	नगण्य
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2.85	68.96	0.12	5.50	68.95	0.11
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	33.38	29.12	1.48	34.65	23.83	1.24
योग (अ)	**8.35**	**47.34**	**0.24**	**10.09**	**45.95**	**0.23**
(ब) आर्थिक सेवायें						
कृषि एवं सम्बद्ध कार्य कलाप	7.43	37.57	0.46	9.87	34.87	0.40
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	31.98	19.12	6.31	36.34	19.20	7.05
विद्युत एवं ऊर्जा	44.99	0.03	-	40.81	0.02	0.00
परिवहन	45.97	8.01	10.81	54.82	8.10	13.18
योग (ब)	**27.85**	**12.16**	**1.91**	**30.37**	**9.69**	**1.75**
महायोग (अ+ब)*	**16.63**	**34.41**	**0.85**	**19.64**	**31.17**	**0.85**

स्रोत: वित्त लेखे

*** (सामाजिक सेवाओं पर व्यय +आर्थिक सेवाओं पर व्यय)/कुल व्यय X 100**

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 42 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2011-12 के ₹ 1,997 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2,840 करोड़ हो गया जबकि इसका कुल पूँजीगत व्यय के साथ अनुपात 2011-12 में 28 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 27 प्रतिशत रह गया।

कुल राजस्व व्यय में वेतन पर व्यय का अंश 2011-12 में 47.34 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 45.95 प्रतिशत रह गया।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय

आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 54 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2011-12 के ₹ 4,918 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 7,594 करोड़ हो गया।

सरकार द्वारा आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में प्राथमिकता वाले क्षेत्र, कृषि, ग्राम विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण तथा परिवहन, चिन्हित किये गये थे। गत वर्ष की तुलना में 2012-13 में सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, परिवहन, ग्राम विकास तथा ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय क्रमशः ₹ 231 करोड़, ₹ 520 करोड़, ₹ 240 करोड़ तथा ₹ 1,409 करोड़ अधिक हुआ।

कुल राजस्व व्यय में आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन पर व्यय का अंश 2011-12 के 12.16 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 9.69 प्रतिशत रह गया।

अनुरक्षण एवं रख रखाव पर व्यय

क्योंकि परिसम्पत्तियों को बनाये रखा जाना होता है अतः यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि अनुरक्षण एवं रख रखाव के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन किया गया है। सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के राजस्व व्यय में, अनुरक्षण एवं रख रखाव का अंश गत वर्ष (0.85 प्रतिशत) के समान रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान, अनुरक्षण एवं रख रखाव के लिए राजस्व व्यय का मात्र 0.62 प्रतिशत आवंटन किया गया।

सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में अनुरक्षण एवं रख-रखाव का अंश, 2011-12 के 0.24 प्रतिशत एवं 1.91 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में क्रमशः 0.23 प्रतिशत एवं 1.75 प्रतिशत हो गया। यह कमी मुख्यतः जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास, परिवहन तथा कृषि एवं सम्बद्ध कार्य कलापों में हुई जबकि वृद्धि सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण के अन्तर्गत हुई। वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार ने अपनी सार्वजनिक परिसम्पत्तिओं के रख-रखाव के लिए विस्तृत शीर्ष '21- रखरखाव एवं मरम्मत' के अन्तर्गत मात्र ₹ 431 करोड़ (राजस्वः ₹ 392 करोड़, पूँजीगतः ₹ 39 करोड़) पुस्तांकित किये।

1.8.3 आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय

वित्त लेखे व्यय का आगे वर्गीकरण, आयोजना एवं आयोजना-भिन्न में करते है। आयोजना व्यय जिसमें राजस्व एवं पूँजीगत व्यय दोनों शामिल है, सामान्यत: नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर हुए वृद्धिशील विकासात्मक व्यय से संबंधित है। पहले से ली जा रही सेवाओं के स्तर को बनाये रखने के लिए सामान्यत: आयोजना-भिन्न व्यय का उपयोग किया जाता है। निम्न ***तालिका 1.21*** विगत पाँच वर्षों में आयोजना तथा आयोजना-भिन्न व्यय की वृद्धि एवं घटकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.21: आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

मद	व्यय का प्रकार	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयोजना	राजस्व	5,771	6,287	8,752	12,416	14,235
	पूँजीगत	6,096	5,820	5,231	7,103	10,682
	ऋण	324	462	189	1,051	2,242
	योग	12,191	12,569	14,172	20,570	27,159
	आयोजना की कुल व्यय से प्रतिशतता	30	27	28	33	35
आयोजना-भिन्न	राजस्व	28,525	33,845	36,121	41,238	49,227
	पूँजीगत	(-) 196	(-) 645	20	16	1
	ऋण	16	36	73	58	170
	योग	28,345	33,236	36,214	41,312	49,398
	आयोजना-भिन्न की कुल व्यय से प्रतिशतता	70	73	72	67	65
कुल व्यय		**40,536**	**45,805**	**50,386**	**61,882**	**76,557**

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2009-13 के दौरान कुल व्यय में आयोजना व्यय के अंश में लगातार वृद्धि हुई जो व्यय की उत्पादक गुणवत्ता का संकेत है।

वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान आयोजना व्यय 2008-09 के ₹ 12,191 करोड़ से 123 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 27,159 करोड़ एवं इसी अवधि के दौरान आयोजना-भिन्न ₹ 28,345 करोड़ से 74 प्रतिशत बढ़कर ₹ 49,398 करोड़ हो गया।

आयोजना राजस्व व्यय (आराव्य) एवं आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (आभिराव्य) में 2008-13 की अवधि में लगातार वृद्धि हुई। आराव्य गत वर्ष की तुलना में 14.7 प्रतिशत से बढ़ा। 2012-13 के लिए आराव्य एमटीएफपीएस में अनुमानित 4.4 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक था। इसी प्रकार, 2012-13 के लिए एमटीएफपीएस में किये गये 14.1 प्रतिशत के आंकलन के सापेक्ष वर्ष के दौरान आभिराव्य में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आयोजना राजस्व व्यय

आराव्य में गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,819 करोड़ की वृद्धि मुख्यत:, मुख्यशीर्ष शहरी विकास (₹ 781 करोड़), अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण (₹ 164 करोड़), पोषण (₹ 96 करोड़), सहकारिता (₹ 250 करोड़), अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 711 करोड़) एवं सिविल पूर्ति (₹ 226 करोड़), के अन्तर्गत थी जो कि बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 128 करोड़) एवं विद्युत में कमी (₹ 402 करोड़) से प्रतिसन्तुलित हुयी। वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजन राजस्व व्यय का राजस्व व्यय से अनुपात (22 प्रतिशत) गत वर्ष (23 प्रतिशत) की तुलना में एक प्रतिशत बिन्दु कम रहा।

आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

चालू वर्ष के दौरान आभिराव्य में ₹ 7,989 करोड़ की वृद्धि मुख्यत: पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (₹ 938 करोड़), विद्युत (₹ 3,004 करोड़), ब्याज अदायगियाँ (₹ 448 करोड़), पुलिस (₹ 234 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 1,283 करोड़), चिकित्सा एंव लोक स्वास्थ्य (₹ 425 करोड़), शहरी विकास (₹ 178 करोड़), श्रम तथा रोजगार (₹ 233 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 424 करोड़) एवं मुख्य सिंचाई (₹ 131 करोड़) के कारण हुई जोकि प्राकृतिक आपदा के कारण राहत (₹ 159 करोड़) में कमी से प्रतिसन्तुलित थी।

आभिराव्य राजम्व व्यय का 78 प्रतिशत एवं कुल व्यय का 64 प्रतिशत रहा।

तेरहवें वित्त आयोग और राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन की तुलना में वास्तविक आभिराव्य एवं आराव्य निम्नानुसार रहे।

तालिका 1.22: तेरहवें वित्त आयोग एवं एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन की तुलना में आभिराव्य एवं आराव्य

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किया गया आंकलन	राजस्थान सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किया गया आंकलन	वास्तविक व्यय
आयोजना भिन्न राजस्व व्यय	33,307	48,100	49,227
आयोजना राजस्व व्यय	लागू नहीं	14,119	14,235

स्रोत: वित्त लेखे, बजट प्रपत्र एवं तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन

वास्तविक आभिराव्य तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन से ₹ 15,920 करोड़ (48 प्रतिशत) तथा राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 1,127 करोड़ (2 प्रतिशत) अधिक रहा। वास्तविक आराव्य एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 116 करोड़ (एक प्रतिशत) अधिक रहा।

1.9 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च-एफआरबीएम ढांचें में, राज्य से अपने राजकोषीय घाटे को निचले स्तरों पर रखने एवं अपने पूँजीगत व्यय/निवेश (कर्जे तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके साथ ही बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के संक्रमण हेतु, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करने एवं उधार लिए गए कोषों की लागत को, अपने बजट में अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य के रूप में दिखाने के स्थान पर वसूल करने के उपाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता है तथा उसे वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित उपाय करने चाहिए। यह भाग गत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश तथा अन्य पूँजीगत व्यय के विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.9.1 सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 5,261.55 करोड़ के पूँजीगत परिव्यय से पूर्ण की गयी 6 वृहद् एवं 11 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं ***(परिशिष्ट 1.8)*** के वित्तीय परिणामों से प्रकट हुआ कि परियोजनाओं से वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व (₹ 50.65 करोड़) पूँजीगत व्यय का केवल 0.96 प्रतिशत था जो कि प्रत्यक्ष कार्यचालन व्ययों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 226.92 करोड़) तथा ब्याज प्रभार (₹ 507.96 करोड़) को पूरा करने के पश्चात् परियोजनाओं ने ₹ 684.23 करोड़ की निवल हानि उठायी।

राजस्थान में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (इगांनप), निष्पादनाधीन सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और इसके विभिन्न चरण गत वर्षों में पूर्ण किये जा चुके हैं। मार्च 2013 के अन्त तक इगांनप पर पूँजीगत व्यय ₹ 4,141.57 करोड़ था। इगांनप से वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व ₹ 23.93 करोड़, पूँजीगत व्यय का मात्र 0.58 प्रतिशत था। यह राजस्व कुल कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 125.84 करोड़) एवं ब्याज प्रभार के ₹ 405.61 करोड़ के संदर्भ में भी नगण्य (4.50 प्रतिशत) था। परियोजना ने ₹ 507.52 करोड़ की निवल हानि उठायी।

राज्य में गंग नहर दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। 31 मार्च 2013 के अन्त तक गंग नगर पर पूँजीगत व्यय ₹ 457.46 करोड़ था। वर्ष 2012-13 के दौरान गंग नहर से प्राप्त किया गया राजस्व ₹ 5.68 करोड़ था जो कि कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 21.65 करोड़) एवं ब्याज प्रभार (₹ 45.04 करोड़) की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। परियोजना ने ₹ 61.01 करोड़ की निवल हानि उठायी।

1.9.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2013 को अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग-वार सूचना निम्न प्रकार है:

तालिका 1.23: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की कुल संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की मूल स्वीकृत लागत	43 परियोजनाओं जिन्हें संशोधित किया गया, की मूल अनुमानित लागत		43 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	43 संशोधित परियोजनाओं की लागत वृद्धि	31 मार्च 2013 को सभी अपूर्ण परियोजनाओं पर संचित वास्तविक व्यय
			संख्या	राशि			
जल संसाधन विभाग/ परियोजनाएं	34	1,466.48	19	877.31	3,346.52	2,469.21	2,691.72
सार्वजनिक निर्माण विभाग/ परियोजना	59	1,230.45	10	142.27	185.60	43.33	531.49
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	73	11,926.94	14	2,686.08	5,141.20	2,455.12	5,435.47
योग	**166**	**14,623.87**	**43**	**3,705.66**	**8,673.32**	**4,967.66**	**8,658.68**

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च 2013 को 166 अपूर्ण परियोजनाएं (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) थीं जिनमें ₹ 8,659 करोड़ की राशि अवरूद्ध थी। इनमें से 115 परियोजनाएँ (₹ 2,615 करोड़) 5 वर्ष से कम समय से अपूर्ण थी एवं 51 परियोजनाएँ (₹ 6,044 करोड़) 5 से 19 वर्षों की अवधि से अपूर्ण थी। 43 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत ₹ 3,706 करोड़ (आरम्भिक लागत) से 134 प्रतिशत बढ़कर ₹ 8,673 करोड़ (संशोधित लागत) हो गयी। इस प्रकार कुल लागत वृद्धि ₹ 4,967 करोड़ थी जिसमें से नर्मदा जालौर परियोजना में ही ₹ 467.53 करोड़ से ₹ 2,481.49 करोड़ अर्थात् 431 प्रतिशत (₹ 2,013.96 करोड़) की वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त, निम्न वर्णित पाँच परियोजनाओं में विगत तीन वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। मार्च 2010 तक किया गया व्यय और मार्च 2013 तक किया गया संचित व्यय समान अर्थात ₹ 79 करोड़ रहा।

तालिका 1.24: अपूर्ण परियोजनाओं पर तीन वर्षों से अधिक से व्यय नहीं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	वास्तविक स्वीकृति लागत	संशोधित लागत	2010–13 के दौरान व्यय	31.03.2013 को संचित वास्तविक व्यय
	जल संसाधन विभाग की परियोजनाऐं					
1	मामेर	1999-2000	2.95	18.76	-	0.32
	सार्वजनिक निर्माण विभाग की परियोजनाऐं					
2	राम कामोस नागेलेव जेठाना मांगलियावास रोड़	2007-08	20.00	13.30	-	9.32
	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की परियोजनाऐं					
3	तहसील सलूम्बर के फ्लोराइड प्रभावित गाँवों का ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पुनर्गठन सोमकमला अम्बा डेम से 84 गाँवों के लिए (उदयपुर रीजन)	2005-06	22.88	33.58	-	24.43
4	अतरू खेड़लीगंज के पुनर्गठन हेतु जलापूर्ति योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	2007-08	25.39	-	-	0.27
5	तहसील जायल के 120 गाँवों में पोर्टेबल जल उपलब्ध कराने के लिए मातासुख फलसुंड़- जायल की जलापूर्ति योजना	2008-09	124.73	-	-	45.00
	योग		**195.95**		-	**79.34**

स्रोत: वित्त लेखे

सभी अपूर्ण परियोजनाओं/निर्माण कार्यों में अवरूद्ध राशि राज्य के संचित पूँजीगत व्यय का 11 प्रतिशत थी। ***निर्धारित समय अवधि में परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण न केवल समाज को मिलने वाले सम्भावित लाभ में विलम्ब हुआ बल्कि इनकी पूर्णता में समय वृद्धि के कारण राजकोष की लागत में भी वृद्धि हुयी।***

1.9.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2013 तक सरकार ने 3 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 10.83 करोड़ के निवेश सहित 42 सरकारी कम्पनियों (₹ 17,576.98 करोड़), 3 अकार्यशील सांविधिक निगमों में ₹ 19.37 करोड़ के निवेश सहित 7 सांविधिक निगमों (₹ 509.34 करोड़), 3 ग्रामीण बैंकों (₹ 73.69 करोड़), 25 संयुक्त पूँजी कम्पनियों (₹ 115.65 करोड़) और सहकारी बैंकों तथा समितियों (₹ 477.67 करोड़) में ₹ 18,753.33 करोड़ का निवेश किया। इस निवेश पर विगत तीन वर्षों में औसत प्रतिलाभ 0.2 से 0.4 प्रतिशत रहा जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 7.4 से 7.7 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज

चुकाया **(तालिका 1.25)। उधार लिए गए कोष का निवेश के लिए लगातार उपयोग, जिससे पर्याप्त वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं होता है, असाध्य वित्तीय स्थिति की ओर ले जायेगा। सरकार बेहतर अनुश्रवण द्वारा अनुरूप परिणाम सुनिश्चित कर सकती है।**

तालिका 1.25: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारो की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	7,929.63	9,533.57	11,112.16	13,920.78	18,753.33
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	43.39	37.26	20.76	57.58	57.18
प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर[20] (प्रतिशत)	7.7	7.7	7.7	7.7	7.4
ब्याज दर एवं प्रतिलाभ का अन्तर (प्रतिशत)	7.2	7.3	7.5	7.3	7.1

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य सरकार का सरकारी कम्पनियों, ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों और समितियों में ₹ 4,832.55 करोड़ का निवल निवेश था। जिन क्षेत्रों/कम्पनियों में बड़ा निवेश किया गया वे मुख्यत:, सहकारी बैंक एवं समितियाँ: ₹ 36.89 करोड़, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 969 करोड़, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड: ₹ 636 करोड़, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 917 करोड़, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 877 करोड़, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड: ₹ 449 करोड़, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर: ₹ 189 करोड़ एवं जयपुर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन, जयपुर: ₹ 561 करोड़ थी।

राज्य सरकार के निवेश में 39 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 17,566.15 करोड़ सम्मिलित थे जिनमें से केवल 6 कम्पनियों ने ₹ 336.24 करोड़ के निवेश के समक्ष कुल ₹ 53.95 करोड़ का लाभांश घोषित किया। 31 मार्च 2013 तक सरकार ने पाँच विद्युत कम्पनियों में ₹ 15,966.09 करोड़ (कुल निवेश का 85 प्रतिशत) का निवेश किया था।

राशि ₹ 17,566.99 करोड़ का कुल निवेश, 2 सांविधिक निगमों, 1 ग्रामीण बैंक, 19 सरकारी कम्पनियों एवं 6 संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में किया गया और इन कम्पनियों की संचित हानि की राशि ₹ 45,716.11 करोड़ थी। भारी हानि उठाने वाले संगठन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर (₹ 871.55 करोड़), राजस्थान परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली (₹ 684.90 करोड़), नेशनल टेक्सटाईल निगम, नई

[20] गणना की पद्धति के लिए शब्दावली पृष्ठ 193 पर देखें।

दिल्ली (₹ 572.40 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 548.92 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 1,634.57 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 13,432.16 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 13,006.16 करोड़) एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 14,503.15 करोड़) थे।

राज्य स्वामित्व वाले कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारी हानियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को उनके कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए ताकि उनकी हानियों को कम किया जा सके, और उनके उद्धार अथवा बन्द करने के लिए समुचित रणनीति बनायी जानी चाहिये।

तेरहवें वित्त आयोग ने सरकारी निवेश के सम्बन्ध में, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा करते हुए, राज्य सरकार को अकार्यशील कम्पनियों को बन्द करने के लिए मार्च 2011 तक एक रोडमैप तैयार करने की सिफारिश की थी। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि 1974-75 से 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा छः अकार्यशील सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों[21] में किये गये निवेश ₹ 30.20 करोड़ के सम्बन्ध में कोई रोडमैप तैयार नहीं किया।

1.9.4 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ भी निष्पादित की जाती है। सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति, वर्ष जब तक के प्रोफार्मा लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया, इन उपक्रमों में किये गये पूँजीगत निवेश पर प्रतिलाभ के साथ-साथ निवल लाभ/हानि को ***परिशिष्ट 1.9 एवं 3.4*** में दिया गया है। यह दृष्टिगत हुआ कि राज्य सरकार द्वारा 10 उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक जिस तक कि उनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया, राशि ₹ 11,220.64 करोड़ का निवेश किया गया था। इनमें से मात्र 2 उपक्रमों ने चालू वर्ष के दौरान राशि ₹ 23.64 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया जबकि लगातार हानि में चल रहे शेष 8 उपक्रमों की विगत पाँच वर्षो से अधिक समय से संचित हानि ₹ 8,868.87 करोड़ रही।

1.9.5 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं में निवेश

पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढाँचे के लिए जनता की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए निजी जन सहभागिता (पीपीपी) की अवधारणा विकसित हुयी है। राज्य

[21] (i) राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर: (₹ 1,936.45 लाख), (ii) राजस्थान राज्य मण्डी विकास निगम, जयपुर: (₹ 0.65 लाख), (iii) राजस्थान जल प्रदाय और मल निकास निगम, जयपुर: (₹ 0.08 लाख), (iv) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर: (₹ 1,061.45 लाख), (v) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर: (₹ 16.75 लाख) एवं (vi) राजस्थान राज्य विद्युत निगम, जयपुर (₹ 5.00 लाख)।

सरकार के योजना विभाग में गठित (जुलाई 2007) पीपीपी प्रकोष्ठ, आधारभूत ढाँचें के क्षेत्रों के विकास से संबंधित राज्य सरकार के सभी प्रयासों को समन्वित करने के लिए नोडल एजेन्सी है।

(i) निजी जन सहभागिता परियोजनाओं की स्थिति

पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (मई 2013) के अनुसार राज्य में वर्ष 1995-2013 के दौरान ₹ 15,813.89 करोड़ की लागत राशि की 203 परियोजनाऐं विभिन्न क्षेत्रों में ली गई। इसमें से 31 मार्च 2013 तक 126 परियोजनाऐं (₹ 8,855.87 करोड़) पूर्ण हो चुकी हैं ***(परिशिष्ट 1.11(अ))*** एवं 77 परियोजनाऐं (₹ 6,958.02 करोड़) वर्ष 2012-13 के अन्त तक प्रगति पर थी ***(परिशिष्ट 1.11(ब))***। इसके अतिरिक्त, 86 परियोजनाऐं (₹ 16,329.55 करोड़) भविष्य के लिए बनायी गई हैं ***(परिशिष्ट 1.12)***। पूर्ण हो चुकी, प्रगतिशील एवं भविष्य में ली जानी वाली पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण निम्न **तालिका 1.26** में दिया गया है:

तालिका 1.26: क्षेत्र-वार निजी जन सहभागिता परियोजनाऐं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण हो चुकी		प्रगतिशील		भविष्य के लिए योजना	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	50	2994.36	18	4902.53	14	1649.48
2.	शहरी आधारभूत संरचना	18	95.13	25	1044.99	36	11282.92
3.	विद्युत	1	5000.00	3	509.60	3	820.91
4.	जल	1	300.00	-	-	4	1740.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	-	-	2	315.77	-	-
6.	सामाजिक	24	438.27	14	157.04	14	273.20
7.	अन्य कोई	32	28.11	15	28.09	15	563.04
	योग	**126**	**8855.87**	**77**	**6958.02**	**86**	**16329.55**

स्रोत: योजना विभाग, राजस्थान सरकार का पीपीपी प्रकोष्ठ

पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, सड़क क्षेत्र के अन्तर्गत ली गई एवं मई 2006 तक पूर्ण की गई 27 परियोजनायें, ₹ 304.44 करोड़ की सम्पत्ति निर्मित करते हुए 31 मार्च 2013 तक सरकार को सौंप दी गई थी।

(ii) राजस्थान आधारभूत संरचना विकास अधिनियम का अधिनियमित नहीं होना

राजस्थान सरकार द्वारा मई 2012 में जारी पीपीपी परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देशों में सांविधिक ढ़ाँचे में पीपीपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान आधारभूत संरचना विकास अधिनियम अधिनियमित किया जाना परिकल्पित था। तथापि, सरकार द्वारा

कोई अधिनियम नहीं बनाया गया। योजना विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया (अगस्त 2013) कि अधिनियम को उद्योग विभाग में अन्तिम रूप दिया जा रहा था।

(iii) सरकारी अंशदान

वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार ने मैसर्स भीलवाड़ा जयपुर टोल रोड़ प्राईवेट लिमिटेड को जयपुर-भीलवाड़ा वाया मालपुरा-केकड़ी के लिए ₹ 44.00 करोड़ की वाइअबिलइटी गैप फन्डिंग की स्वीकृति दी, जिसमें से ₹ 27.03 करोड़ निर्मोचित किये गये (मई 2013)।

1.9.6 राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से बहुत-सी संस्थाओं/संगठनों को कर्जे तथा अग्रिम भी प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2013 को बकाया कर्जे तथा अग्रिम और विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों के समक्ष ब्याज अदायगियों को **तालिका 1.27** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.27: सरकार द्वारा दिये गये कर्जों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

कर्जे की मात्रा/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	**3,375**	**3,318**	**3,194**	**3,198**
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	262	1,109	48	2,412
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	319	1,229	151	1,102
अन्त शेष	**3,318**	**3,198**	**3,091**	**4,508**
निवल वृद्धि	(-) 57	(-) 120	(-) 103	1,310
ब्याज प्राप्तियाँ	144	130	-	150
ब्याज प्राप्तियाँ का बकाया कर्जे तथा अग्रिम से प्रतिशत	4.3	4.0	-	3.9
ब्याज अदायगियों की राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं मे प्रतिशत	7.7	7.7	-	7.4
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों में अन्तर (प्रतिशत)	(-) 3.4	(-) 3.7	-	(-) 3.5

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से प्रकट होता है कि ब्याज अदायगियों एवं ब्याज प्राप्तियों के मध्य ऋणात्मक अन्तर (प्रतिशत) को देखते हुए राज्य की उधारी उसके द्वारा दिये गये ऋणों मे अधिक मंहगी थी।

₹ 4,508 करोड़ के कुल कर्ज एवं अग्रिम में से, विद्युत परियोजनाओं को ₹ 3,161 करोड़ (70 प्रतिशत) के कर्ज एवं अग्रिम दिये गये। वर्ष के दौरान कर्जों तथा अग्रिमों के संवितरण की राशि वर्ष 2011-12 के ₹ 1,109 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 1,303 करोड़ बढ़कर ₹ 2,412 करोड़ हो गयी। वर्ष के दौरान दी गई कुल ऋण राशि में से सामाजिक सेवाओं के लिए ₹ 316 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं के लिए ₹ 2,096 करोड़ अन्तरित किये गये। चालू वर्ष के दौरान कर्जे का मुख्य अंश

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 566 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 584 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 679 करोड़), राजस्थान आवास विकास एवं आधारभूत संरचना लिमिटेड (₹ 200 करोड़), तिलम संघ (₹ 80 करोड़), राजस्थान राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 55 करोड़), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम (₹ 49 करोड़), कृषि विश्वविद्यालय (₹ 32 करोड़) एवं शहरी विकास के अन्तर्गत छोटे तथा मध्यम वर्ग के नगरों का समेकित विकास (₹ 22 करोड़), को दिया गया। इन संस्थाओं ***(परिशिष्ट 1.10)*** द्वारा गत 10 अथवा अधिक वर्षों से ₹ 83.73 करोड़ से अधिक का ऋण नहीं चुकाया गया।

1.9.7 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.28 में चालू वर्ष के दौरान रोकड़ शेष तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों में से किये गये निवेशों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.28: *रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश*

(₹ करोड़ में)

	वृद्धि/कमी (-)	प्रारम्भिक शेष 1.4.2012 को	अन्तिम शेष 31.3.2013 को
(अ) सामान्य रोकड़ शेष			
कोषालयों में रोकड़	-	0.05	0.05
रिजर्व बैंक में जमा	(-) 80.29	38.90	(-) 41.39
स्थानीय मार्गस्थ प्रेषण	2.06	(-) 3.47	(-) 1.41
योग	(-) 78.23	**35.48**	**(-) 42.75**
रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	2,820.04	9,307.78	12,127.82
योग (अ)	2,741.81	**9,343.26**	**12,085.07**
(ब) **अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश**			
विभागीय अधिकारियों यथा सार्वजनिक निर्माण विभागीय अधिकारियों, वन विभागीय अधिकारियों, जिलाधिकारियों के पास रोकड़	(-) 0.21	1.26	1.05
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थायी पेशगियां	(-) 1.29	5.11	3.82
आरक्षित निधियों में निवेश	361.30	435.48	796.78
योग (ब)	**359.80**	**441.85**	**801.65**
महायोग (अ) + (ब)	**3,101.61**	**9,785.11**	**12,886.72**

स्रोत: वित्त लेखे

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का रोकड़ शेष ₹ 12,887 करोड़ था जो कि गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,102 करोड़ (32 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। यह दृष्टिगत हुआ कि ₹ 12,127.66 करोड़ का निवेश भारत सरकार के कोषालय बिल/प्रतिभूतियों में किया गया जिस पर वर्ष के दौरान ₹ 883.57 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। आगे, ₹ 801.65 करोड़ का निवेश आरक्षित निधियों में किया गया। 31 मार्च 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा में ₹ 41.39 करोड़ का ऋणात्मक शेष दर्शाया गया।

राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किये गये करार के अनुसार वर्ष के दौरान ₹ 2.34 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष संधारित किया।

अधिशेष रोकड़ शेष मुख्यत: वर्ष 2012-13 के दौरान लिये गये ₹ 8,041.10 करोड़[22] के बाजार से कर्जे के कारण रहा।

रोकड़ शेष की अच्छी स्थिति, ₹ 3,451 करोड़ के राजस्व अधिशेष एवं जीएसडीपी का 1.8 प्रतिशत से कम राजकोषीय घाटे को देखते हुए खुले बाजार से कर्जो को काफी कम किया जा सकता था।

अधिशेष रोकड़ शेष को आंशिक रूप से औसत पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के 14 दिन के कोषालय बिलों में एवं आशिंक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के 91, 181 एवं 364 दिन वाले नीलामी कोषालय बिलों में निवेश किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 1,18,301 करोड़ के भारत सरकार के कोषालय बिल खरीदे गये तथा ₹ 1,15,481 करोड़ के पुन: बट्टे करवाये गये। परिणामस्वरूप, रोकड़ शेष का निवेश गत वर्ष की तुलना में ₹ 2,820 करोड़ (30 प्रतिशत) से बढ़ गया। **रोकड़ शेष की अच्छी स्थिति को देखते हुए खुले बाजार से लिये गये कर्जो का सरकार की लघु अवधि की देयताओं को पूरा करने के लिए सीमित किया जा सकता था।**

1.10 परिसम्पत्तियां और देयताएं

1.10.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं में वृद्धि एवं संघटन

विद्यमान सरकारी लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियाँ यथा भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को आवश्यक रूप से समाहित करते है। ***परिशिष्ट 1.5*** 31 मार्च 2012 के अनुरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2013 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के सार को प्रस्तुत करता है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक कर्जे, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष समाविष्ट है।

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल दायित्व से अभिप्राय: राज्य की समेकित निधि और सामान्य प्रावधायी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित देयताओं से है।

[22] मई 2012 (₹ 500 करोड़ 9.12 प्रतिशत पर), जून (₹ 500 करोड़ 8.87 प्रतिशत पर), जुलाई (₹ 500 करोड़ 8.89 प्रतिशत पर एवं ₹ 500 करोड़ 8.84 प्रतिशत पर), अगस्त (₹ 1,000 करोड़ 8.92 प्रतिशत पर), सितम्बर (₹ 500 करोड़ 8.91 प्रतिशत पर एवं ₹ 500 करोड़ 8.90 प्रतिशत पर), अक्टूबर (₹ 500 करोड़ 8.85 प्रतिशत पर एवं ₹ 500 करोड़ 8.84 प्रतिशत पर), नवम्बर (₹ 1,000 करोड़ 8.92 प्रतिशत पर), दिसम्बर (₹ 500 करोड़ 8.90 प्रतिशत पर), जनवरी 2013 (₹ 1,000 करोड़ 8.56 प्रतिशत पर) एवं मार्च 2013 (₹ 541.10 करोड़ 8.52 प्रतिशत पर)

सम्पत्तियों और देयताओं के घटकों की वृद्धि दर का सार **तालिका 1.29** में दिया गया है:

तालिका 1.29: सम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताऐं					सम्पत्तियाँ				
		2011-12	2012-13	वृद्धि प्रतिशत			2011-12	2012-13	वृद्धि प्रतिशत
समेकित निधि		**71705.66**	**76953.94**	**7**	**समेकित निधि**		**71751.40**	**83737.12**	**17**
अ	आन्तरिक ऋण	64456.43	69972.94	9	अ	कुल पूँजीगत परिव्यय	68553.33	79228.78	16
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	7249.23	6981.00	(-) 4	ब	ऋण एवं अग्रिम	3198.07	4508.34	41
आकस्मिकता निधि		**200.00**	**200.00**	**-**					
लोक लेखे		**35289.98**	**41660.28**	**18**	**लोक लेखे**		**56.09**	**38.56**	**(-) 31**
अ	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	24580.58	26,744.43	9	अ	अग्रिम	3.49	3.74	7
ब	जमा	9159.69	12576.12	37	ब	प्रेषण	20.82	-	-
स	आरक्षित निधियाँ	1549.71	2331.20	50	स	उचन्त तथा विविध	31.78	34.82	10
	प्रेषण		8.53	-	**नकद शेष (चिन्हित निधि निवेश सहित)**		**9785.11**	**12886.72**	32
					राजस्व लेखा में घाटा		**25603.04**	**22151.82**	(-) 13
योग		**107195.64**	**118814.22**	**11**	**योग**		**107195.64**	**118814.22**	**11**

स्रोत: वित्त लेखे

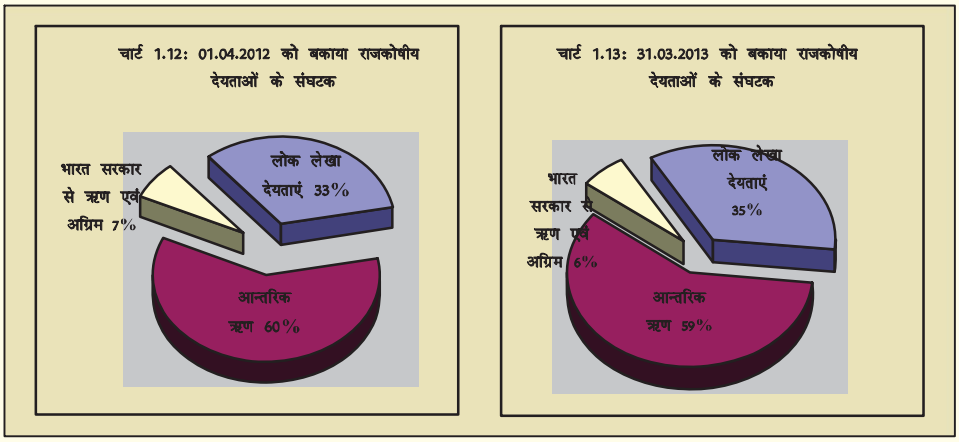
सम्पत्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2011-12 के 15 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 18 प्रतिशत हो गयी, जबकि देयताऐं भी वर्ष 2011-12 के 7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 11 प्रतिशत हो गयी।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशानुसार, वर्ष 2009-10 के वित्त लेखे के अनुसार केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत बकाया ऋणों को वित्त मंत्रालय के अलावा सभी मंत्रालयों के संबंध में अपलेखित किया जाना था। तथापि, मार्च 2013 तक भारत सरकार द्वारा ऐसे बकाया ऋणों को अपलेखित नहीं किया गया।

1.10.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयतायें[23] वर्ष 2012-13 के अन्त तक ₹ 1,17,809 करोड़ थी जिसमें कि वर्ष 2008-13 के दौरान 10.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित हुयी, गत वर्ष के समक्ष चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटकों को **चार्ट 1.12** तथा **1.13** में प्रस्तुत किया गया है।

[23] वर्ष 2007-08: ₹ 77,138 करोड़, 2008-09: ₹ 84,023 करोड़, 2009-10: ₹ 91,533 करोड़, 2010-11: ₹ 99,285 करोड़, 2011-12: ₹ 1,06,560 करोड़ तथा 2012-13: ₹ 1,17,809 करोड़।



स्त्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय देयतायें गत वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत (₹ 11,249 करोड़) बढ़ी। समेकित निधि देयताओं (₹ 76,954 करोड़) में बाजार के कर्ज (₹ 44,209 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹ 6,981 करोड़) एवं अन्य ऋण (₹ 25,764 करोड़) समाविष्ट हैं। लोक लेखा देयताओं (₹ 40,855 करोड़) में अल्प बचत, प्रावधायी निधि (₹ 26,744 करोड़), ब्याज वाले दायित्व (₹ 4,269 करोड़) एवं बिना ब्याज वाले दायित्व जैसे जमा तथा पृथक आरक्षित निधियाँ (₹ 9,842 करोड़) समाविष्ट हैं। **वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय देयताओं (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात 24.6 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2012-13 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित (राजस्थान के लिए) 38.3 प्रतिशत[24] के मानक एवं राज्य सरकार द्वारा मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में किये गये आंकलन (28.65 प्रतिशत) से कम था। ये देयताएं वर्ष 2012-13 के अंत में राजस्व प्राप्तियों का 1.76 गुणा तथा राज्य स्व-संसाधनों का 2.76 गुणा थीं।**

वर्ष 2012-13 के दौरान, वार्षिक वृद्धिजन्य उधारें[25] (₹ 11,249 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 11,300 करोड़) से कम थी।

1.10.3 आरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन

राज्य सरकार की राज्य बजट नियमावली, के पैरा संख्या 4.5 के अनुसार, आरक्षित और आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखे) में क्षेत्र 'जे' के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती है। इन निधियों का वित्तपोषण

[24] तेरहवे वित्त आयोग का प्रतिवेदन **(परिशिष्ट 9.1)**

[25] इसमें खुले बाजार से उधारे, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्धित ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण, केन्द्रीय सरकार से ऋण ईएपी सहित, राज्य आयोजनागत योजनाओ एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई ऋण, लोक लेखे में अल्प बचत, प्रावधायी निधि, आरक्षित निधियाँ एवं जमाओं इत्यादि के अन्तर्गत अन्तरित राशि के कारण उत्पन्न दायित्व शामिल है।

राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेन्सियों से प्राप्त अंशदान अथवा अनुदान से प्राप्त होता है। इन निधियों को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ। कुछ मुख्य आरक्षित निधियाँ मूल्यह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधि, सड़क तथा सेतु निधि तथा राज्य आपदा मोचन निधि है। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि के संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करके राशि अन्तरित कर बनाई जाती हैं। यदि आरक्षित प्राप्तियाँ, उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए निधि बनाई गई है, प्राप्त हो रही हैं तो ये राज्य की समेकित निधि में उचित राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज होंगी। इस सम्बन्ध में, उद्देश्यों/नियमों/आदेशों/निर्देशों/अधिनियमों जिसके लिए आरक्षित निधि बनायी गयी है, को प्राप्त करने के लिए बनायी गयी योजनाओं के कार्यान्वयन पर व्यय सम्बन्धित लेखाशीर्ष से किया जायेगा। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि मे पुनर्भरण किया जाता है।

31 मार्च 2013 को, 33 आरक्षित निधियों में ₹ 2,331.20 करोड़ का अन्तिम शेष था। इसमे से ₹ 10.49 करोड़ की 12 आरक्षित निधियाँ अप्रचलित थी। वर्ष के अन्त में सरकार ने ₹ 2,331.20 करोड़ में से ₹ 796.78 करोड़ (भारत सरकार की प्रतिभूतियों: ₹ 170.55 करोड़, गारन्टी मोचन निधि निवेश खाता: ₹ 348.59 करोड, राज्य आपदा मोचन निधि: ₹ 222.96 करोड़ तथा राजस्थान राज्य विकास ऋण को चुकाना: ₹ 54.68 करोड़) का निवेश किया था। राशि ₹ 1,567.72 करोड़ (निवल) वार्षिक हिस्से के रूप में मुख्यत: राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ): ₹ 829.60 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा: ₹ 496.67 करोड़, राज्य सरकार का हिस्सा: ₹ 165.55 करोड़, मुख्य शीर्ष 2245-80-800 से अन्तरित: ₹ 101.90 करोड़ तथा एसडीआरएफ पर ब्याज: ₹ 65.48 करोड़); राज्य सड़क तथा सेतु निधि: ₹ 239.01 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी निधि: ₹ 266 करोड़ तथा गारन्टी मोचन निधि: ₹ 251.55 करोड़ को अन्तरित किये। गत वर्ष की तुलना में राज्य की आरक्षित निधि ₹ 781.49 करोड़ से बढ़ी, जिससे वर्ष के अन्त में राज्य सरकार की राजकोषीय देयतायें इस सीमा तक बढ़ी।

1.10.3.1 राज्य आपदा मोचन निधि

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ), 1 अप्रैल 2010 को विद्यमान आपदा सहायता निधि के स्थान पर स्थापित की गयी। निधि के लिए वर्ष 2010-15 के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ₹ 3,319 करोड़[26] का आकार निर्धारित किया गया, इसमें से 75 प्रतिशत हिस्सा राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत हिस्सा राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने अपना-अपना हिस्सा प्रदान किया। 31 मार्च 2013 को आपदा राहत कार्यों के लिये किये गये व्यय (₹ 257.81 करोड़) के बाद एसडीआरएफ में ₹ 1,211.60 करोड़ (निवेश

[26] 2010-11: ₹ 600.66 करोड़, 2011-12: ₹ 630.69 करोड़, 2012-13: ₹ 662.22 करोड़, 2013-14: ₹ 695.33 करोड़ तथा 2014-15: ₹ 730.10 करोड़।

नहीं की गयी राशि पर सरकार द्वारा चुकाये गये ब्याज ₹ 44.67 करोड़ सहित) का शेष था।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसडीआरएफ जमा को केन्द्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और/या नीलामी कोषालय बिलों और/या ब्याज अर्जित करने वाली जमाओं पर और/या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमाओं के प्रमाण-पत्रों में निवेशित किया जाना था। वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 222.95 करोड़ का निवेश किया गया और इन निवेशों पर ₹ 20.81 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया गया।

1.10.3.2 प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि

राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 में एक प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि संस्थापित की और 31 मार्च 2013 को इस निधि के अन्तर्गत ₹ 611.83 करोड़ (गारन्टी फीस के रूप में ₹ 580.94 करोड़ एवं प्राप्त ब्याज ₹ 30.89 करोड़) का शेष था। वर्ष के दौरान इस निधि मे किसी राशि का पुनर्भरण नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार ने प्रत्याभूति कमीशन के रूप में ₹ 235.04 करोड़ प्राप्त किये जिसे विविध प्राप्तियों के रूप में पुस्तांकित किया गया।

1.10.4 आकस्मिक देयताऐं

- ***प्रत्याभूतियों की स्थिति***

प्रत्याभूतियाँ राज्य की समेकित निधि के ऊपर वे आकस्मिक देयताएं हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिये प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक के प्रकरण में होती है।

वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार गत तीन वर्षों में राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियाँ निम्न प्रकार थी।

तालिका 1.30: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2010-11	2011-12	2012-13
दी गयी प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	88,112	97,566	1,13,340
दी गयी प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	50,692	60,711	75,546
दी गयी प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि का कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	191.8	171.1	169.4

स्त्रोतः वित्त लेखे

बकाया प्रत्याभूतियाँ वर्ष 2011-12 में ₹ 60,711 करोड़ से 24 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 75,546 करोड़ हो गयी। ₹ 75,546 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियाँ पाँच विद्युत कम्पनियों (₹ 70,114 करोड़: 93 प्रतिशत), सात सहकारी संस्थाओं (₹ 1,798 करोड़: दो प्रतिशत) एवं तीन शहरी विकास एवं आवास (₹ 2,120 करोड़: तीन प्रतिशत) से संबंधित थी। विद्युत कम्पनियों की प्रत्याभूतियाँ बॉण्ड/ऋण पत्रों को जारी करके कर्जे/ओवरड्राफ्ट, द्वारा प्राप्त की गई राशि एवं उस पर निर्दिष्ट दर पर ब्याज को

चुकाने के लिए दी गई थीं। वर्ष 2012-13 के दौरान, सरकार को प्राप्त होने वाली प्रत्याभूति कमीशन राशि ₹ 354.72 करोड़ के समक्ष ₹ 235.04 करोड़ प्राप्त हुए। बकाया प्रत्याभूतियाँ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का 113 प्रतिशत थीं। वर्ष 2012-13 के दौरान कोई प्रत्याभूति नहीं भुनाई गयी।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि यदि बकाया प्रत्याभूतियों (₹ 75,546 करोड़) से उत्पन्न देयताओं को चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं (₹ 1,17,809 करोड़) में जोड़ दिया जाये तो कुल देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात मौजूदा 24.6 प्रतिशत से बढ़कर 40.4 प्रतिशत हो जावेगा।

- ***बजट से इतर उधार***

राज्य के कर्ज भारत के संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत विनियमित होते हैं। ***परिशिष्ट 1.5*** में दर्शाई गयी राजकोषीय देयताओं के अतिरिक्त, सरकारी कम्पनियों/निगमों द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित ऋण का उपयोग किया गया। इन कम्पनियों/निगमों द्वारा राज्य बजट से बाहर प्रायोजित विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधियाँ उधार ली जाती हैं। यद्यपि, राज्य सरकार यह इंगित करती है कि इन कार्यक्रमों के लिये निधियाँ राज्य बजट से इतर इन कम्पनियों/निगमों द्वारा जुटाये संसाधनों से वहन की जाएगीं, तथापि, वास्तव में इनमें से कई संस्थानों द्वारा लिये गये उधार, जिनका पुनर्भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, अन्ततोगत्वा राज्य सरकार की देयताएँ हो जाती हैं, जिसे "बजट से इतर उधार " कहा जाता है, यद्यपि धारा 293(3) के अन्तर्गत बजट से इतर उधार अनुमत्य नहीं हैं।

वित्त विभाग ने (जुलाई 2013) में बताया कि बोर्ड, कम्पनियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पंचायती राज संस्थाएं तथा स्थानीय शहरी निकाय स्वतंत्र इकाईयाँ है और वे अपनी जरूरत के अनुसार ऋण लेती हैं और राज्य सरकार ऐसे सभी उधारों के लिये आवश्यक रूप से प्रत्याभूति उपलब्ध नहीं कराती है जो स्वीकृत वार्षिक प्लान में आयोजना विभाग द्वारा तैयार किये गये आयोजना आवंटन को पूरा करने हेतु नहीं लिये गये। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पंचायती राज संस्थाएं तथा स्थानीय शहरी निकायों द्वारा लिये गये उधार इन्हीं संस्थानों के लिए होता है तथा यह राज्य सरकार के लिये और/या निमित्त नहीं लिये गये हैं। ऋण चुकाने का भार इन्हीं उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों पर होता है न कि राज्य सरकार पर।

तथापि, वित्त लेखे 2012-13 के विवरण संख्या 9 के अनुसार, राज्य सरकार ने ₹ 840.19 करोड़ (वर्ष 2012-13 के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियाँ ₹ 1,697.90 करोड़) की नयी प्रत्याभूतियाँ मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के निष्पादन के लिए आवासन तथा नगरीय विकास निगम के ऋणी, विभिन्न जिला परिषदों को उनकी उधारी के लिए उपलब्ध करवायी। राज्य सरकार ने मूलधन एवं ब्याज अदायगी जो कि बजट से इतर उधार को सृजित करती है, की जिम्मेदारी ली थी। राज्य वित्त पर विधान मण्डल का नियंत्रण भी उस सीमा तक कम हुआ।

1.10.5 सरकार के उधारों का विश्लेषण

राज्य सरकार का लोक ऋण वर्ष 2008-09 के ₹ 58,766 करोड़ से 30 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 76,954 करोड़ हो गया। यह पिछले वर्ष से 7 प्रतिशत बढ़ा। विस्तृत विवरण निम्न **तालिका 1.31** में दिया गया है:

तालिका 1.31: वर्ष 2008-13 के दौरान बकाया उधार

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
(अ) आन्तरिक ऋण					
बाजार कर्ज	24,499	30,611	35,448	38,551	44,209
कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक से कर्ज	1,948	2,609	3,323	3,947	4,553
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	23,769	23,209	22,656	21,518	20,767
अन्य संस्थाओं से कर्ज	933	714	470	441	444
योग (अ)	**51,149**	**57,143**	**61,897**	**64,457**	**69,973**
(ब) केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम					
गैर-योजनेत्तर कर्ज	79	73	67	60	55
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	7,359	7,237	7,163	7,052	6,789
अन्य योजनागत कर्ज	179	165	151	137	137
योग (ब)	**7,617**	**7,475**	**7,381**	**7,249**	**6,981**
कुल उधार (अ + ब)	**58,766**	**64,618**	**69,278**	**71,706**	**76,954**
वृद्धि दर	9.4	11.7	7.2	3.5	7.3

स्त्रोत : वित्त लेखे

वर्ष 2008-13 की अवधि में बकाया उधारों और आन्तरिक ऋण में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी प्रदर्शित हुई, जबकि इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण और अग्रिम में घटती हुई प्रवृत्ति दर्शित हुई। बाजार ऋण का कुल उधारों से अंश वर्ष 2008-09 के 41.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 57.4 प्रतिशत हो गया।

1.10.6 असंचालित आरक्षित निधियाँ

वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे के अनुसार, 32 आरक्षित निधियों में से 12 आरक्षित निधियाँ (₹ 10.49 करोड़) 2 वर्षों से अधिक समय से असंचालित थी। इनमें से ₹ 6.22 करोड़ की छः निधियाँ ब्याज वाली तथा ₹ 4.27 करोड़ की शेष छः निधियाँ बिना ब्याज वाली थी। तीन मुख्य निधियाँ, सोडियम सल्फेट, फॉरेस्ट कूप्स की विभागीय प्रबन्धन योजना तथा राज्य सड़क सुधार विकास कोष, क्रमशः ₹ 2.41 करोड़, ₹ 2.12 करोड़ तथा ₹ 4.02 करोड़ की थीं।

1.11 ऋण प्रबन्धन

(i) ऋण रूपरेखा

31 मार्च को पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा निम्नानुसार है:

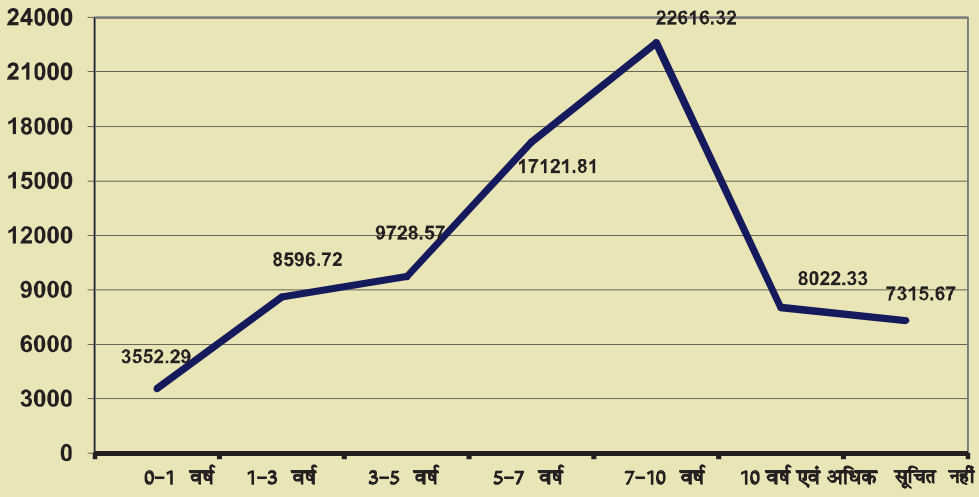
तालिका 1.32: राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता रूपरेखा	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	
					राशि	प्रतिशत
0-1 वर्ष	2,570.56	2,778.07	3,415.48	4,610.18	3,552.29	4.62
1-3 वर्ष	5,824.81	7,111.05	8,632.80	8,813.32	8,596.72	11.17
3-5 वर्ष	7,414.30	7,328.82	8,882.26	8,526.22	9,728.57	12.64
5-7 वर्ष	7,780.07	7,214.43	9,779.54	14,440.58	17,121.81	22.25
7-10 वर्ष	32,436.54	36,973.06	38,165.23	23,410.14	22,616.32	29.39
10 वर्ष एवं अधिक				11,382.62	8,022.33	10.42
राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित	2,739.84	3,212.74	403.27	522.60	7,315.67	9.51
योग	**58,766.22**	**64,617.57**	**69,277.68**	**71,705.66**	**76.953.71**	**100.00**

स्त्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट 1.14: राज्य ऋण की परिपक्वता रूप रेखा (₹ करोड़ में)



स्त्रोत: वित्त लेखे

तालिका 1.32 में दर्शाये गये आँकड़ों के अनुसार ₹ 7,315.67 करोड़ की परिपक्वता रूपरेखा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होती है। अवधि 1-3 वर्षों (₹ 8,596.72 करोड़), 3-5 वर्षों (₹ 9,728.57 करोड़) और 5-7 वर्षों (₹ 17,121.81 करोड़) की अवधि में अदायगियों के समूह बन जायेंगे। एक अच्छी सुविचारित ऋण अदायगी नीति से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई अतिरिक्त उधार जिनकी परिपक्वता इन आलोच्य वर्षों में हो, नहीं लिया जायेगा।

(ii) ऋण का टिकाऊपन

ऋण टिकाऊपन को एक समयावधि में ऋण-जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है और जो उसके ऋणों

को चुकाने की क्षमता को भी दर्शाता है। अत: ऋण का टिकाऊपन, चालू अथा वचनबद्ध देयताओं को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों से प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता का भी उल्लेख करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि, ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के सदृश्य होनी चाहिए। ***तालिका 1.33*** में वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ हुए तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य के ऋण के टिकाऊपन का विश्लेषण इन सूचकों के अनुसार किया गया है।

तालिका 1.33: ऋण का टिकाऊपन: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण के टिकाऊपन के सूचक	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा विस्तार + प्रारम्भिक घाटा)	22,373	18,364	7,585
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	6,173	500	(-) 4,908
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	383	(-) 617	2,908
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्ति प्रतिशत)	16	14	12

ऋण स्थिरीकरण

स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा परिमित रूप से ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि दर-ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार), ऋण टिकाऊपन की स्थिति यह बताती है यदि प्रारम्भिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्तत: टिकाऊ रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्रारम्भिक घाटा ऋणात्मक होता है, तो ऋण-जीएसडीपी का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात में अन्तत: कमी आयेगी।

प्रमात्रा विस्तार एवं प्रारम्भिक घाटे का योग 2010-13 के दौरान धनात्मक रहा जिसके परिणामस्वरूप ऋण जीएसएडीपी अनुपात में कमी की प्रवृत्ति रही। ये प्रवृत्तियाँ इंगित करती है कि राज्य ऋण स्थिरीकरण की ओर अग्रसर है, जो यदि लगातार बनी रहती है तो अन्तत: राज्य ऋण के टिकाऊपन की स्थिति में सुधार लायेंगी।

गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता

ऋण की स्थिरता एवं इसके टिकाऊपन के लिए राज्य की वृद्धिजन्य गैर-ऋण प्राप्तियाँ, वृद्धिजन्य ब्याज देयताएं एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ऋण टिकाऊपन पर्याप्त रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि वृद्धिजन्य गैर-ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज देयताऐं तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

लगातार ऋणात्मक गैर-ऋण प्राप्तियाँ (संसाधन अन्तराल) ऋण के गैर-टिकाऊपन को इंगित करती है जबकि धनात्मक संसाधन अन्तराल राज्य द्वारा ऋण का भार उठाने की क्षमता को बढ़ाता है। संसाधन अन्तराल जो कि वर्ष 2010-11 (₹ 6,173 करोड़) और 2011-12 (₹ 500 करोड़) के दौरान धनात्मक था, वर्ष 2012-13 में ((-) ₹ 4,908 करोड़) ऋणात्मक में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹ 9,767 करोड़ (17 प्रतिशत) से बढ़ी जबकि कुल व्यय ₹ 14,675 करोड़ (24 प्रतिशत) से बढ़ा।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज अदायगी) की कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह ऋण प्राप्तियों की उस मात्रा, जिस तक ऋण प्राप्तियाँ ऋण मोचन में उपयोग में आयी को इंगित करती है।

ब्याज एवं अदायगी का प्रावधान करने के पश्चात उधारों से उपलब्ध निवल कोष वर्ष 2011-12 में (-) ₹ 617 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 2,908 करोड़ हो गया। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध उधार कोष में ₹ 31,876 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जबकि सरकारी अदायगी में ₹ 28,351 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2012-13 के दौरान देयताओं की कुल प्राप्तियाँ एवं कुल अदायगी (ब्याज सहित) क्रमश: ₹ 1,59,608 करोड़ एवं ₹ 1,56,700 करोड़ थीं, अत: ₹ 2,908 करोड़ चालू संचालन हेतु उपलब्ध थे।

ब्याज भार

ब्याज अदायगियों का राजस्व से अनुपात राज्य के ऋण के टिकाऊपन को निर्धारित करता है। वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियाँ गत वर्ष की तुलना में दो प्रतिशतता बिन्दु तक कम हुई एवं यह राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ का 12 प्रतिशत थीं।

कालातीत ऋण

राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक/कार्यकारी बैंकों के माध्यम से खुले बाजार से लम्बे समय के लिये ऋण लेती है और ऋण की परिपक्वता पर उनकी अदायगी करती है। ऋण की परिपक्वता की तिथि ऋण के चालू करने के लिये जारी किये गये नोटिफिकेशन में वर्णित होती है। 31 मार्च 2013 तक, वित्त लेखे के विवरण संख्या 15 के परिशिष्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ₹ 0.23 करोड़ के कालातीत ऋण की निवेशकों द्वारा पुनर्अदायगी हेतु प्रतिभूतियों/स्टॉक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अदायगी नहीं की गई।

1.11.1 बाजार उधार

उधार (जो राजकोषीय घाटे को प्रदर्शित करता है) को समेकित निधि (ई-लोक ऋण) के अन्तर्गत लेखांकन किया जाता है। बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राजकोषीय घाटे को कम करने के साथ यह आवश्यक है कि राज्यों को अपनी

आवश्यकता के आधार पर उधारों को लेने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए न कि उपलब्धता के आधार पर। राज्यों को राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के मध्य संतुलन संधारित करने का प्रयास करना चाहिये एवं पूँजीगत प्राप्तियों का उधारों सहित उत्पादित सम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग करना चाहिये। बाजार उधार भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित किये जाते है। राज्य, केन्द्र सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकेगें यदि वे केन्द्र सरकार के ऋणी है (अनुच्छेद 293)।

बाजार उधारों तथा वृहद् एवं सम्बन्धित लघु शीर्षो (6003- राज्यों के आन्तरिक ऋण-101-बाजार ऋण) की समीक्षा में निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

- ***लोक ऋण स्थिरता सूचक***

परिशिष्ट 1.13 के अनुसार कुल देयतायें वर्ष 2008-09 के ₹ 84,023 करोड़ से 40 प्रतिशत बढ़कर (₹ 33,786 करोड़) वर्ष 2012-13 में ₹ 1,17,809 करोड़ हो गई लेकिन इस अवधि के दौरान बाजार ऋण 80 प्रतिशत से बढ़ा। देयताओं और लोक ऋण की जीएसडीपी से प्रतिशतता वर्ष 2008-09 में 36.38 प्रतिशत एवं 25.45 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2012-13 में क्रमश: 24.64 प्रतिशत एवं 16.09 प्रतिशत रह गयी। तथापि, बाजार ऋण का कुल देयताओं एवं लोक ऋण से प्रतिशतता वर्ष 2008-09 में 29.16 प्रतिशत एवं 41.69 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में क्रमश: 37.53 प्रतिशत एवं 57.45 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2010-13 के दौरान उधारों की वार्षिक वृद्धि क्रमश: ₹ 7,752 करोड़, ₹ 7,275 करोड़ एवं ₹ 11,249 करोड़, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्रमश: ₹ 8,029 करोड़, ₹ 9,489 करोड़ तथा ₹ 11,300 करोड़ से कम रही।

- ***बाजार ऋण की रूपरेखा***

मार्च 2013 को बकाया बाजार ऋण ₹ 44,209 करोड़ था, इसमें से ₹ 32,577 करोड़ (73.7 प्रतिशत) का बाजार ऋण पिछले पाँच वर्षो के दौरान लिया गया था। इस अवधि में ₹ 7,672 करोड़ (23.6 प्रतिशत) के ऋण की पुनर्अदायगी की गयी। वर्ष 2008-13 के दौरान बाजार ऋण 129 प्रतिशत से बढ़ा। यह वर्ष 2012-13 में गत वर्ष की तुलना में 14.7 प्रतिशत से बढ़ा। वर्ष 2008-12 के दौरान, वर्ष में लिये गये बाजार ऋण की कुल बकाया बाजार ऋण से प्रतिशतता घटती हुई प्रवृति दर्शाती है ***(परिशिष्ट 1.13)***।

- ***बाजार ऋणों की भारित औसत परिपक्वता***

यद्यपि वर्ष 2012-13 के दौरान बकाया ऋणों की भारित औसत परिपक्वता ने गत वर्ष की तुलना में 6.70 से 6.79 वर्षो की वृद्धि दिखाई, तथापि, इसमें पाँच वर्षो की अवधि 2008-13 के दौरान, बकाया ऋणों की भारित औसत परिपक्वता के समग्र औसत से कमी प्रदर्शित हुई, जो कि 6.88 वर्ष थी ***(परिशिष्ट 1.13)***।

- ***बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति***

परिपक्वता प्रोफाइल के हिसाब से वर्ष के अंत में बकाया बाजार उधारों का लगभग 59.3 प्रतिशत, सात एवं अधिक वर्षों के परिपक्वता वर्ग से संबंधित है, राज्य का पुनर्भुगतान दायित्व वर्ष 2017-18 में 130.6 प्रतिशत, वर्ष 2018-19 में 59.4 प्रतिशत एवं वर्ष 2022-23 में 78.7 प्रतिशत संबंधित गत वर्षों की तुलना में बढ़ेगा। वर्ष 2009-10 में अत्यधिक मात्रा में लिया गया बाजार उधार, वर्ष 2019-20 में बाजार ऋणों (₹ 44,209 करोड़) के कुल पुनर्भुगतान दायित्वों (2013-23) का 17 प्रतिशत समाप्त कर देगा। वर्ष 2012-13 में, सरकार ने ₹ 8,041 करोड़ का उधार बाजार ऋणों के रूप में लिया जो कुल बकाया ऋणों (₹ 44,209 करोड़) का 18 प्रतिशत है ***(परिशिष्ट 1.13)***।

- ***भारित ब्याज दर की रूपरेखा***

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर लिये गये बाजार ऋणों पर भारित औसत ब्याज की दर 8.84 प्रतिशत वर्ष 2008-09 (7.67 प्रतिशत) से अधिक थी। तथापि, यह गत वर्ष (2011-12) की ब्याज दर यथा 8.97 प्रतिशत से कम थी ***(परिशिष्ट 1.13)***।

- ***ब्याज भुगतान की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता***

ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात, राज्य के ऋण टिकाऊपन को निश्चित करता है। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान, गत वर्ष की अपेक्षा 1.38 प्रतिशतता बिन्दुओं तक कम हुआ एवं राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 12.46 प्रतिशत रहा और यह वर्ष 2008-09 (18.60 प्रतिशत) की तुलना में 6.14 प्रतिशतता बिन्दु तक कम हुआ ***(परिशिष्ट 1.13)***।

- ***रोकड़ शेषों का निवेश***

तेरहवें वित्त आयोग ने पैरा 7.123 में सुझाया कि वृहद शेषों वाले राज्यों को नये उधार लेने से पूर्व अपने विद्यमान नकद शेषों का उपयोग करने का स्पष्ट प्रयास करना चाहिये, क्योंकि बहुत से राज्यों का नकद शेष एक माह के कुल व्यय से अधिक था। यद्यपि, राज्यों को निर्बाध व्यय के लिये कुछ प्रवर्तित करने की आवश्यकता होती है, एक स्तर से अधिक रोकड़ संचयन अप्रभावी प्रबंधन को निरूपित करता है, क्योंकि इससे परिहार्य ब्याज दायित्व का भार बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया है एवं सलाह दी है कि राज्यों को अपने रोकड़ शेषों का अधिक कुशलता से प्रबंधन करना चाहिये।

राज्य सरकार के रोकड़ शेष अधिशेष स्वत: ही 14 दिवसीय मध्यम कोषालय बिलों एवं 91/181/364 दिवसीय नीलामी कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते हैं। वर्ष 2012-13 के अंत तक, ₹ 12,127.66 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों

प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, जिन पर ₹ 883.57 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। ₹ 801.65 करोड़ की राशि भी चिन्हित निधियों में निवेशित की गई। भारत सरकार की प्रतिभूतियों/कोषालय बिलों में निवेशित रोकड़ शेष वर्ष 2007-08 के अंत में ₹ 5,839.43 करोड़ से 107.69 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 के अंत तक ₹ 12,127.66 करोड़ हो गया।

नकद शेषों[27], लिये गये बाजार ऋणों एवं बजटीय व्यय की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 1.34: नकद शेष बाजार ऋण और बजटीय व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1 अप्रैल को नकद शेष	5,293.39	5,165.92	2,361.65	6.087.76	9.785.11
31 मार्च को नकद शेष	5,165.92	2,361.65	6.087.76	9.785.11	12.886.72
भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रत्याभूतियों में निवेशित नकद शेष	5,268.04	2,675.50	5,708.51	9,307.62	12,127.66
लिये गये बाजार ऋण	6,355.80	7,500.00	6,180.00	4,500.00	8,041.10
कुल बजटीय व्यय	40,185.00	46,790.00	51,036.00	60,524.00	71,956.00
मासिक औसत बजटीय व्यय	3,349.00	3,899.00	4,253.00	5,044.00	5,996.00

स्त्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रलेख

वर्ष 2011-13 के दौरान, सरकार द्वारा, रोकड़ शेष की सुविधाजनक स्थिति, राजस्व अधिशेष एवं जीएसडीपी पर राजकोषीय घाटे के कम प्रतिशत के परिप्रेक्ष्य में, बाजार ऋणों को कम किया जा सकता था और उसी के अनुरूप ब्याज भुगतान भार को सार्थक रूप से कम किया जा सकता था।

वर्ष 2012-13 के दौरान, रोकड़ शेष, औसत मासिक बजटीय व्यय, लिये गये/वांछित बाजार ऋण की माह वार स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

माह	प्रारम्भिक नकद शेष	माह वार औसत बजटीय व्यय	अधिक नकद शेष	माह तक लिये गये बाजार ऋण	नगद शेष में वृद्धि/कमी बाजार ऋण को छोड़कर	वांछित बाजार ऋण
अप्रैल	9350	5,996	3,354	-	3,354	-
मई	9429	5,996	3,433	500	3,433	-
जून	9428	5,996	3,432	1,000	2,932	-
जुलाई	10270	5,996	4,274	2,000	3,274	-
अगस्त	11255	5,996	5,259	3,000	3,259	-
सितम्बर	11969	5,996	5,973	4,000	2,973	-
अक्टूबर	13119	5,996	7,123	5,000	3,123	-
नवम्बर	14105	5,996	8,109	6,000	3,109	-
दिसम्बर	14252	5,996	8,256	6,500	2,256	-
जनवरी	9350	5,996	3,354	7,500	(-) 3,146	3,146
फरवरी	14452	5,996	8,456	7,500	956	-
मार्च	13928	5,996	7,932	8,041.10	432	-

[27] इसमें कोषालयों में रोकड़, रिजर्व बैंक में जमा, स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण, विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़, स्थायी अग्रिम, नगद शेषों से निवेश तथा पृथक आरक्षित निधियों से निवेश सम्मिलित है।

राज्य सरकार द्वारा ₹ 3,146 करोड़ के बाजार ऋणों की आवश्यकता के विरूद्ध ₹ 8,041.10 करोड़ के ऋण लिये गये। इस प्रकार, ₹ 4,895 करोड़ के ऋण अधिक लिये गये।

इंगित करने पर, वित्त विभाग (मार्गोपाय अनुभाग) ने सूचित किया (अगस्त 2013) कि राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन एवं व्यय में उतार चढ़ाव बना रहता है तथा सभी प्राप्तियाँ एवं व्यय नियमित प्रकृति के नहीं होते। साथ ही, ये उधार भविष्य में संभावित भुगतानों हेतु उठाये गये हैं। बाजार उधारों पर वित्त विभाग द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि पूर्व में उठाये गये बाजार उधार, कुशल वित्तीय प्रबंधन एवं रोकड़ शेष को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के नीचे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार द्वारा वार्षिक उधार की अधिकतम सीमा/वार्षिक वृद्धिजन्य उधारों के लिये सीमा निर्धारित की थी न कि निवल बाजार उधारों हेतु। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के पास पर्याप्त नकद शेष था जिसे कि बाजार से निधियाँ उधार लेने के स्थान पर उपयोग किया जा सकता था, एवं उस सीमा तक ब्याज अदायगी के भार को कम किया जा सकता था।

- ***उधारों का उपयोग***

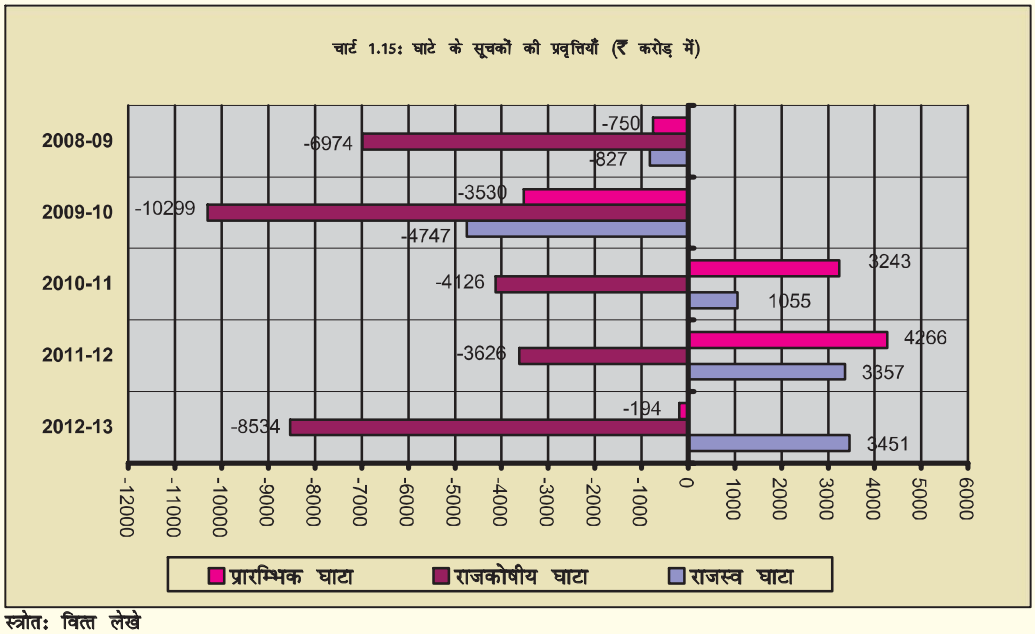
राज्य को राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों के मध्य संतुलन बनाये रखने के लिये प्रयत्न करना चाहिये और उधारों सहित पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग उत्पादक सम्पित्तयों के सृजन के लिये करना चाहिये। वित्त विभाग (मार्गोपाय अनुभाग) ने बताया (अगस्त 2013) कि वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान निवल उधारों का क्रमशः 85.69, 68.90, 67.73 और 97.85 प्रतिशत पूँजीगत व्यय के रूप में उपयोग किया गया।

1.12 राजकोषीय असंतुलन

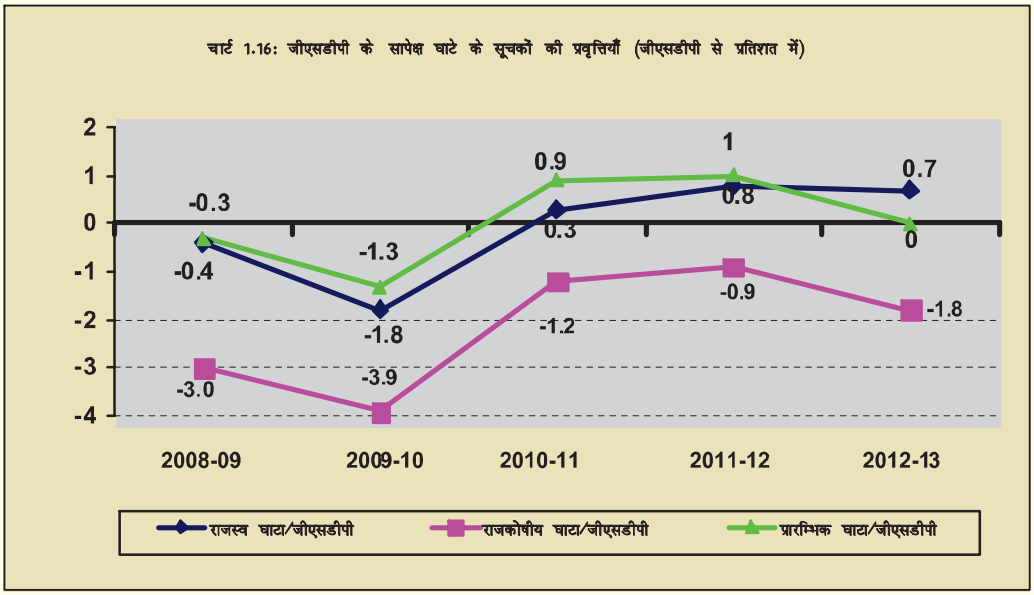
तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटे-एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त प्रबन्धन में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखों में घाटा, प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अन्तर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की सूचक होती है। आगे, वह तरीका जिससे घाटे को वित्त पोषित किया गया तथा संसाधनों को प्रयुक्त किया गया, राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह भाग इन घाटों को वित्त पोषित करने की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके और वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत तय किये गये लक्ष्यों के समक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

1.12.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.15 एवं **1.16** वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



स्त्रोत: वित्त लेखे



राजस्व अधिशेष

राजस्व अधिशेष, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के मध्य अन्तर को प्रदर्शित करता है। राजस्व अधिशेष उधार कम करने में सहायता करता है।

राज्य, वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 के राजस्व घाटे की स्थिति से वर्ष 2010-11 एवं आगे के वर्षों में, राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 17 प्रतिशत की तुलना में राजस्व व्यय की वृद्धि दर 18 प्रतिशत थी। जिसके

परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व अधिशेष कम हो गया। राजस्व अधिशेष वर्ष 2011-12 के ₹ 3,357 करोड़ से ₹ 94 करोड़ (3 प्रतिशत) बढ़कर 2012-13 में ₹ 3,451 करोड़ हो गया।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सामान्यत: सरकार की वृद्धिजन्य देयताओं या इसकी अतिरिक्त उधारों को प्रदर्शित करता है। घाटे की या तो अतिरिक्त लोक ऋणों (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखे की अधिशेष निधियों के द्वारा पूर्ति की जा सकती है। घाटे की प्रवृत्ति के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति मुख्य घटकों के सापेक्ष **तालिका 1.35** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.35: राजकोषीय घाटा तथा उसके पैमाने

(₹ करोड़ में)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा प्रतिशत के रूप में		
				जीएसडीपी	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय
2008-09	33,562	40,536	6,974	3.0	20.8	17.2
2009-10	35,506	45,805	10,299	3.9	29.0	22.5
2010-11	46,260	50,386	4,126	1.2	8.9	8.2
2011-12	58,256	61,882	3,626	0.9	6.2	5.9
2012-13	68,023	76,557	8,534	1.8	12.6	11.2

स्त्रोत: वित्त लेखे

राजकोषीय घाटा, जीएसडीपी, गैर-ऋण प्राप्तियों तथा कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में 2011-12 में सबसे कम था, वर्ष 2009-10 में यह अनुपात भारत सरकार की सलाह के आधार पर राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाये जाने के कारण सर्वाधिक था। वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटे में वृद्धि, मुख्यत: उधारों में वृद्धि के कारण हुई। ***राजकोषीय घाटे की जीएसडीपी से प्रतिशतता वर्ष 2011-12 में 0.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 1.8 प्रतिशत हो गयी, जो कि एफआरबीएम अधिनियम 2005 एवं संशोधित (मार्च 2011 तथा सितम्बर 2011) में निर्धारित लक्ष्य 3 प्रतिशत के अन्दर रही।***

प्रारम्भिक घाटा

जबकि राजकोषीय घाटा सामान्यत: अतिरिक्त स्रोत की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, ऐसे स्रोत्रों के एक हिस्से की ब्याज भुगतान के लिए आवश्यकता हो सकती है। ब्याज भुगतान पुराने दायित्वों के व्यय को प्रदर्शित करते हैं और चालू आवंटित प्राथमिकताओं से स्वतंत्र होते हैं। असंतुलन की चालू प्रकृति देखते हुए, ऐसे भुगतानों को अलग करने और कुल असंतुलन में से कम करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2008-10 से प्राथमिक घाटा भी वर्ष 2010-11 से प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2012-13 में, प्राथमिक अधिशेष (₹ 4,266 करोड़) पुन: ₹ 194 करोड़ के प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया।

गैर-आयोजना राजस्व घाटा

गैर-आयोजना राजस्व घाटा, गैर-आयोजना राजस्व व्यय ओर राज्य के स्व-संसाधन के अन्तर को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान, गैर-आयोजना राजस्व घाटा ₹ 6,591 करोड़ (गैर-आयोजना राजस्व व्यय का 13.4 प्रतिशत) तेरहवें-वित्त आयोग द्वारा किये गये मानकी आंकलन (गैर-आयोजना राजस्व व्यय का 5.4 प्रतिशत) ₹ 1,796 करोड़ से अधिक था।

1.12.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्त पोषण का पैटर्न

तालिका 1.36, वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के प्रत्येक मद-वार संवितरण/बहिर्गमन के निवल को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.36: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्त पोषण का पैटर्न

(₹ करोड़ में)

		निवल संवितरण/बहिर्गमन					2012-13		
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
(अ) राजकोषीय घाटे का अपघटन									
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	(-)1,653	827	4,747	(-)1,055	(-) 3,357	66,913	63,462	(-)3,451
2	निवल पूँजीगत व्यय	6,554	5,896	5,166	5,238	7,103	8	10,683	10,675
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)1,493	251	386	(-) 57	(-) 120	1,102	2,412	1,310
	योग (अ)	**3,408**	**6,974**	**10,299**	**4,126**	**3,626**	**68,023**	**76,557**	**8,534**
(ब) राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण का पैटर्न									
1	बाजार से उधार	3,233	5,196	6,112	4,837	3,103	8,041	2,383	5,658
2	भारत सरकार से कर्ज	46	(-) 66	(-) 142	(-) 94	(-) 131	200	468	(-) 268
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गयी विशेष प्रत्याभूतियाँ	(-) 223	(-) 434	(-) 560	(-) 553	(-)1,138	484	1,235	(-) 751
4	मार्गोपाय अग्रिम	(-) 59	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	220	350	442	470	594	1,230	620	610
6	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	1,119	1,405	2,145	2,841	2,767	7,171	5,007	2,164
7	जमा तथा अग्रिम	557	347	1,274	885	1,096	1,40,748	1,37,332	3,416
8	उचन्त एवं विविध	2	39	(-) 14	(-) 49	12	44	47	(-) 3
9	प्रेषण	(-) 14	21	(-) 1	-	-	7,033	7,004	29
10	आरक्षित निधियाँ	1,198	(-) 11	(-)1,761	(-) 485	1,020	1,568	787	781
	योग (ब)	**6,079**	**6,847**	**7,495**	**7,852**	**7,323**	**1,66,519**	**1,54,883**	**11,636**
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (+) (अ-ब)	(-)2,671	127	2,804	(-)3,726	(-)3,697	2,34,542*	2,31,440*	(-)3,102
12	कुल घाटा (ब+11)	3,408	6,974	10,299	4,126	3,626	68,023	76,557	8,534

*** 2012-13 के प्राप्तियों एवं संवितरणों के योग के प्रकरणों में लागू नहीं है क्योंकि यह अ+ब का संचयी है एवं वास्तविक नकद शेष का सूचक नहीं है।**

स्त्रोतः वित्त लेखे।

राजकोषीय घाटा राज्य की कुल उधारों की आवश्यकता है एवं यह राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में कर्जे एवं अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटे का अपघटन राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण

प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को विभिन्न उधारों से पूरे करने की सीमा को प्रकट करता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, राजकोषीय घाटा ₹ 8,534 करोड़ था जो ₹ 3,451 करोड़ तक राजस्व अधिशेष से पोषित हुआ।

तालिका 1.36 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा वृहद् निवल पूँजीगत व्यय के कारण था। राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का मुख्य भाग निरन्तर बाजार के उधारों से पोषित किया जाता रहा, परन्तु राजकोषीय घाटे के पोषण में इसका अंश वर्ष 2011-12 में 86 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2012-13 में 66 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 8,534 करोड़ के राजकोषीय घाटे की पूर्ति मुख्यत: बाजार से उधार (₹ 5,658 करोड़), जमा एवं अग्रिम (₹ 3,416 करोड़) और अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि (₹ 2,164 करोड़) से की गयी जो कि रोकड़ शेष (₹ 3,102 करोड़) में वृद्धि से प्रतिसन्तुलित हुआ।

बाजार से उधार एवं अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि भविष्य में ब्याज भार में वृद्धि करते हुए गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 15 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत बढ़ गये।

1.12.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्रारम्भिक घाटे का प्रारम्भिक राजस्व घाटे एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में संयोजन, राज्य वित्तीय घाटे की गुणवता को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उस सीमा को प्रदर्शित करता है कि जिस तक उधार ली गयी निधियों का चालू उपभोग हेतु उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से निरन्तर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार कम होता जा रहा था तथा उधार के एक भाग (राजकोषीय देयतायें) के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियां उपलब्ध नहीं हैं। प्रारम्भिक घाटे के विभाजन **(तालिका 1.37)** में घाटे की उस सीमा को दर्शाया गया है जो पूंजीगत व्यय, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वांछित होगा, में वृद्धि के कारण है।

तालिका 1.37: प्रारम्भिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ	प्रारम्भिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्रारम्भिक व्यय	गैर-ऋण प्राप्तियाँ एवं प्रारम्भिक राजस्व व्यय का अन्तर	प्रारम्भिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2008-09	33,562	28,072	5,900	340	34,312	(+) 5,490	(-) 750
2009-10	35,506	33,363	5,175	498	39,036	(+) 2,143	(-) 3,530
2010-11	46,260	37,504	5,251	262	43,017	(+) 8,756	(+) 3,243
2011-12	58,256	45,762	7,119	1,109	53,990	(+) 12,494	(+) 4,266
2012-13	68,023	55,122	10,683	2,412	68,217	(+) 12,901	(-) 194

स्त्रोत: वित्त लेखे।

प्रारम्भिक व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश वर्ष 2008-09 में 17 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2012-13 में 16 प्रतिशत कम हो गया। गत वर्ष की तुलना में प्रारम्भिक व्यय में ₹ 14,227 करोड़ की बढ़ोतरी के समक्ष गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹ 9,767 करोड़ बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप, प्रारम्भिक अधिशेष (₹ 4,266 करोड़) प्रारम्भिक घाटे (₹ 194 करोड़) में बदल गया। प्रारम्भिक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम के संवितरण, गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 20 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 117 प्रतिशत बढ़ गये। वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्रारम्भिक व्यय से कम हुयी जिसके परिणामस्वरूप प्रारम्भिक घाटा रहा।

1.13 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ तथा राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में ₹ 9,902 करोड़ (17.4 प्रतिशत) एवं ₹ 9,808 करोड़ (18.3 प्रतिशत) से बढ़ी। परिणामस्वरूप, राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में केवल ₹ 94 करोड़ से बढ़ा। वर्ष के दौरान निवल पूँजीगत व्यय तथा निवल कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण क्रमशः ₹ 3,572 करोड़ तथा ₹ 1,430 करोड़ से बढ़ा परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे में ₹ 4,908 करोड़ की वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से प्रतिशत, एफआरबीएम अधिनियम 2005 एवं संशोधन (मार्च 2011 तथा सितम्बर 2011) में निर्धारित 3 प्रतिशत की तुलना में 1.8 प्रतिशत था लेकिन यह गत वर्ष के 0.9 प्रतिशत से अधिक था। ब्याज भुगतान ₹ 448 करोड़ से बढ़ा। वर्ष 2011-12 में प्रारम्भिक अधिशेष (₹ 4,266 करोड़) वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 194 करोड़ प्रारम्भिक घाटे में परिवर्तित हो गया। राज्य वित्त से संबंधित कुछ चिन्ता विषयक बिन्दु निम्न प्रकार हैः

राजस्व प्राप्तियाँः वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 66,913 करोड़) गत वर्ष की तुलना में 17.4 प्रतिशत बढ़ी, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व दोनों में सुधार के कारण थी। राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2008-09 के 14.5 प्रतिशत से वर्ष 2012-13 में 14 प्रतिशत सीमान्त रूप से कम हुई, जो यह इंगित करता है कि कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि जीएसडीपी के साथ गति नही रख सकी।

राजस्व व्ययः वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय ₹ 76,557 करोड़ का 83 प्रतिशत था; कर-भिन्न राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 78 प्रतिशत रहा। राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 57 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्ययों जैसे वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन तथा अर्थसहाय्य पर, व्यय करने के पश्चात् अन्य उद्देश्यों के लिए मामूली शेष रहा। राज्य सरकार ने राजस्व प्राप्तियों का 23 प्रतिशत स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता तथा सहायतार्थ-अनुदान सामान्य (वेतन) पर भी व्यय किया।

बजट अनुमान

बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय क्रमश: 6 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत से बढ़े। परिणामस्वरूप, राजस्व अधिशेष अनुमानित राजस्व अधिशेष से ₹ 2,523 करोड़ बढ़ गये। पूँजीगत व्यय भी बजट अनुमानों की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़ गये। वास्तविक राजकोषीय घाटा तथा प्रारम्भिक अधिशेष बजट अनुमान से क्रमश: ₹ 116 करोड़ तथा ₹ 141 करोड़ कम हुआ।

पूँजीगत व्यय को अपर्याप्त प्राथमिकता: पूँजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत से बढ़ा एवं गत वर्ष के 11.5 प्रतिशत की तुलना में कुल व्यय का 14 प्रतिशत रहा। यह वर्ष 2012-13 के लिए एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से 10 प्रतिशत अधिक था। तथापि, चालू वर्ष के दौरान समग्र व्यय के अनुपात के रूप में पूँजीगत व्यय (14 प्रतिशत) वर्ष 2008-09 (14.6 प्रतिशत) से कम था। मार्च 2013 के अन्त में उत्तरोत्तर पूँजीगत व्यय (₹ 79,229 करोड़) 166 अपूर्ण परियोजनाओं में ₹ 8,659 करोड़ (10.9 प्रतिशत) अवरूद्ध रहा। राज्य सरकार ने पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता दी क्योंकि यह राज्य सरकार के एमटीएफपीएस में आंकलनों से अधिक था।

वित्तीय प्रबन्ध

सरकारी निवेशों की समीक्षा: राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों एवं सहकारी संस्थाओं में किये गये निवेश पर औसत प्रतिलाभ गत तीन वर्षों के दौरान 0.2 से 0.4 प्रतिशत से मध्य था, जबकि सरकार ने इस निवेश पर 7.4 से 7.7 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाया। 31 मार्च 2013 को ₹ 17,566 करोड़ (94 प्रतिशत) का निवेश ऐसे सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों एवं संयुक्त पूँजी कम्पनियों में किया हुआ था जिनकी संचित हानि ₹ 45,716 करोड़ थी। वर्ष 2012-13 के अन्त तक राज्य सरकार ने छ: अप्रचलित सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों में ₹ 30.20 करोड़ निवेश किये।

राज्य सरकार के लिये सलाह योग्य है कि निवेशों पर बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित किया जाय अन्यथा कम वित्तीय प्रतिफल वाली योजनाओं में उच्च लागत की उधार ली गयी निधियों का निवेश जारी रहेगा। परियोजनाओं, जिन्हें कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिलाभ के कारण उचित ठहराया गया है, की पहचान की जाये और उन्हें पूर्ण औचित्य के साथ कि क्यों उच्च लागत के उधारों को वहाँ लगाया जाना चाहिए, प्राथमिकता दी जाये। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो भारी हानि उठा रहे हैं, के कामकाज की समीक्षा किया जाना भी विवेकपूर्ण होगा तथा या तो उनके पुनरूद्धार की नीति तैयार की जायें (जो व्यवहार्य बनाये जा सकते हैं) अथवा उन्हें बन्द कर दिया जावे (यदि वे दी गयी चालू बाजार की परिस्थितियों में व्यवहार्य नहीं हो सकते)।

विवेकपूर्ण रोकड़ प्रबन्धनः 31 मार्च 2013 को राज्य के पास ₹ 12,887 करोड़ का अधिशेष रोकड़ शेष था। यह गत वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत बढ़ा। अधिशेष रोकड़ शेषों को रखने की उच्च लागत होती है। चूँकि, उच्च निष्क्रिय रोकड़ शेष रखना विवेकपूर्ण रोकड़ प्रबन्धन नहीं है, अतः परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए पूँजीगत परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिए।

राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को निधियों का अन्तरण

भारत सरकार द्वारा राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को काफी अधिक मात्रा में (वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 7,826 करोड़) केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के कियान्वयन हेतु निधियाँ सीधे अन्तरित की गयी। बजट से इतर कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे निधियों का अंतरण राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम की पारदर्शिता और जबाबदेही की आवश्यकता को बाधित करता है। इनके उपयोग के अनुश्रवण के लिए कोई एक एजेन्सी नहीं है तथा किसी वर्ष विशेष में फ्लैगशिप योजनाओं पर वास्तव में कितनी राशि का व्यय किया गया है, के आंकड़े सुलभता से उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार द्वारा राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को निधियों को सीधे ही अन्तरण से इन एजेन्सियों द्वारा निधियों के अनुपयुक्त उपयोग का जोखिम रहता है।

अध्याय II
वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियमों के साथ लगी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिये दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की राशि की तुलना में सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दत्तमत और प्रभारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को पृथक-पृथक रूप से दर्ज करते हैं तथा बजट के प्रभारित एवं दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत व्यय के समक्ष विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को सरल बनाते हैं और इस प्रकार ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया व्यय, विनियोग अधिनियम के अधीन दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और उसी प्रकार प्रभारित किया गया है जैसा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाना चाहिये। यह भी सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या किया गया व्यय, विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

राज्य बजट नियमावली (राबनि) के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से सूचनायें, जिन पर इनके अनुमान आधारित होते हैं, प्राप्त कर, वार्षिक बजट तैयार करने के लिये उत्तरदायी हैं। प्राप्तियों एवं व्ययों के विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों से परामर्श कर तैयार किये जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जाते हैं। तत्पश्चात, वित्त विभाग अनुमानों का समेकन तथा विस्तृत अनुमानों एवं अनुदानों को तैयार करता है। जहाँ तक संभव हो व्यय के अनुमान यथार्थ होने चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिस प्रकार वास्तविक व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया परिकल्पित करती है कि किसी निश्चित मद में व्यय के अनुमान के अनुसार उपलब्ध कराई गई राशि वह राशि होनी चाहिये जो कि वर्ष में व्यय की जा सकती है तथा यह ना तो अधिक होनी चाहिए ना ही कम।

राबनि 1995 में प्रकाशित हुआ, इसे संशोधित किया गया एवं वेबसाइट[1] पर दिनाँक 27 सितम्बर 2012 को उपलब्ध कराया गया। लेखापरीक्षा में दृष्टिगत, बजट तथा

1. http://www.finance.rajasthan.gov.in

व्यय के प्रबंधन में पायी गयी कमियाँ एवं राबनि की अवहेलना की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गयी है।

2.2 विनियोग लेखाओं का सारांश

वर्ष 2012-13 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति, नीचे दी गयी **तालिका 2.1** के अनुसार थी:

तालिका 2.1 : मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I-राजस्व	55,164.79	5,981.14	61,145.93	56,016.75	(-) 5,129.18
	II-पूँजीगत	10,557.81	2,840.15	13,397.96	11,255.44	(-) 2,142.52
	III-कर्ज तथा उधार	48.20	1,753.15	1,801.35	2,411.83	(+) 610.48
योग दत्तमत		**65,770.80**	**10,574.44**	**76,345.24**	**69,684.02**	**(-) 6,661.22**
प्रभारित	IV-राजस्व	*8,399.78*	*199.14*	*8,598.92*	*8,435.11*	*(-) 163.81*
	V-पूँजीगत	-	*0.24*	*0.24*	*0.23*	*(-) 0.01*
	VI-लोक ऋण पुनर्भुगतान	*4,718.62*	-	*4,718.62*	*4,706.72*	*(-) 11.90*
योग प्रभारित		***13,118.40***	***199.38***	***13,317.78***	***13,142.06***	***(-) 175.72***
आकस्मिकता निधि को विनियोग		-	-	-	-	-
कुल योग		**78,889.20**	**10,773.82**	**89,663.02**	**82,826.08**[2]	**(-) 6,836.94**

स्रोत: विनियोग लेखे

₹ 6,836.94 करोड़ की समग्र बचत, राजस्व अनुभाग के 2 विनियोगों के आधिक्य[3] (**तालिका 2.10**) से प्रतिसादित, राजस्व अनुभाग की 49 अनुदानों एवं 42 विनियोगों तथा पूँजीगत अनुभाग की 35 अनुदानों तथा 3 विनियोगों की बचत का परिणाम थी। यह बचत वर्ष के दौरान किये गये अनुपूरक प्रावधान का 63.5 प्रतिशत थी, जोकि त्रुटिपूर्ण बजट अनुमान तथा व्यय के अपर्याप्त अनुश्रवण को इंगित करता है। कर्ज तथा अग्रिम के अन्तर्गत ₹ 610.48 करोड़ का आधिक्य मुख्यत: लेखा शीर्ष '6217-03 छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित

2. ये सकल व्यय के आँकड़े है जिनमें व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित नही है (राजस्व: ₹ 990.08 करोड़ तथा पूँजीगत: ₹ 572.10 करोड़, कुल: ₹ 1,562.18 करोड़)।
3. मात्र ₹ 79,100

विकास' के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के लिये किये गये पूँजीगत व्यय को ऋण में रूपान्तरित करने के कारण था।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा नियंत्रण अधिकारियों को, बचतों/आधिक्यों के महत्वपूर्ण अंतरों के कारण स्पष्ट करने के अनुरोध के साथ, विस्तृत विनियोग लेखे प्रेषित किये गये (जून एवं जुलाई 2013)। प्रत्येक विभाग को स्मरण-पत्र भी जारी किये जाते रहे। तथापि, 1,291 उप-शीर्षो में से 479 उप-शीर्षो (बचत: 386 तथा आधिक्य: 93) में अन्तरों के स्पष्टीकरण प्रतीक्षित रहे (नवम्बर 2013)।

2.3 वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 आवंटित प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि 16 प्रकरणों में बचतें, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक रही (***परिशिष्ट 2.1***)।

₹ 6,836.94 करोड़ की कुल बचतों के विरूद्ध, ₹ 5,575.40 करोड़ (81.5 प्रतिशत) की बचतें 17 अनुदानों एवं 1 विनियोग से सम्बन्धित 22 ऐसे मामलों से हुई जिनमें प्रत्येक प्रकरण ₹ 100 करोड़ से अधिक की राशि का था जैसाकि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तलिका 2.2: ₹ 100 करोड़ एवं अधिक की बचतों के साथ अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व-दत्तमत						
1.	3-सचिवालय	320.52	नगण्य राशि	320.52	147.78	172.74
2.	9-वन	632.89	-	632.89	478.66	154.23
3.	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	6,721.30	316.26	7,037.56	6,869.75	167.81
4.	21-सड़के एवं पुल	1,373.21	38.93	1,412.14	1,271.85	140.29
5.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	12,458.04	नगण्य राशि	12,458.04	11,491.79	966.25
6.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	3,283.31	109.66	3,392.97	3,223.45	169.52
7.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,981.85	487.50	2,469.35	2,330.75	138.60

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत
8.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2,656.33	319.15	2,975.48	2,698.37	277.11
9.	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,331.28	121.87	2,453.15	2,278.76	174.39
10.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	1,336.25	110.84	1,447.09	1,038.82	408.27
11.	37-कृषि	1,438.91	0.82	1,439.73	1,322.44	117.29
12.	41-सामुदायिक विकास	2,858.73	588.23	3,446.96	3,334.32	112.64
13.	48-विद्युत	4,443.21	2,164.13	6,607.34	5,607.34	1,000.00
14.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2,238.35	214.74	2,453.09	2,257.44	195.65
पूँजीगत-दत्तमत						
15.	19-लोक निर्माण कार्य	512.57	नगण्य राशि	512.57	376.86	135.71
16.	21-सड़कें एवं पुल	1,311.71	71.94	1,383.65	1,250.77	132.88
17.	27-पेय जल योजना	1,266.19	10.99	1,277.18	1,099.13	178.05
18.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	918.30	251.59	1,169.89	975.95	193.94
19.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,216.91	23.55	1,240.46	1,008.19	232.27
20.	46-सिंचाई	811.29	नगण्य राशि	811.29	582.32	228.97
21.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,404.00	2.69	1,406.69	1,282.86	123.83
राजस्व-प्रभारित						
22.	ब्याज अदायगियाँ	*8,315.49*	*179.52*	*8,495.01*	*8,340.05*	*154.96*
योग		**59,830.64**	**5,012.41**	**64,843.05**	**59,267.65**	**5,575.40**

स्रोत: विनियोग लेखे

कुछ मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचतों का विवरण, जैसाकि विनियोग लेखों में प्रतिवेदित है, निम्नानुसार हैं:

- ***अनुदान संख्या 3-'सचिवालय'***

₹ 172.74 करोड़ की बचतें मुख्यत: '3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें-सचिवालय-राज्य आयोजना मण्डल द्वारा अनुशंसित योजनायें-आयोजना विभाग के माध्यम से (₹ 50.75 करोड़) रही जिसके सम्पूर्ण प्रावधान को राज्य आयोजना मण्डल से उचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण, वर्ष के अन्त मे अभ्यर्पित किया गया। इसके अतिरिक्त बचतें (₹ 107.70 करोड़) 'जिला योजना मशीनरी-विश्व बैंक सहायता के अधीन जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना फेज-।।

हेतु व्यय' के अन्तर्गत, संसाधन खण्ड नीति के अधीन संसाधन अभिकरण के द्वारा अनुबन्ध के विलम्ब से लागू किये जाने एवं पदों के रिक्त रहने के कारण सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) कम जारी किये जाने से रही। यह संशोधित राबनि के पैरा 13.18.2 के प्रावधानों के विरूद्ध था।

- ***अनुदान संख्या 9-'वन'***

₹ 154.23 करोड़ की बचतें, मुख्यत: '2406-वानिकी एवं वन्य जीवन-वानिकी-निर्देशन एवं प्रशासन-अधीनस्थ एवं दक्ष कर्मचारी वर्ग' (₹ 21.70 करोड़), 'सामाजिक एवं फार्म वानिकी-बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता परियोजना फेज-।।' (₹ 63.81 करोड़), 'पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन-वन्यजीव परिरक्षण-बाघ परियोजना, रणथम्भौर' (₹ 38.29 करोड़) एवं 'बाघ परियोजना, सरिस्का' (₹ 17.07 करोड़) के अन्तर्गत रही। राज्य सरकार द्वारा बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)।

- ***अनुदान संख्या 15-'पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ'***

₹ 167.81 करोड़ की बचतें मुख्यत: '2071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-सिविल-अधिवार्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते-राज्य कर्मचारियों को पेंशन' (₹ 101.94 करोड़), 'परिवार पेंशन' (₹ 23.03 करोड़) एवं 'स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को पेंशन' (₹ 35.55 करोड़) के अन्तर्गत, फरवरी 2013 माह तक के मासिक व्यय की प्रवृत्ति के विरूद्ध, मार्च 2013 माह में कम व्यय होने के कारण थी। राज्य सरकार द्वारा अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)।

- ***अनुदान संख्या 21-'सड़कें एवं पुल'***

₹ 140.29 करोड़ की बचतें मुख्यत: '3054-सड़कें एवं पुल-महत्वपूर्ण एवं सीमावर्ती सड़कें-सड़क निर्माण कार्य-सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से-रखरखाव एवं पुनरूद्धार' (₹ 89.80 करोड़) के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों पर सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा सीधे ही व्यय करने के कारण रही, जिसके लिये स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 42.23 करोड़ की बचतें 'सामान्य-आरक्षित निधि/जमा लेखा से/को अन्तरण-केन्द्रीय सड़क निधि को हस्तांतरण' के अन्तर्गत केन्द्रीय सड़क निधि में सड़क निर्माण की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने एवं व्यय के विरूद्ध, जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च 2013 में भेजा जा चुका था, भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण रही।

अनुदान संख्या 24-'शिक्षा, कला एवं संस्कृति'

₹ 966.25 करोड़ की बचतें मुख्यत: '2202-सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा-राजकीय माध्यमिक विद्यालय-लड़कों के विद्यालय' (₹ 815.39 करोड़) एवं 'लड़कियों के विद्यालय' (₹ 126.76 करोड़) के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने के कारण थी। यह संशोधित राबनि के प्रावधानों के विरूद्ध था।

- ***अनुदान संख्या 26-'चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई'***

₹ 169.52 करोड़ की बचतें मुख्यत: '2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-ऐलोपैथी' (₹ 30.59 करोड़), 'ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-ऐलोपैथी' (₹ 52.95 करोड़), 'ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-चिकित्सा की अन्य पद्धतियाँ' (₹ 45.98 करोड़) के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने के कारण थी। उसी प्रकार, बचतें '2211-परिवार कल्याण-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-ब्लॉक स्तरीय स्थापना' (₹ 15.47 करोड़) के अन्तर्गत भी पदों के रिक्त रहने के कारण थी तथा 'अन्य सेवायें एवं आपूर्तियाँ-परम्परागत गर्भनिरोधक' (₹ 5.47 करोड़) के अन्तर्गत भारत सरकार से परम्परागत गर्भनिरोधक कम मात्रा में प्राप्त होने के कारण थी। सरकार द्वारा कई अन्य प्रकरणों में बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)। पदों के रिक्त रहने के कारण बचतें, संशोधित राबनि के प्रावधानों के विरूद्ध थी।

- ***अनुदान संख्या 29-'नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास'***

₹ 138.60 करोड़ की बचतें मुख्यत: '2217-शहरी विकास-सामान्य-नगर निगमों को सहायता-सार्वजनिक प्रकाश-विद्युत बिलों का भुगतान' (₹ 43.10 करोड़), 'नगर परिषदों/नगरपालिका सहायता-छोटे एवं मध्यम कस्बों हेतु शहरी समेकित विकास योजना-विकास कार्य' (₹ 14.60 करोड़), 'सार्वजनिक प्रकाश-विद्युत बिलों का भुगतान' (₹ 40.44 करोड़), 'सामान्य-निदेशन एवं प्रशासन-निदेशक, स्थानीय निकाय' (₹ 14.37 करोड़) तथा 'नगर निगमों को सहायता-सामान्य अनुदान' (₹ 9.70 करोड़) के अन्तर्गत रही। राज्य सरकार द्वारा अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)।

- ***अनुदान संख्या 30-'जनजाति क्षेत्रीय विकास'***

₹ 277.11 करोड़ की बचतें, मुख्यत: '2202-सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा-राजकीय माध्यमिक विद्यालय-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-अनुसूचित जनजातियों के लिये माध्यमिक शिक्षा अभियान' (₹ 15.45 करोड़) के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण थी।

'2401-फसल कृषिकर्म-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-जल योजना हेतु अनुदान के अन्तर्गत जिला स्तरीय स्थापना व्यय' (₹ 9.23 करोड़), '2406-वानिकी एवं वन्य जीवन-वानिकी-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-बाहय सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता परियोजना फेज-।।' (₹ 11.59 करोड़), '2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम-स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-ग्रामीण स्वराज योजना-अनुदान' (₹ 10.25 करोड़), '2505-ग्रामीण रोजगार-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (राज्यांश)-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-कार्यकलाप सम्बन्धी' (₹ 10.51 करोड़) एवं '2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-जिला परिषदों/जिला

स्तर की पंचायतों को सहायता-पिछड़ा जिला विकास निधि (केन्द्रीय सहायता)-कार्यकलाप सम्बन्धी गतिविधियाँ' (₹ 10.04 करोड़) के अन्तर्गत बचतें भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण थी।

'2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-शहरी स्वास्थ्य सेवायें एलोपैथी-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-अन्य अस्पताल' (₹ 13.61 करोड़) के अन्तर्गत बचतें पदों के रिक्त रहने तथा मशीनरी एवं कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय के कारण थी।

₹ 94.96 करोड़ '2202-सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-राजकीय माध्यमिक विद्यालय-लड़कों के विद्यालय' के अन्तर्गत, ₹ 31.99 करोड़ '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से-छात्रवृत्तियाँ' के अन्तर्गत तथा ₹ 13.58 करोड़ '2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-ग्राम पंचायतों को सहायता-मिड-डे मील सहायता के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिये)-कार्यकलाप/गतिविधियाँ' की बचतों के कारणों को राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)।

- ***अनुदान संख्या 33-'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण'***

₹ 174.39 करोड़ की बचतें मुख्यत: '2236-पोषाहार-पोषाहार भोजन एवं सुपेय का वितरण-विशेष पोषाहार कार्यक्रम-समेकित बाल विकास सेवायें विभाग के माध्यम से-पोषाहार क्रेश कार्यक्रम' (₹ 107.04 करोड़) के अन्तर्गत, योजना में लाभार्थियों की कम उपस्थिति एवं समस्त आँगनबाड़ी केन्द्रों के असंचालन के कारण थी। '2236-पोषाहार-पोषाहार भोजन एवं सुपेय का वितरण-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-समेकित बाल विकास सेवायें विभाग के माध्यम से-ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायतों के जिला स्तरीय संस्थापना व्यय' (₹ 24.28 करोड़) के अन्तर्गत बचतें, पदों के रिक्त रहने एवं ग्राम पंचायतों द्वारा आँगनबाड़ी कामगारों तथा सहयोगिनियों का चयन नहीं करने के कारण थी। '2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग के माध्यम से-राज्य सरकार के पेंशनरों का अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना हेतु राजस्थान सरकार पेंशनर चिकित्सा निधि को सहातार्थ अनुदान' (₹ 24.03 करोड़) के अन्तर्गत बचतें 'मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना' में मुफ्त दवा वितरण, जिसके परिणामस्वरूप कम चिकित्सा पुनर्भरण दावे प्रस्तुत, के कारण रही।

- ***अनुदान संख्या 34-'प्राकृतिक आपदाओं से राहत'***

₹ 408.27 करोड़ की बचतें मुख्यत: '2245-प्राकृतिक आपदाओं से राहत' (₹ 333.91 करोड़) के अन्तर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कम राहत कार्यों तथा

'क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुनरूद्धार' (₹ 74.53 करोड़) के अन्तर्गत राज्य में कम बाढ़ व चक्रवाती तुफान के कारण रही।

- ***अनुदान संख्या 37-'कृषि'***

₹ 117.29 करोड़ की बचतें, शीर्ष '2401-फसल कृषिकर्म-अन्य व्यय-राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (विशेष केन्द्रीय सहायता)-कृषि विभाग के माध्यम से' के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण थी।

- ***अनुदान संख्या 41-'सामुदायिक विकास'***

₹ 112.64 करोड़ की बचतें, शीर्ष '2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-ग्रामीण बी.पी.एल. आवास-सामान्य कार्यकलाप/गतिविधियाँ' (₹ 14.95 करोड़) के अन्तर्गत रही जबकि ₹ 53.74 करोड़ '2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-ग्राम पंचायतों को सहायता-मिड डे मील सहायता के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिये)-कार्यकलाप/गतिविधियाँ' की बचतों के कारणों को राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)। ₹ 39.78 करोड़ की बचतें, शीर्ष '2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-ग्राम पंचायतों को सहायता-पंचायती राज संस्थाओं के लिये निबन्ध कोष-कार्यकलाप/गतिविधियाँ' के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 10 प्रतिशत प्रोत्साहन के दावे प्रस्तुत नहीं करने के कारण रही।

- ***अनुदान संख्या 48-'विद्युत'***

₹ 1,000 करोड़ की बचतें '2801-विद्युत-सामान्य-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता-बॉण्डों पर ब्याज हेतु विद्युत वितरण निगम[4] को अनुदान' विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये वित्तीय संसाधन नियोजन के अंतिमीकरण के कारण भारत सरकार द्वारा अनुदान कम जारी करने के कारण रही।

- ***अनुदान संख्या 51-'अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना'***

₹ 195.65 करोड़ की बचतें मुख्यत: '2202-सामान्य शिक्षा-प्रारम्भिक शिक्षा-सर्व शिक्षा अभियान-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना' (₹ 21.66 करोड़) के अन्तर्गत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)। '2202-सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा-राजकीय माध्यमिक विद्यालय-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-अनुसूचित जनजातियों के लिये माध्यमिक शिक्षा अभियान' (₹ 52.18 करोड़), '2406-वानिकी एवं वन्य जीवन-वानिकी-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना-बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता परियोजना चरण II' (₹ 16.53 करोड़), '2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष

4. जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर।

कार्यक्रम-स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-अनुदान' (₹ 19.23 करोड़), ग्रामीण स्वराज योजना-अनुदान (₹ 14.52 करोड़) एवं '2505-ग्रामीण रोजगार-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (राज्यांश)-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-कार्यकलाप सम्बन्धी' (₹ 16.80 करोड़) के अन्तर्गत बचतें, भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं/कम प्राप्त होने के कारण थी। इसके अतिरिक्त, '2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-ग्राम पंचायतों को सहायता-पंचायती राज संस्थाओं के लिये निबन्ध कोष-कार्यकलाप/गतिविधियाँ' (₹ 15.19 करोड़) के अन्तर्गत बचतें पंचायती राज संस्थान को कम अनुदान जारी करने के कारण थी। ₹ 35.90 करोड़ की बचतें '3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें- अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना-राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना' पदों के रिक्त रहनें एवं संसाधन खण्ड नीति के अन्तर्गत संसाधन अभिकरण के द्वारा सहमति विलम्ब से लागू होने के कारण थी।

- ***अनुदान संख्या 19-'लोक निर्माण कार्य' (पूंजीगत)***

₹ 135.71 करोड़ की बचतें मुख्यत: शीर्ष '4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय-सामान्य-निर्माण' (₹ 104.16 करोड़) के अन्तर्गत एवं '4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-शहरी स्वास्थ्य सेवायें' (₹ 6.61 करोड़), 'ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें' (₹ 18.34 करोड़) तथा 'चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान' (₹ 12.05 करोड़) के अन्तर्गत कार्यों की धीमी प्रगति/कम निष्पादन एवं भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण थी।

- ***अनुदान संख्या 21-'सड़कें एवं पुल' (पूंजीगत)***

₹ 132.88 करोड़ की बचतें मुख्यत: शीर्ष '5054-सड़कें एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय-जिला एवं अन्य सड़कें-अन्य व्यय-अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनायें' में भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण थी।

- ***अनुदान संख्या 27-'पेयजल योजना' (पूंजीगत)***

₹ 178.05 करोड़ की बचतें मुख्यत: शीर्ष '4215-जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-जलापूर्ति-शहरी जलापूर्ति-सामान्य शहरी जलापूर्ति योजनायें' (₹ 163.08 करोड़) के अन्तर्गत कार्यों की धीमी प्रगति/निष्पादन नही होने एवं भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण थी।

- ***अनुदान संख्या 29-'नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास' (पूंजीगत)***

₹ 193.94 करोड़ की बचतें मुख्यत: शीर्ष '4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-छोटे एवं मध्यम कस्बों का समेकित विकास-अन्य व्यय' (₹ 108.50 करोड़) के अन्तर्गत एवं 'अन्य शहरी विकास योजनायें-भूमि-राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास

विनिवेश कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.) राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.) द्वितीय चरण (आर्थिक कार्य योजना) निर्माण कार्य' (₹ 83.95 करोड़) के अन्तर्गत थी, जिसके कारणों को सूचित नहीं किया गया। (नवम्बर 2013)।

- ***अनुदान संख्या 30-'जनजाति क्षेत्रीय विकास' (पूंजीगत)***

₹ 232.27 करोड़ की बचतें, मुख्यत: शीर्ष '4215-जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-जलापूर्ति-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-ग्रामीण जलापूर्ति योजनायें' (₹ 35.98 करोड़) एवं 'शहरी जलापूर्ति योजनायें' (₹ 30.31 करोड़), के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं में कार्यों की धीमी प्रगति/निष्पादन नहीं होने के कारण थी। '4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाऐं' (₹ 41.16 करोड़) के अन्तर्गत बचतें भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण थी। इसके अतिरिक्त, शीर्ष '4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-सामान्य-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश' (₹ 83.40 करोड़) एवं 'राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश' (₹ 13.94 करोड़) के अन्तर्गत रही बचतों के कारणों को सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)।

- ***अनुदान संख्या 46-'सिंचाई' (पूंजीगत)***

₹ 228.97 करोड़ की बचतें मुख्यत: शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)-निर्देशन एवं प्रशासन-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम-राजस्थान में निर्माण कार्य' (₹ 115.20 करोड़), 'गंग नहर (वाणिज्यिक)(मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)-निर्देशन एवं प्रशासन-राजस्थान में निर्माण कार्य-आधुनिकीकरण' (₹ 21.87 करोड़) एवं '4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-अन्य व्यय-लघु सिंचाई योजनाओं का पुनरूद्धार' (₹ 43 करोड़) के अन्तर्गत कार्यों के कम निष्पादन के कारण थी। राज्य सरकार द्वारा '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-सामान्य-अन्य व्यय-राजस्थान जल क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना' के अन्तर्गत ₹ 36.36 करोड़ की बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)।

- ***अनुदान संख्या 51-'अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना' (पूंजीगत)***

₹ 123.83 करोड़ की बचतें मुख्यत: '4215-जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-जलापूर्ति-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना-अनुसूचित जाति क्षेत्रों में जलापूर्ति' (₹ 50.49 करोड़) एवं 'अनुसूचित जाति क्षेत्रों में जलापूर्ति-शहरी' (₹ 49.61 करोड़) तथा '5054-सड़कें एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय-राज्य

राजमार्ग-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना-राज्य सड़क विकास निधि से वित्तपोषित (राज्य राजमार्ग)' के अन्तर्गत रही जिनके कारणों को सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)।

- ***ब्याज अदायगियाँ (राजस्व-प्रभारित)***

₹ 154.96 करोड़ की बचतें मुख्यत: '2049-ब्याज अदायगियाँ-आंतरिक ऋण पर ब्याज-राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज-राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण पर ब्याज' के अन्तर्गत भारत सरकार से राष्ट्रीय अल्प बचत निधि ऋण की कम प्राप्ति के परिणामस्वरूप ब्याज का अनुमान से कम भुगतान किये जाने के कारण रही।

ऊपर चर्चित प्रकरण इंगित करते है कि इन अनुदानों के बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा विभागों द्वारा व्ययों का अनुश्रवण एवं बजट अनुमान तैयार करते समय संशोधित राबनि के अध्याय 13 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 6,836.94 करोड़ की भारी बचत हुई।

2.3.2 निरन्तर बचतें

14 प्रकरणों में, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल अनुदान के 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले तीन वर्षों के दौरान निरन्तर बचतें रहीं (**तालिका 2.3**)।

तालिका 2.3: वर्ष 2010-13 के दौरान निरन्तर बचतें इंगित करने वाली अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचतों की राशि		
		2010-11	2011-12	2012-13
	राजस्व-दत्तमत			
1.	03-सचिवालय	42.32	356.84	172.74
2.	09-वन	66.03	134.70	154.23
3.	13-आबकारी	21.44	35.63	17.51
4.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	360.37	543.86	408.27
5.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	96.00	28.25	35.25
6.	38-लघु सिंचाई एवं भू-संरक्षण	22.64	11.78	21.86
	पूँजीगत-दत्तमत			
7.	09-वन	49.44	20.23	27.44
8.	19-लोक निर्माण कार्य	22.33	109.81	135.71
9.	23-श्रम एवं रोजगार	3.83	2.57	1.38
10.	27-पेय जल योजना	705.25	593.18	178.05
11.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	269.07	354.54	193.94
12.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	7.95	21.83	85.77
13.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	498.10	17.22	35.90
14.	46-सिंचाई	181.67	171.26	228.97

स्रोत: विनियोग लेखे

निरन्तर बचतों के कारणों को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया, नीचे दिया गया है:

अनुदान संख्या 03 में, ₹ 42.32 करोड़ एवं ₹ 356.84 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थी। वर्ष 2010-13 के दौरान बचतों के मुख्य कारण, पदों का रिक्त रहना एवं योजनाओं के लिये राज्य आयोजना बोर्ड से अनुशंसा के लिये उचित प्रस्तावों का प्राप्त नहीं होना, रहे।

अनुदान संख्या 09 में, वर्ष 2010-12 के दौरान, राजस्व अनुभाग में ₹ 66.03 करोड़ एवं ₹ 154.23 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें, मुख्यत: पदों के रिक्त रहने तथा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति नहीं होने के कारण थी। वर्ष 2012-13 की बचतों के कारणों को सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010-12 के दौरान पूंजीगत अनुभाग में ₹ 20.23 करोड़ एवं ₹ 49.44 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क तथा वनों/कैम्पा हेतु विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत आयोजना सीमा में कटौती के कारण थी। वर्ष 2012-13 की बचतों के कारणों को राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)।

अनुदान संख्या 23 में, ₹ 1.38 करोड़ एवं ₹ 3.83 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थी। वर्ष 2010-12 के दौरान मुख्यत: पर्याप्त निविदा प्राप्त न होने, क्रय आदेशों के विरूद्ध फर्मो से सामग्री कम प्राप्त होना तथा फर्म द्वारा आपूर्ति की गई कुछ सामग्री को तकनीकी कारणों से निरस्त करना एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विश्व बैंक के नियम व शर्तो को पूरा नहीं करना, बचतों के मुख्य कारण रहे। वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद मानकों के अनुसार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भवन किराये पर उपलब्ध नहीं होने के कारण बचत रही।

अनुदान संख्या 27 में, ₹ 178.05 करोड़ एवं ₹ 705.25 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थी। बचतों के मुख्य कारण विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं में कार्यो की धीमी प्रगति थी।

अनुदान संख्या 29 में, ₹ 193.94 करोड़ एवं ₹ 354.54 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थी। बचतें मुख्यत: आयोजना सीमा में कटौती, वर्ष 2010-11 में भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा वर्ष 2011-12 में राजस्थान शहरी विकास निधि को अनुदान नहीं दिये जाने, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति एवं बीसलपुर परियोजना के बिलों के भुगतान में विलम्ब के कारण थी। वर्ष 2012-13 की बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये थे (नवम्बर 2013)।

अनुदान संख्या 34 में, ₹ 360.37 करोड़ एवं ₹ 543.86 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थी। बचतों का मुख्य कारण सूखा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कम राहत कार्यों का होना था।

अनुदान संख्या 35 में, राजस्व अनुभाग में ₹ 28.25 करोड़ एवं ₹ 96 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें वर्ष 2010-11 में मुख्यत: भारत सरकार द्वारा जनगणना-2011 पर व्यय हेतु निधियाँ, राज्य बजट से देने के बजाय सीधें ही जिला कलक्टरों को जारी करने के कारण थी। वर्ष 2011-13 के दौरान भारतीय यूनिक पहचान प्राधिकरण की 'यूनिक पहचान संख्या परियोजना' के अन्तर्गत बी.पी.एल. उन्नयन राशि की भुगतान प्रक्रिया जारी नहीं होने के कारण थी। इसके अतिरिक्त, पूँजीगत अनुभाग में निरन्तर बचतें ₹ 17.22 करोड़ एवं ₹ 498.10 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2010-11 के दौरान बचतें मुख्यत: 'राजस्थान राज्य निवेश निधि' में ₹ 492.32 करोड़ निवेशित नहीं करने के कारण थी। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान बचतें भारत सरकार से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना हेतु निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण थी।

अनुदान संख्या 38 में, ₹ 11.78 करोड़ एवं ₹ 22.64 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थी। वर्ष 2010-11 में बचतें मुख्यत: भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होने एवं वर्ष 2011-12 में पदों के रिक्त रहने के कारण थी। वर्ष 2012-13 की बचतों के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)।

अनुदान संख्या 46 में, ₹ 171.26 करोड़ एवं ₹ 228.97 करोड़ के मध्य की निरन्तर बचतें थी। वर्ष 2010-11 में बचतें, नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राजस्थान जल क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना, गरड़दा परियोजना (वाणिज्यिक) एवं लघु सिंचाई योजनाओं का पुनर्वास (जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता अभिकरण), कार्यों के कम निष्पादन एवं वर्ष 2011-13 के दौरान कार्यों के कम निष्पादन के कारण थी।

विगत वर्षों में, 14 अनुदानों के तहत् निरन्तर बचतें, राज्य सरकार द्वारा विनियोग विधेयक में, निधियों की आवश्यकता की पर्याप्त संवीक्षा एवं व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण के बिना, अधिक निर्धारण का सूचक है। निरन्तर बचतों से बचने के लिये इन अनुदानों के नियंत्रण अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा निर्देशित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही बचतों को पूर्वानुमान होते ही अभ्यर्पित किया जाना चाहिये।

2.3.2.1 अनुदान संख्या 8, 13, 19, 30 एवं 33 के अन्तर्गत निरन्तर बचतों की विस्तृत समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों की विवेचना निम्नानुसार है:

अनुदान संख्या 08-राजस्व

राजस्व विभाग

वर्ष 2010-13 के दौरान पाँच उप-शीर्षों में निरन्तर बचतें, ₹ 0.48 करोड़ एवं ₹ 50.98 करोड़ के मध्य, कुल प्रावधान के 7 प्रतिशत से 100 प्रतिशत रही जैसाकि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4 : अनुदान संख्या 08-राजस्व के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
1.	2029-भू-राजस्व 102-सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त संचालन 02-जिला कर्मचारी वर्ग	**आयोजना-भिन्न**				
		2010-11	53.14	46.40	6.74	12.7
		2011-12	56.98	50.55	6.43	11.3
		2012-13	57.49	52.33	5.16	9.0
2.	2029-भू-राजस्व 103-भू-अभिलेख 04-भू-अभिलेख सुधार योजना (भू-प्रबन्ध आयुक्त के माध्यम से) 02-भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (50:50)	**आयोजना**				
		2010-11	49.85	-	49.85	100.0
		2011-12	35.03	0.72	34.31	97.9
		2012-13	37.93	12.32	25.61	67.5
		केन्द्रीय प्रवर्तित योजना				
		2010-11	49.85	-	49.85	100.0
		2011-12	35.03	0.72	34.31	97.9
		2012-13	41.85	14.30	27.55	65.8
3.	2029-भू-राजस्व 103-भू-अभिलेख 07-पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	**आयोजना**				
		2010-11	9.51	-	9.51	100.0
		2011-12	9.51	2.23	7.28	76.5
		2012-13	4.50	1.04	3.46	76.9
4.	2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें 099-राजस्व बोर्ड 02-राजस्व अपीलीय अधिकारी	**आयोजना-भिन्न**				
		2010-11	3.58	3.10	0.48	13.4
		2011-12	3.94	3.31	0.63	16.0
		2012-13	4.39	3.44	0.95	21.6
5.	2029-भू-राजस्व 103-भू-अभिलेख 02-जिला व्यय	**आयोजना-भिन्न**				
		2010-11	360.88	319.62	41.26	11.4
		2011-12	399.31	348.33	50.98	12.8
		2012-13	403.08	371.53	31.55	7.8

*इन सभी मामलों में अनुपूरक प्रावधान नहीं था ।

स्रोत: विनियोग लेखे

राजस्व विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बचतें, मुख्यत: विभिन्न संवर्गों में पदों के रिक्त रहने, आउटसोर्सिंग कार्य हेतु निविदा का अंतिमीकरण नहीं होने, राज्य सरकार द्वारा आयोजना सीमा में कटौती तथा केन्द्रांश की अप्राप्ति के कारण थी। उप-शीर्ष 2029-103-04-02 के अन्तर्गत, आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना में वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 49.85 करोड़ एवं ₹ 35.03 करोड़ के विरूद्ध क्रमश: शून्य एवं ₹ 0.72 करोड़ का व्यय हुआ। बचतों का कारण, राष्ट्रीय भूमि दस्तावेज आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत नीति निर्धारण प्रक्रिया, कार्य संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु ढाँचा तैयार करने में समय लगना बताया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि, भारी बचतों

को मध्य नजर रखते हुये, विभाग द्वारा आगामी वर्षों में अपनी माँग को संशोधित नहीं किया।

अनुदान संख्या 13–आबकारी

आबकारी विभाग

वर्ष 2010–13 के दौरान, एक उप-शीर्ष में निरन्तर बचतें ₹ 0.55 करोड़ एवं ₹ 4.35 करोड़ के मध्य, कुल प्रावधान (आयोजना-भिन्न) के 4.7 प्रतिशत से 35 प्रतिशत रही, जैसाकि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: अनुदान संख्या 13–आबकारी के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
2039–राज्य उत्पाद शुल्क 001–निर्देशन तथा प्रशासन 01–प्रधान कार्यालय	2010-11	11.57*	11.02	0.55	4.7
	2011-12	12.31	7.96	4.35	35.3
	2012-13	12.30	11.68	0.62	5.0
* ₹ 1.13 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान सहित ।					

स्रोत: विनियोग लेखे

बचतों के कारण, प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने से शराब की बोतलों के होलोग्राम क्रय करने हेतु निविदा प्रक्रिया में देरी (2010–11), राज्य सरकार द्वारा होलोग्राम उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया जाना (2011–12), तथा पूँजीगत प्रकृति के कार्य होने से व्यय का प्रावधान आयोजना-भिन्न के स्थान पर आयोजना में करना (2012–13), सूचित किये गये थे।

उत्तर वर्ष 2011–13 हेतु स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रावधान गत वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये था।

अनुदान संख्या 19–लोक निर्माण कार्य

लोक निर्माण विभाग

वर्ष 2010–13 के दौरान, सात उप-शीर्षों में निरन्तर बचतें, ₹ 0.02 करोड़ एवं ₹ 16.02 करोड़ के मध्य, कुल प्रावधान के 5 प्रतिशत से 99.8 प्रतिशत तक थी जैसाकि **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: अनुदान संख्या 19-लोक निर्माण के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
1	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 001-निर्देशन तथा प्रशासन 01-प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र) 91-स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)	2010-11	4.32	2.19	2.13	49.3
		2011-12	10.75*	4.30	6.45	60.0
		2012-13	16.17	5.80	10.37	64.1
2	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 001-निर्देशन तथा प्रशासन 01-प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र) 93-सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)	2010-11	1.62	0.82	0.80	49.4
		2011-12	2.90	0.95	1.95	67.2
		2012-13	6.06	2.17	3.89	64.2
3	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 051-निर्माण 01-सामान्य भवन (भू-राजस्व) 01-मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	2010-11	9.49	6.46	3.03	31.9
		2011-12	9.07	3.15	5.92	65.3
		2012-13	20.35	4.33	16.02	78.7
4	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110-अस्पताल एवं औषधालय 05-एलोपैथी (निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें) 90-निर्माण कार्य	2010-11	10.51	5.62	4.89	46.5
		2011-12	10.77	8.86	1.91	17.7
		2012-13	12.19	8.15	4.04	33.1
5	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाये (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें) 101-स्वास्थ्य उप-केन्द्र 01-भवन 90-निर्माण कार्य	2010-11	1.67	0.01	1.66	99.4
		2011-12	0.42	0.17	0.25	59.5
		2012-13	13.41	0.02	13.39	99.8
6	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105-एलोपैथी 03-चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर 90-निर्माण कार्य	2010-11	0.53	0.12	0.41	77.4
		2011-12	4.31	2.38	1.93	44.8
		2012-13	8.09	3.39	4.70	58.1

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट*	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
7	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105-एलोपैथी 06-चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा 90-निर्माण कार्य	2010-11	0.37	0.35	0.02	5.4
		2011-12	6.34	1.63	4.71	74.3
		2012-13	9.60	5.04	4.56	47.5

* ₹ 3.02 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान सहित ।

स्रोतः विनियोग लेखे

विभाग द्वारा, पूँजीगत व्यय पर प्रतिशतता प्रभार, एकमुश्त प्रावधानों के विरूद्ध नवीन स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होना, स्वीकृतियों का देरी से जारी होना, भूमि की अनुपलब्धता, निविदा प्रक्रिया में समय लगना एवं संवेदकों द्वारा निविदा बहिष्कार करने के कारण कार्य में देरी होना, बचतों के कारण बताये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बचतों से बचने के लिये विभाग वर्ष के अन्त में समय पर प्रतिविधिक कार्यवाही कर सकता था।

अनुदान संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

वर्ष 2010-13 के दौरान नौ उप-शीर्षों में निरन्तर बचतें, ₹ 0.05 करोड़ एवं ₹ 5.61 करोड़ के मध्य, कुल प्रावधान के 5 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक थी जैसाकि **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: अनुदान संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान*	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
1.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 01-निरीक्षण	**आयोजना-भिन्न**				
		2010-11	0.95	0.90	0.05	5.3
		2011-12	1.03	0.80	0.23	22.3
		2012-13	1.56*	1.19	0.37	23.7
2.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 02-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 02-बालिका विद्यालय	**आयोजना-भिन्न**				
		2010-11	19.24	16.79	2.45	12.7
		2011-12	20.54	16.90	3.64	17.7
		2012-13	26.50	20.89	5.61	21.2

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान*	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
3.	2202-सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 01-राजकीय महा विद्यालय (छात्रों हेतु)	**आयोजना**				
		2010-11	2.21	1.97	0.23	10.4
		2011-12	2.88	1.81	1.07	37.2
		2012-13	1.58	0.72	0.86	54.4
4.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 01-प्रशासन 02-आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास	**आयोजना-भिन्न**				
		2010-11	2.90	2.69	0.21	7.2
		2011-12	3.32	2.95	0.37	11.1
		2012-13	3.39	3.01	0.38	11.2
5.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 02-जनजाति क्षेत्र उप-योजना की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान 16-जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (के.प्र.यो.)	**आयोजना**				
		2010-11	0.50	0.16	0.34	68.0
		2011-12	0.26	-	0.26	100.0
		2012-13	0.26	-	0.26	100.0
		केन्द्रीय प्रवर्तित योजना				
		2010-11	0.50	0.16	0.34	68.0
		2011-12	0.26	-	0.26	100.0
		2012-13	0.26	-	0.26	100.0
6.	2236-पोषण 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 01-समेकित बाल विकास सेवायें विभाग के माध्यम से 02-एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना**				
		2010-11	29.23	26.12	3.11	10.6
		2011-12	2.66	2.46	0.20	7.5
		2012-13	3.13	2.28	0.85	27.2
7.	2700-मुख्य सिंचाई 27-माही परियोजना (वाणिज्यिक) 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 02-यूनिट-।। (नहरें)	**आयोजना-भिन्न**				
		2010-11	15.46	13.90	1.56	10.1
		2011-12	15.67	14.62	1.05	6.7
		2012-13	16.44	14.62	1.82	11.1
8.	2700-मुख्य सिंचाई 27-माही परियोजना (वाणिज्यिक) 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 03-उचन्त 02-यूनिट-।। (नहरें)	**आयोजना-भिन्न**				
		2010-11	0.75	-	0.75	100.0
		2011-12	0.75	-	0.75	100.0
		2012-13	0.75	-	0.75	100.0
9	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 01-लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से) 01-निष्पादन	**आयोजना**				
		2010-11	2.94	2.77	0.17	5.8
		2011-12	3.09	2.67	0.42	13.6
		2012-13	3.57	2.50	1.07	30.0

*₹ 0.01 लाख के अनुपूरक प्रावधान सहित ।

स्रोतः विनियोग लेखे

बचतों के कारण, पदों का रिक्त रहना एवं केन्द्रयांश जारी नहीं करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा मैचिंग अंश जारी नहीं किया जाना, सूचित किये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि रिक्त पदों हेतु अनुमान तैयार करना, संशोधित राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ ही केन्द्रयांश जारी नहीं किये जाने के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा आगामी वर्षों में अपनी माँगों को संशोधित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

वर्ष 2010-13 के दौरान, चार उप-शीर्षों में, ₹ 0.05 करोड़ एवं ₹ 127.53 करोड़ के मध्य, कुल प्रावधान के 3 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की निरन्तर बचतें थी जैसाकि **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: अनुदान संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल बजट	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
1.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 001-निदेशन तथा प्रशासन	**आयोजना-भिन्न**					
		2010-11	11.94	11.94*	10.82	1.12	9.4
		2011-12	6.03	6.03	5.29	0.74	12.3
		2012-13	6.56	6.56	5.54	1.02	15.5
2.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 105-राज्य कर्मचारी बीमा योजना 01-राज्य बीमा विभाग	**आयोजना-भिन्न**					
		2010-11	36.81	36.81	35.46	1.35	3.7
		2011-12	39.90	39.90	36.47	3.43	8.6
		2012-13	46.16	46.16	40.26	5.90	12.8
3.	2236-पोषण 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 101-विशेष पोषण कार्यक्रम 01-समेमित बाल विकास सेवायें विभाग के माध्यम से 01-पोषाहार क्रेश कार्यक्रम	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना**					
		2010-11	323.83	323.83	196.30	127.53	39.4
		2011-12	294.03	294.03	201.69	92.34	31.4
		2012-13	260.81	260.81	231.06	29.75	11.4

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल बजट	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचतें	बचतों का प्रतिशत
4.	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 103-महिला कल्याण 11-विमंदित महिला एवं बालगृहों के लिये भवन निर्माण	**आयोजना**					
		2010-11	-	0.05**	-	0.05	100.0
		2011-12	10.00	10.00	0.39	9.61	96.1
		2012-13	15.00	15.00	9.42	5.58	37.2
* ₹ 1000 के अनुपूरक प्रावधान सहित । ** अनुपूरक प्रावधान ।							

स्रोतः विनियोग लेखे

बचतों के कारण, पदों का रिक्त रहना, कैडर समीक्षा के परिणामस्वरूप पदों का अन्य बजट शीर्षों में स्थानांतरण होना, मानदेय का भुगतान नहीं होना, सेवानिवृत्त कार्मिकों की नियुक्ति नहीं होना, नये आँगनबाड़ी केन्द्रों का कार्यशील नहीं होना, लाभार्थियों की कम उपस्थिति तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति होना, बताये गये।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि रिक्त पदों के लिये अनुमान तैयार करना संशोधित राज्य बजट नियमावली का उल्लंघन है। विभाग को अपने व्यय का अनुश्रवण करना चाहिये था एवं भारी बचतों से बचने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये थे।

2.3.3 आधिक्य व्यय

दस प्रकरणों में, कार्यक्रम प्रदाता विभागों ने विधानमण्डल द्वारा अनुदानों के माध्यम से निर्धारित की गयी सीमाओं से अधिक व्यय किया (₹ 185.06 करोड़)। इन प्रकरणों में आधिक्य व्यय, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक और कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक था ***(परिशिष्ट 2.2)***।

निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप आधिक्य व्यय, बजटिंग एवं व्यय नियंत्रण में कमी को इंगित करता है।

2.3.4 गत वर्षों (2010-12) से सम्बन्धित प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

भारत के संविधान की धारा 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिये अनुदान/विनियोग में हुए आधिक्य का राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमन करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमितीकरण के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है तथापि, आधिक्य व्यय का नियमितीकरण जन लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के बाद किया जाता है।

वर्ष 2010-12 के लिये नौ अनुदानों में आधिक्य व्यय की राशि ₹ 19.92 करोड़ का नियमन किया जाना शेष था (30 सितम्बर 2013)। वर्षवार विवरण **तालिका 2.9** में नीचे सारीकृत किया गया है।

तालिका 2.9: गत वर्षों के प्रावधान से आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की कुल संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	अनुदान/विनियोग	आधिक्य की राशि (₹ करोड़ में)	जनलेखा समिति (जलेस) द्वारा परीक्षण किये जाने की स्थिति (30 सितम्बर 2013 तक)
2010-11	4	20-आवास	पूंजीगत-दत्तमत	2.16	जलेस द्वारा परीक्षण किया गया
		27-पेयजल योजना	राजस्व-दत्तमत	15.70	जलेस द्वारा परीक्षण किया गया
		28-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	राजस्व-दत्तमत	1.90	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
		38-लघु सिंचाई एवं मृदा संरक्षण	पूंजीगत-दत्तमत	0.01	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
	2	13-आबकारी	राजस्व-प्रभारित	-[5]	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
		15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	राजस्व-प्रभारित	0.03	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
2011-12	1	48-विद्युत	पूंजीगत-दत्तमत	0.01	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
	2	12-अन्य कर	राजस्व-प्रभारित	0.11	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
		36-सहकारिता	राजस्व-प्रभारित	-[6]	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
योग	**9**			**19.92**	

स्रोत: विनियोग लेखे

2.3.5 वर्ष 2012-13 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

वर्ष 2012-13 के दौरान, दो विनियोगों में राज्य विधानसभा द्वारा राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत राशि से अधिक कुल आधिक्य ₹ 79,100 रही, जिसका संविधान की धारा 205 के अधीन नियमन करवाना बाध्यकारी है जिसे तालिका 2.10 द्वारा दर्शाया गया है:

5. मात्र ₹ 54,783
6. मात्र ₹ 57

तालिका 2.10: वर्ष 2012-13 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

(₹ में)

क्रम संख्या	विनियोग की संख्या एवं नाम		कुल विनियोग	व्यय	आधिक्य
राजस्व-प्रभारित					
1.	11	विविध सामाजिक सेवायें	*3,000*	*80,000*	*77,000*
2.	20	आवास	*1,000*	*3,100*	*2,100*
कुल योग			***4,000***	***83,100***	***79,100***

स्रोत: विनियोग लेखे

वित्त विभाग द्वारा राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत राशि से ज्यादा आधिक्य व्यय के कारणों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान को सूचित नहीं किये गये।

2.3.6 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

संशोधित राबनि का पैरा 24.2 प्रावधित करता है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी उद्देश्य के लिये उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा जिसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है, पर व्यय करनें की आवश्यकता होती है, तो विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2012-13 के दौरान 18 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) में लिया गया ₹ 652.10 करोड़ का समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान के बराबर भी नहीं हुआ ***(परिशिष्ट 2.3)***। महत्वपूर्ण प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुये, नीचे विवेचित किये गये है:

अनुदान संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई में, ₹ 109.66 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, नव पदों के सृजन की प्रत्याशा में वेतन एवं भत्तों के भुगतान, छात्रवृत्तियों के भुगतान एवं भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त होने की प्रत्याशा में राज्यांश जारी करने हेतु, मार्च 2013 में किया गया जो अनावश्यक रहा क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से भी कम था।

अनुदान संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में, ₹ 120.87 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, छात्रवृत्तियों एवं वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान हेतु, मार्च 2013 में लिया गया जो अनावश्यक रहा क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

अनुदान संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत में, ₹ 110.84 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, मेहरानगढ़ (जोधपुर) घटना, चम्बल घटना, सीतापुरा (जयपुर) इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन डिपो अग्निकांड तथा राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत

मापदण्ड के अनुसार बढ़े हुये व्यय के पुर्नभरण हेतु, मार्च 2013 में लिया गया जो अनावश्यक रहा क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

यह इन विभागों द्वारा वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिये निधियों की आवश्यकता के गलत आंकलन एवं मासिक व्यय नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से व्यय के प्रवाह के प्रबोधन जैसाकि संशोधित राबनि के अध्याय 21 में विहित है, की विफलता को इंगित करता है, इस प्रकार इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण के बिना किये गये।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्नियोजन

पुनर्विनियोजन, किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, में निधियों का अंतरण है।

अविवेकपूर्ण किया गया पुनर्विनियोजन अत्यधिक, अनावश्यक अथवा अपर्याप्त सिद्व हुआ परिणामस्वरूप 97 उप-शीर्षो में ₹ 203.84 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ एवं 345 उप-शीर्षो में ₹ 208.40 करोड़ की अंतिम बचतें रही। 37 लेखा शीर्षो में ₹ एक करोड़ से अधिक का अंतिम आधिक्य/बचत, पुनर्विनियोजन के बाद हुआ ***(परिशिष्ट 2.4)***। 14 लेखा शीर्षो में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, 10 लेखा शीर्षो में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं 13 लेखा शीर्षो में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ। इससे इंगित होता है कि इस प्रकार के पुनर्विनियोजन से पहले निधियों की आवश्यकता/उपलब्धता का सही आंकलन नहीं किया गया।

2.3.8 अवर्णित पुनर्विनियोजन

संशोधित राबनि के पैरा 23.15.6 में उल्लिखित है कि प्रत्याशित बचतों अथवा आधिक्यों के कारण स्पष्ट किये जाने चाहिये। तथापि, वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2013) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2,371 उप-शीर्षो में से मात्र 587 उप-शीर्षो में आधिक्य/बचतों के स्पष्टीकरण प्राप्त हुये, जिनमें से 148 उप-शीर्षो के स्पष्टीकरण सामान्य प्रकृति के थे जैसे 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम आंकलन पर आधारित' तथा 'व्यय का प्रतिबंध' आदि। इसके अतिरिक्त, 1,784 उप-शीर्षो में, कोई विशिष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिये गये। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम के अनुभाग 4 में निर्दिष्ट पारदर्शिता सिद्धान्त के विपरीत है।

2.3.9 प्रत्याशित बचतों का अनभ्यर्पण

संशोधित राबनि के पैरा 23.16 के अनुसार अनुदान, जो उचित रूप से उपयोजित नहीं हो सकी, अभ्यर्पित की जानी चाहिये।

वर्ष 2012-13 के दौरान, ₹ 6,836.94 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 6,717.45 करोड़ (98.3 प्रतिशत) की राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में अभ्यर्पित

की गई। इनमें से 38 प्रकरणों (27 अनुदान एवं 1 विनियोग) में ₹ 6,435.39 करोड़, जहाँ बचतों के प्रत्येक प्रकरण ₹ 20 करोड़ से अधिक के थे, वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित किये गये ***(परिशिष्ट 2.5)***, जबकि 22 अनुदानों में, जहाँ बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक थी, ₹ 280.30 करोड़ की राशि (₹ 3,762.71 की कुल बचतों का 7.4 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं की गई ***(परिशिष्ट 2.6)***।

यह वास्तविक वित्तीय नियोजन की कमी एवं कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है। मुख्य नियंत्रण अधिकारियों एवं विभागीय अध्यक्षों द्वारा राबनि में विहित बजटीय नियंत्रणों की उपेक्षा की गई तथा वित्त विभाग राज्य बजट पर सम्पूर्ण वित्तीय नियंत्रण रखने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियाँ वंचित रही।

विभागों ने वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को बचतों के अभ्यर्पण के संबंध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (नवम्बर 2013)।

2.3.10 एक मुश्त प्रावधान

संशोधित राबनि के पैरा 13.16 में निर्दिष्ट है कि नियमानुसार एक मुश्त प्रावधान का अनुमान नहीं किया जाना चाहिये।

वर्ष 2012-13 के दौरान, 179 प्रकरणों (17 अनुदानों एवं 3 विनियोगों में ₹ एक करोड़ से अधिक और बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से भी अधिक) में ₹ 1,539.34 करोड़ का, अनुमानों में एक मुश्त प्रावधान किया गया। इनमें से ₹ 1,275.09 करोड़ (82.8 प्रतिशत) वर्ष की समाप्ति पर अनुपयोजित रहे, जिसे वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किया गया ***(परिशिष्ट 2.7)*** एवं शेष राशि ₹ 264.25 करोड़ पुनर्विनियोजित की गई। इन प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त बजट प्रावधान करने के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2013)।

2.3.11 वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण

चार अनुदानों में, ₹ 343.66 करोड़ की बचतों के समक्ष ₹ 508.48 करोड़ की राशि अभ्यर्पित (प्रत्येक अनुदान में ₹ एक करोड़ या अधिक) की गई, जो कि ₹ 164.82 करोड़ अधिक थी ***(परिशिष्ट 2.8)*** जो यह इंगित करता है कि मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रण रखने में विभाग विफल रहे। विभागों ने वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण के सम्बन्ध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (नवम्बर 2013)।

2.3.12 व्यय की अधिकता

व्यय की समान गति रखना ठोस लोक वित्तीय प्रबन्धन का एक निर्णायक घटक है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, 98 उप-शीर्षों ***(परिशिष्ट 2.9)*** में ₹ 7,672.65 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक) का व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया, जो कि कुल व्यय का 80.7 प्रतिशत था। इसमें से ₹ 7,216.37 करोड़ (75.9 प्रतिशत) केवल मार्च 2013 में व्यय किये गये। इस प्रकार, विभागों द्वारा वर्ष के अंत में बड़ी राशि खर्च करना व्यय के ऊपर कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

2.3.13 बजट का व्यपगत होने से बचाने के लिये निधियों का आहरण

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (नियम 8) के प्रावधानों के अनुसार, निधियों का आहरण तभी किया जाना चाहिये जब तुरन्त भुगतान की आवश्यकता हो तथा वित्त विभाग की सहमति के बिना धनराशियों को अन्यत्र निवेश या जमा कराने के लिये सरकारी खाते से नहीं निकाला जाना चाहिये। साथ ही बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों के आहरण एवं उन राशियों को जमाओं के रूप में लोक लेखा अथवा बैंक में रखने की पद्धति निषिद्ध है।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान, द्वारा संकलित की गई सूचना से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार द्वारा मार्च 2013 में ₹ 2,198.60 करोड़ की राशि आहरित की गई और उसे बजट अनुदान से व्यपगत होने से बचाने के लिये जमा शीर्ष[7] में जमा कराई गई। इसमें अंतिम तीन दिवसों क्रमशः 29 मार्च, 30 मार्च एवं 31 मार्च 2013 का स्थानांतरण भी सम्मिलित है।

2.4 बजट प्रतिपादन एवं बजटीय नियंत्रण

अनुदान संख्या 27-'पेय जल योजना' के सम्बन्ध में बजट प्रतिपादन एवं बजटीय नियंत्रण की समीक्षा की गई। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा नीचे की गई है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- ***आधिक्यों एवं बचतों के अंतिम विवरण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब***

संशोधित राबनि के पैरा 23.12 में निर्दिष्ट है कि सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को व्यय के विरूद्ध आधिक्यों एवं बचतों के विवरण-पत्र वित्त विभाग को, विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों तक वित्तीय वर्ष में दो बार प्रस्तुत करना चाहिये। यह प्रकट हुआ कि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को विवरण-पत्र वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को मात्र एक बार प्रस्तुत किये गये।

- वर्ष 2012-13 के दौरान, तीन उप-शीर्षों (आयोजना) में, ₹ 22.39 करोड़ का सम्पूर्ण आवंटित बजट[8] अनुपयोजित रहा जिसे वित्तीय वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किया गया।

7. 8338-स्थानीय निधियों की जमाऐं, 8342-अन्य जमाऐं तथा 8443-सिविल जमा।
8. 4215-01-101-05-01-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से (₹ 16.20 करोड़), 4215-01-102-01-35-मातासुख-जायल तहसील जल प्रदाय योजना (नाबार्ड)(₹ 3.45 करोड़), 4215-01-102-05-01-निर्माण कार्य (₹ 2.74 करोड़)।

- वर्ष 2012-13 के दौरान शीर्ष '4215-01-102-54 फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना' के अन्तर्गत ₹ 7.02 करोड़ का लिया गया अनुपूरक प्रावधान[9] अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि इसमें से कुछ भी व्यय नहीं किया गया।

- ***निरन्तर बचतें***

चार उप-शीर्षों में कुल प्रावधान के 15 प्रतिशत एवं 93 प्रतिशत के मध्य की निरन्तर बचतें थी जैसाकि **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.11: वर्ष 2010-13 के दौरान निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2215-02-001-04 शिल्प शाला	2010-11	42.39*	35.90	6.49	15.31
	2011-12	42.75	35.92	6.83	15.98
	2012-13	43.84	36.69	7.15	16.31
4215-01-101-01-61 शहरी जलपूर्ति योजना, जोधपुर (आर्थिक कार्य योजना)	2010-11	70.00	4.94	65.06	92.94
	2011-12	109.10	44.14	64.96	59.54
	2012-13	77.79	14.88	62.91	80.87
4215-01-101-08 मूल्यह्रास आरक्षित निधि के विरूद्ध जलपूर्ति योजनाओं का पुनरूद्धार	2010-11	107.64	28.37	79.27	73.64
	2011-12	53.82	41.71	12.11	22.50
	2012-13	53.82	29.02	24.80	46.07
4215-01-102-18 बीसलपुर-दुदू जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)	2010-11	15.00	12.21	2.79	18.60
	2011-12	34.96	13.79	21.17	60.55
	2012-13	20.71	16.09	4.62	22.31

* ₹ 3.58 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान सहित ।

स्रोतः विनियोग लेखे

विभाग द्वारा बचतों के कारणों को सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)।

- ***व्यय का अनियमित प्रवाह***

चार उप-शीर्षों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान 46.26 प्रतिशत से 71.12 प्रतिशत तक का कुल व्यय हुआ जबकि वर्ष के अंतिम माह में 24.11 प्रतिशत से 48.61 प्रतिशत तक का व्यय हुआ जो वर्ष के अन्त में व्यय की अधिकता को दर्शाता है जैसाकि नीचे **तालिका 2.12** में दिखाया गया है।

9. मूल प्रावधान शून्य था।

तालिका 2.12 : वर्ष 2010-13 के दौरान व्यय का अनियमित प्रवाह

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	मार्च 2013 में हुआ व्यय	जनवरी 2013 से मार्च 2013 के दौरान हुआ व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत	
				अंतिम त्रैमास का कुल व्यय से	अंतिम मास का कुल व्यय से
1	2	3	4	5 (3/4)	6 (2/3)
4215-01-101-01 सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाऐं	153.29	180.36	315.31	57.20	48.61
4215-01-102-01 त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजनाऐं	19.54	37.50	81.06	46.26	24.11
4215-01-102-03 अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	68.04	129.34	203.71	63.49	33.40
4215-01-102-49 तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य	11.90	25.14	35.35	71.12	33.66

स्रोतः विनियोग लेखे

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2013)।

2.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 16-'पुलिस' एवं अनुदान संख्या 24-'शिक्षा, कला एवं संस्कृति' के अन्तर्गत अवधि 2010-13 के लिये व्यय एवं प्राप्तियों की समीक्षा की गई। दृष्टिगत हुई मुख्य अनियमितताओं को नीचे सारीकृत किया गया है:

अनुदान संख्या 16-पुलिस

गृह विभाग

(अ) व्यय

- ***निधियों का अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान***

संशोधित राबनि के पैरा 24.2 में प्रावधित है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी उद्देश्य के लिये उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा जिसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है, पर व्यय करने की आवश्यकता होती है, तो विधानसभा द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2010-13 के दौरान मूल बजट अनुमान, अनुपूरक प्रावधान तथा उनके समक्ष वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे **तालिका 2.13** में दी गई है।

तालिका 2.13: वर्ष 2010-13 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	विभाग द्वारा दिये गये कारण
आयोजना-भिन्न								
1	2055-101-01 अपराधिक शाखा	2012-13	109.03	1.30	110.33	104.78	5.55	वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय
2	2055-101-02 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	2011-12	25.64	3.27	28.91	25.96	2.95	पदों का रिक्त रहना
3		2012-13	33.30	1.73	35.03	33.86	1.17	पदों का रिक्त रहना
4	2055-104-01 सिपाही दल	2012-13	384.27	22.00	406.27	402.63	3.64	वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय
5	2055-109-01-01 सामान्य पुलिस (निदेशन)	2011-12	1,176.60	34.29	1,210.89	1,185.36	25.53	आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा वाहनों एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करना, पदों का रिक्त रहना
6		2012-13	1,295.44	34.78	1,330.22	1,325.08	5.14	आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा वाहनों एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करना, पदों का रिक्त रहना
7	2055-109-10-01 सामान्य पुलिस	2012-13	283.10	11.58	294.68	292.30	2.38	वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय
केन्द्रीय प्रवर्तित योजना								
8	2055-115-04 सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण	2010-11	-*	20.82	20.82	19.18	1.64	आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा वाहनों एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करना
9		2012-13	-*	19.03	19.03	16.55	2.48	आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा वाहनों एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करना
	* मात्र ₹ 1000							

स्रोत: विनियोग लेखे

लेखापरीक्षा टिप्पणीयाँ नीचे दी गई है।

- क्रम संख्या 2 एवं 3: बजट अनुमानों में रिक्त पदों का प्रावधान करना संशोधित राबनि के पैरा संख्या 13.18.2 का उल्लंघन था।
- क्रम संख्या 1, 4 एवं 7: विभाग द्वारा अनुमान उचित प्रकार से तैयार नहीं किये गये। वेतन एवं भत्तों के सम्बन्ध में बजट अनुमानों एवं वास्तविक

आँकड़ों में भिन्नता होना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि इनकी यथोचित सत्यता का पूर्वानुमान किया जा सकता था।

- क्रम संख्या 5, 6, 8 एवं 9: विभाग द्वारा बताये गये कारण सूची प्रबन्धन एवं क्रय हेतु आपूर्तिकर्ताओं का अनुसरण करनें की प्रणाली में त्रुटि को इंगित करते है।

- ***सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान का अभ्यर्पण***

वर्ष 2012-13 के दौरान, राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के गठन हेतु पूँजीगत बजट शीर्ष '4055-190-01 (आयोजना)' में ₹ 0.50 करोड़ का प्रावधान अनुपूरक अनुदान के द्वारा किया गया। तथापि विभाग द्वारा, राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का गठन नहीं होने से, सम्पूर्ण राशि को 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किया गया। जो इंगित करता है कि अनुपूरक प्रावधान सामान्य औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना किया गया।

(ब) प्राप्तियाँ

वर्ष 2010-13 के दौरान, शीर्ष '0070-अन्य प्रशासनिक सेवाऐं' के अन्तर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति नीचे **तालिका 2.14** में दी गयी है।

तालिका 2.14: वर्ष 2010-13 के दौरान प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर	प्राप्तियों में वृद्धि (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें 60-अन्य सेवायें 106-नागरिक सुरक्षा 02-होम गार्ड 01-सीमा	2010-11	0.01	5.10	6.24	(+) 1.14	-
	2011-12	1.00	3.08	2.38	(-) 0.70	(-) 61.9
	2012-13	1.00	0.04	0.31	(+) 0.27	(-) 87.0
0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें 60-अन्य सेवायें 106-नागरिक सुरक्षा 02-होम गार्ड 03-शहरी	2010-11	11.08	8.95	11.31	(+) 2.36	-
	2011-12	8.00	10.72	2.70	(-) 8.02	(-) 76.1
	2012-13	8.00	1.98	0.08	(-) 1.90	(-) 97.0

स्रोत: बजट दस्तावेज तथा वित्त लेखे

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में प्राप्ति शीर्ष '0070-60-106-02-01' के अन्तर्गत प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में वास्तविक प्राप्तियाँ क्रमश: 61.9 प्रतिशत एवं 87 प्रतिशत घटी। विभाग ने सूचित किया कि यह भिन्नता, सेवकों/स्थायी कर्मचारियों की अन्य राज्यों में चुनावी सेवाओं एवं केयर्न

एनर्जी/छबड़ा थर्मल स्टेशन/अन्य संस्थाओं/अभिकरणों में तैनातगी की कमी/बढ़ोतरी, के कारण रही। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सेवकों की तैनातगी की प्रत्याशा में यथोचित अनुमान तैयार किये जाने चाहिये थे। इसके अतिरिक्त, उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता कि प्राप्तियों में कमी सेवकों की तैनातगी नहीं होने अथवा अभिकरणों से सेवकों/स्टॉफ की माँग नहीं आने के कारण थी।

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में प्राप्ति शीर्ष '0070-60-106-02-03' के अन्तर्गत प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में वास्तविक प्राप्तियाँ क्रमश: 76.1 प्रतिशत एवं 97 प्रतिशत घटी। विभाग ने सूचित किया कि यह भिन्नता, आय की कम प्राप्ति एवं भारत सरकार द्वारा कम पुनर्भरण के कारण रही। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुमान, गत प्रवृत्तियों, प्रत्याशित आय एवं भारत सरकार से पुनर्भरण जैसे घटकों को सम्मिलित करते हुए, तैयार करने चाहिये थे।

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2013)।

अनुदान संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति

शिक्षा विभाग

(अ) व्यय

राजस्व बजट शीर्ष में निम्नलिखित स्थिति प्रदर्शित हुई:

तालिका 2.15: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान एवं निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01-बालकों के विद्यालय (आयोजना-भिन्न)	2010-11	2,701.99	-	2,701.99	2,371.91	330.08
	2011-12	2,668.21	45.73	2,713.94	2,602.55	111.39
	2012-13	3,616.10	-	3,616.10	2,980.17	635.93

स्रोत: विनियोग लेखे

यह दर्शाता है कि वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 के दौरान बजट अनुमान गत वर्षों की बचत प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किये गये। साथ ही वर्ष 2011-12 के अन्त में बचत यह भी दर्शाती है कि अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे।

व्यय की अधिकता

वर्ष 2012-13 के दौरान, वर्ष की अंतिम तिमाही में 69.56 प्रतिशत से 100 प्रतिशत का कुल व्यय हुआ, जबकि वर्ष के अंतिम माह में 50.53 प्रतिशत से 100 प्रतिशत का व्यय हुआ ***(परिशिष्ट 2.10)***।

(ब) प्राप्तियाँ

वर्ष 2010-13 के दौरान शीर्ष '0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति' के अन्तर्गत संशोधित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति नीचे **तालिका 2.16** में दी गयी है।

तालिका 2.16 : वर्ष 2010-13 के दौरान प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर	अंतर प्रतिशतता संशोधित अनुमानों से
1	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 101-प्रारम्भिक शिक्षा	2010-11	4.23	10.74	(+) 6.51	153.90
		2011-12	2.87	7.80	(+) 4.93	171.78
		2012-13	3.08	11.00	(+) 7.92	257.14
2.	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 103-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	2010-11	4.03	5.87	(+) 1.84	45.66
		2011-12	4.06	3.95	(-) 0.11	2.71
		2012-13	3.51	7.18	(+) 3.67	104.56
3.	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 600-सामान्य	2010-11	0.12	0.81	(+) 0.69	575.0
		2011-12	0.28	0.37	(+) 0.09	32.14
		2012-13	0.18	0.24	(+) 0.06	33.33

स्रोत: बजट दस्तावेज तथा वित्त लेखे

यह दर्शाता है कि वर्ष 2010-13 के दौरान प्राप्तियों का उचित आंकलन नहीं किया गया तथा ये (-) 2.71 प्रतिशत से 575 प्रतिशत के मध्य रही। राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

2.6 कोषालयों के निरीक्षण के परिणाम

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य में 262 इकाईयाँ, यथा 40 कोषालय (एक ई-कोषालय सहित) एवं 222 उप-कोषालय थे। वर्ष 2012-13 के दौरान 39 कोषालयों एवं 149 उप-कोषालयों के निरीक्षण में पाई गई मुख्य अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गई है।

- ***शेष राशि को उचित शीर्षों में लेखाबद्ध नहीं करना***

वित्त विभाग के निर्देशों (अप्रैल 2005) के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, अव्ययीत राशि, उसी संगत राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा की जायेगी जहाँ से

इसे नामे लिखा गया था। यह पाया गया कि 16 कोषालयों/उप-कोषालयों में मुख्य शीर्ष '2235' से सम्बद्ध ₹ 0.17 करोड़ की अव्ययीत राशि को सम्बन्धित प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा करने की बजाय उसे व्यय शीर्ष में ऋण नामे दर्शाया गया।

- ***निजी निक्षेप खातों के अंतिम शेष में अन्तर***

चार निजी निक्षेप खातों के निरीक्षण में पाया गया कि मार्च 2012 के अन्त में कोषालयों एवं खाताधारकों की पासबुकों में दर्शाये गये अंतिम शेषों में ₹ 0.90 करोड़ का अंतर था। इसका समायोजन किया जाना चाहिए।

- ***दीर्घकालीन ऋणों की वृहद पुस्तिकाओं का अपूर्ण संधारण***

राज्य वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों (मई 1988) के अनुसार, दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों, यथा भवन निर्माण अग्रिम एवं वाहन अग्रिम, की वृहद पुस्तिकाओं के सभी स्तम्भों की उचित रूप से पूर्ति की जानी चाहिये। तेरह कोषालयों द्वारा दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों के सम्पूर्ण विवरण, यथा स्वीकृति की संख्या एवं दिनाँक, मासिक किश्तों की संख्या एवं राशि, कोषालय प्रमाणक संख्या एवं दिनाँक वृहद पुस्तिकाओं में संधारित नहीं किये गये थे।

- ***₹ 0.24 करोड़ के अप्रचलित/कटे-फटे मुद्रांकों के निस्तारण का अभाव***

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 246 के अनुसार अप्रचलित/अनुपयोगी/खराब मुद्रांकों की रिपोर्ट कोषाधिकारी द्वारा महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक अजमेर को प्रस्तुत की जानी चाहिए एवं उनके निस्तारण हेतु महानिरीक्षक से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर तदानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके विरूद्ध, सात कोषालयों द्वारा ₹ 0.24 करोड़ के अप्रचलित/खराब मुद्रांकों के निस्तारण की कार्यवाही नहीं की गई।

- ***रोकड़िये से प्रतिभूति बन्ध-पत्र प्राप्त न करना***

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 का नियम 63 यह प्रावधित करता है कि जिला कलेक्टर एवं कोषाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लापरवाही या धोखाधड़ी की अवस्था में होने वाली हानि से बचने के लिये रोकड़िये द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में विहित प्रारूप में पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी है। इन निर्देशों को उल्लंघित करते हुये 63 कोषालयों/उप-कोषालयों में रोकड़िये से प्रतिभूति बन्ध-पत्र प्राप्त किये बिना ही रोकड़ का कार्य करवाया जा रहा है।

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2013)।

2.7 सहायतार्थ अनुदान का गलत वर्गीकरण

भारतीय शासकीय लेखांकन मानक-2 का पैरा 9 निर्धारित करता है कि संघ सरकार से राज्य सरकार को दिया जाने वाला सहायतार्थ अनुदान, राज्य सरकार के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखाबद्ध किया जायेगा।

वर्ष 2012-13 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त हुये ₹ 1.83 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान को, राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय के रूप में दर्शाया गया जैसाकि **तालिका 2.17** में वर्णित किया गया है।

तालिका 2.17: पूंजीगत लेखाशीर्ष के अन्तर्गत सहायतार्थ अनुदान में गलत वर्गीकरण

(₹करोड़ में)

लेखाशीर्ष	राशि
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03-खेल तथा युवा सेवाऐं 789-अनुसूचित जनजातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना 01-जिला संकुल खेल विभाग के माध्यम से	0.43
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03-खेल तथा युवा सेवाऐं 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 01-जिला संकुल खेल विभाग के माध्यम से	1.40
योग	**1.83**

स्रोत: वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

2.8 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य की आकस्मिकता निधि, भारत के संविधान की धारा 267(2) एवं 283(2) के प्रावधानों के अनुसरण में राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित की गई है। निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति के ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिये अनुमत्य है जिन्हें विधानसभा द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित किया जाना अवांछनीय हो। आकस्मिकता निधि से अग्रिम उन परिस्थितियों में व्ययों की पूर्ति के लिए दिया जा सकता है जहाँ (i) वार्षिक/अनुपूरक बजट में प्रावधान नहीं किया जा सका हो, (ii) व्यय का पूर्वानुमान नहीं को सका हो और (iii) विधानमण्डल से प्राधिकार प्राप्त होने तक व्यय स्थगित नहीं किया जा सकता हो। निधि की प्रकृति एक अग्रदाय के रूप में है तथा इसका संग्रह ₹ 200 करोड़ है। संशोधित राबनि के अध्याय 5 में परिकल्पित है कि आकस्मिकता निधि से अग्रिम हेतु तब तक आवेदन न किया जाये जब तक कि सभी प्राथमिकतायें, यथा प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति, स्थान का चयन आदि पूर्ण न कर कर लिया गया हो तथा वांछित अग्रिम के अनुपूरक अनुदान से प्रतिपूर्ति किये जाने के पर्याप्त आसार न हों।

वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्रदान करने के लिये कुल ₹ 19.64 करोड़ की चार स्वीकृतियाँ, चार मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत जारी की गई। स्वीकृतियों की संवीक्षा में पाया गया कि:

- राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ₹ एक करोड़ का अग्रिम स्वीकृत (जून 2012) किया गया। स्वीकृति की प्रभावशील तिथि (31 अक्टूबर 2012) तक सम्पूर्ण राशि अनुपयोजित रही। विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2013) कि योजना में लागू आवश्यक प्राथमिकताओं के पूर्ण होने में विलम्ब तथा जन साधारण में इस योजना के बारे में जागरूकता में कमी के कारण राशि उपयोजित नहीं की जा सकी। इससे प्रदर्शित होता है कि विभाग ने यथासमय प्रारम्भिक कार्य पूर्ण नहीं कर, जैसाकि संशोधित राबनि के पैरा 5.6 में विहित है, राशि का निर्धारित तिथि तक उपयोग सुनिश्चित नहीं किया।

- राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, 2012 के संचालन हेतु श्रम तथा रोजगार विभाग को ₹ तीन करोड़ का अग्रिम स्वीकृत (जुलाई 2012) किया गया। विभाग ने स्वीकृति की प्रभावशील तिथि (31 अक्टूबर 2012) तक मात्र ₹ 0.25 करोड़ व्यय किये। विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2013) कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आय प्रमाण-पत्र में आने वाली कुछ कठिनाइयों के कारण राशि उपयोजित नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग को समय पर निधियों का वितरण सुनिश्चित करने हेतु कठिनाइयों का पूर्वानुमान कर लेना चाहिये था।

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2013)।

2.9 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें

- ***सारांशीकृत आकस्मिक बिलों (ए.सी.) के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी.सी.सी.) बिलों के प्रस्तुतीकरण में लम्बन***

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 219, ए.सी. बिलों को बनाने और आहरण करने तथा डी.सी.सी. बिलों को नियंत्रण अधिकारियों/प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किये जाने को विनियमित करता है। प्रत्येक आहरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक ए.सी. बिल को प्रमाणित करना होता है कि पूर्ववर्ती मास तक आहरित किये गये सभी ए.सी. बिलों के डी.सी.सी. बिल नियंत्रण अधिकारियों/प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किये जा चुके है।

आहरित किये गये (31 मार्च 2013 को) ₹ 3,558.21 करोड़ के 37,571 ए.सी. बिलों में से 31 जुलाई 2013 तक राशि ₹ 95.57 करोड़ के 659 डी.सी.सी. बिल प्रस्तुत नहीं किये गये जैसाकि विवरण **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में लम्बन

(₹करोड़ में)

वर्ष	एसी बिल		डीसीसी बिल		डीसीसी बिलों का एसी बिलों से प्रतिशत	बकाया एसी बिल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि
2007-08 तक	25,035	1,680.82	24,990	1,676.14	99.8	45	4.68
2008-09	3,102	297.18	3,097	296.78	99.8	5	0.40
2009-10	3,669	708.79	3,662	708.12	99.8	7	0.67
2010-11	2,460	419.86	2,422	413.82	98.5	38	6.04
2011-12	1,471	197.72	1,379	176.71	93.7	92	21.01
2012-13	1,834	253.84	1,362	191.07	74.3	472	62.77
योग	**37,571**	**3,558.21**	**36,912**	**3,462.64**	**98.2**	**659**	**95.57**

स्रोत: वित्त लेखे

बकाया ए.सी. बिल मुख्यत: राजस्व विभाग (₹ 40.22 करोड़), चिकित्सा शिक्षा (₹ 18.88 करोड़), राजस्व मण्डल (₹ 6.56 करोड़), पुलिस (₹ 6.22 करोड़) तथा सामान्य प्रशासन विभाग (₹ 5.11 करोड़) से सम्बन्धित थे। 31 जुलाई 2013 तक विभागवार लम्बित डी.सी.सी. बिलों का विवरण ***परिशिष्ट 2.11*** में दिया गया है। बिलों के समायोजन में दीर्घ लम्बन के कारण सरकारी निधियों के दुरूपयोग की संभावना एवं उसकी वजह से हुये दुर्विनियोजन से इन्कार नहीं किया जा सकता।

2.10 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

निष्कर्ष

वर्ष 2012-13 के दौरान, ₹ 89,663.02 करोड़ की कुल अनुदानों एवं विनियोगों के समक्ष ₹ 6,836.94 करोड़ की समग्र बचत हुई। ₹ 0.79 लाख के आधिक्य का भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमितीकरण अपेक्षित था। भारी बचतें दोषपूर्ण बजट अनुमानों को इंगित करती है। अठारह प्रकरणों में ₹ 652.10 करोड़ का प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहा, 442 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण रहा परिणामस्वरूप प्रावधानों से या तो बचतें रही या आधिक्य रहा। विभागों द्वारा ₹ 6,717 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यदिवस को अभ्यर्पित किये गये जिससे इन निधियों का उपयोग अन्य विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। चार प्रकरणों में ₹ 164.82 करोड़ की वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पित किया गया।

179 प्रकरणों में संशोधित राबनि के प्रावधानों के विरूद्ध ₹ 1,539.34 करोड़ का एक मुश्त प्रावधान किया गया। इसमें से, ₹ 1,275.09 करोड़ (83 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे।

राज्य सरकार द्वारा माह मार्च 2013 के दौरान ₹ 2,198.60 करोड़ की राशि आहरित की गई और बजट अनुदानों के व्यपगत होने से बचाने के लिये इसे जमा शीर्षो में जमा कराया गया।

चार प्रकरणों में आकस्मिकता निधि के अधीन ₹ 19.64 करोड़ की स्वीकृतियों में से, ₹ 3.75 करोड़ (19 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे। 31 मार्च 2013 तक आहरित ₹ 95.57 करोड़ के सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के समक्ष नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्रस्तुत नहीं किये (जुलाई 2013)।

कोषालयों के निरीक्षण में उनकी कार्यप्रणाली में कमियाँ पाई गई। राजस्व एवं पूँजीगत प्रावधानों की कुछ योजनाओं में वर्षभर व्यय न करने के बजाय मार्च 2013 माह में शत प्रतिशत व्यय किया गया, जिससे वर्ष के अन्त में व्यय की प्रचुरता रही। ₹ 1.83 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान राजस्व प्रभाग के स्थान पर पूँजीगत प्रभाग में लेखाबद्ध किया गया।

सिफारिशें

- बजटरी एवं व्यय नियंत्रणों की सुनिश्चितता हेतु नियंत्रण अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों को संशोधित राबनि के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिये।
- सभी विभागों को व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने के प्रयास करने चाहिये ताकि वर्ष के अन्त में बड़े पैमाने पर होने वाले आधिक्य/बचत, पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण से बचा जा सके।
- बचतों का वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व निर्धारण एवं अभ्यर्पण किया जाना चाहिये। ताकि उनका अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावपूर्ण उपयोग हो सके।
- पूरे वर्ष के लिए व्यय का समान फैलाव किया जाना चाहिये जिससे वर्ष के अन्त में व्यय की प्रचुरता से होने वाले नुकसान से बचा जा सके।
- दोषपूर्ण कार्यप्रणाली से बचाने के लिये कोषालयों के कार्यकलापों का अनुश्रवण किया जाना चाहिये।
- सारांशीकृत आकस्मिक बिलों से आहरित किये गये अग्रिमों का निर्धारित अवधि में समायोजन करनें के लिये प्रभावी अनुश्रवण प्रक्रिया लागू की जानी चाहिये।

अध्याय III
वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सही आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि परिचालन में है तथा सटीक और प्रभावी है, अनुकूल योजना बनाने एवं निर्णय लेने सहित राज्य सरकार को उनकी प्रबन्धन की मूलभूत जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है। यह राज्य सरकार और उसकी विभिन्न संस्थाओं, जैसे कि स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों आदि, की वित्तीय और परिचालन सुदृढ़ता की सही, निष्पक्ष और पारदर्शी चित्रण करने में योगदान देती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम प्रावधित करते हैं कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कराये गये अनुदानों हेतु, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये तथा सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये।

वर्ष 1997-98 से 2011-12 के दौरान प्रदत्त कुल ₹ 2,948.23 करोड़ के अनुदानों तथा ऋणों से सम्बन्धित 15,632 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से 197 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (₹ 30.82 करोड़) बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिये गये हैं। विलम्ब की वर्ष-वार स्थिति को निम्न तालिका में सांराशीकृत किया गया है।

तालिका 3.1: उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की वर्ष-वार की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विलम्ब की अवधि वर्षों में	कुल प्रदत्त अनुदान/ऋण		31 अगस्त 2013 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
0-1	75	22.52	70	22.32
1-3	147	9.27	68	4.25
3-5	523	46.07	52	4.10
5-7	1,474	85.74	1	0.03
7-9	1,424	84.50	2	0.12
9 एवं अधिक	11,989	2,700.13	4	-*
योग	**15,632**	**2,948.23**	**197**	**30.82**

स्त्रोत: वित्त लेखे तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित वाउचर

* केवल ₹ 0.38 लाख

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्यत: विज्ञान एवं तकनीकी विभाग (156 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 9.77 करोड़), समाज कल्याण विभाग (30 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 14.64 करोड़) तथा परिवार कल्याण विभाग (7 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 6.41

करोड़) से सम्बन्धित थे। सबसे पुराना उपयोगिता प्रमाण-पत्र (1997-99) पर्यावरण विभाग (₹ 0.38 लाख) से संबंधित था।

3.2 लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना

संस्थाएं जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन आकृष्ट होती हैं, की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता, प्रदान की गयी सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। आगे, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम 2007 प्रावधित करता है कि सरकार एवं विभागों के प्रमुख जो कि निकायों एवं प्राधिकरणों को अनुदान एवं/और ऋण संस्वीकृत करते है, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में उन निकायों एवं प्राधिकरणों की सूची जिनको कि गत वर्ष के दौरान कुल समेकित राशि ₹ 10 लाख और अधिक का अनुदान एवं/और ऋण का भुगतान किया गया हो, का विवरण मय (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता दी गयी हो एवं (ग) निकाय एवं प्राधिकरण का कुल व्यय इंगित करते हुए, लेखापरीक्षा को प्रेषित करेंगे।

वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त 321 लेखाओं में से 122 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आकर्षित हुई। इनमें से 59 निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं की लेखापरीक्षा जुलाई 2013 तक की गयी। निकाय एवं प्राधिकरण, जो कि विभिन्न शासकीय विभागों से अनुदान प्राप्त करते हैं, के लेखाओं की प्राप्ति में विलम्ब का विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है तथा उसकी वर्ष-वार बकाया स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 3.2: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं का वर्ष-वार बकाया

विलम्ब वर्षों में	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या	गत वर्ष के दौरान प्राप्त हुई अनुदान (₹ करोड़ में)	गत वर्ष के दौरान किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
0-1 वर्ष	48	532.62	744.66
1-3 वर्ष	35	74.20	86.92
3-5 वर्ष	11	14.03	26.42
5-10 वर्ष	16	10.31	10.99
योग	**110**	**631.16**	**868.99**

यह देखा जा सकता है कि 27 निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में 3 से 10 वर्षों तक का विलम्ब हुआ। यह भी देखा गया कि किसी भी विभाग द्वारा प्रयोजन, जिसके लिए सहायता राशि स्वीकृत की गयी थी, प्रस्तुत नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा विधानमण्डल/सरकार को यह आश्वासन प्रदान नहीं कर सका कि किस तरह से स्वीकृत अनुदान का उपयोग, विशेष रूप से विपथन या दुरूपयोग, किया गया।

वर्ष 2011-12 तक देय 241 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में से 110 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 287 वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान को जुलाई 2013 तक प्राप्त नहीं हुये थे।

3.3 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा चार[1] स्वायत्त निकाय, यथा विधिक सहायता, मानवाधिकार, खादी विकास एवं निर्माण कर्मकार कल्याण क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं। इन निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल (आरकेवीआईबी) के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को, उनके अधिनियमों की धारा 20(1) में सौंपी गई है जबकि, अन्य तीन निकायों की लेखापरीक्षा सम्बन्धित अधिनियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है।

लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी, लेखाओं को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना एवं इसके विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शायी गयी है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्ष 2007-08 से आगे के लेखे प्राप्त नहीं हुये क्योंकि सरकार की निधियों का संचालन कोषालय द्वारा किया जा रहा था, जिसके कारण अधिनियम की धारा 19(2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

3.4 विभागों द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों, जो अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों का निष्पादन करते हैं, द्वारा वित्तीय संचालनों के कार्य परिणामों को निर्धारित प्रारूप में वार्षिक प्रोफॉर्मा लेखे के रूप से तैयार किये जाने अपेक्षित होते है ताकि सरकार उनके कार्यो का आंकलन कर सके। विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिमीकृत लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति तथा उनके व्यवसायिक कार्यकुशलता को प्रदर्शित करते है। समय पर लेखों के अंतिमीकरण के अभाव में, जवाबदेयता सुनिश्चित करने तथा कार्य कुशलता में सुधार लाने हेतु सुधारात्मक उपाय, यदि कोई आवश्यक हों, समय से नहीं लिये जा सकते हैं।

सरकार में, विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उपक्रम ऐसे लेखाओं को तैयार करें और उन्हें विनिर्दिष्ट समयावधि में महालेखाकार को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करें। ऐसे सभी 10 विभागीय उपक्रमों द्वारा वर्ष 2011-12 तक के लेखे तैयार कर प्रस्तुत किये जा चुके थे। 31 मई 2013 तक प्रोफार्मा लेखे तैयार करने तथा सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति ***परिशिष्ट 3.4*** में दी गई है।

3.5 दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-I) के नियम 20 प्रावधित करते हैं कि यदि किसी कोषागार या किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में, सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में धारित सार्वजनिक राशि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियों, स्टाम्पों, भण्डार

[1] राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर; राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, जयपुर तथा राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर।

या अन्य सम्पत्ति की, दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान या अन्य किसी प्रकार से हानि हुई है, तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ प्राधिकारी के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार को तुरन्त भेजी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2013 तक विभिन्न विभागों के, राशि ₹ 46.84 करोड़ के दुर्विनियोजन (334) एवं राजकीय धन की चोरी/हानि (645) के 979 प्रकरण प्रतिवेदित किये गये, जिन पर अंतिम कार्यवाही (जून 2013) लम्बित थी। लम्बित प्रकरणों का विभाग-वार एवं अवधि-वार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.5*** में तथा इन प्रकरणों की प्रकृति का विवरण ***परिशिष्ट 3.6*** में दिया गया है। लम्बित प्रकरणों का अवधि-वार विवरण तथा चोरी/हानि एवं दुर्विनियोजन, प्रत्येक श्रेणी में लम्बित प्रकरणों की संख्या जैसा कि इन परिशिष्टों से प्रकट हुआ, को **तालिका 3.3** में सांराशीकृत किया गया है:

तालिका 3.3: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि का विवरण

लम्बित प्रकरणों का अवधि वार विवरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)
0-5	275	2095.63	सामग्री की चोरी/हानि	**645**	**994.65**
5-10	274	1139.12	दुर्विनियोजन/गबन	**334**	**3689.49**
10-15	183	781.86			
15-20	128	368.71			
20-25	72	212.36	**योग**	**979**	**4684.14**
25 एवं अधिक	47	86.46	वर्ष के दौरान अपलेखित हानियों के प्रकरण	83	188.55
योग	**979**	**4684.14**	**कुल लम्बित प्रकरण**	**979**	**4684.14**

स्त्रोतः विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर

प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों को श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि निम्न तालिका में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 3.4: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि के प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों का वर्गीकरण

लम्बित प्रकरणों के विलम्ब/बकाया रहने के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
विभागीय एवं आपराधिक जांच प्रतीक्षित	388	2011.17
वसूली/अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित	514	2161.91
न्यायालयों में बकाया	77	511.06
योग	**979**	**4684.14**

स्त्रोतः विभागों से प्राप्त सूचना

3.6 निजी निक्षेप खाते

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 260(1) के अनुसार सरकारी लेखों में निक्षेप के लिए कोई भी धनराशि तब तक प्राप्त नहीं की जायेगी जब तक कि उन्हें किन्हीं कानूनी उपबंधों या सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के द्वारा सरकार की अभिरक्षा में रखना आवश्यक अथवा प्राधिकृत न किया गया हो।

विभिन्न विभागों द्वारा संधारित निजी निक्षेप (पीडी) खातों की समीक्षा में निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

(1) निष्क्रिय निजी निक्षेप खाते

वर्ष 2012-13 के दौरान, 1,491 पीडी खातों में राशि ₹ 12,424.21 करोड़ अन्तरित किये गये, जिसमें से ₹ 2,919.83 करोड़ (23.5 प्रतिशत) अकेले मार्च 2013 में अन्तरित किये गये। 31 मार्च 2013 को, तीन पीडी खातों, राजस्थान शहरी निर्माण वित्तीय विकास निगम (आरयूआईएफडीसीओ), जयपुर (सचिवालय), प्रबन्ध निदेशक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर तथा निदेशक/आयुक्त, उप विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर (सचिवालय) की विशाल राशि क्रमश: ₹ 118.34 करोड़, ₹ 112.69 करोड़ तथा ₹ 170.11 करोड़ सहित इन पीडी खातों में ₹ 2,173.73 करोड़ की अव्यतीत राशि बकाया थी। ₹ दो करोड़ ***(परिशिष्ट 3.7)*** के 41 पीडी खाते गत पाँच वर्षों (2008-13) से निष्क्रिय थे, जिसमें मुख्यत: तीन पीडी खाते, परियोजना निदेशक, डीआरडीए, सिरोही, जिला रसद अधिकारी, करौली तथा सहायक अभियन्ता, मृदा संरक्षण एवं जल संसाधन, भरतपुर क्रमश: ₹ 0.68 करोड़, ₹ 0.25 करोड़ तथा ₹ 0.22 करोड़ की बकाया राशि के साथ सम्मिलित थे।

(2) पीडी खाते से धन की निकासी के कारण ऋणात्मक शेष

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 264(1)(iii) के अनुसार निक्षेप लेखों से किसी भी परिस्थिति में जमा राशि से अधिक का भुगतान नहीं किया जायेगा। 46 पीडी खातों ***(परिशिष्ट 3.8)*** में राशि ₹ 27.30 करोड़ ऋणात्मक शेष से संबंधित है, जिसमें से एक पीडी खाता डॉ. एमपी खूँटेटा, होम्योपैथिक मेडिकल मोस. एण्ड केश, जयपुर (जयपुर कोषालय) का था जिसमें राशि ₹ 12.24 करोड़ थी। यह पीडी खाते में उपलब्ध राशि से अधिक आहरण को दर्शाता है।

(3) पीडी खातों में राशि का अवरोधन तथा उनका दीर्घ अवधि तक अभिप्रेत प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जाना

कुछ पीडी खातों की जाँच में प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2013 तक विभिन्न विभागों के पीडी खातों में कुछ राशि दीर्घ अवधि तक बिना उपयोग के बकाया रही, जैसा नीचे दर्शाया गया है:

(i) सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के पीडी खाते में बीपीएल परिवारों को आधार नामांकन (यूआईडी) संख्या जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 13.49 करोड़ की राशि मार्च 2011 में जारी कर जमा की गयी जो कि 31 मार्च 2013 तक अनुपयोगी पड़ी थी। लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने बताया (जून 2013) कि यूआईडीएआई से मार्गदर्शन के अभाव में प्रोत्साहन राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

(ii) राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज निगम लिमिटेड के पीडी खाते में राशि ₹ 9.52 करोड़ अनुपयोगी पड़ी रही जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	शेष राशि	बिना उपयोग के शेष
1.	राजस्थान इन्टीग्रेटेड गिनी वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम	3.30	2003-04 से
2.	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उदयपुर (जामर कोटडा) स्कीम	0.39	2005-06 से
3.	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जोधपुर सिटी (आईएमपी ऑफ डी/एस) योजना	5.83	2005-06 से
	योग	**9.52**	

तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि पिछले पाँच वर्षों से लेन देनों की अनुपस्थिति के कारण पीडी खाते निष्क्रिय रहे जोकि एक निरन्तर प्रक्रिया है। इन पीडी खातों को बन्द करने की शक्तियाँ कोषाधिकारियों को दी जा चुकी है तथा खातों को बन्द करने/शेषों के समायोजन के लिए कार्यवाही करने हेतु कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किये जा चुके है।

3.7 लघु शीर्ष ''800-अन्य व्यय'' तथा ''अन्य प्राप्तियों'' के अन्तर्गत पुस्तांकन

लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली का एक निर्णायक घटक यह है कि लेखों के प्रारूप जिनमें सरकार की प्राप्तियों और व्ययों को विधानमण्डल को प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा की जाये और अद्यतन किया जाये ताकि वे समस्त महत्वपूर्ण हितधारियों की बुनियादी सूचना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार के सभी मुख्य कार्यकलापों पर प्राप्ति एवं व्यय को पारदर्शी तरीके से वस्तुत: दर्शा सकें।

राज्य सरकार के वर्ष 2012-13 के वित्त लेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 60 मुख्य लेखाशीर्षों (जो सरकार के कार्यो को दर्शाते हैं) के अन्तर्गत ₹ 4,888.85 करोड़ लघु शीर्ष ''800-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये जो संबंधित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत अभिलेखित कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) का 6.60 प्रतिशत से अधिक थे। मुख्य योजनाओं, जैसे विभिन्न विद्युत कम्पनियों को दी गयी सहायतार्थ अनुदान/सहाय्य: ₹ 400.00 करोड़, वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर ब्याज: ₹ 1,002.86 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना: ₹ 350.61 करोड़, स्थानीय निकायों को जारी निधियां: ₹ 221.74 करोड़, जिला एवं अन्य सड़कें: ₹ 1,072.09 करोड़ (राजस्व व्यय: ₹ 513.28 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय ₹ 558.81 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर करों पर ब्याज अनुदान: ₹ 155.32 करोड़), राज्य आपदा एवं सहायता निधि को परिवर्तित अनुदान: ₹ 101.90 करोड़ तथा अच्छे देनदारों को सहकारिता के अन्तर्गत सहयोग हेतु ब्याज अनुदान: ₹ 114.21 करोड़ आदि, को वित्त लेखों में पृथक से नहीं दर्शाया गया अपितु लघु शीर्ष ''800-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया, यद्यपि इन व्ययों का विवरण उपशीर्ष (योजना) स्तर पर अथवा अनुदानों के लिए विस्तृत मांग के नीचे और सम्बन्धित शीर्षवार विनियोग लेखे, जो राज्य सरकार के लेखों का भाग है, में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार, 44 मुख्य लेखा शीर्षों (जो सरकार के कार्यों को दर्शाते हैं) के अन्तर्गत ₹ 2,364.10 करोड़ को लेखों में लघु शीर्ष ''800-अन्य प्राप्तियों'' के

अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया जो कि संबंधित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत अभिलिखित कुल प्राप्तियों (भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान के अतिरिक्त) का लगभग 3.96 प्रतिशत है।

लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत दर्ज की गई बड़ी राशियाँ, वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं। यह प्रदर्शित करता है कि सरकारी लेखों की वर्तमान संरचना इन विभागों/मंत्रालयों में सरकार के वर्तमान क्रियाकलापों को सही रूप से नहीं दर्शाती है।

3.8 पुस्तक समायोजन

कुछ संव्यवहार, नियतकालिक समायोजन तथा पुस्तक समायोजन प्रकृति के होते हैं तथा वे वास्तविक नकद संव्यवहार को प्रस्तुत नहीं करते, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

(i) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखे में निधियों का सृजन/अंशदान का समायोजन, उदाहरण के लिये राज्य आपदा मोचन निधि, आरक्षित निधियाँ आदि।

(ii) समेकित निधि को नामे द्वारा लोक लेखे में लेखों के जमा मदों में जमा।

(iii) सामान्य भविष्य निधि तथा राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन, जहां राज्य सरकार के सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज को '2049-ब्याज अदायगियां' को नामे तथा '8009-राज्य प्राविधिक निधि' को जमा द्वारा समायोजन किया जाता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, पुस्तक समायोजन की ₹ 5,849.68 करोड़ की 60 मदें[2] थी जिन्हें समेकित निधि से लोक लेखा अथवा लोक लेखा से समेकित निधि में अन्तरित किया गया। पुस्तक समायोजन, मुख्यत: राज्य प्रावधायी निधि के शेषों पर ब्याज: ₹ 1,390.05 करोड़, सिंचाई योजना के पूँजीगत व्यय पर ब्याज: ₹ 1,002.86 करोड़, राज्य आपदा मोचन निधि को केन्द्र एवं राज्य के अंश का अन्तरण: ₹ 662.22 करोड़, जीवन बीमा निगम के शेष पर ब्याज: ₹ 594.39 करोड़, राज्य आपदा मोचन निधि से पूरित सूखा एवं बाढ़ पर व्यय: ₹ 257.80 करोड़, ग्रामीण रोजगार गारन्टी निधि से राज्यांश का अन्तरण: ₹ 266 करोड़, सड़क एवं पुल निधि में सेस का अन्तरण: ₹ 239.01 करोड़ तथा गारन्टी शुल्क का गारन्टी मोचन निधि को स्थानान्तरण: ₹ 236.04 करोड़, किया गया।

3.9 प्राप्तियों एवं व्ययों का अंकमिलान

वित्तीय संहिता के प्रावधानों के अनुसार सभी नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे राज्य की प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से करें।

वर्ष 2012-13 के दौरान, सभी 383 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 81,263.91 करोड़ (निवल) के कुल व्यय का शत प्रतिशत अंकमिलान किया गया।

[2] मदों का विवरण राजस्थान सरकार के वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे (खण्ड- I) में दिया गया है।

इसी प्रकार, 131 नियंत्रण अधिकारियों में से 122 द्वारा ₹ 66,921.13 करोड़ की कुल प्राप्तियों (जिसमें विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं) के समक्ष ₹ 66,558.43 करोड़ (99 प्रतिशत) की राज्य सरकार की प्राप्तियों का अंकमिलान किया गया।

3.10 उचन्त लेखों के अन्तर्गत बकाया शेष

संघ एवं राज्यों की मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार, प्राप्ति एवं भुगतानों के संव्यवहार जिन्हें इनकी प्रकृति अथवा अन्य कारणों की सूचना के अभाव में अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकित नहीं किया जा सकता है, को दर्शाने के लिए सरकारी लेखों में कुछ मध्यस्थ/समायोजनीय लेखाशीर्ष, जिन्हें उचन्त शीर्ष के रूप में जाना जाता है, परिचालित किये जाते हैं। जब इन शीर्षों की राशि संबंधित अंतिम लेखे शीर्षो में पुस्तांकित कर ली जाती हैं तब ये लेखे शीर्ष, ऋण नामे अथवा ऋण जमा के द्वारा अंतिम रूप से समाशोधित कर लिये जाते हैं। यदि इन राशियों का समाशोधन नहीं होता है, तो ये राशियाँ उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत संचित रहती है जिससे सरकार की प्राप्तियों एवं व्ययों का सही रूप दर्शित नहीं होता।

उचन्त शेषों का खाता, वेतन एवं लेखाधिकारी द्वारा उप/विस्तृत शीर्षवार, जैसा भी आवश्यक हो, संधारित किया जाता है।

31 मार्च 2013 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखे में मुख्य शीर्ष ''8658-उचन्त लेखे" के अन्तर्गत ₹ 10.27 करोड़ (जमा) का कुल निवल शेष था। वित्त लेखे में, उचंत लेखे के अन्तर्गत, निवल शेष प्रतिबिंबित होते हैं और इस कारण इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया की वास्तविक स्थिति राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने वाले सरकार के वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित नहीं हो पाती है। इन शीर्षों के अन्तर्गत सही शेष विभिन्न उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत नामे एवं जमा शेषों के पृथक से योग करने पर निकाला जा सकता है। जमा/नामे शेषों की निवलता वित्त लेखों में उचंत शेषों की उल्लेखनीय न्यूनोक्ति का कारण बनती है। यह न्यूनोक्ति लघु शीर्ष के साथ-साथ मुख्य शीर्ष स्तर पर भी होती है। मुख्य शीर्ष ''8658-मुख्य उचन्त लेखे'' की गत तीन वर्षों के उचन्त शेषों की स्थिति ***परिशिष्ट 3.9*** में दी गई है।

उचन्त लेखों का, वर्ष 2010-11 में ₹ 4.30 करोड़ (नामे) का कुल निवल शेष वर्ष 2012-13 में ₹ 10.27 करोड़ (जमा) का शेष छोड़ते हुये, ₹ 14.57 करोड़ से कम हुआ। यह कमी मुख्यत: वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त (₹ 17.80 करोड़) उप-शीर्ष के अन्तर्गत रही जो कि उचन्त लेखा (सिविल) उप-शीर्ष में (₹ 5.30 करोड़) बढ़ोतरी द्वारा प्रतिसंतुलित हुयी। यह भी दृष्टिगत् हुआ कि वर्ष 2012-13 में उचंत लेखा, वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत के अन्तर्गत निवल नामे शेष में वर्ष 2010-11 की तुलना में कमी हुई।

3.10.1 वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त

यह लघु शीर्ष संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ राज्य क्षेत्र के वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा महालेखाकार की पुस्तकों में उत्पन्न हुये अन्तर-सरकारी एवं अन्तर-विभागीय संव्यवहारों के निपटान के लिये परिचालित होता है। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत संव्यवहार एक लेखाधिकारी द्वारा दूसरे लेखाधिकारी, जिसके लिए लघु शीर्ष "वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त" परिचालित है, के

निमित्त या तो की गई वसूलियों या किये गये भुगतान को प्रदर्शित करते है। शीर्ष के अन्तर्गत जमा को "ऋण जमा" के द्वारा तब समाशोधित किया जाता है जब उस लेखाधिकारी, जिसकी पुस्तकों में प्रारम्भिक वसूली लेखाबद्ध की गयी थी, द्वारा चैक जारी किया जाता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त के अन्तर्गत नामे को "ऋण नाम" के द्वारा तब समाशोधित किया जाता है जब उस लेखाधिकारी, जिसके निमित्त भुगतान किया गया था, से चैक प्राप्त हो जाये एवं उसका समाशोधन हो जाये। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया नामे शेष का अर्थ होगा कि वेतन एवं लेखाधिकारी द्वारा दूसरे वेतन एवं लेखाधिकारी के निमित्त भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली अभी होनी है। बकाया जमा शेष का अर्थ होगा कि वेतन एवं लेखाधिकारी द्वारा दूसरे वेतन एवं लेखाधिकारी के निमित्त भुगतान प्राप्त किया गया है, जिसका भुगतान अभी किया जाना है।

मार्च 2013 में, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 10.43 करोड़ का नामे शेष तथा ₹ 0.57 करोड़ का जमा शेष बकाया था। बकाया शेष मुख्यत: वेतन एवं लेखाधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग) सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर: ₹ 9.72 करोड़ (नामे) एवं ₹ 0.07 करोड़ (जमा), वेतन एवं लेखाधिकारी (ईआरआईएस एवं बैंकिंग) आर्थिक मामलात विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली: ₹ 0.47 करोड़ (नामे), वेतन एवं लेखाधिकारी निर्वाचक कार्यालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली: ₹ 0.29 करोड़ निवल (जमा) तथा वेतन एवं लेखाधिकारी (विधि मामलात), विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ₹ 0.02 करोड़ (नामे) एवं ₹ 0.21 करोड़ (जमा) के सम्बन्ध में था, जो इंगित करता है कि इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य वेतन एवं लेखाधिकारियों के निमित्त किये गये (नामे) अथवा प्राप्त किये गये (जमा) भुगतान उनके द्वारा 31 मार्च 2013 को वसूल होने/भुगतान किये जाने शेष थे। वेतन एवं लेखाधिकारी-उचंत के अन्तर्गत नामे अथवा जमा शेष तथा उनके निरन्तर संचय ने महत्वपूर्ण नियन्त्रणात्मक त्रुटियों को इंगित किया है।

वित्त लेखे 2012-13 के अनुसार, वेतन एवं लेखाधिकारी (ईआरआईएस एवं बैंकिंग) आर्थिक मामलात विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के पास केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों और उन पर ब्याज की राशि से सम्बद्ध ₹ 0.47 करोड़ (नामे) वर्ष 1999-2000 के पहले से लम्बित थे।

3.10.2 उचन्त लेखे (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष उन संव्यवहारों के लेखांकन के लिये प्रचालित किया जाता है, जिन्हें कुछ सूचनाओं/दस्तावेजों जैसे वाउचरों, चालानों इत्यादि के अभाव में प्राप्ति अथवा व्यय के अन्तिम शीर्ष में नहीं ले जाया जा सकता है। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियों को अभिलेखित करने के लिए जमा एवं किये गये व्ययों को नामे किया जाता है। वांछित सूचना/दस्तावेज इत्यादि प्राप्त होने पर, लघु शीर्ष का समाशोधन ऋणात्मक जमा द्वारा संबंधित लेखों के मुख्य/उप-मुख्य/लघु शीर्षों में प्रतिलेखा नामे अथवा जमा द्वारा किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया नामे शेष का अर्थ है कि ऐसा भुगतान किया गया, जिन्हें विवरण के अभाव में अंतिम व्यय शीर्ष को नामे नहीं किया जा सका हो। बकाया जमा शेष का अर्थ ऐसी लेखा प्राप्तियाँ हैं, जिन्हें विवरण के अभाव में अंतिम प्राप्ति शीर्ष में जमा न किया जा सका हो।

31 मार्च 2013 को लघु शीर्ष में ₹ 3.82 करोड़ (नामे) एवं ऋणात्मक ₹ 0.01 करोड़ (जमा) का बकाया शेष था, इससे यह प्रदर्शित हुआ कि ₹ 3.83 करोड़ की प्राप्तियों एवं व्यय, जिन्हें निपटान हेतु पृथक-पृथक व्यवहारित करना अपेक्षित था, को उनके अन्तिम लेखा शीर्षों में पुस्तांकित नहीं किया गया। रक्षा लेखों के अन्तर्गत मुख्य बकाया शेष सीडीए (पेंशन), इलाहबाद: ₹ 2.40 करोड़ (जमा), सीडीए (एससी) पूना: ₹ 0.34 करोड़ (नामे), निदेशक, डाक लेखा, कोलकाता के अन्तर्गत भवन निर्माण अग्रिम उचंत: ₹ 0.72 करोड़ (नामे) तथा अवर्गीकृत उचन्त: ₹ 0.35 करोड़ (नामे) तथा ऋणात्मक ₹ 0.02 करोड़ (जमा) से संबंधित थे।

वित्त लेखों के अनुसार, रक्षा लेखा के पास वर्ष 1977-78 से 2012-13 की अवधि के शेष ₹ 2.74 करोड़ (नामे) बकाया थे तथा डाक लेखा, कोलकाता के पास 1969-70 की अवधि के भवन निर्माण अग्रिम उचन्त के शेष ₹ 0.72 करोड़ (नामे) बकाया थे।

3.10.3 सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा

क्रय द्वारा अथवा अंत:प्रभागीय हस्तानान्तरणों के माध्यम से प्राप्त हुये भण्डारों की लागत के ऐसे सभी मामलों में, जहाँ भण्डारों की प्राप्ति के माह में ही भुगतान नहीं किया गया हो, को प्रारम्भ में इस उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया जायेगा। इस शीर्ष का समाशोधन भण्डारों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्त्ता/प्रभाग को भुगतान करने पर प्रतिलेखा प्रविष्टि (ऋणात्मक जमा) द्वारा किया जायेगा। इस शीर्ष के अन्तर्गत तीन पूर्ण लेखा वर्षों से अधिक समय तक दावा न की गई शेष राशियों को राजस्व में जमा द्वारा समाशोधित किया जायेगा।

इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2013 को ₹ 2.09 करोड़ (जमा) का "ऋणात्मक" शेष बकाया था जो कि लेखाओं में भण्डार क्रय के समायोजन नहीं होने के कारण था। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत समाशोधित नहीं किया गया ''ऋणात्मक'' जमा शेष, सरकार के अतिमहत्वपूर्ण नियन्त्रणात्मक त्रुटि को इंगित करता है।

3.11 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

अगस्त 2013 तक, पाँच विभागीय अधिकारियों द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिये दी गई अनुदानों (₹ 30.82 करोड़) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान को प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रमाण-पत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा अनुदान का उपयोग अभिप्रेत प्रयोजनों के लिये किया गया। वर्ष 2011-12 तक देय 110 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे (संख्या 287) प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) को 31 जुलाई 2013 तक प्राप्त नहीं हुये थे। अत: उन संस्थानों को, जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी थी, को चिन्हित नहीं किया जा सका।

₹ 46.84 करोड़ की राशि के सरकारी धन के दुर्विनियोजन, चोरी एवं हानि के 979 बकाया प्रकरणों में से, ₹ 20.11 करोड़ के 388 प्रकरणों में विभागीय प्रक्रिया एवं आपराधिक जाँच बकाया थी, जो जवाबदेयता निर्धारित करने में सरकार की पहल की कमी को इंगित करता है।

वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर 1,491 पीडी खातों में ₹ 2,173.73 करोड़ का अव्ययीत शेष पड़ा हुआ था। लघु शीर्ष ''800-अन्य व्यय'' तथा ''800-अन्य प्राप्तियों'' के अधीन पुस्तांकित केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत व्यय एवं प्राप्तियों की उल्लेखनीय राशियों को वर्ष 2012-13 के वित्त लेखाओं में स्पष्ट रूप से दर्शाया नहीं गया, जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। ***नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) के साथ सरकार के व्यय एवं प्राप्तियों का क्रमशः 100 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत तक अंकमिलान किया गया।***

सिफारिशें

- विभागों को, विशिष्ट उद्देश्यों के लिये निर्मोचित अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों एवं स्वायत्त निकायों के सम्बन्ध में वार्षिक लेखाओं का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिये।
- जालसाजी एवं दुर्विनियोजन के सभी प्रकरणों में दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विभागीय जाँच में शीघ्रता लायी जानी चाहिये। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिये सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- वित्तीय रिपोर्टिंग में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त की गई अथवा व्यय की गई बड़ी राशियों को लघु शीर्ष ''800-अन्य व्यय'' एवं ''800-अन्य प्राप्तियाँ'' के अंतर्गत एकत्रित करने की बजाय, लेखाओं में स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिये।

जयपुर,
दिनांक

(सुनील बाहरी)
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

राज्य की रूपरेखा
(संदर्भ राजस्थान की रूपरेखा, पृष्ठ 1)

अ. सामान्य आंकड़ें

क्र.सं.	विवरण		आंकड़ें
1	क्षेत्रफल		3,42,239 वर्ग किमी
2	जनसंख्या		
	(अ)	2001 की जनगणनानुसार	5.65 करोड़
	(ब)	2011 की जनगणनानुसार	6.86 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व 2001 (भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)		165 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
	जनसंख्या घनत्व 2011 (भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)		201 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या* (बीपीएल) (भारत का औसत = 21.9 प्रतिशत)		*14.7 प्रतिशत*
5	(अ)	कुल साक्षरता (2001) (भारत का औसत = 64.8 प्रतिशत)	60.4 *प्रतिशत*
	(ब)	कुल साक्षरता (2011) (भारत का औसत = 74.0 प्रतिशत)	67.1 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्यु दर** (प्रति 1000 जीवित जन्म) (भारत का औसत = 42 प्रति 1000 जीवित जन्म)		49
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा*** (भारत का औसत = 66.1 वर्ष)		66.5 वर्ष
8	गिनी गुणांक ****		
	(अ)	ग्रामीण (भारत = 0.29)	0.23
	(ब)	शहरी (भारत = 0.38)	0.38
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2012-13 वर्तमान मूल्य पर		₹ 4,78,160 करोड़
10	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 2003-04 से 2012-13	राजस्थान	*14.45 प्रतिशत*
		*****अन्य सामान्य श्रेणी के राज्य	*14.94 प्रतिशत*
11	जीएसडीपी सीएजीआर (2003-04 से 2012-13)	राजस्थान	16.42 *प्रतिशत*
		सामान्य श्रेणी के राज्य	*16.37 प्रतिशत*
12	जनसंख्या वृद्धि# (2003-04 से 2012-13)	राजस्थान	*16.60 प्रतिशत*
		सामान्य श्रेणी के राज्य	*13.22 प्रतिशत*

ब. वित्तीय आंकड़ें$

क्र.सं.	विवरण				
1	सीएजीआर		2003-04 से 2011-12		2003-04 से 2012-13
			सामान्य श्रेणी के राज्य*****	राजस्थान	राजस्थान
			(प्रतिशत में)		
	(क)	राजस्व प्राप्तियों का	17.48	17.75	17.69
	(ख)	स्व-कर राजस्व का	17.44	16.96	17.30
	(ग)	कर-भिन्न राजस्व का	12.64	20.44	21.67
	(घ)	कुल व्यय का	14.15	13.20	14.30
	(ड)	पूंजीगत व्यय का	16.83	10.59	14.39
	(च)	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.85	15.59	15.15
	(छ)	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.35	15.77	15.38
	(ज)	वेतन एवं मजदूरी का	14.18	13.98	13.63
	(झ)	पेंशन का	18.36	15.71	15.71

* प्रेस टिप्पणी जुलाई 2013 योजना आयोग बीपीएल 2011-12 तेन्दुलकर पद्धति द्वारा

** शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन सितम्बर 2013)

*** जन्म की जीवन प्रत्याशा (2012-13 के लिए आर्थिक समीक्षा सूचक)

**** गिनी-गुणांक (वर्ष 2009-10 के लिए योजना आयोग के आँकड़ें)

गिनी-गुणांक लोगों में आय की असमानता का मापक है। मूल्य दर शून्य से एक है, शून्य के पास होने पर असमानता कम होती है, एक के पास होने पर असमानता अधिक होती है।

***** *16 सामान्य श्रेणी के राज्यों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर (दिल्ली, गोवा और पुदुच्चेरी को छोड़कर)।*

\# भारतीय जनगणना के अनुसार प्राक्कलित कुल जनसंख्या 2001-2026

$ *वित्तीय आंकड़ें राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित हैं।*

परिशिष्ट 1.2

भाग–अ
सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप
(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखे की संरचना:

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के निर्गम द्वारा लिये गये समस्त कर्ज, आन्तरिक एवं बाह्य कर्ज तथा सरकार द्वरा कर्जों की अदायगी हेतु प्राप्त समस्त राशि से एक समेकित निधि का गठन होता है जिसे भारत के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत गठित "राज्य की समेकित निधि" नाम से जाना जाता है।

भाग II: आकस्मिकता निधि: भारत के संविधान की धारा 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के पास उपलब्ध एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से वे विधानमण्डल से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान कर सके। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा इसी के बराबर की राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमण्डल की अनुमति बाद में प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, प्रावधायी निधियों, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उचंत, प्रेषण, इत्यादि से सम्बन्धित कुछ लेन-देनों से संबंधित प्राप्तियों एवं संवितरणों जो कि समेकित निधि के भाग नहीं है, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखा में सम्मिलित किया जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं है।

स्त्रोत: सरकारी लेखाकरण नियम, 1990

परिशिष्ट 1.2

भाग–ब
वित्त लेखे का खाका
(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 2)

वित्त लेखे को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड 1 में सरकार के वित्तीय विवरण सारांशीकृत रूप में प्रस्तुत किये गये हैं जबकि विस्तृत वित्तीय विवरण खण्ड 2 में प्रस्तुत किये गये हैं।

विवरण संख्या	वित्त लेखे का खाका
खण्ड 1 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, चार सारांशीकृत विवरण जैसाकि नीचे दिया गया है, एक परिशिष्ट तथा लेखांकन की नीतियां सम्मिलित करते हुए लेखाओं से टिप्पणियां सम्मिलित है।	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण: सरकार की 2012-13 के अन्त में परिसम्पत्तियों एवं देयताऐं के संचयी आंकड़ें।
2	राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के अन्तर्गत वर्ष के दौरान राज्य की समस्त प्राप्तियाँ और वितरणों का सारांश।
3	राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं सरकार को उधारों से प्राप्तियाँ जिसमें भारत सरकार से ऋणों की प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा बाजार से उठाये गये कर्ज सम्मिलित है, का सारांश।
4	राजस्व एवं पूँजीगत व्यय तथा राज्य द्वारा उठाये गये ऋणों का पुनर्भुगतान कार्यकलाप और प्रकृति के अनुसार व्यय का सारांश।
खण्ड 2 में तीन भाग समाविष्ट है। **भाग I** में छः विवरण है जैसाकि नीचे दिया गया है:	
5	कार्यकलाप के अनुसार वर्ष 2012-13 के अंत तक प्रगामी व्यय प्रदर्शित करने वाला पूंजीगत परिव्यय का सारीकृत विवरण।
6	राज्य के ऋण की स्थिति जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से उधार, अन्य देयताऐं और ऋण सेवा सम्मिलित है, का सारांश।
7	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये कर्जों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान, बकाया रही वसूलियों इत्यादि का सारांश।
8	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायतार्थ अनुदान का विवरण पत्र, जिन्हें अनुदानित संस्थाओं द्वारा समूहवार व्यवस्थित रखा गया है।
9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों आदि के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का सारांश।
10	वर्ष के दौरान हुए प्रभारित तथा दत्तमत व्ययों का वितरण।
खण्ड 2 का भाग II: इस भाग में 9 विवरण है जिनमें संव्यवहारों का विवरण लघु शीर्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो खण्ड 1 तथा खण्ड 2 के भाग I में दिखाए गए विवरणों के अनुरूप होते है:	
11	लघुशीर्ष वार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार लेखा।
12	आयोजना-भिन्न और आयोजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार राजस्व व्यय का लेखा तथा गत वर्ष की राशियों से तुलना।
13	आयोजना भिन्न और आयोजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार पूंजीगत व्यय का लेखा तथा गत वर्ष की राशियों से तुलना। वर्ष के अन्त तक संचयी पूंजीगत व्यय भी प्रदर्शित किये गये है।
14	वर्ष 2012-13 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार लेखा।
15	लघुशीर्षवार उधारों, सभी कर्जों के परिपक्व और पुनर्भुगतान की रूपरेखा का ब्यौरेवार लेखा।
16	राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और अग्रिमों, वर्ष के दौरान अदा किये गये कर्ज की राशि, 31 मार्च 2013 को शेष का ब्यौरेवार लेखा।
17	राजस्व लेखा के अतिरिक्त निधियों के स्त्रोतों तथा अनुप्रयोग का ब्यौरेवार लेखा।
18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहार का ब्यौरेवार लेखा।
19	लोक लेखा के अन्तर्गत आरक्षित निधियों के पृथक रक्षित शेषों में निवेश का ब्यौरा।
खण्ड 2 का भाग III: वित्त लेखे के भाग III में 10 परिशिष्टों में वेतन, अर्थसहाय्य, योजनावार एवं संस्थावार सहायतार्थ अनुदान के ब्यौरे, बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य की आयोजनागत योजनाओं इत्यादि के संबंध में योजनावार व्यय शामिल है।	

स्त्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर समय श्रेणी आँकड़ें

(संदर्भ अनुच्छेद 1.4; पृष्ठ 13)

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भाग क: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**33,469**	**35,385**	**45,928**	**57,011**	**66,913**
(i) कर राजस्व	14,943(45)	16,414(46)	20,758(45)	25,377(45)	30,503(46)
कृषि आय पर कर	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	8,904(60)	10,163(62)	12,630(61)	15,767(62)	18,575(61)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,170(14)	2,300(14)	2,861(14)	3,287(13)	3,988(13)
वाहनों पर कर	1,214(8)	1,373(8)	1,612(8)	1,927(8)	2,283(7)
मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	1,357(9)	1,363(8)	1,941(9)	2,651(10)	3,335(11)
भू-राजस्व	163(1)	148(1)	222(1)	209(1)	304(1)
माल तथा यात्री कर	190(1)	176(1)	231(1)	220(1)	249(1)
अन्य कर	945(7)	891(6)	1,261(6)	1,316(5)	1,769(6)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	3,889(12)	4,558(13)	6,294(14)	9,175(16)	12,133(18)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	8,999(26)	9,258(26)	12,856(28)	14,977(26)	17,103(25)
(iv) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	5,638(17)	5,155(15)	6,020(13)	7,482(13)	7,174(11)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**4**	**9**	**13**	**16**	**8**
3. कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**89**	**112**	**319**	**1,229**	**1,102**
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**33,562**	**35,506**	**46,260**	**58,256**	**68,023**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**7,478**	**8,797**	**7,977**	**5,918**	**9,955**
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,152(96)	8,539(97)	7,617(95)	5,581(94)	9,755(98)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम	326(4)	258(3)	360(5)	337(6)	200 (2)
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**41,040**	**44,303**	**54,237**	**64,174**	**77,978**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**165**	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**93,580**	**1,09,357**	**1,19,490**	**1,27,215**	**1,56,563**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**1,34,785**	**1,53,660**	**1,73,727**	**1,91,389**	**2,34,541**
भाग ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**34,296**	**40,132**	**44,873**	**53,654**	**63,462**
आयोजना	5,771(17)	6,287(16)	8,752(20)	12,416(23)	14,235(22)
आयोजना-भिन्न	28,525(83)	33,845(84)	36,121(80)	41,238(77)	49,227(78)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	12,950(38)	15,647(39)	16,737(37)	18,709(35)	20,496(32)
सामाजिक सेवाऐं	14,053(41)	16,494(41)	17,895(40)	21,928(41)	25,293(40)
आर्थिक सेवाऐं	7,267(21)	7,972(20)	10,220(23)	12,744(24)	17,408(27)
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	26(-)	19(-)	21(-)	273(-)	265(1)
11. पूँजीगत व्यय	**5,900**	**5,175**	**5,251**	**7,119**	**10,683**
आयोजना	6,096	5,820	5,231(99)	7,103(99)	10,682(100)
आयोजना-भिन्न	(-)196	(-) 645	20(1)	16(1)	1
सामान्य सेवायें	(-) 145	(-)577	155(3)	204(3)	249(2)
सामाजिक सेवाऐं	3,088	2,506	1,836(35)	1,997(28)	2,840(27)
आर्थिक सेवाऐं	2,957	3,246	3,260(62)	4,918(69)	7,594(71)
12. कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	**340**	**498**	**262**	**1,109**	**2,412**
13. योग (10+11+12)	**40,536**	**45,805**	**50,386**	**61,882**	**76,557**
14. लोक ऋणों की अदायगी	**2,433**	**2,945**	**3,317**	**3,490**	**4,707**
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,041(84)	2,545(86)	2,863(86)	3,022(87)	4,239(90)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम	392(16)	400(14)	454(14)	468(13)	468(10)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	**165**	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**43,134**	**48,750**	**53,703**	**65,372**	**81,264**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	**91,779**	**1,07,714**	**1,16,298**	**1,22,320**	**1,50,175**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**1,34,913**	**1,56,464**	**1,70,001**	**1,87,692**	**2,31,439**
भाग: ग घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	**(-) 827**	**(-) 4,747**	**(+) 1,055**	**(+) 3,357**	**(+) 3,451**
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	**(-) 6,974**	**(-) 10,299**	**(-) 4,126**	**(-) 3,626**	**(-) 8,534**

[1] 2008-09 : ₹ 0.06 लाख, 2009-10 : ₹ 0.07 लाख, 2010-11 : ₹ 0.01 लाख, 2011-12 : ₹ 0.01 लाख और 2012-13 : ₹ 0.01 लाख।

परिशिष्ट 1.3

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
	(-) 750	(-) 3,530	(+) 3,243	(+) 4,266	(-) 194
भाग: घ अन्य आँकड़ें					
23. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	6,224	6,769	7,369	7,892	8,340
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	**6,489**	**8,044**	**10,216**	**12,337**	**16,218**
25. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)[@]	**2,30,949**	**2,65,825**	**3,41,865**[♣]	**4,16,755**[⊗]	**4,78,160**[▽]
28. बकाया राजकोषीय देयताऐं (वर्ष के अन्त में)	**84,023**	**91,533**	**99,285**	**1,06,560**	**1,17,809**
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	**27,765**	**39,069**	**50,692**	**60,711**	**75,546**
30. दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	**46,080**	**63,621**	**88,112**	**97,566**	**1,13,340**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या[$]	**579**	**144**	**152**	**160**	**166**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	**4,759**	**6,271**	**7,142**	**7,993**	**8,659**
भाग ङ: राजकोषीय स्थिति सूचक (प्रतिशत में)					
I. संसाधनों की गतिशीलता					
स्व-कर राजस्व/जीएसडीपी	6.5	6.2	6.1	6.1	6.4
स्व-कर भिन्न राजस्व/जीएसडीपी	1.7	1.7	1.8	2.2	2.5
केन्द्रीय अन्तरण/जीएसडीपी	6.3	5.4	5.5	5.4	5.1
II. व्यय प्रबन्धन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय/जीएसडीपी	17.6	17.2	14.7	14.8	16.0
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	121.1	129.4	109.7	108.5	114.4
राजस्व व्यय/कुल व्यय	**84.6**	**87.6**	**89.1**	**86.7**	**82.9**
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	**34.7**	**36.0**	**35.5**	**35.4**	**33.0**
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	**17.9**	**17.4**	**20.3**	**20.6**	**22.7**
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**14.6**	**11.3**	**10.4**	**11.5**	**14.0**
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**14.9**	**12.6**	**10.1**	**11.2**	**13.6**
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(-) 0.4	(-) 1.8	(+) 0.3	(+) 0.8	(+) 0.7
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी	(-) 3.0	(-) 3.9	(-) 1.2	(-) 0.9	(-) 1.8
प्रारम्भिक घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(-) 0.3	(-) 1.3	(+) 0.9	(+)1.0	0.00
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	11.9	46.1	-	-	-
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताऐं/जीएसडीपी	**36.4**	**34.4**	**29.0**	**25.6**	**24.6**
राजकोषीय देयताऐं/राजस्व प्राप्तियाँ	**251.0**	**258.7**	**216.2**	**186.9**	**176.1**
प्रारम्भिक घाटा की तुलना में प्रमात्रा विस्तार (₹ करोड़ में)	**7,581**	**2,688**	**22,373**	**18,364**	**7,585**
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज)/ऋण प्राप्तियाँ	**99.3**	**99.3**	**99.7**	**100.5**	**98.2**
V. अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिलाभ	**0.5**	**0.4**	**0.2**	**0.4**	**0.3**
चालू राजस्व शेष	**578**	**(-) 1,900**	**5,503**	**11,192**	**13,187**
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताऐं	**0.70**	**0.67**	**0.71**	**0.76**	**0.81**

स्त्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: कोष्ठक में संख्या प्रत्येक उपशीर्ष का योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

@. स्त्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

♣ प्रावधिक अनुमान

⊗ त्वरित अनुमान

▽ अग्रिम अनुमान

$ वर्ष 2008-09 के दौरान प्रत्येक परियोजनाओं जिनकी लागत ₹ 1 करोड़ से अधिक थी, पर टिप्पणी की गयी थी। 2008-09 के बाद ₹ 10 करोड़ की लागत से ऊपर की परियोजनाओं पर टिप्पणी की गयी है।

परिशिष्ट 1.4

वर्ष 2012-13 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(संदर्भ अनुच्छेद 1.2; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

2011-12	प्राप्तियाँ		2012-13	2011-12	संवितरण	आयोजना-भिन्न	आयोजना	योग	2012-13
भाग क: राजस्व									
57,010.76	**I. राजस्व प्राप्तियाँ**		**66,913.01**	**53,653.31**	**I. राजस्व व्यय**	**49,226.49**	**14,235.30**	**63,461.79**	**63,461.79**
25,377.06	कर राजस्व	30,502.65		**18,708.52**	**सामान्य सेवाऐं**	**20,175.86**	**319.94**	**20,495.80**	
				21,927.87	**सामाजिक सेवाऐं**	**18,231.50**	**7,061.44**	**25,292.94**	
9,175.10	कर-भिन्न राजस्व	12,133.59		11,585.71	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	10,512.44	2,440.04	12,952.48	
				3,270.57	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,376.49	1,301.33	3,677.82	
14,977.04	संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	17,102.85		3,177.20	जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास	3,162.85	1,038.06	4,200.91	
				49.51	सूचना एवं प्रसारण	87.76	-	87.76	
2,900.70	आयोजना-भिन्न अनुदान	2,674.62		634.21	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	103.35	706.30	809.65	
2,415.84	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	2,315.74		113.27	श्रमिक तथा श्रम कल्याण	334.93	9.51	344.44	
				3,071.22	समाज कल्याण तथा पोषण	1,626.21	1,566.20	3,192.41	
				26.18	अन्य	27.47	-	27.47	
2,165.02	केन्द्र एवं केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	2,183.56		**12,743.89**	**आर्थिक सेवाऐं**	**10,780.05**	**6,627.97**	**17,408.02**	
				2,603.28	कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप	1,242.70	1,807.82	3,050.52	
				3,639.39	ग्रामीण विकास	1,400.85	3,379.48	4,780.33	
				0.42	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	0.69	0.69	
				1,411.54	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,492.17	76.02	1,568.19	
				3,007.23	ऊर्जा	5,206.37	403.16	5,609.53	
				199.40	उद्योग तथा खनिज	160.89	50.98	211.87	
				1,272.69	परिवहन	865.88	454.95	1,320.83	
				39.39	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	5.37	25.25	30.62	
				570.55	सामान्य आर्थिक सेवाऐं	405.82	429.62	835.44	
				273.03	**सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान**	**39.08**	**225.95**	**265.03**	
				53,653.31	**योग**	**49,226.49**	**14,235.30**	**63,461.79**	

परिशिष्ट 1.4

(₹ करोड़ में)

2011-12	प्राप्तियाँ	2012-13	2011-12	संवितरण	आयोजना-भिन्न	आयोजना	योग	2012-13
-	**II. अनुभाग-ख को अग्रेनीत किया गया राजस्व घाटा**		**3,357.45**	**II. अनुभाग-ख को अग्रेनीत राजस्व अधिशेष**	-	-	**3,451.22**	**3,451.22**
57,010.76	**योग**	**66,913.01**	**57,010.76**	**योग**			**66,913.01**	**66,913.01**
भाग ख: अन्य								
6,087.76	**III. प्रारम्भिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित**	9,785.11	-	**III. प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक से**	-	-	-	-
15.73	**IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ**	8.12	7,119.25	**IV. पूँजीगत परिव्यय**	1.35	10,682.22	10,683.57	10,683.57
			203.87	**सामान्य सेवाऐं**	(-)12.57[2]	**262.13**	**249.56**	
			1,996.71	**सामाजिक सेवाऐं**	**12.04**	**2,828.06**	**2,840.10**	
			78.29	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	-	120.22	120.22	
			95.63	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	213.84	213.84	
			1,591.68	जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास	12.04	2,214.63	2,226.67	
			0.03	सूचना एवं प्रसारण	-	1.66	1.66	
			188.55	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	232.92	232.92	
			33.80	समाज कल्याण तथा पोषण	-	36.82	36.82	
			8.73	अन्य	-	7.97	7.97	
			4,918.67	आर्थिक सेवाऐं	**1.88**	**7,592.03**	**7,593.91**	
			209.01	कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप	1.88	332.10	**333.98**	
			228.28	ग्रामीण विकास	-	468.02	468.02	
			148.50	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	219.60	219.60	
			664.03	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	-	894.64	894.64	
			2,459.00	ऊर्जा	-	3,868.00	3,868.00	
			45.43	उद्योग तथा खनिज	-	82.56	82.56	
			1,083.31	परिवहन	-	1,603.34	1,603.34	
			0.19	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	-	2.69	2.69	
			80.92	सामान्य आर्थिक सेवाऐं	-	121.08	121.08	
			7,119.25	योग	**1.35**	**10,682.22**	**10,683.57**	

[2] ऋणात्मक संख्या मुख्य शीर्ष 8235 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य निवेश निधि से संबंधित राशि जमा करने के कारण है।

परिशिष्ट 1.4

(₹ करोड़ में)

2011-12	प्राप्तियाँ		2012-13	2011-12	संवितरण	आयोजना-भिन्न	आयोजना	योग	2012-13
1,229.31	**V. कर्जे एवं अग्रिमों की वसूलियाँ**		**1,101.56**	**1,109.10**	**V. संवितरित कर्जे तथा अग्रिम**	170.08	**2,241.75**	**2,411.83**	**2,411.83**
1,140.31	विद्युत परियोजनाओं से	885.68		995.00	विद्युत परियोजनाओं के लिए	-	1,829.13	1,829.13	
0.64	सरकारी कर्मचारियों से	0.32		-	सरकारी कर्मचारियों को	-	-	-	
88.36	अन्य से	215.56		114.10	अन्य को	170.08	412.62	582.70	
3,357.45	**VI अद्योनीत राजस्व अधिशेष**		**3,451.22**	**-**	**VI अद्योनीत राजस्व घाटा**	-	-	**-**	**-**
5,918.40	**VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ**	-	**9,955.00**	**3,490.42**	**VII लोक ऋण की वापस अदायगी**	-	-	-	**4,706.72**
-	बाह्य ऋण	-		-	बाह्य ऋण	-	-	-	
5,581.30	मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आन्तरिक ऋण	9,755.12		3,022.15	मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आन्तरिक ऋण	-	-	4,238.61	
-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-		-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	
-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन देन	-		-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन देन	-	-	-	
337.10	भारत सरकार से कर्जे तथा अग्रिम	199.88		468.27	भारत सरकार को कर्जे तथा अग्रिम की वापिस अदायगी	-	-	468.11	
-	**VIII आकस्मिकता निधि को विनियोजन**		-	-	**VIII आकस्मिकता निधि को विनियोजन**	-	-	-	-
-	**IX आकस्मिक निधि को अन्तरित राशि**		-	-	**IX आकस्मिक निधि से व्यय**	-	-	-	-
1,27,214.84	**X. लोक लेखा प्राप्तियाँ**		**1,56,563.24**	**1,22,319.61**	**X. लोक लेखा संवितरण**	-	-	-	**1,50,175.41**
5,630.47	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	7,170.87		2,863.33	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	-	-	5,007.02	
1,638.04	आरक्षित निधियाँ	**1,567.72**		618.28	आरक्षित निधियाँ	-	-	786.23	
26.76	उचन्त तथा विविध	43.70		15.09	उचन्त तथा विविध	-	-	46.74	
5,618.49	प्रेषण	7,033.16		5,618.17	प्रेषण	-	-	**7,003.81**	
1,14,301.08	जमा तथा अग्रिम	1,40,747.79		1,13,204.74	जमा तथा अग्रिम	-	-	1,37,331.61	

परिशिष्ट 1.4

2011-12	प्राप्तियाँ	2012-13	2011-12	संवितरण	आयोजना–भिन्न	आयोजना	योग	2012-13
-	XI अन्तिम ओवरड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक से -	-	9,785.11	IX अन्त में नकद शेष	-	-	-	12,886.72
			(-) 3.42	खजाने में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	-	-	(-) 1.36	
			38.90	रिजर्व बैंक के पास जमा	-	-	(-) 41.39	
			6.37	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	-	-	4.87	
			9,307.78	रोकड़ शेष निवेश	-	-	12,127.82	
			435.48	चिन्हित निवेश निधियाँ	-	-	796.78	
1,43,823.49	योग	1,80,864.25	1,43,823.49	योग				1,80,864.25

स्त्रोतः वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.5

31 मार्च 2013 को राजस्थान सरकार की सारीकृत वित्तीय स्थिति

(संदर्भ अनुच्छेद 1.10.1; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2012 को	देयतायें		31 मार्च 2013 को
64,456.43	**आन्तरिक ऋण**		**69,972.94**
38,551.12	बाजार से लिए गए ब्याज वाले कर्जे	44,208.80	
0.28	बाजार से लिए गए बिना ब्याज वाले कर्जे	0.24	
52.44	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्जे	46.56	
21,517.84	केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	20,766.53	
4,334.75	अन्य संस्थाओं से कर्जे	4,950.81	
-	मार्गोपाय अग्रिम	-	
-	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	
7,249.23	**केन्द्र सरकार से कर्जे एवं अग्रिम**		**6,981.00**
5.40	1984-85 से पूर्व के कर्जे	5.40	
60.35	आयोजना-भिन्न कर्जे	54.75	
7,052.22	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जे	6,789.59	
0.69	केन्द्र आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जे	0.69	
130.57	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जे	130.57	
200.00	**आकस्मिकता निधि**		**200.00**
24,580.58	**अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि**		**26,744.43**
9,159.69	**जमा राशियाँ**		**12,576.12**
1,549.71	**आरक्षित निधियाँ**		**2,331.20**
-	**प्रेषण शेष**		**8.53**
1,07,195.64	**योग**		**1,18,814.22**
	सम्पत्तियाँ		
68,553.33	**स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**		**79,228.78**[3]
13,920.78	कम्पनियों, निगमों इत्यादि का हिस्सा पूँजी में निवेश	18,753.33	
54,632.55	अन्य पूँजीगत परिव्यय	60,475.45	
3,198.07	**कर्जे और अग्रिम**		**4,508.34**
2,217.74	विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्जे	3,161.20[4]	
981.08	अन्य विकासात्मक कर्जे	1,348.22	
(-) 0.75	सरकारी कर्मचारियों को कर्जे तथा विविध कर्जे	(-) 1.08[5]	
435.48	**आरक्षित निधि विनियोजन**		**796.78**
3.49	**अग्रिम**		**3.74**
20.82	**प्रेषण शेष**		**-**
31.78	**उचन्त तथा विविध शेष**		**34.82**
9,349.63	**रोकड़**		**12,089.94**
(-) 3.42	खजाने में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 1.36	
38.90	रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 41.39	
1.26	विभागीय रोकड़ शेष	1.05	
5.11	स्थायी अग्रिम	3.82	
9,307.78	रोकड़ शेष निवेश	12,127.82	
25,603.04	**सरकारी लेखे पर घाटा**		**22,151.82**
-	(i) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	-	
-	(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	
28,960.49	(iii) वर्ष के प्रारम्भ पर संचयी घाटा	25,603.04	
3,357.45	कम करें: चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	3,451.22	
-	कम करें: विविध घाटा	-	
1,07,195.64	**योग**		**1,18,814.22**

[3] चालू वर्ष की पूँजीगत प्राप्तियाँ 'शून्य' दर्शायी गयी हैं क्योंकि वर्ष के अन्त में सकल पूँजीगत व्यय में से ₹ 8.12 करोड़ (पूँजीगत विनियोजन) की प्रोफार्मा कमी की गयी है।

[4] मुख्य शीर्ष 6853 (उद्योग तथा खनिज क्षेत्र) के अन्तर्गत दर्ज ₹ 0.04 करोड़ सहित

[5] ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।

परिशिष्ट 1.5

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरण-पत्रों में दिये गये सारीकृत लेखे वित्त लेखाओं में दी गई टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे में घाटा, जैसा ***परिशिष्ट 1.5*** में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपचय आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा स्टॉक आँकड़ों में अन्तर आदि जैसी मदें लेखाओ में दर्शित नहीं है। उचंत तथा विविध शेषों में, जारी किन्तु भुगतान न किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि जिनका निपटारा बाकी है, शामिल हैं। ''रिजर्व बैंक के पास जमा'' अन्तर्गत लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आँकड़ों के मध्य ₹ 2.48 करोड़ (नामे) का अन्तर था। अंकमिलान और परवती समायोजन के उपरान्त अगस्त 2013 तक अन्तर राशि ₹ 0.09 करोड (नामे) का अंकमिलान होना बकाया था।

परिशिष्ट 1.6

2012-13 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े

(संदर्भ अनुच्छेद 1.2.2; पृष्ठ 6)

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)	वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)
1	2	3	4 (3-2)	5
(1) राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	**63,147**	**66,913**	**3,766**	**5.96**
(अ) कर राजस्व	**26,832**	**30,503**	**3,671**	**13.68**
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	16,550	18,575	2,025	12.24
राज्य उत्पाद शुल्क	3,250	3,988	738	22.71
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	300	150	(-) 150	(-) 50.00
वाहन कर	1,900	2,283	383	20.16
मुद्रांक और पंजीयन शुल्क	2,800	3,335	535	19.11
माल तथा यात्री कर	280	249	(-) 31	(-) 11.07
भू-राजस्व	196	304	108	55.60
बिजली कर तथा शुल्क	1,505	1,570	65	4.32
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	51	49	(-) 2	(-) 3.92
(ब) कर-भिन्न राजस्व	**8,951**	**12,133**	**3,182**	**35.55**
ब्याज प्राप्तियाँ	1,429	2,067	638	44.65
विविध सामान्य सेवाऐं	324	686	362	111.73
जलापूर्ति तथा सफाई	258	259	1	0.39
पैट्रोलियम	3,350	5,070	1,720	51.34
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2,500	2,839	339	13.56
पुलिस	165	192	27	16.36
श्रम एवं रोजगार	205	184	(-) 21	(-) 10.24
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	62	96	34	54.84
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	79	86	7	8.86
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	36	83	47	130.56
वानिकी एवं वन्य जीव	56	91	35	62.50
मुख्य सिंचाई	111	78	(-) 33	(-) 29.73
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	54	83	29	53.70
अन्य कर-भिन्न राजस्व	322	319	(-) 3	(-) 0.93
(ग) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	**17,707**	**17,103**	**(-) 604**	**(-) 3.41**
(घ) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	**9,657**	**7.174**	**(-) 2,483**	**(-) 25.71**
(2) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**8**	**8**	**-**	**-**
(3) कर्जें तथा अग्रिमों की वसूलियां	**151**	**1,102**	**951**	**629.80**
(4) कुल प्राप्तियाँ (1+2+3)	**63,306**	**68,023**	**4,717**	**7.45**
(5) राजस्व व्यय (क+ख+ग+घ)	**62,219**	**63,462**	**1,243**	**2.00**
(क) सामान्य सेवाऐं	**20,193**	**20,496**	**303**	**1.50**
न्याय प्रशासन	477	461	(-) 16	(-) 3.35
भू-राजस्व	592	477	(-) 115	(-)19.43
राज्य उत्पाद शुल्क	100	83	(-) 17	(-) 17.00
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	237	346	109	45.99
ब्याज अदायगियाँ	8,315	8,340	25	0.30
सचिवालय-सामान्य सेवायें	132	121	(-) 11	(-) 8.33
जिला प्रशासन	336	286	(-) 50	(-) 14.88
कोष तथा लेखा प्रशासन	131	131	-	-
पुलिस	2,430	2,519	89	3.66
लोक निर्माण कार्य	121	123	2	1.65
अन्य प्रशासनिक सेवायें	139	154	15	10.79
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	6,723	6,858	135	2.00
विविध सामान्य सेवायें	116	237	121	104.31
अन्य	344	360	16	4.65
(ख) सामाजिक सेवाऐं	**25,669**	**25,293**	**(-) 376**	**(-) 1.46**
सामान्य शिक्षा	13,762	12,731	(-) 1,031	(-) 7.49
तकनीकी शिक्षा	121	106	(-) 15	(-) 12.40
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3,090	2,922	(-) 168	(-) 5.44
परिवार कल्याण	591	756	165	27.92
जलापूर्ति तथा सफाई	1,702	1,697	(-) 5	(-) 0.29

परिशिष्ट 1.6

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)	वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)
1	2	3	4 (3-2)	5
शहरी विकास	2,036	2,463	427	20.97
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	730	810	80	10.96
श्रम तथा रोजगार	228	344	116	50.88
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,143	1,187	44	3.85
पोषण	1,375	1,225	(-) 150	(-) 10.91
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	674	781	107	15.88
अन्य	217	271	54	24.88
(ग) आर्थिक सेवाऐं	**16,058**	**17,408**	**1,350**	**8.41**
फसल कृषि-कर्म	1,550	1,533	(-) 17	(-) 1.10
पशुपालन	422	451	29	6.87
वानकी एवं वन्य जीव	677	494	(-) 183	(-) 27.03
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	124	130	6	4.84
सहकारिता	205	398	193	94.15
ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	206	77	(-) 129	(-) 62.62
ग्रामीण रोजगार	471	367	(-) 104	(-) 22.08
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,779	4,336	557	14.74
वृहद् सिंचाई	1,105	1,162	57	5.16
मध्यम सिंचाई	219	212	(-) 7	(-) 3.20
लघु सिंचाई	197	176	(-) 21	(-) 10.66
विद्युत	4,444	5,608	1,164	26.19
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	113	103	(-) 10	(-) 8.85
सड़कें तथा पुल	1,312	1,223	(-) 89	(-) 6.78
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	275	42	(-) 233	(-) 84.73
जनगणना सर्वे तथा सांख्यिकी	104	62	(-) 42	(-) 40.38
नागरिक आपूर्ति	452	676	224	49.56
अन्य	403	358	(-) 45	(-) 11.17
(घ) सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	**299**	**265**	**(-) 34**	**(-) 11.37**
(6) पूँजीगत व्यय	**9,689**	**10,683**	**994**	**10.26**
लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत व्यय	276	172	(-) 104	(-) 37.68
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत व्यय	153	120	(-) 33	(-) 21.57
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	187	214	27	14.44
जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत व्यय	1,407	1,238	(-) 169	(-) 12.01
शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय	995	979	(-) 16	(-) 1.61
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ें वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	309	233	(-) 76	(-) 24.60
फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	112	88	(-) 24	(-) 21.43
वानिकी एवं वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	184	159	(-) 25	(-) 13.59
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	245	468	223	91.02
अन्य विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	195	219	24	12.30
वृहद् सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	560	471	(-) 89	(-) 15.89
लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	367	256	(-) 111	(-) 30.25
सिंचित क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	113	86	(-) 27	(-) 23.89
विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2,543	3,863	1,320	51.91
सडकों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,370	1,412	42	3.07
सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	100	189	89	89.00
अन्य पूँजीगत परिव्यय	573	516	(-) 57	(-) 9.95
(7) कर्जें तथा अग्रिमों का वितरण	**48**	**2,412**	**2,364**	**4,925.00**
(8) कुल व्यय (5+6+7)	**71,956**	**76,557**	**4,601**	**6.39**
(9) राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-5)	**(+) 928**	**(+) 3,451**	**2,523**	
(10) राजकोषीय घाटा (-) (4-8)	**(-) 8,650**	**(-) 8,534**	**116**	
(11) प्रारम्भिक अधिशेष (+)/घाटा (-) (10+ ब्याज भुगतान)	**(-) 335**	**(-) 194**	**141**	

स्रोतः वित्त लेखे तथा बजट प्रलेख

परिशिष्ट 1.7

भारत सरकार द्वारा राज्य के कार्यकारी अभिकरणों को निधियों के सीधे अन्तरण का विवरण पत्र (संदर्भ अनुच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 13)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना (केन्द्र: राज्य का हिस्सा दर्शाता है)	राज्य के कार्यकारी अभिकरण/विभाग	2011-12	2012-13
कृषि तकनीकी प्रबन्धन अभिकरण परियोजना (90:10)	राजकीय कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर	20.36	22.45
सूक्ष्म सिंचाई योजना (80:20)	राजस्थान उद्यान विकास समिति	130.95	110.00
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (85:15)	राजस्थान उद्यान विकास समिति	40.21	41.58
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100 प्रतिशत)	राजकीय कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर	80.28	126.41
फसल बीमा (50:50)	राष्ट्रीय कृषि बीमा कम्पनी	336.87	-
राष्ट्रीय जूट मिशन (100 प्रतिशत)	राजस्थान उद्यान विकास समिति	2.05	1.88
राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप मिशन (100 प्रतिशत)	राजस्थान राज्य चिकित्सीय पादप बोर्ड	4.52	6.14
अभिवृद्धि दाल उत्पादन कार्यक्रम (100 प्रतिशत)	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एजेन्सी	11.24	-
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	5.00	5.00
पशुधन बीमा	राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड	-	1.00
कृषि सम्बन्धी आर्थिक नीति तथा विकास में अध्ययन	महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	4.12	2.93
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (75:25)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	59.37	33.83
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद	61.48	48.26
मरूस्थल विकास कार्यक्रम (75:25)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	46.48	-
एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (91.67 : 8.33)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	1.39	-
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	14.66	-
सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (75:25)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	8.72	-
इन्दिरा आवास योजना (75:25)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	390.31	181.92
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन (75:25)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	31.95	12.73
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (90:10)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	1,619.70	2,585.34
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के लिए प्रावधान	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	26.96	-
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (100 प्रतिशत)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	127.50	178.00
एकीकृत जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम (90:10)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) तथा राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण, जयपुर	374.92	432.89
मरूस्थलीय विकास कार्यक्रम (कम्पोनेंट)	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	67.12	-
ग्रामीण हाट	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	0.17	-
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (100 प्रतिशत)	राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	667.76	151.90
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जयपुर	11.54	1,406.08
केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जयपुर	54.24	137.71
प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण संरक्षण	नगर सुधार न्याय, अजमेर	9.00	-
अरवन सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम	राजस्थान युवा बोर्ड	4.50	-
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (सीएसएस)	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	7.26	7.69
पंचायती अधिकारिता तथा उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	2.25	1.60
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	-	2.04
ई-पंचायत पर मिशन परियोजना	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	1.63	-
विविध योजनाएं	एमआरएमए, जोधपुर	5.09	-
विविध योजनाएं	राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद	3.07	-
पर्यावरण, सूचना, शिक्षा तथा जागरूकता	राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड	2.25	-
सर्व शिक्षा अभियान (65:35)	निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	1,485.81	1,535.20
प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास	उपलब्ध नहीं	3.77	1.85
पंचायती युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (100 प्रतिशत)	खेलकूद परिषद	4.47	3.74
निजी जन सहभागिता द्वारा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का क्रमोन्नयन	आईएमसी सोसायटियां	67.50	-
बहुउद्देश्य आन्तरिक हॉल, जोधपुर	राजस्थान युवा बोर्ड	4.50	-
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (75:25)	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद	146.89	87.04
साक्षर भारत मिशन 2012	निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा	81.11	-
मॉडिल स्कूल	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद	49.92	-
बालिका छात्रावास	उपलब्ध नहीं	16.49	-

परिशिष्ट 1.7

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना (केन्द्र: राज्य का हिस्सा दर्शाता है)	राज्य के कार्यकारी अभिकरण/विभाग	2011-12	2012-13
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (85:15)	परियोजना निदेशक, एनआरएचएम	573.35	501.91
एनआरएचएम के अन्तर्गत चिकित्सालय तथा औषधालय	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति	6.37	-
राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति	15.22	-
राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (100 प्रतिशत)	राज्य अंधता नियंत्रण समिति	7.39	-
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (100 प्रतिशत)	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	1.60	-
इन्टीग्रेटेड डिजीज सरवलैंस प्रोग्राम (60:40)	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	3.00	-
आयुष संस्थाओं/महाविद्यालयों का विकास एवं क्रमोनयन	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति	3.50	-
फ्लुरोसिस के रोकथाम एव नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति	4.21	-
राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति	4.20	-
डायबिटिज के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति	7.02	-
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्थान राज्य एडस नियंत्रण समिति	24.57	15.83
चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिये संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	उपलब्ध नहीं	4.18	4.18
स्वास्थ्य शिक्षण संस्थान (आयुर्वेद) (100 प्रतिशत)	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान	18.00	23.86
आयुष उद्योग का विकास	उपलब्ध नहीं	3.88	2.95
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	उपलब्ध नहीं	1.00	16.50
राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (70:30)	आरयूआईडीएफ	6.28	-
कॉक शो	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	17.00	-
संग्रहालय	पुरातत्व तथा संग्रहालय	1.25	1.65
भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ निर्माण योजना	राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी	0.21	-
कला एवं संस्कृति का संवर्धन तथा प्रसार	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	4.70	5.33
पुलिस आधुनिकीकरण योजना	आरएमआरडीसीसी	19.41	-
पुलिस आयुध	आरएमआरडीसीसी	3.18	-
अपराध एवं अपराधियों की खोज तथा नेटवर्क प्रणाली	आरएमआरडीसीसी	9.72	-
अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण	उपलब्ध नहीं	-	5.50
निःशक्त जन के लिए क्रय/फीटिंग हेतु सहायता	उपलब्ध नहीं	9.01	5.21
दीनदयालय पुर्नवास केन्द्र	उपलब्ध नहीं	1.45	1.07
राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम	राज्य वन विकास अभिकरण	6.23	4.14
प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण का संरक्षण	उपलब्ध नहीं	14.00	15.13
पर्यावरण सूचना, शिक्षा तथा जागरूकता	उपलब्ध नहीं	2.49	2.59
बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	उपलब्ध नहीं	1.38	0.55
समेकित ऊन सुधार एवं विकास कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	12.92	13.51
समेकित टेक्सटाइल पार्क के लिये योजना	उपलब्ध नहीं	1.43	6.98
तकनीक क्रमोन्नयन कोष योजना	उपलब्ध नहीं	3.31	2.06
अक्षय ऊर्जा	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	78.47	61.59
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना के अन्तर्गत राज्य नोडल/एजेन्सी का सुदृढ़ीकरण	उद्योग विभाग	0.05	-
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण	उपलब्ध नहीं	12.37	6.21
पर्यटन सुविधा तथा सुरक्षा संगठन	रिटमेन	0.29	-
राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना	बाल मजदूर परियोजना संस्थान	4.31	2.14
पशु तथा भैंसों के प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना	राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड	9.00	-
यूआईडी परियोजना	उपलब्ध नहीं	3.00	2.32
योग		**6,994.33**	**7,826.42**

स्त्रोत: वित्त लेखे, सीजीए पोर्टल वेबसाइट और बजट प्रलेख 2013-14 (खण्ड 4-ब)

परिशिष्ट 1.8

वर्ष 2012-13 के दौरान वृहद एवं मध्यम सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम (संदर्भ अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 42)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	31 मार्च 2013 तक पूँजीगत परिव्यय	राजस्व प्राप्ति	कार्य एवं रखरखाव व्यय	कार्य एवं रखरखाव व्यय के पश्चात् शुद्ध हानि	प्रत्यक्ष पूँजीगत परिव्यय पर ब्याज	ब्याज भुगतान पश्चात् शुद्ध हानि
1	2	3	4	5	5-4= 6	7	6+7=8
	वृहद सिंचाई परियोजनाऐं						
1	भांखरा नांगल परियोजना (सिंचाई शाखा भाग)	2,849.09	909.45	3,608.82	2,699.37	290.08	2,989.45
2	चम्बल परियोजना (सिंचाई शाखा विभाग)	35,326.51	1,134.33	2,596.15	1,461.82	2,648.18	4,110.00
3	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	4,14,157.34	2,392.79	12,583.66	10,190.87	40,560.67	50,751.54
4	गुड़गांव नहर	3,407.09	0.49	187.62	187.13	335.03	522.16
5	जाखम परियोजना	11,150.36	15.38	316.12	300.74	1,112.78	1,413.52
6	गंग नहर	45,746.03	567.89	2,164.94	1,597.05	4,503.89	6,100.94
	मध्यम सिंचाई परियोजनाऐं						
7	जवाई नदी परियोजना सेई डाईवर्जन स्कीम	709.57	19.61	146.41	126.80	69.74	196.54
8	मेजा परियोजना	4,056.90	10.22	227.97	217.75	405.21	622.96
9	पार्वती परियोजना (धौलपुर)	6,466.95	4.65	279.17	274.52	641.69	916.21
10	गुढा परियोजना	163.49	-	99.29	99.29	16.33	115.62
11	मोरेल परियोजना	235.83	0.17	87.90	87.73	23.55	111.28
12	अलनिया परियोजना	195.97	2.07	164.29	162.22	19.51	181.73
13	पश्चिमी बनास परियोजना	67.03	4.25	43.55	39.30	6.70	46.00
14	वल्लभनगर परियोजना	86.37	-	39.67	39.67	8.64	48.31
15	बड़ागाँव पाल परियोजना	76.02	1.49	25.64	24.15	7.60	31.75
16	औरई सिंचाई परियोजना	63.42	0.71	53.66	52.95	6.34	59.29
17	वैगन डाईवर्जन स्कीम	1,397.26	1.23	67.34	66.11	139.66	205.77
	योग	**5,26,155.23**	**5,064.73**	**22,692.20**	**17,627.47**	**50,795.60**	**68,423.07**

स्त्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.9

विभाग द्वारा नियंत्रित वाणिज्यिक/अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारीकृत वित्तीय विवरण-पत्र
(संदर्भ अनुच्छेद 1.9.4; पृष्ठ 46)

(₹ लाख में)

उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	औसत सरकारी पूँजी	मुल्य ह्रासित लागत पर ब्लाक परिसम्पत्तियाँ	वर्ष के दौरान प्रावधित मूल्य ह्रास	टर्न ओवर	निवल लाभ (+)/हानि (-)	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिलाभ (7+8)	पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत[6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जेल विनिर्माण, अजमेर	2011-12	3.07	1.53	0.17	10.12	(-) 10.46	0.32	(-) 10.14	(-) 288.94
जेल विनिर्माण, अलवर	2011-12	0.16	0.09	0.00	1.43	(-) 4.84	0.13	(-) 4.71	(-) 322.91
जेल विनिर्माण, बीकानेर	2011-12	8.88	4.16	0.00	3.89	(-) 9.18	0.00	(-) 9.18	(-) 380.96
जेल विनिर्माण, जयपुर	2011-12	7.56	5.18	0.55	26.83	(-) 14.76	0.32	(-) 14.44	(-) 401.68
जेल विनिर्माण, जोधपुर	2011-12	8.86	3.09	0.33	12.64	(-) 3.41	0.53	(-) 2.88	(-) 32.51
जेल विनिर्माण, कोटा	2011-12	1.49	1.37	0.00	0.48	(-) 2.74	0.00	(-) 2.74	-
जेल विनिर्माण, उदयपुर	2011-12	9.97	2.78	0.31	14.40	(-) 11.35	2.89	(-) 8.46	(-) 26.33
वन कूप्स का विभागीय व्यापार	2011-12	126.38	248.38	0.00	2480.58	(+) 1543.20	0.00	1543.20	-[7]
पत्ता तेन्दू योजना	2011-12	5508.41	6.10	0.17	1060.03	(+) 821.03	0.00	821.03	-[7]
राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल, जयपुर	2011-12	1121071.42	223361.62	8463.68	21168.88	(-) 90678. 25	17264.57	(-) 73413.68	(-) 33.46
योग		**1126746.20**	**223634.30**	**8465.21**	**24779.28**	**(-) 88370.76**	**17268.76**	**(-) 71102.00**	

[6] वह पूंजी काम में ली गई है, जिस पर ब्याज की गणना की गयी है।

[7] सरकार का पूंजी निवेश शून्य है, क्योंकि उपक्रमों से प्रेषण सरकार द्वारा निवेशित राशि से अधिक थी।

परिशिष्ट 1.10

संस्थाओं/संगठनों द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र (संदर्भ अनुच्छेद 1.9.6; पृष्ठ 49)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शीर्ष	संस्था/संगठन का नाम	1.4.2003 को प्रारम्भिक शेष	2003-13 के दौरान अग्रिम	2003-13 के दौरान पुनर्भुगतान	31.03.2013 को अन्तिम शेष
1	6215-01-192 (01)	नगरपालिकाओं को उधार-सीधे उधार	306.70	-	-	306.70
2	6215-01-192 (02)	नगरपालिकाओं को उधार-जीवन बीमा निगम से गारन्टेड उधार	3,459.99	-	-	3,459.99
3	6215-02-192	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार	2.53	-	-	2.53
4	6216-80-800(01)	औद्योगिक आवास योजना	2.26	-	-	2.26
5	6235-02-800 (01)	बलवों से प्रभावित व्यक्तियों को उधार	6.34	-	-	6.34
6	6235-02-800 (02)	राजस्थान के राजनीतिक पीड़ितों को उधार तथा अग्रिम	0.03	-	-	0.03
7	6235-60-800 (02)[01]	जागीरदारों का पुनर्वास	1.51	-	-	1.51
8	6235-60-800 (02)[03]	बर्मा से लौटे विस्थापितों को उधार	3.06	-	-	3.06
9	6235-60-800 (02)[04]	बेरोजगार स्वर्णकारों को तकावी अग्रिम	49.79	-	-	49.79
10	6245-01-800 (04)	पशुपालन विभाग के अभिकरण के माध्यम से चारा आदि के लिये गौ सेवा संघ को उधार	11.82	-	-	11.82
11	6245-01-800 (05)	नगर विकास न्यास/नगरपालिकाओं को उधार	4.04	-	-	4.04
12	6250-60-800(02)	राजस्थान चिकित्सा स्नातकों की निजी रोजगार प्रोत्साहन समिति को उधार	0.17	-	-	0.17
13	6250-60-800(03)	भारत सेवक समाज को उधार	1.40	-	-	1.40
14	6250-60-800(04)	राजस्थान मुस्लिम वक्फ मण्डल को उधार	2.32	-	-	2.32
15	6250-60-800(05)	वन श्रम सहकारी समितियों को उधार-मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से	0.42	-	-	0.42
16	6401-103 (02)	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को उधार	1,587.53	103.22	-	1,690.75
17	6401-103 (03)	राजस्थान राज्य बीज निगम को उधार	64.38	-	0.02	64.36
18	6401-107 (02)	कृषि अभियांत्रिकी	6.00	-	-	6.00
19	6403-102 (02)	गहन पशु विकास योजना	4.07	-	(-) 3.60	7.67
20	6403-103	कुक्कुट विकास	0.01	-	-	0.01
21	6403-104 (01)	भेड़ पालकों को उधार	0.02	-	-	0.02
22	6403-107 (01)	भू-जल विभाग के माध्यम से चारा विकास के लिए राजस्थान जल संसाधन विकास निगम को उधार	9.35	-	3.60	5.75
23	6404-190(01)	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को उधार	309.71	-	-	309.71
24	6404-190(02)	रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम-डेयरी इकाइयों की स्थापना	0.18	-	-	0.18
25	6405-800(01)	निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से मत्स्य पालक विकास एजेन्सी को उधार	0.33	-	-	0.33
26	6408-02-800(04)	यातायात वाहन क्रय हेतु उधार	0.62	-	(-) 0.13	0.75
27	6425-107 (06)	राजस्थान राज्य सहकारी नवीनीकरण कोष की स्थापना हेतु ब्याज ऋण देने हेतु उधार	315.00	75.00	-	390.00
28	6425-107(07)	राजस्थान राज्य सहकारी प्रवर्तन कोष की स्थापना हेतु उधार	161.18	-	-	161.18
29	6515-103(03)	पंचायती राज संस्थाओं को छाया तथा पूर्व विस्तार खण्डों के लिये उधार	36.73	-	-	36.73
30	6515-103(04)	पंचायती राज संस्थाओं को ग्राम्यजन कर्णधार परियोजनाओं के लिये उधार	40.43	-	-	40.43
31	6705-800(01)	भू-संरक्षण	9.47	-	-	9.47
32	6705-800(02)	विश्व खाद्य कार्यक्रम संख्या 2600 के अन्तर्गत विस्थापितों को उधार	1.00	-	-	1.00
33	6705-800(03)	राजस्थान भूमि विकास निगम	1,453.93	-	-	1,453.93
34	6851-200(04)	बिक्री कर के एवज में ब्याज मुक्त उधार	0.35	-	-	0.35
35	6853-60-190 (02)	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को उधार	4.06	-	-	4.06
36	6860-01-800 (01)	मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड को उधार	503.49	38.67	(-) 50.53	592.69
37	6860-60-600(01) [01]	मैसर्स हाईटेक प्रिसीजन ग्लास कम्पनी लिमिटेड, धौलपुर को उधार	11.08	-	-	11.08
38	7075-01-800 (01)	सामरिक सड़कों के ठेकेदारों को उधार	0.82	-	-	0.82
39	7475-103(01)	उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उधार	0.98	-	(-) 1.02	2.00
40	7475-103(05)	विश्वविद्यालय एवं कॉलेज उपभोक्ता भण्डारों को उधार	0.07	-	-	0.07
		महायोग	**8,373.17**	**216.89**	**(-) 51.66**	**8,641.72**

स्त्रोतः वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.11 (अ)

आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता की स्थिति (31 मार्च 2013)- पूर्ण परियोजनायें (संदर्भ अनुच्छेद 1.9.5: पृष्ठ 47)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ढ़ांचा बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्णता की दिनांक
(अ)	**सड़क क्षेत्र**			
1	करौंती ब्रिज, जिला पाली	बीओटी	2.95	25.02.1997
2	उदयपुर बाईपास चरण-।। का निर्माण	बीओटी	23.99	28.03.1998
3	पाली बाईपास (ब्यावर-बर-पाली-सिरोही एनएच 14 किमी 106/0 से 112/0)	बीओटी	10.25	05.12.1998
4	केकड़ी-नसीराबाद सड़क को चौड़ा करने, सुदृढ़ीकरण एवं सुधार (एसएच-26) किमी 0/0 से 25/0	बीओटी	4.00	10.02.1999
5	सीकर बाईपास	बीओटी	13.75	15.01.2000
6	मंगलवाड़-निम्बाहेड़ा-नीमच सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार (किमी 40/0 से 50/0)	बीओटी	6.35	01.04.2000
7	भरतपुर बाईपास	बीओटी	13.25	12.04.2000
8	खेरवाड़ा-डूंगरपुर सड़क एसएच-10 (किमी 0/0 से 20/0) किमी 0/0 मलाई चौराहा से प्रारम्भ का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण द्वारा उन्नयन	बीओटी	3.69	18.02.2001
9	हनुमानगढ़-सूरतगढ़ सड़क वाया पीलीबंगा (किमी 0/0 से 26/0) का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	बीओटी	10.24	26.03.2001
10	बांसवाड़ा-दाहोद सड़क (किमी 396/0 से 411/0 एसएच-4) का सुदृढ़ीकरण	बीओटी	2.65	04.11.2001
11	बांसवाड़ा-उदयपुर सड़क एसएच-32 (किमी 91/500 से 165/0) का सुधार	बीओटी	11.50	05.02.2002
12	दांतीवाड़ा-पीपाड़ सिटी-मेड़तासिटी सड़क (किमी 0/0 से 26/500) को चौड़ा एंव सुधार करना	बीओटी	5.47	11.02.2002
13	मंगलवाड़-निम्बाहेड़ा सड़क को चौड़ा करने, सुदृढ़ीकरण एवं सुधार (किमी 0/0 से 40/0)	बीओटी	10.26	01.03.2002
14	नाथद्वारा-मावली सड़क एमडीआर-36 (किमी 0/0 से 26/700 किमी) का सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना एंव सुधार करना तथा संकरे एवं कमजोर कलवर्ट्स का पुन:निर्माण	बीओटी	4.50	06.03.2002
15	सिरोही-अनादरा-देवदर-मन्दार सड़क का राज्य सीमा (किमी 197/0 से 214/0) ब्यावर पर किमी 0/0 तक सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	बीओटी	7.29	01.04.2002
16	मांसी नदी पर एच एल पुल निर्माण (सांगानेर-मालपुरा- केकड़ी सड़क का किमी 48/200) एसएच-12	बीओटी	1.94	08.04.2002
17	मंगलाना-मकराना सड़क (किमी 400/0 से 415/0) और मकराना-बिदीयाद सड़क (किमी 0/0 से 6/0) का सुधार	बीओटी	6.54	21.04.2002
18	बर-बीलाड़ा-जोधपुर सड़क एसएच-5 (किमी 90/0 से 105/0) पर 1.2 मीटर चौड़ी मिडियन स्ट्रिप के साथ चार लेन सड़क का निर्माण	बीओटी	8.93	24.07.2002
19	सिरोही-मन्डार-दौसा सड़क एसएच-27 का राज्य सीमा (किमी 214/0 से 268/400) तक सुधार	बीओटी	26.01	17.05.2003
20	जोधपुर-बालोतरा गुडा सड़क एसएच-289 पर लूणी नदी पर विद्यमान-काज वे पर आरसीसी ह्यूम पाईप देकर सबमर्सिबल पुल का निर्माण	बीओटी	4.00	10.06.2003
21	एसएच-32 उदयपुर-सलूम्बर-बांसवाड़ा सड़क (किमी 5/0 से 72/0) का उन्नयन (सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण)	बीओटी	13.57	02.06.2004
22	अलवर भिवाड़ी सड़क एसएच-25 किमी 146/0 से 225/0 का सुधार	बीओटी	18.62	09.06.2004

परिशिष्ट 1.11 (अ)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ढ़ांचा बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्णता की दिनांक
23	सीकर-झुन्झुनू-लौहारू सड़क एसएच-8 किमी 0/0 से 119/700 को चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण करना	बीओटी	49.78	21.07.2004
24	श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ सड़क एसएच-36 किमी 1/500 से 56/0 को चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण करना	बीओटी	16.03	18.02.2005
25	चल्ला-नीम का थाना-कोटपूतली सड़क एसएच-13 एवं एमडीआर-25 (किमी 60/800 से 125/0) को चौड़ा करना एवं सुदृढ़ीकरण	बीओटी	20.36	29.04.2005
26	झालावाड़-इन्दौर सड़क एसएच-।ए पाटन से राज्य सीमा से 6.0 किमी दूर का सुधार (सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ा करना किमी 9/700 से 29/900)	बीओटी	7.15	16.05.2005
27	एनएच-79 पर निम्बाहेड़ा बाईपास (अजमेर-भीलवाड़ा- चितौड़गढ़-निम्बाहेड़ा-रतलाम-इन्दौर सड़क) किमी 209/087 से 217/400 का निर्माण	बीओटी	31.48	18.05.2005
28	जोधपुर-सुमेरपुर सड़क पर पाली बाईपास एनएच-65 किमी 0/0 से 11/500 (366/0 किमी पर 0) का निर्माण	बीओटी	30.00	04.05.2006
29	केलवा-आमेट सड़क 0/0 से 18/0 का निर्माण	बीओटी	5.70	05.05.2006
30	नसीराबाद-केकड़ी-देवली सड़क एसएच-26 कि.मी. 25/0 से 56/500 को चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण करना	बीओटी	21.40	15.12.2006
31	फलौदी से रामजी की गोल	बीओटी	386.30	28.12.2007
32	हनुमानगढ़ से किशनगढ़	बीओटी	627.20	28.02.2008
33	बांरा से झालावाड़	बीओटी	111.70	15.04.2008
34	देहली-रामगढ़-अलवर सड़क (एसएच-13) किमी 125/400 से 160/300 को चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण करना	बीओटी	25.28	19.04.2008
35	विद्यमान बीकानेर बाईपास सड़क किमी 0/0 से 28/0 का सुदृढ़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी का सुधार	बीओटी	12.02	09.05.2008
36	अलवर से सिकन्दरा	बीओटी	128.10	31.08.2008
37	लालसोट से कोटा	बीओटी	303.70	15.12.2008
38	नसीराबाद से मांगलियावास सड़क किमी 0/0 से 24/200 (एमडीआर-39) को चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण करना	बीओटी	21.52	02.04.2009
39	कामां-नंदगाँव-कोसी सड़क 56/200 से 64/200 एवं कामां बाईपास (एसएच-44) कामां जुरहरा पुनहाना सड़क (एमडीआर-72) किमी 0/0 से 20/0 एवं कामां पहाड़ी सड़क (ओडीआर-16) किमी 0/0 से 22/0 को चौड़ा करना एवं सुधारना	बीओटी	35.66	05.08.2009
40	सिरोही रेवदर-मंदार-डीसर सड़क (गुजरात सीमा तक) एसएच-27 किमी 197/0 से 268/400 का सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना एवं राइडिंग क्वालिटी का सुधार	बीओटी	133.79	30.04.2010
41	हनुमानगढ़ से संगरिया (हरियाणा सीमा तक)	बीओटी	51.40	01.11.2011
42	भिवाड़ी-अलवर (4 लेन)	बीओटी	330.11	21.01.2012
43	मखुपुरा (सांचोर) से गुजरात राज्य सीमा वाया पीर की जल एमडीआर-108 किमी 0/0 से 12/0 सड़क का सुदृढ़ीकरण	बीओटी	11.61	18.02.2012
44	अर्जुनसर से पल्लू (पीएस)	बीओटी	83.93	18.02.2012
45	लक्ष्मणगढ़-मालासर., लम्बाई 0/19.500 किमी 0/0 से 19/500 (एमडीआर-02)	बीओटी	13.96	07.08.2012
46	झालावाड़ से झालावाड़ सड़क, लम्बाई 31 किमी, ओडीआर का किमी 0/0 से 9/0, एसएच 19 ए का किमी 0/0 से 20/0, 2 किमी शहरी क्षेत्र	बीओटी	79.73	31.08.2012
47	श्रीगंगानगर-पदमपुर-रायसिंहनगर-अनूपगढ़, लम्बाई 36/900 किमी सीएच. (एसएच-03) किमी 2/0 से किमी 38/900	बीओटी	17.57	31.08.2012
48	चिड़ावा-सिंघाना-पाचेरी हरियाणा सीमा तक लम्बाई 44.80 किमी	बीओटी	35.87	09.11.2012

परिशिष्ट 1.11 (अ)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ढ़ांचा बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्णता की दिनांक
49	एनएच-11, आगरा रोड़ को जोड़ने के लिए घाट की गुणी झालाना पहाड़ियों में से सुरंग के निर्माण द्वारा वैकल्पिक रास्ता	डीबीएफओटी	150.00	19.01.2013
50	खण्डेला-श्रीमाधोपुर-रीगंस-खाटूश्यामजी, लम्बाई 50.925 किमी	बीओटी	43.26	27.03.2013
	उप योग (अ)		**2,994.36**	
(ब)	**शहरी आधारभूत संरचना**			
1	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, झालावाड़, बांरा	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
2	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, जयपुर शहर	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
3	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर (आंशिक), परबतसर, मकराना, मेड़तासिटी	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
4	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, जोधपुर, पाली	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
5	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
6	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, अलवर, भरतपुर	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
7	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, जयपुर (अतिरिक्त), दौसा, नागौर (आंशिक), नावां, कुचामन	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
8	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, सीकर, चुरू, झुन्झुनू, नागौर (आंशिक), डीडवाना, मुण्डवां, कुचेरा	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
9	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, उदयपुर	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
10	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, उदयपुर शहर	डीबीओओटी	0.70	21.02.2005
11	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, बीकानेर, नागौर, लॉडनूं	डीबीओओटी	0.70	09.07.2005
12	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, सवाईमाधोपुर, टोंक, करौली	डीबीओओटी	0.70	24.09.2005
13	कलेक्ट्रेट सर्किल, जयपुर पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण	बीओटी	2.50	अगस्त, 2006
14	गॉव लांगिरीवास, जयपुर में ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र	डीबीओओटी	20.00	अप्रैल, 2007
15	रोप-वे दीन दयाल पार्क से करणी माता मन्दिर, उदयपुर	बीओटी	3.00	07.06.2008
16	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, कोटा, बूंदी	डीबीओओटी	0.70	28.08.2010
17	वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 10 एमएलटी एसटीपी, भीलवाड़ा	डीबीओओटी	20.00	15.09.2012
18	राज्य के विभिन्न स्थानों पर भुगतान एवं उपयोग आधार पर लगभग 610 सार्वजनिक शौचालय जिन्हे सुलभ काम्प्लेस के रूप में जाना जाता है का निर्माण एवं अनुरक्षण	ओ एण्ड एम	40.53	1995 से मार्च, 2013
	उप योग (ब)		**95.13**	
(स)	**जल क्षेत्र**			
1	डीसैलिनेसन संयंत्र, मातासुख (नागौर)	डीबीओओटी	300.00	30.09.2010
	उप योग (स)		**300.00**	
(द)	**सामाजिक क्षेत्र**			
1	एमएमएस अस्पताल, जयपुर में लीनियर एक्सीलेटर मशीन की स्थापना एवं चलाना	बीओओएम	16.00	02.06.2009
2	श्री देवी महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय, हनुमानगढ़	बीओटी	5.49	09.03.2010
3	आपातकालीन रेसपोन्स सेवा-108 एम्बूलेंस परियोजना	ओ एण्ड एम	77.15	01.07.2010
4	विकास पोलीटेक्निक महाविद्यालय, मादेरा, डीग भरतपुर सड़क, डीग (भरतपुर)	बीओटी	9.30	मार्च, 2011
5	सरस्वती पोलीटेक्निक महाविद्यालय, गॉव तिहारा (खेतड़ी) जिला झुन्झुनू	बीओटी	9.30	मार्च, 2011
6	सुगन तकनीकी एवं अभियांत्रिकी इंस्टीटयूट, पोखरन, फलौदी, जोधपुर	बीओटी	9.30	मार्च, 2011
7	राजस्थान पोलीटेक्निक महाविद्यालय, रतनगढ़, चूरू	बीओटी	9.30	मार्च, 2011
8	सत्यम प्रौद्योगिकी इंस्टीटयूट, ब्यावर, अजमेर	बीओटी	9.30	मार्च, 2011
9	राजस्थान अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी इंस्टीटयूट, अचोरा, चित्तौडगढ़	बीओटी	16.40	मार्च, 2011
10	डूंगरपुर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, गॉव बोरी, डूंगरपुर	बीओटी	16.40	मार्च, 2011

परिशिष्ट 1.11 (अ)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ढ़ांचा बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्णता की दिनांक
11	चार्टर्ड प्रौद्योगिकी इंस्टीटयूट, गाँव दानव, आबूरोड़, सिरोही	बीओटी	16.40	मार्च, 2011
12	टैगोर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गाँव पंवरी, कुचामनसिटी, नागौर	बीओटी	16.40	मार्च, 2011
13	एशियन्स प्रौद्योगिकी इंस्टीटयूट, गाँव भूनजा वाया खातून तहसील निवाई, टौंक	बीओटी	16.40	मार्च, 2011
14	श्री दिगम्बर प्रौद्योगिकी इंस्टीटयूट, मित्रपुरा, दौसा	बीओटी	16.40	मार्च, 2011
15	वेदांत अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय, गाँव तुलसी, बूंदी	बीओटी	16.40	मार्च, 2011
16	क्षत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, घमोतर, प्रतापगढ़	बीओटी	16.40	मार्च, 2011
17	टोल फ्री 104 चिकित्सा सलाह सेवा	ओ एण्ड एम	0.24	21.09.2011
18	राजस्थान में राजीव गाँधी चल चिकित्सा सेवाऐं	ओ एण्ड एम	42.82	अक्टूबर, 2011
19	वीना तकनीकी शिक्षा इंस्टीटयूट, करौली (महिला पोलीटेक्निक)	बीओटी	5.49	दिसम्बर, 2011
20	मन्त्रम महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय, डूंगरपुर	बीओटी	5.49	दिसम्बर, 2011
21	सवाईमाधोपुर अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर	बीओटी	16.40	2011-12
22	एसएमएस अस्पताल, जयपुर के बीएमआरसी विंग/इमरजेंसी विंग में 2 नग 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें एवं 2 नग टेम्ला एमआरआई मशीनों की स्थापना एवं संचालन	बीओओएम	30.00	27.06.2012
23	जयपुर में मानस आरोग्य सदन हार्ट एवं बहु विशेषता केयर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान	आरओएमटी	56.00	30.11.2012
24	स्वास्थ्य कल्याण महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, टौंक	बीओटी	5.49	फरवरी, 2013
	उप योग (द)		**438.27**	
(य)	**विद्युत क्षेत्र**			
1	लिग्नाइट आधारित विद्युत प्लांट भादरेश (बाड़मेर)	बीओओएम	5,000.00	16.03.2013
	उप योग (य)		**5,000.00**	
(र)	**अन्य कोई क्षेत्र**			
1	उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमन्द, सिरोही के लिये चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	अगस्त, 2010
2	कोटा, बांरा, बूंदी, झालावाड़, टोंक के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	अगस्त, 2010
3	चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बूंदी के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	अगस्त, 2010
4	हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	अगस्त, 2010
5	कोटा, बांरा, बूंदी, करौली, बूंदी, सवाईमाधोपुर के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	अगस्त, 2010
6	बीकानेर, नागौर के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	अगस्त, 2010
7	जयपुर, पाली, अजमेर, मेड़ता, जालौर, बाड़मेर के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	अगस्त, 2010
8	श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	सितम्बर, 2010
9	अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	सितम्बर, 2010
10	झालावाड़, बांरा के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	फरवरी, 2011
11	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, दूणी (टौंक)	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2011
12	मण्डी यार्ड, सीकर पर मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज (2000 एमटी)	ओ एण्ड एम	2.38	15.02.2012
13	मंडोर मण्डी, जोधपुर के मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज (6000 एमटी)	ओ एण्ड एम	4.90	25.02.2012
14	पाली, नागौर के भागों के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	ओ एण्ड एम	0.28	जून, 2012
15	चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जनजाति क्षेत्रीय विकास क्षेत्र	ओ एण्ड एम	0.28	जुलाई, 2012
16	मण्डी यार्ड, उदयपुर पर मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज (2000 एमटी)	ओ एण्ड एम	2.54	12.09.2012
17	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, संड़ाश, सुजानगढ़, चुरू	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012

परिशिष्ट 1.11 (अ)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ढ़ांचा बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्णता की दिनांक
18	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
19	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, लाडनूं, नागौर	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
20	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, प्रतापगढ़	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
21	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, केकड़ी अजमेर	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
22	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीमाधोपुर, सीकर	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
23	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, हिण्डौन, करौली	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
24	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, जैतारण, पाली	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
25	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, कुचामन सिटी, नागौर	ओ एण्ड एम	0.30	अक्टूबर, 2012
26	उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों-कलस्टर नंबर-4 मावली-हल्दीघाटी, मावली-कनोट, मावली-उदयपुर (बाड़ी), मावली-उदयपुर (जिंक स्मेलटर), मावली-उदयपुर (मेड़ता), मावली-फतेहनगर, मावली-रेलमगरा, मावली-अकोला, उदयपुर-आवरीमाता में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	2.42	14.12.2012
27	उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कलस्टर नंबर-7 बल्लभ नगर-उदयपुर, बल्लभ नगर-उदयपुर, भिण्डर-जयसमन्द, बल्लभ नगर-लसाड़िया, भिण्डर-पनूद, वजमिया-उदयपुर में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	1.66	14.12.2012
28	करौली के ग्रामीण क्षेत्रों में कलस्टर नंबर-1-करौली-बयाना, करौली-गुरूदेह- ताली, करौली-बाड़ी वाया मसालपुर-बसेरी रूट में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	1.81	18.12.2012
29	करौली के ग्रामीण क्षेत्रों में कलस्टर नंबर-2- करौली-डँध, करौली-मरमथुरा, करणपुर-करौली, नानपुर-करौली, करौली-कैलादेवी, करौली- वजीरपुर एवं गेरई में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	1.21	18.12.2012
30	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, लक्ष्मणगढ़, सीकर	ओ एण्ड एम	0.30	दिसम्बर 2012
31	दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों में कलस्टर नंबर-4- मोदी का टिबारा-टोड़ाभीम, महुवा-मरोली, महुवा-दौसा, दौसा-नांदोती, ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर-पापड़दा में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	2.72	01.02.2013
32	अलवर के गामीण क्षेत्रों में कलस्टर नंबर-4- तिजारा-राजस्थान सीमा, मंडावर-किशनगढ़, तिजारा-भिवाड़ी, तिजारा-जैरूली, तिजारा-बिरनवास, भिवाड़ी-खैरथल में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	1.81	02.02.2013
	उप योग (र)		**28.11**	
	महा योग		**8,855.87**	

स्रोत: योजना विभाग, राजस्थान सरकार

परिशिष्ट 1.11 (ब)

आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता की स्थिति (31 मार्च 2013) – निष्पादनाधीन परियोजनायें (संदर्भ अनुच्छेद 1.9.5: पृष्ठ 47)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संरचना बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अॅवार्ड की दिनांक	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की सम्भावित दिनांक
(अ)	**सड़क क्षेत्र**				
1	जयपुर से भीलवाड़ा (एसएच-12) लम्बाई 0/0 से 212/0	डीबीएफओटी	16.03.2010	220.00	अगस्त 2013
2	चौमू से महला वाया रेनवाल, जोबनेर (एसएच-19 व 2सी), लम्बाई 89 किमी	डीबीएफओटी	22.02.2011	134.20	दिसम्बर 2013
3	खुशखेड़ा से कासोला चौक लम्बाई=8.5 किमी 0/0 (एमडीआर-61ए का किमी 57/500) से 8/500 (एमडीआर-61 का किमी 33/00)	बीओटी	30.04.2011	34.50	अप्रैल, 2013
4	जयपुर शहर के चारों ओर रिंग रोड्	डीबीएफओटी	16.05.2011	890.00	नियुक्ति की तिथि जो तय नहीं की गई से 21 माह
5	कोटा-झारेल के बालाजी वाया ताथेर-सुल्तानपुर गणेशगंज ईटावा लम्बाई 43.200 किमी, किमी 14/800 से किमी 58/00 (एसएच-70)	बीओटी	14.09.2011	64.56	अप्रैल, 2013
6	जालौर-रामसिंह-रेवदर, कुल लम्बाई 77.80 किमी सी. एच. 0/0 से 76/500 1.30 किमी बाईपास	बीओटी	09.12.2011	51.75	जून, 2013
7	रोहत-जालौर, कुल लम्बाई 100 किमी सी.एच. 0/0 से 82/00 (एसएच-64) 165/500 से 183/500 (एसएच-16)	बीओटी	12.12.2011	56.88	मई, 2013
8	सलूम्बर-बांसवाड़ा, लम्बाई 93 किमी सी.एच. (एसएच-32) किमी 72/0 से 165/0 (93.00 किमी)	बीओटी	22.12.2011	46.33	अक्टूबर, 2013
9	बीकानेर-सूरतगढ़ (एनएच-15), लम्बाई (172.380) किमी	डीबीएफओटी	09.01.2012	501.08	नवम्बर, 2014
10	झालावाड़ से उज्जैन (राजस्थान सीमा तक), लम्बाई=31 किमी एसएच-1 ए का किमी 0/0 से 28.800+2 किमी पुराने एनएच बाईपास का शहरी भाग	बीओटी	10.01.2012	75.88	जून, 2013
11	झुन्झुनू-उदयपुरवाटी-खण्डेला लम्बाई=71.250 किमी सी. एच. 83/450 से 158/03.300 किमी, कोटपूतली-कुचामन की आरएसआरडीसीसी परियोजना के साथ आच्छादन	बीओटी	22.03.2012	86.22	मई, 2013
12	सूरतगढ़-श्रीगंगानगर, (एनएच-15) लम्बाई = 78.01 किमी	डीबीएफओटी	23.03.2012	224.03	जनवरी, 2015
13	अजमेर-नागौर (एनएच-89), लम्बाई 148.25 किमी	डीबीएफओटी	23.03.2012	377.15	दिसम्बर 2014
14	चित्तौड़गढ़-नीमच, (एम पी सीमा) एवं निम्बाहेड़ा-प्रतापगढ़, (एनएच-79 एवं 113) लम्बाई=117 किमी	डीबीएफओटी	29.03.2012	511.21	जून, 2015
15	सीकर-बीकानेर (एनएच-11), लम्बाई 237.58 किमी	डीबीएफओटी	31.03.2012	650.84	फरवरी, 2015
16	रावतसर-नोहर-भादरा राज्य सीमा सड़क तक लम्बाई 118 किमी, किमी 0/0 से 118/0	बीओटी	01.07.2012	224.20	दिसम्बर 2013
17	मथुरा (राज्य सीमा)-भरतपुर-भादौती सड़क, लम्बाई 185.50 किमी 282/0 से 388/0, (एसएच-01 ए) 106 किमी+6.5 किमी गंगापुर का बाईपास किमी 8/0 से किमी 58/0 (एसएच-01) 50 किमी + 23 किमी मथुरा बाईपास	बीओटी	10.08.2012	421.00	दिसम्बर 2013
18	जोधपुर-पाली (एनएच-65), लम्बाई 71.55 किमी	डीबीएफओटी	11.02.2013	332.70	फरवरी, 2015
	उप योग (अ)			**4,902.53**	
(ब)	**शहरी आधारभूत संरचना**				
1	जल महल पर्यटन परियोजना, जयपुर	बीओओटी	30.09.2004	200.00	2013-14
2	तिजारा किला, अलवर का पुनर्द्धार और संरक्षण	बीओओटी	15.04.2008	25.00	2011-12

परिशिष्ट 1.11 (ब)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संरचना बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अॅवार्ड की दिनांक	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की सम्भावित दिनांक
3	अशोक मार्ग नाला, सी-स्कीम, जयपुर में बहुउद्देशीय पार्किंग परियोजना का विकास	डीबीओओटी	2010	90.00	दिसम्बर 2014
4	सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट डब्ल्यूएसएम प्रोसेसिंग प्लान्ट, सेवापुरा, जयपुर	डीबीओओटी	2011	20.00	दिसम्बर 2012
5	मैसर्स सिनटेक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, पिंक पर्ल के पास अजमेर रोड. जयपुर	-	10.01.2011	14.30	09.07.2013
6	मैसर्स पाटनी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, चाकसू जयपुर	-	17.01.2011	59.76	16.07.2014
7	मैसर्स सन सिस्टम टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, ग्राम वीरानवास तहसील कोटकासिम, भिवाड़ी, जिला अलवर	-	01.02.2011	13.54	31.07.2013
8	मैसर्स फॉलकोन रियलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, ग्राम वीरानवास तहसील कोटकासिम, भिवाड़ी, जिला अलवर	-	07.02.2011	13.75	06.08.2013
9	मैसर्स विनकेम इंस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, मुकुन्दपुरा भांकरोटा के पास, जयपुर	-	15.02.2011	17.90	14.08.2013
10	मैसर्स शिव शक्ति रियल होम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, ग्राम बगरू खुर्द ओमेक्स सिटी अजमेर रोड़ जयपुर	-	15.02.2011	25.38	14.08.2014
11	मैसर्स भैरव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, ग्राम रामला का वास तहसील कालवाड़ जयपुर	-	28.02.2011	19.36	27.08.2013
12	मैसर्स मेजस्टिक रिलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, ग्राम महापुरा मेज, जयपुर	-	28.02.2011	31.95	27.08.2014
13	मैसर्स सिद्धा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, बगरू खुर्द, ठीकरिया, अजमेर हाइवे, जयपुर	-	28.02.2011	13.54	27.08.2013
14	मैसर्स सिद्धा विनायक अफोर्डेबल होम लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर, जयपुर	-	15.03.2011	36.37	14.09.2014
15	मैसर्स अमित कॉलोनाईजर लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, ग्राम जिरोता खुर्द, श्याम सरोवर के पास एनएच-11 पर जिला दौसा	-	19.05.2011	14.66	18.11.2013
16	मैसर्स रीजेन्सी बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, ग्राम श्यामपुर बुहारिया वाटिका रोड़, सांगानेर जयपुर	-	14.06.2011	39.17	13.12.2014
17	मैसर्स श्री राम बालाजी डवलपर्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, पनवाड़ी सरगोद, त्रिसिंगिया, कुचामान सिटी, नागौर	-	20.06.2011	28.22	19.12.2014
18	उदयपुर में सीवरेज ट्रीट्मेन्ट प्लान्ट 20 एमएलडी एसटीपी	डीबीओओटी	16.08.2011	20.00	09.11.2013
19	मैसर्स गोल्डन लाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, अजमेर-ब्यावर रोड़ एनएच-8, तबीजी रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर	-	20.09.2011	20.24	19.03.2015

परिशिष्ट 1.11 (ब)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संरचना बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अॅवार्ड की दिनांक	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की सम्भावित दिनांक
20	प्रदर्शनी स्थल सह सभागार सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	बीओटी	13.02.2012	216.65	अगस्त 2014
21	एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, जोधपुर	डीबीओओटी	13.06.2012	40.00	2013-14
22	एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, जयपुर	डीबीओओटी	18.06.2012	60.00	2013-14
23	मैसर्स नाईस बिल्डर्स द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग, बालोतरा, बाड़मेर	-	10.09.2012	14.14	09.09.2014
24	एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, अजमेर, किशनगढ़ एवं पुष्कर	डीबीओओटी	दिसम्बर 2012	0.00	2013-14
25	राज्य के विभिन्न स्थानों पर भुगतान एवं उपयोग आधार पर लगभग 85 सार्वजनिक शौचालय जिन्हे सुलभ कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है का निर्माण एवं अनुरक्षण	ओ एण्ड एम	-	11.06	2013-14
	उप योग (ब)			**1,044.99**	
(स)	**सामाजिक क्षेत्र**				
1	श्री जवाहर महिला पोलीटेक्नीक महाविद्यालय, दौसा	बीओटी	2007-08	5.49	31.07.2013
2	विवेकानन्द प्रौद्योगिकी संस्थान, भीलवाड़ा (महिला पोलीटेक्नीक)	बीओटी	2007-08	5.49	31.07.2013
3	महिलाओं के लिए भादरिया माहेश्वरी पोलीटेक्नीक महाविद्यालय, जालौर	बीओटी	2007-08	5.49	31.06.2013
4	राजस्थान अभियान्त्रिकी और क्राफ्ट संस्थान, धौलपुर (महिला पोलीटेक्नीक)	बीओटी	2007-08	5.49	31.07.2013
5	राजस्थान गर्ल्स पोलीटेक्नीक महाविद्यालय, बांरा	बीओटी	2007-08	5.49	31.07.2013
6	चन्द्रावती गर्ल्स पोलीटेक्नीक महाविद्यालय, जैसलमेर	बीओटी	2007-08	5.49	-
7	स्वास्थ्य कल्याण पोलिटेक्निक महाविद्यालय, चाकसू	बीओटी	-	9.30	-
8	अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, धौलपुर	बीओटी	2011-12	16.40	31.03.2014
9	अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, बाड़मेर	बीओटी	2011-12	16.40	31.03.2014
10	अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, करौली	बीओटी	2011-12	16.40	31.03.2014
11	अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, बांरा	बीओटी	2011-12	16.40	31.03.2014
12	अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, चूरू	बीओटी	2011-12	16.40	31.03.2014
13	राजस्थान अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसलमेर	बीओटी	2011-12	16.40	31.03.2014
14	स्वामी विवेकानन्द अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जालौर	बीओटी	2011-12	16.40	31.05.2014
	उप योग (स)			**157.04**	
(द)	**विद्युत क्षेत्र**				
1	अलवर में 400/220 केवी जीएसएस सहित 400 केवी एस/सी हिण्डोन-अलवर लाईन	बीओओएम	19.01.2011	188.32	2013-2014
2	डीडवाना में 400/220 केवी जीएसएस सहित 400 केवी एस/सी बीकानेर-डीडवाना-अजमेर लाईन जिसमे 220 केवी डी/सी सुजानगढ़-डीडवाना लाईन लागत ₹ 18.49 करोड़ शामिल है	बीओओएम	15.02.2011 को डिस्कॉम के साथ टीएसए	285.00	2013-2014
3	नवलगढ़ में 220/132 केवी जीएसएस सहित 220 केवी एस/सी सीकर- नवलगढ़-झुंझुनू लाईन	बीओओएम	23.02.2011	36.28	2016-2017
	उप योग (द)			**509.60**	
(य)	**सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र**				
1	सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना	बीओओटी	मई 2009	106.40	मई, 2013
2	राजस्थान राज्य वाइड एरिया नेटवर्क (राजस्वान) परियोजना	बीओओटी	15.04.2011	209.37	15.04.2017
	उप योग (य)			**315.77**	
(र)	**अन्य कोई क्षेत्र**				
1	मण्डी यार्ड, अलवर पर मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज (4000 एमटी)	ओ एण्ड एम	22.03.2010	3.85	30.04.2013
2	मण्डी यार्ड, भीलवाड़ा पर मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज (2000 एमटी)	ओ एण्ड एम	22.03.2010	2.28	30.04.2013
3	मण्डी यार्ड, सुमेरपुर, जिला पाली पर मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज (1000 एमटी)	ओ एण्ड एम	15.04.2010	1.28	31.05.2013

परिशिष्ट 1.11 (ब)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संरचना बीओटी/ बीओओटी इत्यादि	अॅवार्ड की दिनांक	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की सम्भावित दिनांक
4	अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों-कलस्टर नंबर-1 नीमराना-प्रतापपुर, बहरोड़-नीमराना, बानसूर-शाहजहाँपुर, बानसूर-बहरोड़ में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	29.11.2012	1.21	30.06.2013
5	अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों-कलस्टर नंबर-2 नारायणपुर-पावटा, रामपुर-कोटपूतली, बानसूर-विराटनगर, बानसूर-थानागाजी, लक्ष्मणगढ़- नारायणगढ़ में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	29.11.2012	2.42	30.06.2013
6	अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों-कलस्टर नंबर-3 मण्डावर-बानसूर, कोहराना-अजरकाज, खैरथल-शाहँजापुर, भिवाड़ी-कोटकासिम, तारापुर चौराहा-कोटकासिम में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	29.11.2012	1.51	30.06.2013
7	अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों-कलस्टर नंबर-5 अलवर-गोविन्दगढ़, अलवर-रामगढ़, रामगढ़-किशनगढ़, किशनगढ़-नौगांवा, नौगावा-गोविन्दगढ़, इन्दपुरा-राजगढ़ में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	29.11.2012	2.42	30.06.2013
8	अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों-कलस्टर नंबर-6 खेरली गंज-रामगढ़, अलवर-सोनख, रामगढ़- रैणी, रेणी-मण्डी मोड़ (अलवर) में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	29.11.2012	2.11	30.06.2013
9	अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों-कलस्टर नंबर-7 कोतीन चौराहा-मण्डावर, खेरली-गोविन्दगढ़, खेरली-गोविन्दगढ़, मण्डावर-नगर पहाड़ी, कठूमर-मण्डावर, मण्डावर-लक्ष्मणगढ़ में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	29.11.2012	2.11	30.06.2013
10	अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों-कलस्टर नंबर-8 टहला-मण्डावर, अलवर-प्रयागपुरा में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	29.11.2012	1.21	30.06.2013
11	अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों-कलस्टर नंबर-9 विराटनगर-टहला, नारायणपुर-भीकमपुरा में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	29.11.2012	0.60	30.06.2013
12	दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों-कलस्टर नंबर-1 दौसा-जयपुर वाया जमवारामगढ़, दौसा-आंधी, चाकसू-दौसा, दौसा-गोला का वास में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	03.12.2012	1.51	30.06.2013
13	दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों-कलस्टर नंबर-2 दौसा-डेरा, नांगल-झामरवाड़ा-रेडियो, दौसा-राजगढ़, सर-बांदीकुई में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	03.12.2012	2.11	30.06.2013
14	दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों-कलस्टर नंबर-3 बांदीकुई-महुवा, मण्डावर-बयाना, मण्डावर-बयाना, ऊकसी जटवाड़ा-बांदीकुई में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	03.12.2012	1.51	30.06.2013
15	अजमेर के गामीण क्षेत्रों-कलस्टर नंबर-1 बंजाता-केकरी, बागहेरा-देवगांव में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	बीओओएम	18.03.2013	1.96	30.06.2013
	उप योग (र)			**28.09**	
	महा योग			**6,958.02**	

स्त्रोतः योजना विभाग, राजस्थान सरकार

परिशिष्ट 1.12

आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता की स्थिति (31 मार्च 2013)- आयोजनाधीन/प्रक्रियाधीन परियोजनायें (संदर्भ अनुच्छेद 1.9.5: पृष्ठ 47)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	अॅवार्ड की सम्भावित दिनांक
(अ)	**सड़क क्षेत्र**		
1	नागौर-बीकानेर (एनएच-89) लम्बाई=108.26 किमी	378.07	30.10.2012
2	नागौर-जोधपुर (एनएच-65) लम्बाई=134.64 किमी	439.96	-
3	कापरेन से मंगरोल लम्बाई=58 किमी	121.69	-
4	मेड़ता-गोटन-पीपाडसिटी-जोधपुर लम्बाई=93 किमी (0/0 से 31/0- एमडीआर-58), (0/0 से 31/0-एमडीआर-75), (24/0 से 32/0- एमडीआर-90), (0/0 से 25/0-एसएच-21)	74.47	-
5	आसपुर-डूंगरपुर लम्बाई=75 किमी 0/0 से 43/0 (एसएच-540 15/0 से 47/0 बीआर-2)	64.10	-
6	सादुलशहर (पंजाब सीमा) हनुमानगढ़-टिब्बी-अलीनाबाद (हरियाणा सीमा) 0/0 से 40/700 (एसएच-07 ए) 180/100 से 184/100 (एसएच-36) 0/0 से 32/0 (एमडीआर-89) लम्बाई=78.700 किमी	93.84	-
7	सिरसा (हरियाणा) लूदेसर-भादरा-सिद्धमुख-राजगढ़, लम्बाई=77 किमी	45.16	-
8	लूणकरणसर (एनएच-15) कालू-श्रीडूंगरगढ़ (एनएच-11) सरदारशहर (एनएच-64), लम्बाई=124 किमी 55/500 से 76/500 (एसएच-06 ए) 45/0 से 82/0 (एमडीआर-38) 71/0 से 137/066 किमी (एसएच-06)	96.85	-
9	सरदारशहर (एनएच-15) कालू-श्रीडूंगरगढ़ (एनएच-11) सरदारशहर (एनएच-64), लम्बाई=124 किमी 55/500 से 76/500 (एसएच-06 ए) 45/0 से 82/0	70.78	-
10	झुन्झुनू-मुण्डावा फतेहपुर सीएच 0/0 से 50/0 (एसएच-41), 0/0 से 6/0 (बाईपास) लम्बाई=56 किमी	38.29	-
11	कोटा धरनावाड़ा सड़क सीएच 111/0 से 157/525, लम्बाई=46.525 किमी	85.26	-
12	झुन्झुनू-माल्सीसर राजगढ़ सीएच 50/0 से 113/200, लम्बाई=63.200 किमी	76.77	-
13	पाटन-दबला-बिहारीपुर-गनवाली-निंजामपुर सड़क किमी 0/0 से 21/593	39.03	अप्रैल, 2013
14	बाली-पिण्डवाड़ा, लम्बाई=63 किमी	25.21	-
	उप योग (अ)	**1,649.48**	
(ब)	**शहरी आधारभूत संरचना**		
1	उदयपुर में मैसर्स शुभ बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	14.30	01.07.2013
2	जयपुर में मैसर्स फाइनटेक टाऊनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	57.30	01.07.2013
3	चाकसू जयपुर में मैसर्स कौशल किशोर सिंह द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	15.50	01.07.2013
4	जयपुर में मैसर्स मंगल रियलहोम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	13.46	2013-14
5	ग्राम भाम्बोरी, कालवाड़ रोड़, जयपुर में मैसर्स एसएनजी समूह द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	9.68	05.06.2013
6	ग्राम सिंधोली सांभारिया रोड़, अम्बेडकर नगर, जयपुर में मैसर्स एसएनजी समूह द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	9.68	2013-14
7	ग्राम भातेद वाटिका, जयपुर में मैसर्स एसएनजी समूह द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	19.36	01.07.2013
8	जयपुर में मैसर्स मैना देवी बिल्डर्स एण्ड कॉन्ट्रेक्टर द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	14.27	01.07.2013
9	जयपुर में मैसर्स श्री राम डवलपर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	17.56	01.07.2013
10	जयपुर में मैसर्स श्री कृष्णम इन्फ्रामार्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	17.74	01.07.2013
11	जयपुर में मैसर्स श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	12.34	01.07.2013

परिशिष्ट 1.12

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	अॅवार्ड की सम्भावित दिनांक
12	जयपुर में मैसर्स पाटनी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	66.45	01.07.2013
13	जयपुर में मैसर्स श्री मालासर बालाजी रियलहोम द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	11.57	01.08.2013
14	कोटपूतली में मैसर्स श्री कृष्णम वल्लभ इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	30.38	01.08.2013
15	जोधपुर में मैसर्स नैने ग्लोब इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	13.32	01.09.2013
16	जोधपुर में मैसर्स नैने ग्लोब इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	13.70	01.09.2013
17	उदयपुर में मैसर्स गुलशन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	14.66	01.09.2013
18	चूरू में मैसर्स एस.एन.जी.समूह द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	12.69	16.05.2013
19	सरदारशहर में मैसर्स एस.एन.जी समूह द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	12.69	01.07.2013
20	झुन्झुनू में मैसर्स आसही इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	57.20	16.05.2013
21	भिवाड़ी में मैसर्स सन सिस्टम इनस्टीट्यूट ऑफ इनफोरमेसन टैक्नोलॉजी द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	17.01	01.07.2013
22	अलवर में मैसर्स आर. एस. स्वान प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	20.70	16.05.2013
23	पिण्डवाड़ा सिरोही में मैसर्स श्री बालाजी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	22.33	01.07.2013
24	देवली टोंक में मैसर्स सुमित बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	13.15	16.05.2013
25	कुचामन सिटी मे मैसर्स नारायण अग्रवाल द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	16.02	01.08.2013
26	चित्तौड़गढ़ में मैसर्स वैष्णोदेवी कॉलोनाईजर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाऊसिंग पर ध्यान देते हुए अफोर्डेबल हाऊसिंग	17.31	2013-14
27	जालौर क्षेत्र विकास कार्यक्रम- पेयजल आपूर्ति एवं सफाई परियोजना	962.00	-
28	सीकर में ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र	13.00	-
29	एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, कोटा	0.00	-
30	एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, बीकानेर	0.00	-
31	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, उदयपुर ग्रामीण, बांसवाड़ा डुंगरपुर, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द	0.70	-
32	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी, जालौर, सिरोही, बाड़मेर	0.70	-
33	एसआईपी इकाई-2, गाँव दिहलावास, जयपुर में बॉयो गैस के लिए पीपीपी मोड पर बॉटलिंग प्लांट की स्थापना	12.00	-
34	कनक वृंदावन से जयगढ़ किला, जयपुर के लिए एक एरियल रोपवे की स्थापना	20.50	-
35	जयपुर मैट्रो रेल परियोजना	9,732.00	मार्च, 2014
36	राज्य के विभिन्न स्थानों पर भुगतान एवं उपयोग आधार के लगभग ९ सार्वजनिक शौचालय जिन्हें सुलभ काम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है का निर्माण एवं अनुरक्षण	1.65	-
	उप योग (ब)	**11,282.92**	
(स)	**जल क्षेत्र**		
1	उदयपुर शहर की जलापूर्ति एवं सीवेरेज व्यवस्था	1,000.00	2013-14
2	अजमेर एवं पुष्कर शहर की जलापूर्ति एवं सीवेरेज व्यवस्था	700.00	2013-14
3	कोटा सिटी के कैथूनीपोल एवं लाडपुरा के जल वितरण जोन में चिन्हित पायलेट क्षेत्र में अराजस्व जल में कमी	15.00	2013-14
4	जयपुर शहर के मानसरोवर जल वितरण क्षेत्र में जलापूर्ति	25.00	2013-14
	उप योग (स)	**1,740.00**	

परिशिष्ट 1.12

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	अॅवार्ड की सम्भावित दिनांक
(द)	**विद्युत क्षेत्र**		
1	जयपुर (उत्तर) पर 400/220 केवी जीएसएस के साथ 400 केवी डी/सी बबाई-जयपुर (उत्तर) (दोहरा मूस) लाईन	221.80	2013-14
2	उदयपुर पर 400/220 केवी जीएसएस के साथ 400 केवी डी/सी जोधपुर (नवीन) उदयपुर (दोहरा मूस) लाईन	379.53	2013-14
3	400 केवी बीकानेर-सीकर डी/सी लाईन (दोहरा मूस) 210 किमी	219.58	2014-15
	उप योग (द)	**820.91**	
(य)	**सामाजिक क्षेत्र**		
1	ज्ञानोदय पीपीपी विद्यालय, अजमेर (5 नये सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की स्थापना)	20.74	जुलाई, 2013
2	ज्ञानोदय पीपीपी विद्यालय, भीलवाड़ा (5 नये सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की स्थापना)	20.74	जुलाई, 2013
3	ज्ञानोदय पीपीपी विद्यालय, बांसवाड़ा (5 नये सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की स्थापना)	20.74	जुलाई, 2013
4	ज्ञानोदय पीपीपी विद्यालय, चित्तौड़गढ़ (5 नये सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की स्थापना)	20.74	जुलाई, 2013
5	ज्ञानोदय पीपीपी विद्यालय, डूंगरपुर (5 नये सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की स्थापना)	20.74	जुलाई, 2013
6	ज्ञानोदय पीपीपी विद्यालय, नागौर (5 नये सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की स्थापना)	20.74	जुलाई, 2013
7	ज्ञानोदय पीपीपी विद्यालय, प्रतापगढ़ (5 नये सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की स्थापना)	20.74	जुलाई, 2013
8	ज्ञानोदय पीपीपी विद्यालय, राजसमन्द (5 नये सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की स्थापना)	20.74	जुलाई, 2013
9	ज्ञानोदय पीपीपी विद्यालय, टोंक (5 नये सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की स्थापना)	20.74	जुलाई, 2013
10	ज्ञानोदय पीपीपी विद्यालय, उदयपुर (5 नये सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की स्थापना)	20.74	जुलाई, 2013
11	सीएसएस के अन्तर्गत भिवाड़ी, अलवर में प्रस्तावित पोलीटेक्नीक महाविद्यालय	13.00	31.03.2014
12	सीएसएस के अन्तर्गत ग्रामीण देवली टौक में प्रस्तावित पोलीटेक्नीक महाविद्यालय	13.00	31.03.2014
13	पीपीपी आधार पर 24 महाविद्यालय रहित तहसीलों में प्रस्तावित नये महाविद्यालय	37.80	2013-14
14	प्रतापगढ़ में बालिका महाविद्यालय	2.00	2013-14
	उप योग (य)	**273.20**	
(र)	**अन्य कोई क्षेत्र**		
1	अरबन एमनीटीज इन रुरल एरिया योजना के प्रावधान के अन्तर्गत खमनौर राजसमन्द में परियोजना	132.03	-
2	अरबन एमनीटीज इन रुरल एरिया योजना के प्रावधान के अन्तर्गत सांगानेर (जयपुर) में परियोजना	120.17	-
3	उद्यानिकी पार्क, अलवर	42.00	28.02.2014
4	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, गुडामालानी, बाड़मेर	0.30	अप्रैल, 2013
5	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, सांचौर, जालौर	0.30	अप्रैल, 2013
6	स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, सांगोद, कोटा	0.30	अप्रैल, 2013
7	दौसा में 2500 एमटी वेयर हाऊस	0.75	-
8	खैरथल में 2500 एमटी वेयर हाऊस	0.75	-
9	फलौदी में 5000 एमटी वेयर हाऊस	1.50	-
10	बांरा में 10000 एमटी वेयर हाऊस	3.00	-
11	बीकानेर (एफएण्डवी) में वेयर हाऊस 2×5000 एमटी	3.00	-
12	कुम्हेर जिला भरतपुर में 2500 एमटी वेयर हाऊस	0.75	-
13	बाड़मेर में 4000 एमटी मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज	5.20	-
14	भवानी मंडी में 4000 एमटी मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज	5.20	-
15	अलवर जिला, दौसा जिले के 4 कलस्टर, करौली जिले के 2 कलस्टर, उदयपुर जिले के 2 कलस्टर एवं अजमेर जिले के 1 कलस्टर के अलावा राजस्थान के सभी शेष 234 कलस्टरो के गामीण क्षेत्रों में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन	247.79	2020
	उप योग (र)	**563.04**	
	महा योग	**16,329.55**	

स्त्रोत: योजना विभाग, राजस्थान सरकार

परिशिष्ट 1.13

बाजार उधार
(संदर्भ अनुच्छेद 1.11.1: पृष्ठ 60 एवं 61)

(1) ऋण टिकाऊपन सूचक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल देयताएँ	84,022.79	91,532.93	99,285.00	1,06,560.16	1,17,808.91
कुल लोक ऋण	58,766.22	64,617.57	69,277.67	71,705.66	76,953.94
कुल बाजार ऋण	24,499.58	30,610.98	35,448.19	38,551.40	44,209.04
बाजार ऋण की कुल देयताओं से प्रतिशतता	29.16	33.44	35.70	36.18	37.53
बाजार ऋण की कुल लोक ऋण से प्रतिशतता	41.69	47.37	51.17	53.76	57.45
वित्तीय वर्ष-वार बाजार ऋण पर भारित औसत ब्याज दर	7.67	8.08	8.32	8.97	8.84
बाजार ऋण पर ब्याज भुगतान	1,601.62	2,029.60	2,468.57	2,755.92	3,181.91
वर्ष के दौरान बाजार ऋण पर चुकाई गई औसत ब्याज दर	7.31	7.37	7.47	7.45	7.69
जीएसडीपी वृद्धि दर एवं बाजार ऋण भारित ब्याज दर अनुपात	2.41	1.87	3.44	2.44	1.66
राजस्व प्राप्ति से ब्याज अदायगियों का अनुपात	0.19	0.19	0.16	0.14	0.12
प्रारम्भिक अधिशेष/घाटा	-750	-3530	3243	4266	-194
राजस्व अधिशेष/घाटा	-827	-4747	1055	3357	3451
राजकोषीय घाटा	-6974	-10299	-4126	-3626	-8534
जीएसडीपी से कुल देयताओं की प्रतिशतता	36.38	34.43	29.04	25.57	24.64
बकाया प्रत्याभूतियाँ	27,765	39,069	50,692	60,711	75,546
राजस्व प्राप्तियाँ	33,469	35,385	45,928	57,011	66,913
सकल ब्याज अदायगियाँ	6,224	6,769	7,369	7,892	8,340
जीएसडीपी	2,30,949	2,65,825	3,41,865♣	4,16,755⊗	4,78,160▽
जीएसडीपी की वृद्धि दर	18.54	15.10	28.61	21.91	14.73
जीएसडीपी से लोक ऋण की प्रतिशतता	25.45	24.31	20.26	17.21	16.09

(2) बाजार ऋणों की रूपरेखा

विवरण	उगाहे गई ऋण की राशि (₹ करोड़ में)					
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
>7 वर्ष	6355.80	7500.00	6180.00	4500.00	8041.10	32576.90
वर्ष के दौरान कुल ऋण	6355.80	7500.00	6180.00	4500.00	8041.10	32576.90
1 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष	19304.23	24499.58	30610.98	35448.19	38551.40	19304.23
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	6355.80	7500.00	6180.00	4500.00	8041.10	32576.90
वर्ष के दौरान पुनर्अदायगियाँ	1160.45	1388.60	1342.79	1396.79	2383.46	7672.09
31 मार्च को कुल बकाया बाजार ऋण (₹ करोड़ में)	24499.58	30610.98	35448.19	38551.40	44209.04	44209.04
निवल उपलब्ध बाजार ऋण	5195.35	6111.40	4837.21	3103.21	5,657.64	24,904.81
कुल बकाया बाजार ऋण से वर्ष के दौरान उगाहे गये ऋण की प्रतिशतता	25.94	24.50	17.43	11.67	18.19	

♣ प्रावधिक अनुमान
⊗ त्वरित अनुमान
▽ अग्रिम अनुमान

परिशिष्ट 1.13

(3) बकाया बाजार ऋण की भारित औसत परिपक्वता

वर्ष	वर्ष के दौरान जारी	बकाया बाजार ऋण
	भारित औसत परिपक्वता (वर्ष)	
2008-09	10	6.81
2009-10	10	7.10
2010-11	10	7.01
2011-12	10	6.70
2012-13	10	6.79

(4) बाजार ऋण की परिपक्वता की प्रवृत्ति

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता राशि (₹ करोड़ में)	बकाया बाजार ऋण का प्रतिशत
2013-14	1625.05*	3.68
2014-15	2297.87	5.20
2015-16	1993.25	4.51
2016-17	1729.01	3.91
2017-18	3986.96	9.02
2018-19	6355.80	14.38
2019-20	7500.00	16.96
2020-21	6180.00	13.98
2021-22	4500.00	10.18
2022-23	8041.10	18.18
योग	**44209.04**	**100.00**

* इसमें बिना ब्याज वाले बाजार ऋण के अन्तर्गत कालातीत ₹ 0.23 करोड़ शामिल है।

(5) भारित ब्याज दर रूपरेखा

ब्याज की दर (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान उगाहा गया बाजार ऋण (₹ करोड़ में)					
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
6-6.99	1162.00					1162.00
7-7.99	3250.00	2000.00				5250.00
8-8.99	1943.80	5500.00	6180.00	2117.00	7541.10	23281.90
9-9.99				2383.00	500.00	2883.00
योग	**6355.80**	**7500.00**	**6180.00**	**4500.00**	**8041.10**	**32576.90**
भारित औसत ब्याज दर	7.67	8.08	8.32	8.97	8.84	8.35

(6) ब्याज अदायगियों की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज अदायगियाँ (₹ करोड़ में)	6,224	6,769	7,369	7,892	8,340
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशतता	18.60	19.13	16.04	13.84	12.46

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहां बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी।
(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 73)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	राजस्व-दत्तमत				
1.	3	सचिवालय	320.52	172.74	53.9
2.	9	वन	632.89	154.23	24.4
3.	11	विविध सामाजिक सेवायें	62.13	20.10	32.4
4.	20	आवास	53.38	12.45	23.3
5.	28	ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	140.60	84.83	60.3
6.	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	1,447.09	408.27	28.2
7.	35	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	93.46	35.25	37.7
8.	38	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	99.89	21.86	21.9
9.	43	खनिज	185.53	82.11	44.3
10.	49	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	338.30	73.27	21.7
11.	50	ग्रामीण रोजगाार	274.03	60.69	22.1
	पूँजीगत-दत्तमत				
12.	19	लोक निर्माण कार्य	512.57	135.71	26.5
13.	26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	188.70	67.07	35.5
14.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	159.16	85.77	53.9
15.	35	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	95.23	35.90	37.7
16.	46	सिंचाई	811.29	228.97	28.2
		योग	**5,414.77**	**1,679.22**	**31.0**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.2

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र (आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं साथ ही कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक था।)
(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 90)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत							
1	13	आबकारी	2039-राज्य उत्पाद शुल्क 001-निदेशन तथा प्रशासन 01-प्रधान कार्यालय	10.24	11.68	1.44	14.1
2	19	लोक निर्माण कार्य	2059-लोक निर्माण 80-सामान्य 053-रखरखाव तथा मरम्मत 01-लोक निर्माण विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों के लिये 01-विशेष एवं सामान्य मरम्मत	40.41	49.72	9.31	23.0
3	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 01-अस्पताल एवं औषधालय 01-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर	1.93	4.52	2.59	134.2
4	46	सिंचाई	2700-मुख्य सिंचाई 02-चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 03-अन्य व्यय	23.82	26.48	2.66	11.2
पूँजीगत-दत्तमत							
5	19	लोक निर्माण कार्य	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य 051-निर्माण 03-सामान्य भवन (न्याय प्रशासन) 01-नवीन उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर (राजस्थान राज्य सड़क एवं विकास निगम के माध्यम से)	20.00	25.25	5.25	26.3

परिशिष्ट 2.2

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
6	19	लोक निर्माण कार्य	4853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय 01-खनिज अन्वेषण तथा विकास 004-अनुसंधान तथा विकास 03-भवन 90-निर्माण कार्य	0.45	1.82	1.37	304.4
7	27	पेयजल योजना	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01-जलपूर्ति 799-उचन्त 01-स्टॉक	8.91	164.50	155.59	1746.2
8	27	पेयजल योजना	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01-जलपूर्ति 799-उचन्त 02-विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम	0.11	2.56	2.45	2227.3
9	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 02-तकनीकी शिक्षा 796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना 01-निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से	3.32	4.72	1.40	42.2
10	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 02-तकनीकी शिक्षा 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना 01-निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से	2.00	5.00	3.00	150.0
योग				**111.19**	**296.25**	**185.06**	

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.3

मामलें जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुये
(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 92)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत					
1	1-राज्य विधान मंडल	37.21	36.00	1.21	7.60
2	6-न्याय प्रशासन	416.66	400.50	16.16	2.65
3	19-लोक निर्माण कार्य	346.65	323.02	23.63	11.82
4	21-सड़कें एवं पुल	1,373.21	1,271.85	101.36	38.93
5	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	3,283.31	3,223.45	59.86	109.66
6	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,331.28	2,278.76	52.52	121.87
7	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	1,336.25	1,038.82	297.43	110.84
8	42-उद्योग	101.91	97.98	3.93	9.88
9	43-खनिज	139.03	103.42	35.61	46.50
10	49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	299.31	265.03	34.28	38.99
पूँजीगत-दत्तमत					
11	9-वन	130.65	114.75	15.90	11.54
12	21-सड़कें एवं पुल	1,311.71	1,250.77	60.94	71.94
13	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	91.71	85.26	6.45	12.75
14	27-पेयजल योजना	1,266.19	1,099.13	167.06	10.99
15	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,216.91	1,008.19	208.72	23.55
16	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	141.58	73.38	68.20	17.57
17	47-पर्यटन	28.96	28.76	0.20	2.33
18	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,404.00	1,282.86	121.14	2.69
योग		**15,256.53**	**13,981.93**	**1,274.60**	**652.10**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.4

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन
(जहां पुनर्विनियोजन एवं अन्तिम आधिक्य/बचत ₹ एक करोड़ से अधिक था)
(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 93)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत(-)
निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन					
1.	8	राजस्व	2029-103-07 पायलट परियोजना के तहत भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	(-) 6.04	(-) 2.34
2.	9	वन	2406-01-001-02 अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग	(-) 19.84	(-) 1.86
3.	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-101-01 राज्य कर्मचारियों को पेंशन	(-) 47.83	(-) 1.94
4.	16	पुलिस	2055-109-01-01 सामान्य पुलिस (निदेशन)	(-) 4.41	(-) 2.06
5.	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	4202-03-102-01 खेल विभाग के माध्यम से-जिला खेल कॉम्प्लेक्स	(-) 6.38	(-) 11.65
6.	26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-01-110-03-01 सामान्य अस्पताल	(-) 3.98	(-) 1.48
7	27	पेयजल योजना	2215-01-102-01 अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनायें	(-) 13.69	(-) 2.10
8.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4217-60-050-03 राजस्थान अरबन सैक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास परियोजना) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना द्वितीय चरण (आर्थिक एक्शन प्लॉन) निर्माण कार्य	(-) 69.35	(-) 14.60
9.	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2402-796-03 पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई फैड कार्यक्रम)(पश्चिमी राजस्थान में मिटीगेटिंग पावर्टी)	(-) 2.30	(-) 1.42
10.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-60-196-01-02 अंगहीन और दृष्टिहीन निराश्रितों को पेंशन	(+) 13.30	(+) 3.96
11.	38	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	2402-102-03 पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई फैड कार्यक्रम)(पश्चिमी राजस्थान में मिटिगेटिंग पॉवर्टी)	(-) 13.20	(-) 5.71
12.	39	पशुपालन एवं चिकित्सा	2403-101-05 अस्पताल एवं औषधालय	(-) 5.72	(-) 1.17
13.	46	सिंचाई	4702-800-06-02 मुख्य शीर्ष '2701' मे स्थानांतरित आनुपातिक व्यय	(-) 30.59	(-) 2.25
14.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2515-198-06-04 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	(-) 2.90	(-) 13.81
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन					
15.	13	आबकारी	2039-001-01- प्रधान कार्यालय	(-) 2.06	(+) 1.44
16.	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-102 पेंशन का सारांशीकृत मूल्य	(+) 5.00	(-) 36.92

परिशिष्ट 2.4

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत(-)
17.	19	लोक निर्माण कार्य	2059-80-053-01-01 विशेष एवं सामान्य मरम्मत	(-) 15.24	(+) 9.31
18.	19	लोक निर्माण कार्य	4853-01-004-03-90 निर्माण कार्य	(-) 1.02	(+) 1.37
19.	21	सड़कें एवं पुल	3054-02-337-01-01 संधारण एवं जीर्णोद्धार	(-) 41.37	(+) 10.84
20.	21	सड़कें एवं पुल	3054-80-797-02 राज्य सड़क विकास निधि को अंतरण	(+) 1.07	(-) 20.99
21.	27	पेयजल योजना	4215-01-799-01 स्टॉक	(-) 191.09	(+) 155.59
22.	27	पेयजल योजना	4215-01-799-02 विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 4.39	(+) 2.45
23.	41	सामुदायिक विकास	2515-198-06-02 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	(-) 65.57	(+) 11.83
24.	46	सिंचाई	2700-02-800-03 अन्य व्यय	(-) 2.75	(+) 2.66
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन					
25.	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-104-01 राज्य कर्मचारियों को उपदान	(+) 10.00	(-) 5.84
26.	19	लोक निर्माण कार्य	4059-80-051-02-01 मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	(+) 15.50	(-) 5.25
27.	21	सड़कें एवं पुल	3054-80-001-01-01 स्थापना	(+) 14.94	(-) 4.96
28.	21	सड़कें एवं पुल	5054-03-337-01 निर्माण	(+) 23.99	(-) 1.32
29.	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-03-102-02 जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान	(+) 10.00	(-) 3.00
30.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-60-196-01-01 वृद्धावस्था पेंशन	(+) 17.81	(-) 1.31
31.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-60-196-01-03 विधवा/परित्यक्ता पेंशन	(+) 20.38	(-) 5.34
32.	37	कृषि	2401-800-27-16 राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से	(+) 2.88	(-) 2.88
33.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2217-80-191-14-02 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	(+) 6.14	(-) 1.02
34.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4515-789-04-01 जिला परिषद हेतु (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	(+) 34.20	(-) 1.20
35.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4700-04-789-01-03 आनुपातिक व्यय का स्थानांतरण {02}{31} से	(+) 17.18	(-) 3.15
36.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4700-04-789-02-02 आनुपातिक व्यय (02) द्वितीय चरण {30} से स्थानांतरित	(+) 1.52	(-) 1.38
37.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	5054-80-001-03-91 स्थापना प्रभार हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)	(+) 3.87	(-) 2.10
			योग		**(-) 159.05 (+) 199.45**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.5

31 मार्च 2013 को ₹ 20 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण
(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 94)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विनियोग/अनुदान की संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि
1	ब्याज अदायगियाँ	2049	*8,495.01*	*154.86*
2	3-सचिवालय	2052, 2251, 3451	320.52	172.65
3	4-जिला प्रशासन	2053	335.85	49.66
4	8-राजस्व	2029, 2052	589.74	94.49
5	9-वन	2406	632.89	152.35
6		4406	142.19	27.94
7	14-बिक्री कर	2040	376.40	22.84
8	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071	7,037.56	120.03
9	16-पुलिस	2055, 2070	2600.40	37.22
10	19-लोक निर्माण कार्य	2059	358.47	44.37
11		4059, 4070, 4202, 4210, 4220, 4225, 4235, 4250, 4403, 4405, 4515, 4700, 4853, 5475	512.57	135.85
12	21-सड़कें एवं पुल	3054	1,412.14	125.22
13		5054	1,383.65	132.34
14	22-क्षेत्र का विकास	4705	264.44	20.74
15	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202, 2205	12,458.04	958.76
16	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210, 2211	3,392.97	152.31
17		4210	188.70	66.84
18	27-पेयजल योजना	2215	1,998.50	48.65
19		4215	1,277.18	320.80
20	28-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	2501, 2515, 2810	140.60	84.74
21	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217, 3055	2,469.35	136.52
22		4217, 5055, 6217	1,169.89	169.92
23	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2014, 2029, 2055, 2056, 2202, 2203, 2204, 2205, 2210, 2211, 2217, 2220, 2225, 2230, 2235, 2236, 2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2415, 2425, 2501, 2505, 2515, 2700, 2702, 2851, 2852, 2853, 3425, 3435, 3452, 3454, 3456, 3475	2,975.48	271.93
24	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4059, 4202, 4210, 4215, 4217, 4220, 4225, 4236, 4250, 4401, 4405, 4406, 4515, 4700, 4701, 4702, 4705, 4801, 4853, 4885,5054, 5452, 5475, 6408, 6885	1,240.46	223.05
25	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225, 2235, 2236	2,453.15	170.87
26		4225, 4235, 4236, 6225, 6235	159.16	85.67

परिशिष्ट 2.5

क्रम संख्या	विनियोग/अनुदान की संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि
27	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245	1,447.09	408.10
28	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	2047, 3454, 3475	93.46	35.23
29	37-कृषि	2401, 2415, 2435	1,439.73	114.17
30	41-सामुदायिक विकास	2515	3,446.96	124.40
31	43-खनिज	2802, 2853	185.53	81.65
32	46-सिंचाई	2700, 2701, 2702	1,603.61	45.24
33		4700, 4701, 4702, 4711	811.29	224.50
34	48-विद्युत	2801	6,607.34	1,000.00
35	49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	3604	338.30	73.27
36	50-ग्रामीण रोजगार	2505, 2515	274.03	59.24
37	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2014, 2029, 2056, 2202, 2203, 2204, 2205, 2210, 2211, 2217, 2225, 2230, 2235, 2236, 2401, 2402, 2403, 2405, 2425, 2501, 2505, 2515, 2701, 2702, 2705, 2851, 2852, 3452, 3454, 3456, 3475	2,453.09	175.55
38		4059, 4202, 4210, 4215, 4217, 4225, 4236, 4250, 4401, 4406, 4425, 4515, 4700, 4701, 4702, 4705, 4711, 4853, 5054, 5452, 5475,	1,406.69	113.42
	योग		**74,492.43**	**6,435.39**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.6

₹ एक करोड़ से अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण पत्र
(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 94)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पित रहने से शेष रही बचत
1	2	3	4	5
	राजस्व-दत्तमत			
1	6-न्याय प्रशासन	18.81	17.23	1.58
2	8-राजस्व	97.36	94.49	2.87
3	9-वन	154.23	152.35	1.88
4	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	167.81	120.03	47.78
5	16-पुलिस	39.56	37.22	2.34
6	20-आवास	12.45	11.34	1.11
7	21-सड़कें एवं पुल	140.29	125.22	15.07
8	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	966.26	958.76	7.50
9	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	169.52	152.31	17.21
10	27-पेयजल योजना	58.72	48.65	10.07
11	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	138.60	136.52	2.08
12	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	277.11	271.93	5.18
13	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	174.39	170.87	3.52
14	36-सहकारिता	14.34	9.24	5.10
15	37-कृषि	117.29	114.17	3.12
16	38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	21.86	15.77	6.09
17	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	20.35	18.39	1.96
18	46-सिंचाई	57.21	45.24	11.97
19	50-ग्रामीण रोजगार	60.69	59.24	1.45
20	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	195.65	175.55	20.10
	पूँजीगत-दत्तमत			
21	12-अन्य कर	26.10	-	26.10
22	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	19.20	7.37	11.83
23	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	193.94	169.92	24.02
24	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	232.27	223.05	9.22
25	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	35.90	9.63	26.27
26	46-सिंचाई	228.97	224.50	4.47
27	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	123.83	113.42	10.41
	योग	**3,762.71**	**3,482.41**	**280.30**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.7

₹ एक करोड़ से अधिक तथा बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत से अधिक के एक-मुश्त प्रावधानों का विवरण-पत्र

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 94)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण प्रतिशतता
1.	–	ब्याज अदायगियाँ	2049-01-101-04-99 नवीन ऋण	*22.50*	*22.50*	*100.0*
2.			2049-03-104-02-04 सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों की अंशदायी निधियों पर ब्याज	*54.48*	*28.34*	*52.0*
3.			2049-03-108-12 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज	*5.00*	*4.15*	*83.0*
4.			2049-04-103 केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजनागत योजनाओं हेतु कर्जों पर ब्याज	*14.06*	*14.05*	*99.9*
5.			2049-60-101-17 राजस्थान राज्य आवासन मण्डल के निक्षेपों पर ब्याज	*5.00*	*4.87*	*97.4*
6.	3	सचिवालय	3451-090-13-01 आयोजना विभाग के माध्यम से	50.75	50.75	100.0
7.	6	न्याय प्रशासन	2014-102-02-02 हैरिटेज कोर्ट बिल्डिंग की मरम्मत	*4.14*	*2.28*	*55.1*
8.	11	विविध सामाजिक सेवायें	3435-03-102-02 कॉमन एफ्लूयेंट ट्रीटमेंट प्लांट	1.00	1.00	100.0
9.			3435-03-102-04 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	10.00	5.18	51.8
10.	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में पेंशन संबंधी प्रभार	*1.80*	*1.32*	*73.3*
11.	19	लोक निर्माण कार्य	4059-80-051-01-04 निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से	2.38	2.07	87.0
12.			4059-80-051-04-03 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बनने वाले भवन	4.96	4.96	100.0
13.			4059-80-051-05-04 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत होमगार्ड के लिये बनने वाले भवन	4.42	2.89	65.4
14.	19	लोक निर्माण कार्य	4059-80-051-07-01 मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	1.35	1.09	80.7
15.			4059-80-051-13 सामान्य भवन (स्टॉम्प एवं पंजीकरण विभाग)	1.77	1.31	74.0
16.			4059-80-051-31 सामान्य भवन (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	5.75	3.22	56.0
17.			4059-80-051-36 कार्मिक (सचिवालय) विभाग के निर्माण कार्य	5.13	2.58	50.3
18.			4059-80-052-01-92 औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)	4.19	2.65	63.2
19.			4202-01-202-01-90 निर्माण कार्य	3.45	2.39	69.3

परिशिष्ट 2.7

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण प्रतिशतता
20.			4210-02-101-01-91 स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)	1.07	1.07	100.0
21.			4210-02-103-02-90 निर्माण कार्य	2.31	2.31	100.0
22.			4210-03-105-03-90 निर्माण कार्य	8.09	4.67	57.7
23.			4220-60-101-02-90 निर्माण कार्य	3.26	1.86	57.1
24.			4235-02-102-01-90 निर्माण कार्य	11.50	8.25	71.7
25.			4235-02-800-02-90 निर्माण कार्य	2.65	1.70	64.2
26.			4235-60-800-01-01 युद्ध विधवा के लिये छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र भवन का निर्माण	1.50	1.27	84.7
27.			4250-203-02-90 निर्माण कार्य	5.97	5.87	98.3
28.			4250-203-09-90 निर्माण कार्य	12.60	12.59	99.9
29.			4250-203-09-91 स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)	1.01	1.01	100.0
30.			4853-01-004-03-90 निर्माण कार्य	1.47	1.02	69.4
31.	21	सड़कें एवं पुल	3054-80-800-04 रोड कट की मरम्मत	2.00	1.13	56.5
32.			5054-03-337-07-91 स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)	10.48	9.23	88.1
33.			5054-03-337-07-92 औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)	2.62	2.31	88.2
34.			5054-03-337-07-93 सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)	3.93	3.46	88.0
35.	23	श्रम एवं रोजगार	2230-02-800-07-01 कौशल प्रशिक्षण वाउचर	1.74	1.65	94.8
			4250-203-10-01 संयंत्र एवं उपकरण	2.00	1.38	69.0
36.	27	पेय जल योजना	4215-01-101-01-12 बीसलपुर परियोजना से जयपुर को जलपूर्ति (जे.बी.आई.सी.)	14.48	14.48	100.0
37.			4215-01-101-01-17 पुरानी एवं पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु	50.00	25.04	50.1
38.			4215-01-101-01-46 नर्मदा परियोजना	4.90	4.90	100.0
39.			4215-01-101-01-64 नागौर लिफ्ट जलपूर्ति योजना, फेज-।।	4.32	4.32	100.0
40.			4215-01-101-01-65 बल्क मीटर एवं उपभोक्ता मीटर की सप्लाई/स्थापना/संचालन एवं संधारण	28.00	27.44	98.0
41.			4215-01-101-01-67 बोरावास-मंडाना जल प्रदाय योजना	3.60	2.80	77.8
42.			4215-01-101-01-68 बीकानेर के शोभासर खण्ड में 40 एम.एल.डी. जल शोधन यंत्र का निर्माण एवं चालू करना तथा अन्य सहायक कार्य	3.64	3.20	87.9
43.			4215-01-101-01-69 नागदा-अन्ता-बलदेवपुरा जल प्रदाय योजना	7.20	4.21	58.5

परिशिष्ट 2.7

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण प्रतिशतता
44.			4215-01-101-01-70 कम्प्यूटरीकरण/स्काडा सिस्टम/ई-गवर्नेंस इत्यादि	10.00	9.89	98.9
45.	27	पेय जल योजना	4215-01-101-01-72 चम्बल-बूंदी जलपूर्ति योजना	3.51	3.51	100.0
46.			4215-01-101-02 सहभागिता योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य	3.00	3.00	100.0
47.			4215-01-101-05-01 जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से	16.20	16.20	100.0
48.			4215-01-102-01-08 चम्बल प्रोजेक्ट भरतपुर (नाबार्ड)	24.85	22.74	91.5
49.			4215-01-102-01-20 फ्लोराइड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट भिनाय-मसूदा फेज-।।	2.40	2.03	84.6
50.			4215-01-102-01-35 मातासुख-जायल तहसील जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)	3.45	3.45	100.0
51.			4215-01-102-01-43 रेवा जलपूर्ति योजना	2.50	2.45	98.0
52.			4215-01-102-04-01 परियोजना प्रबन्धन सैल, चुरू	2.74	2.74	100.0
53.			4215-01-102-05-01 निर्माण कार्य	2.74	2.74	100.0
54.			4215-01-102-25 नहरों का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत	7.00	4.09	58.4
55.			4215-01-102-35 रिंग्स की खरीद एवं पुन:उपयोग हेतु	10.00	8.91	89.1
56.			4215-01-102-36 नर्मदा परियोजना (नाबार्ड)	15.38	13.23	86.0
57.			4215-01-102-45 नागौर लिफ्ट कैनाल योजना, फेज-।। (ई.ए.पी.)	13.11	12.92	98.6
58.			4215-01-102-46 बोरावास-मंडाना जल प्रदाय योजना	6.90	6.32	91.6
59.			4215-01-102-51 ग्रामीण जल प्रदाय परियोजना-भीमनी	3.45	3.09	89.6
60.			4215-01-102-52 ग्रामीण जल प्रदाय परियोजना-माधवी	3.45	2.37	68.7
61.			4215-01-102-54 फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल योजना	7.02	7.02	100.0
62.	28	ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	2501-06-196-07-01 अनुदान	60.64	43.94	72.5
63.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-192-35-01 सामान्य कार्यकलाप गतिविधियाँ	2.24	2.24	100.0
64.			2217-80-192-33-01 विद्युत बिलों का भुगतान	38.72	40.44	104.4
65.			4217-03-800-01-02 शहरी जन सहभागी योजना	7.04	3.55	50.4
66.			4217-03-800-01-04 अग्निशमन सेवायें	8.83	8.83	100.0
67.			4217-04-800-01 एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास योजना	50.16	34.04	67.9
68.	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-01-796-09 लैपटॉप का वितरण	3.60	3.60	100.0
69.			2202-02-796-18 लैपटॉप का वितरण	2.40	2.30	95.8
70.			2202-04-796-02 साक्षर भारत	1.22	1.22	100.0
71.			2225-02-796-02-46 विद्युत/डीजल पम्प सैटों हेतु सहायता (विशेष केन्द्रीय सहायता)	2.00	2.00	100.0

परिशिष्ट 2.7

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण प्रतिशतता
72.			2225-02-796-02-47 वाडियों का विकास (विशेष केन्द्रीय सहायता)	3.13	2.33	74.4
73.			2225-02-796-19-03 सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत सोलर लाइट हेतु सहायतार्थ अनुदान	2.00	1.00	50.0
74.			2225-02-796-21-09 कारीगरी प्रशिक्षण सहित विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण	2.88	2.88	100.0
75.			2235-02-196-20-03 अनुसूचित जनजातियों के लिये नवजीवन योजना	3.00	2.64	88.0
76.			2235-02-796-13-04 महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज अनुदान	1.25	1.25	100.0
77.			2235-02-796-13-05 महिला स्वयं सहायता समूहों को सीड मनी	1.25	1.25	100.0
78.	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2401-796-63 राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	7.74	7.74	100.0
79.			2515-198-20-02 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	2.07	2.07	100.0
80.			3454-02-796-02-02 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू. आई.डी. परियोजना	3.39	3.39	100.0
81.			2210-05-796-01-01 चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर	4.86	2.93	60.3
82.			4059-80-796-03-01 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बनने वाले भवन	1.04	1.04	100.0
83.			4210-01-796-02-01 निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से	5.14	5.14	100.0
84.			4210-01-796-04-90 निर्माण कार्य	5.56	4.86	87.4
85.			4210-02-796-02-90 अस्पताल एवं औषधालय	2.12	1.34	63.2
86.			4225-02-796-11-02 अभियांत्रिकी महाविद्यालय के भवन का निर्माण एवं नवीनीकरण	5.00	5.00	100.0
87.			4225-02-796-11-04 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण	6.76	6.26	92.6
88.			4225-02-796-11-09 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये बहुद्देशीय छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण	5.00	3.50	70.0
89.			4225-02-796-11-14 राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण	2.00	2.00	100.0
90.			4225-02-796-20-11 राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण	1.27	1.00	78.7
91.			4225-02-796-20-20 टी.आर.आई. छात्रावास भवन निर्माण एवं नवीनीकरण	2.21	2.00	90.5
92.	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	4225-02-796-26-01 सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत सहरिया बंगलों का निर्माण एवं नवीनीकरण	4.00	2.80	70.0

परिशिष्ट 2.7

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण प्रतिशतता
93.			4225-02-796-26-02 सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत सहरिया आवास का निर्माण एवं नवीनीकरण	15.00	8.40	56.0
94.			4225-02-796-26-03 आश्रम छात्रावासों (छात्र) का निर्माण एवं नवीनीकरण	1.54	1.54	100.0
95.			4225-02-796-26-04 आश्रम विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण	5.00	5.00	100.0
96.			5475-796-01-06 एन.ई.जी.पी.	7.50	7.50	100.0
97.			4202-02-796-01 निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से	8.00	4.68	58.5
98.	33	समाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-03-196-04 गाड़िया लुहार के लिये समेकित परियोजना	3.00	1.56	52.0
99.			2225-03-196-05-06 देवनारायण कोचिंग योजना	1.00	1.00	100.0
100.			2235-02-103-05-10 महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज अनुदान	5.30	5.30	100.0
101.			2235-02-103-05-11 महिला स्वयं सहायता समूहों को सीड मनी	5.30	5.30	100.0
102.			2235-02-196-02-07 किशोरी शक्ति योजना	1.83	1.83	100.0
103.			2235-02-196-15-02 शारीरिक तथा मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता	10.55	7.81	74.0
104.			4225-02-277-03-03 महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास भवन का निर्माण	1.00	1.00	100.0
105.	33	समाजिक सुरक्षा और कल्याण	4225-03-800-01-03 देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण	30.00	20.49	68.3
106.			4225-03-800-09-01 छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास भवन का निर्माण	2.50	2.48	99.2
107.			4225-03-800-09-02 छात्रों हेतु महाविद्यालय भवन का निर्माण	2.00	2.00	100.0
108.			4235-02-103-13 राजस्थान पुनर्वास संस्थान भवन का निर्माण	3.00	2.96	98.7
109.			4235-02-103-14 संभाग मुख्यालयों पर मानसिक पुनर्वास संस्थान भवन का निर्माण	2.50	2.50	100.0
110.			4235-02-103-15-01 महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से	12.57	8.68	69.1
111.			4236-02-800-08 नाबार्ड पोषित आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण	18.67	18.67	100.0
112.	34	प्राकृतिक आपदाओं मे राहत	2245-01-101-11 वृद्ध-अशक्त एवं नि:सहाय्य बच्चों के लिये राहत	26.00	24.86	95.6
113.			2245-01-102-07 ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति	10.00	10.00	100.0
114.			2245-01-102-08 नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति	1.00	1.00	100.0
115.			2245-01-104-02 परिवहन	58.71	58.71	100.0
116.			2245-01-104-03 पशु पोषण केन्द्र	27.00	27.00	100.0
117.			2245-01-105-02 औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत	10.50	10.50	100.0

परिशिष्ट 2.7

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण प्रतिशतता
118.			2245-01-282-02 दवाइयों की आपूर्ति	6.00	6.00	100.0
119.			2245-01-800-01-08 अन्य विशेष राहत कार्य	20.00	20.00	100.0
120.	34	प्राकृतिक आपदाओं मे राहत	2245-02-101-08 अन्य मद	1.00	1.00	100.0
121.			2245-02-101-11 वृद्ध-अशक्त एवं नि:सहाय्य बच्चों के लिये राहत	2.00	2.00	100.0
122.			2245-02-105-02 औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत	9.00	8.71	96.8
123.			2245-02-106-02 सड़कों की मरम्मत एवं पुन:स्थापना	71.00	50.15	70.6
124.			2245-02-106-05 सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि के लिए मशीन एवं उपकरणों का क्रय	36.00	22.49	62.5
125.			2245-02-106-06 प्रशिक्षण	2.00	2.00	100.0
126.			2245-02-107 क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत एवं पुन:स्थापना	3.50	3.50	100.0
127.			2245-02-109 खराब जलपूर्ति, जल निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत एवं पुन:स्थापना	2.50	2.11	84.4
128.			2245-02-113-02 पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर	10.00	8.46	84.6
129.			2245-02-113-04 पूर्ण क्षतिग्रस्त झोंपड़ी	4.00	3.81	95.3
130.			2245-02-113-07 गम्भीर क्षतिग्रस्त झोपड़ी	2.50	2.49	99.6
131.			2245-02-115 भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिये किसानों को सहायता	1.00	1.00	100.0
132.			2245-02-191 नगर निगम को सहायता	10.00	10.00	100.0
133.			2245-02-192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	20.00	20.00	100.0
134.			2245-02-193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समान को सहायता	15.00	15.00	100.0
135.			2245-02-282-02 दवाइयों की आपूर्ति	4.50	4.50	100.0
136.	34	प्राकृतिक आपदाओं मे राहत	2245-80-800-06-01 सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय	6.00	3.52	58.7
137.	35	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	3454-02-203-01-02 जिला कार्यालय	2.96	1.53	51.7
138.			3454-02-203-01-10 आरोग्य ऑनलाइन	5.27	3.09	58.6
139.			5475-800-08-06 एन.ई.जी.पी.	7.58	5.07	66.9
140	37	कृषि	2401-119-27 कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग हेतु सहायता	2.00	2.00	100.0
141.	41	सामुदायिक विकास	2515-198-15-02 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	11.59	11.59	100.0
142.			2515-198-27-01 संस्थापना	10.00	10.00	100.0
143.	46	सिंचाई	4700-02-001-05-09 उप-वितरिकाऐं	2.67	2.11	79.0

परिशिष्ट 2.7

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण प्रतिशतता
144.	49	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	3604-197-01-01 डी.टी.एच. सेवाओं पर मनोरंजन कर में से समनुदेशन	1.10	1.10	100.0
145.			3604.197.01.04 देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानों पर बिक्री से प्राप्त हिस्सा राशि में से समनुदेशन	2.64	1.47	55.7
146.			3604-197-01-06 माल के प्रवेश कर के अंश में से समनुदेशन	3.32	3.32	100.0
147.			3604-198-02-08 देशी शराब एवं भारत निर्मित शराब की दुकानों पर बिक्री से प्राप्त हिस्सा राशि में से समनुदेशन	18.70	10.43	55.8
148.			3604-198-02-10 माल के प्रवेश कर के अंश में से समनुदेशन	23.56	23.56	100.0
149.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-01-789-02 लैपटॉप का वितरण	5.40	5.40	100.0
150.			2202-02-109-09-02 मॉडल स्कूल-अनुसूचित जातियों के लिये	8.73	8.73	100.0
151.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-02-789-01-01 लड़कों के विद्यालय (आवासीय विद्यालय)	33.84	17.55	51.9
152.			2202-02-789-14 लैपटॉप का वितरण	3.60	3.45	95.8
153.			2202-04-789-02 साक्षर भारत	1.67	1.67	100.0
154.			2210-01-789-01 अस्पताल एवं औषधालय (निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें)	3.40	3.18	93.5
155.			2210-03-197-03-01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3.54	3.34	94.3
156.			2210-03-789-01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	9.36	8.83	94.3
157.			2210-05-789-01-04 चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय, अजमेर	4.15	2.80	67.5
158.			2235-02-196-20-02 अनुसूचित जाति के लिये नवजीवन योजना	4.25	2.63	61.9
159.			2235-02-789-01-03 महिला स्वयं सहायता समूहों को सीड मनी	1.75	1.75	100.0
160.			2235-02-789-01-05 महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज अनुदान	1.75	1.75	100.0
161.			2401-196-08-11 तिलहन, दलहन, आइलपॉम तथा मक्का (केन्द्रीयांश : 75%, राज्यांश : 25 %)	5.20	2.82	54.2
162.			2401-789-01-21 तिलहन, दलहन, आइलपॉम तथा मक्का (केन्द्रीयांश : 75%, राज्यांश: 25 %)	7.60	5.24	68.9
163.			2401-789-01-28 राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	5.63	5.31	94.3
164.			2402-789-02 पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई फैड कार्यक्रम) (पश्चिमी राजस्थान में मिटिगेटिंग पावर्टी)	5.08	3.14	61.8
165.			2501-03-196-02 कार्यकलाप सम्बन्धी	2.58	2.09	81.0
166.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2515-198-21-02 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	2.84	2.84	100.0

परिशिष्ट 2.7

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण प्रतिशतता
167.			3454-02-789-01-02 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना	4.63	4.63	100.0
168.			3456-789-01-05 नि:शक्तजन को अन्न योजना	1.50	1.50	100.0
169.			4059-80-789-01-01 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बनने वाले भवन	1.41	1.41	100.0
170.			4202-01-789-02-90 वृहद निर्माण कार्य	3.76	2.76	73.4
171.			4210-02-789-02-90 अस्पताल एवं औषधालय	1.70	1.15	67.6
172.			4250-789-02-90 निर्माण कार्य	3.65	3.65	100.0
173.			4406-02-789-02 नाबार्ड पोषित जल संग्रहण योजना	6.24	3.91	62.7
174.			4700-31-789-01-01 निर्माण कार्य	7.20	5.55	77.1
175.			4701-62-789-01 निर्माण कार्य	3.30	2.80	84.8
176.			4702-789-02-05 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	7.40	7.24	97.8
177.			4702-789-02-06 तेरहवां वित्त आयोग	3.40	1.91	56.2
178.			5475-789-01-06 एन.ई.जी.पी.	10.51	10.51	100.0
179.			4202-02-789-01 निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से	8.72	6.72	77.1
	योग			**1,539.34**	**1,275.09**	**82.8**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.8

वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण
(₹ एक करोड़ एवं अधिक) का विवरण
(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 94)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
1	2	3	4	5
	राजस्व-दत्तमत			
1	13-आबकारी	17.51	18.91	1.40
2	19-लोक निर्माण कार्य	35.45	44.37	8.92
3	41-सामुदायिक विकास	112.65	124.40	11.75
	पूँजीगत-दत्तमत			
4	27-पेयजल योजना	178.05	320.80	142.75
	योग	**343.66**	**508.48**	**164.82**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.9

व्यय की अधिकता
(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.12; पृष्ठ 95)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2013 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2013 में हुआ व्यय	कुल व्यय	वर्ष के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2013	मार्च 2013
1.	09-वन	2406-02-110-01 बाघ परियोजना, रणथम्भौर	15.15	10.49	18.40	82.3	57.0
2.		4406-01-070-02 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग के माध्यम से	10.26	10.15	10.59	96.9	95.9
3		4406-01-800-02 वन/कैम्पा की विभिन्न परियोजनाओं हेतु	11.09	10.25	11.09	100.0	92.4
4	20-आवास	6216-02-201-02 राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	200.00	200.00	200.00	100.0	100.0
5	21-सड़कें एवं पुल	5054-03-337-07 राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें	57.16	51.59	69.14	82.7	74.6
6		5054-04-800-06 शहरी सड़कें	17.25	14.56	16.93	101.9	86.0
7		5054-05-337-01 अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण	26.01	18.32	30.04	86.6	61.0
8	22-क्षेत्र का विकास	4575-01-101-01 कार्य निष्पादन	19.13	19.13	25.90	73.9	73.9
9	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-01-109-05 अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	16.70	14.44	19.14	87.3	75.4
10		2202-01-109-06 अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	12.19	10.39	14.95	81.5	69.5
11		2202-01-111-05 डी.पी.ई.पी. कार्योत्तर गतिविधियाँ	10.00	10.00	10.00	100.0	100.0
12		2202-01-800-14 शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को पुनर्भरण-सामान्य व्यय	11.39	11.39	9.43	120.8	120.8
13	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-02-107-07 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	29.07	29.07	15.94	182.4	182.4
14		2202-02-107-11 अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	28.24	24.87	28.23	100.0	88.1
15		2202-02-109-07-01 माध्यमिक शिक्षा अभियान-सामान्य व्यय	20.47	20.47	20.47	100.0	100.0
16		2204-104-01 राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल को अनुदान	13.95	11.55	16.31	85.5	70.8

परिशिष्ट 2.9

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2013 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2013 में हुआ व्यय	कुल व्यय	वर्ष के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2013	मार्च 2013
17		4202-04-106-05 सवाई मानसिंह टाउन हॉल एवं जलेब चौक में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हेतु	10.00	10.00	10.00	100.0	100.0
18		6202-01-203-02 विश्वविद्यालयों को उधार	18.00	18.00	18.00	100.0	100.0
19	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-06-101-20-01 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के माध्यम से	14.35	14.35	14.35	100.0	100.0
20		4210-01-110-07-01 निर्माण कार्य	9.97	10.00	10.00	99.7	100.0
21		4210-03-105-07 अन्य व्यय	53.94	46.37	52.66	102.4	88.1
22	28-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	2501-05-196-02-01 कार्यकलाप सम्बन्धी	29.94	29.94	33.15	90.3	90.3
23		4515-101-11 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	140.74	140.74	280.80	50.1	50.1
24	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-190-02 राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	105.45	66.54	105.45	100.0	63.1
25		2217-80-191-28 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान	24.99	24.99	31.70	78.8	78.8
26		2217-80-191-29 सार्वजनिक रोशनी	56.90	56.90	56.90	100.0	100.0
27.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-191-30-01 सीवरेज शोधन संयंत्र	24.00	24.00	24.00	100.0	100.0
28		2217-80-192-28 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान	60.77	60.77	113.07	53.7	53.7
29		2217-80-192-29 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान	68.39	68.39	83.61	81.8	81.8
30		2217-80-192-32 जल एवं सीवरेज परियोजना	50.00	50.00	50.00	100.0	100.0
31		2217-80-192-33 सार्वजनिक रोशनी	101.87	101.87	101.87	100.0	100.0
32		4217-03-800-03-01 स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से विकास कार्य	43.17	35.27	63.77	67.7	55.3
33		6217-60-190-02 राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	19.00	19.00	19.00	100.0	100.0
34	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-107-06 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	18.96	14.27	26.69	71.0	53.5
35		2211-796-02 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	63.11	61.04	85.01	74.2	71.8
36		2225-02-796-02 जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान	38.47	38.47	38.47	100.0	100.0

परिशिष्ट 2.9

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2013 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2013 में हुआ व्यय	कुल व्यय	वर्ष के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2013	मार्च 2013
37		2225-02-796-06 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से	106.44	94.79	146.68	72.6	64.6
38		2236-02-796-01 समेकित बाल विकास सेवायें विभाग के माध्यम से	51.92	46.23	77.01	67.4	60.0
39		2401-796-28 फसल बीमा (50 % केन्द्रीयांश: 50% राज्यांश)	47.78	47.01	85.27	56.0	55.1
40	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2425-796-35 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज भुगतान	20.41	20.41	20.41	100.0	100.0
41		2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान	55.21	55.21	104.18	53.0	53.0
42		4225-02-796-11 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनायें (वि. के.स.)	71.42	71.42	71.42	100.0	100.0
43		4702-796-01 लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से)	34.52	27.68	43.94	78.6	63.0
44	32-नागरिक आपूर्ति	7475-190-01 राजस्थान राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को ऋण	55.10	30.00	55.10	100.0	54.5
45	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-03-196-05 देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)	24.16	21.58	37.04	65.2	58.3
46		2225-03-277-02 छात्रावासों का संधारण	64.13	61.94	64.65	99.2	95.8
47		2235-60-800-04 अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से	25.84	23.99	31.50	82.0	76.2
48	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-106-02 सड़कों की मरम्मत एवं पुन:स्थापना	20.87	16.08	20.87	100.0	77.1
49		2245-02-106-05 सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि के लिए मशीन एवं उपकरणों का क्रय	12.83	12.44	13.62	94.2	91.3
50		2245-80-800-04 अन्य सहायता	108.81	108.81	110.98	98.0	98.0
51	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	5475-800-08 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	10.21	10.12	15.31	66.7	66.1
52	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	5475-800-13 इण्डिया स्टेटिस्टिकल स्ट्रैथनिंग प्रोजेक्ट	27.06	24.10	27.40	98.8	88.0
53	36-सहकारिता	2425-107-20 सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता	36.54	36.54	70.28	52.0	52.0

परिशिष्ट 2.9

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2013 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2013 में हुआ व्यय	कुल व्यय	वर्ष के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2013	मार्च 2013
54		2425-107-25 कोर बैंकिंग	25.00	25.00	25.00	100.0	100.0
55		2425-800-02 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज भुगतान	89.21	64.21	114.21	78.1	56.2
56	37-कृषि	2401-108-17 तिलहन, दलहन, आइलपॉम तथा मक्का (75% केन्द्रीयांश: 25% राज्यांश)	21.60	13.77	26.17	82.5	52.6
57		2401-119-02 बागवानी का विकास	82.88	79.67	97.22	85.3	82.0
58		2401-800-02-01 सिंचाई जल का समुचित उपयोग	69.02	53.29	85.34	80.9	62.4
59		2401-800-23 मिशन फॉर लिवलीहुड	12.60	12.60	16.11	78.2	78.2
60		6401-800-06 कृषि विश्वविद्यालयों को उधार	31.74	31.74	31.82	99.8	99.8
61	41-सामुदायिक विकास	2515-001-01 मुख्यालय कर्मचारी वर्ग	15.19	13.48	21.23	71.5	63.5
62		2515-196-04-01 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	17.76	10.93	20.69	85.8	52.8
63		2515-196-19-02 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	86.36	80.12	156.00	55.4	51.4
64		2515-196-24-02 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	11.62	11.61	19.96	58.2	58.2
65		2515-197-05-02 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	63.90	45.50	82.76	77.2	55.0
66		2215-197-07-02 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	39.14	37.71	62.66	62.5	60.2
67		2215-198-03-02 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	310.65	310.65	586.21	53.0	53.0
68		2515-198-16-02 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	232.61	232.61	443.83	52.4	52.4
69	42-उद्योग	4885-60-800-23-01 दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर	40.00	40.00	40.00	100.0	100.0
70	46-सिंचाई	2702-01-800-05-01 राज्य जल संसाधन एवं आयोजना विभाग	20.06	16.98	26.87	74.7	63.2
71		4700-05-001-01-01 पंजाब में इन्दिरा गाँधी फीडर और सम्बन्धित निर्माण कार्य पर व्यय (मुख्य अभियंता, सिंचाई पंजाब के माध्यम से)	10.77	10.77	10.77	100.0	100.0
72	48-विद्युत	2801-80-190-12 राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को ब्याज हेतु अनुदान	18.99	18.99	18.99	100.0	100.0
73		2801-80-190-16 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत कर हेतु अनुदान	353.13	277.84	494.00	71.5	56.2
74		2801-80-190-19 बिजली-सामान्य-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता-जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को बॉण्डस के ब्याज हेतु अनुदान	256.40	256.40	256.40	100.0	100.0

परिशिष्ट 2.9

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2013 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2013 में हुआ व्यय	कुल व्यय	वर्ष के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2013	मार्च 2013
75		2801-80-190-20 बिजली-सामान्य-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता-जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को बॉण्डस के ब्याज हेतु अनुदान	264.83	264.83	264.83	100.0	100.0
76		2801-80-190-21 बिजली-सामान्य-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता-अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को बॉण्डस के ब्याज हेतु अनुदान	307.90	307.90	307.90	100.0	100.0
77	48-विद्युत	2801-80-190-31 विद्युत चोरी के अपराध के प्रशमन की जमा राशि के विरूद्ध अनुदान	44.15	44.15	44.15	100.0	100.0
78		4801-80-190-04 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	696.70	662.12	834.90	83.5	79.3
79		4801-80-190-05 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	678.91	654.75	775.39	87.6	84.4
80		4801-80-190-06 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	744.16	722.86	829.46	89.7	87.2
81	49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	3604-197-01 पंचायत समितियों को समनुदेशन	19.99	17.04	20.13	99.3	84.7
82		3604-198-01 राजस्थान वित्त आयोग की अनुशंसा पर रॉयल्टी में पंचायतों का हिस्सा	38.98	38.98	38.98	100.0	100.0
83		3604-198-02 ग्राम पंचायतों को समनुदेशन	200.80	200.80	200.80	100.0	100.0
84	50-ग्रामीण रोजगार	4515-101-19-01 जिला परिषदों हेतु (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	27.42	27.42	39.57	69.3	69.3
85	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2210-05-789-01 अस्पताल एवं औषधालय	15.69	14.85	21.18	74.1	70.1
86		2211-789-02 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	46.04	43.23	74.65	61.7	57.9
87		2217-80-192-14-02 राज्य वित आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अनुदान	54.09	39.37	41.77	129.5	94.3
88		2225-01-789-01 छात्रवृत्ति एवं वजीफा	120.33	99.46	179.72	67.0	55.3
89	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2401-196-08 विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनायें	16.45	13.92	18.04	91.2	77.2
90		2425-789-06 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज भुगतान	27.88	27.88	27.88	100.0	100.0
91		2505-01-196-01 इन्दिरा आवास योजना	34.30	33.54	51.58	66.5	65.0

परिशिष्ट 2.9

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2013 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2013 में हुआ व्यय	कुल व्यय	वर्ष के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2013	मार्च 2013
92		2515-197-05-04 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	15.34	11.15	20.19	76.0	55.2
93		2515-198-03-04 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	75.78	75.78	143.01	53.0	53.0
94	ब्याज अदायगियाँ	2049-03-104-02 अंशदायी प्रावधायी निधियों पर ब्याज	*58.50*	*58.50*	*58.52*	*99.9*	*99.9*
95		2049-03-117-01 सरकारी कर्मचारियों के लिये	*56.20*	*51.89*	*56.20*	*100.0*	*92.3*
96		2049-60-101-04 गजकीय औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम लिमिटेड के निक्षेपों पर ब्याज	*31.15*	*31.15*	*31.15*	*100.0*	*100.0*
97		2049-60-101-16 कृषि उपज मंडी समितियों के निक्षेपों पर ब्याज	*23.67*	*23.67*	*23.88*	*99.1*	*99.1*
98	लोक ऋण	6003-108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्जे	*41.43*	*41.43*	*41.43*	*100.0*	*100.0*
योग			**7,672.65**	**7,216.37**	**9,512.27**	**80.7**	**75.9**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान

परिशिष्ट 2.10

अनुदान संख्या 24 के अन्तर्गत व्यय की अधिकता
(संदर्भ अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 100)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	आयोजना भिन्न/ आयोजना/ केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	मार्च 2013 में हुआ व्यय	जनवरी-मार्च 2013 के दौरान हुआ व्यय	कुल व्यय	वर्ष के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2013	मार्च 2013
1	2202-01-800-14 शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को पुनर्भरण-सामान्य व्यय	आयोजना	9.43	9.43	9.43	100.00	100.00
2	2202-02-107-05-01 पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	34.07	34.07	34.07	100.00	100.00
3	2202-02-107-11 अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	आयोजना	6.17	6.17	7.54	81.84	100.00
4	2202-02-109-01 लड़को के विद्यालय	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	15.34	22.02	31.66	69.56	69.66
5	2202-02-110-01 सैनिक स्कूल	आयोजना	1.10	1.10	1.10	100.00	100.00
6	2202-02-800-17 गार्गी/प्रोत्साहन पुरस्कार	आयोजना	3.36	6.65	6.65	100.00	50.53
7	2202-03-103-02 राजकीय महाविद्यालय (पुरूषों के लिये)	आयोजना	5.34	5.63	5.79	97.23	94.85
8	2202-03-104-01 अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	1.78	1.78	1.78	100.00	100.00
9	2202-03-107-04 मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति	आयोजना	8.12	12.68	12.73	99.60	64.03
10	2203-104-04 मणिक्य लाल वर्मा टैक्सटाइल इन्स्टीटयूट, भीलवाड़ा	आयोजना भिन्न	1.90	1.90	1.90	100.00	100.00
11	2204-104-01 राजस्थान स्पोर्टस कौन्सिल को अनुदान	आयोजना भिन्न	9.05	11.41	13.81	82.62	79.31
12	6202-01-203-02-01 जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय	आयोजना भिन्न	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00

परिशिष्ट 2.11

वर्ष 2012-13 तक लम्बित विस्तृत आकस्मिक बिल

(संदर्भ अनुच्छेद 2.9; पृष्ठ 105)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग	मुख्य शीर्ष	वर्ष	ए.सी. बिलों की संख्या	राशि
1	अभिलेखागार	2205	2012-2013	4	12.95
			योग	**4**	**12.95**
2	आयुर्वेद	2210	2012-2013	4	20.27
		4210	2012-2013	1	200.00
			योग	**5**	**220.27**
3	निर्वाचन	2015	2012-2013	14	24.45
		2217	2012-2013	4	2.30
		2515	2012-2013	26	7.18
			योग	**44**	**33.93**
4	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	3456	2012-2013	12	27.80
			योग	**12**	**27.80**
5	वन	2406	2012-2013	19	69.11
			योग	**19**	**69.11**
6	सामान्य प्रशासन विभाग	2059	2008-2009	1	0.68
		2052	2010-2011	1	6.20
		2059	2010-2011	1	1.43
		2245	2010-2011	1	2.24
		2059	2011-2012	10	11.25
		2245	2011-2012	1	0.03
		2235	2012-2013	2	0.85
		2245	2012-2013	20	488.10
			योग	**37**	**510.78**
7	सिंचाई	2701	2012-2013	1	0.22
			योग	**1**	**0.22**
8	न्याय	2014	2012-2013	2	1.30
		2406	2012-2013	1	1.00
			योग	**3**	**2.30**
9	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	2210	2011-2012	1	0.55
		4210	2011-2012	3	6.75
		2210	2012-2013	8	180.57
			योग	**12**	**187.87**
10	चिकित्सा महाविद्यालय	2210	2011-2012	9	186.16
		2245	2011-2012	4	444.57
		4210	2011-2012	3	32.57
		2210	2012-2013	15	289.55
		4210	2012-2013	22	935.10
			योग	**53**	**1887.95**
11	खान एवं भू-विज्ञान	2853	2012-2013	5	389.99
		4853	2012-2013	1	30.00
			योग	**6**	**419.99**
12	राष्ट्रीय कैडेट कोर	2204	2012-2013	20	36.22
			योग	**20**	**36.22**

परिशिष्ट 2.11

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग	मुख्य शीर्ष	वर्ष	ए.सी. बिलों की संख्या	राशि
13	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	2215	2010-2011	2	0.38
		2215	2012-2013	1	0.23
			योग	**3**	**0.61**
14	लोक निर्माण विभाग	5054	2005-2006	1	10.40
		2059	2012-2013	5	108.89
			योग	**6**	**119.29**
15	पुलिस	2059	2011-2012	2	2.90
		2055	2012-2013	23	564.86
		2059	2012-2013	119	54.50
			योग	**144**	**622.26**
16	राजस्थान उच्च न्यायालय	2245	2011-2012	2	64.78
			योग	**2**	**64.78**
17	राजस्थान लोक सेवा आयोग	2051	2012-2013	14	22.62
			योग	**14**	**22.62**
18	राजस्थान राज्य मोटर गैरेज	2070	2012-2013	5	46.75
			योग	**5**	**46.75**
19	स्टॉम्प एवं पंजीकरण	2029	2012-2013	1	20.00
			योग	**1**	**20.00**
20	राहत	2245	2003 से पहले	8	29.67
		5054	2003 से पहले	2	34.50
		2245	2005-2006	1	5.00
		2245	2006-2007	2	80.14
		2245	2008-2009	1	19.01
		2245	2010-2011	5	218.58
		2245	2011-2012	3	130.23
			योग	**22**	**517.13**
21	राजस्व	4202	2005-2006	1	4.20
		4702	2007-2008	4	2.01
		2245	2008-2009	2	9.17
		2515	2008-2009	1	11.29
		2059	2009-2010	1	0.30
		2245	2009-2010	4	62.28
		2702	2009-2010	2	4.30
		2245	2010-2011	25	340.98
		2029	2011-2012	1	1.00
		2052	2011-2012	8	28.51
		2059	2011-2012	5	6.20
		2245	2011-2012	18	784.11
		4059	2011-2012	16	52.00
		5054	2011-2012	1	23.31
		2015	2012-2013	3	6.49
		2029	2012-2013	2	2.39
		2052	2012-2013	8	10.00
		2217	2012-2013	1	0.10
		2245	2012-2013	36	2673.08
		2515	2012-2013	1	0.52
			योग	**140**	**4022.24**

परिशिष्ट 2.11

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग	मुख्य शीर्ष	वर्ष	ए.सी. बिलों की संख्या	राशि
22	राजस्व मण्डल	4202	2003 से पहले	2	0.54
		2029	2007-2008	1	292.18
		2029	2010-2011	1	26.60
		2245	2010-2011	1	7.00
		2029	2011-2012	4	325.30
		2015	2012-2013	1	4.24
			योग	**10**	**655.86**
23	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	2225	2012-2013	1	5.00
		4225	2012-2013	1	5.00
			योग	**2**	**10.00**
24	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425	2010-2011	1	0.50
		3425	2011-2012	1	0.63
		3425	2012-2013	60	23.07
			योग	**62**	**24.20**
25	पर्यटन	3452	2012-2013	6	5.99
			योग	6	**5.99**
26	कोष एवं लेखा	2515	2012-2013	1	0.01
			योग	**1**	**0.01**
27	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा	2202	2003 से पहले	21	4.38
			योग	**21**	**4.38**
28	आर्थिक एवं सांख्यिकी	3454	2003 से पहले	2	4.57
			योग	**2**	**4.57**
29	अन्य	2406	2012-2013	2	6.00
			योग	**2**	**6.00**
		कुल योग		*659*	*95.56*

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान

परिशिष्ट 3.1

31 अगस्त 2013 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 107)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	अनुदान भुगतान का वर्ष	भुगतान किया गया कुल अनुदान		उपयोगिता प्रमाण-पत्र			
					प्राप्त		बकाया	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	परिवार कल्याण (2211)	2007-08	1	486.00	0	320.94	1	165.06
		2008-09	1	489.00	0	261.86	1	227.14
		2009-10	5	508.97	4	288.60	1	220.37
		2011-12	4	28.57	0	0.00	4	28.57
		योग	**11**	**1512.54**	**4**	**871.40**	**7**	**641.14**
2.	समाज कल्याण (2225)	2004-05	308	235.47	307	223.74	1	11.73
		2011-12	1	6.00	0	0.00	1	6.00
		योग	**309**	**241.47**	**307**	**223.74**	**2**	**17.73**
3.	समाज कल्याण (2235)	2011-12	32	1464.71	4	18.44	28	1446.27
		योग	**32**	**1464.71**	**4**	**18.44**	**28**	**1446.27**
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (3425)	2004-05	48	4.80	47	4.55	1	0.25
		2005-06	117	31.40	116	28.61	1	2.79
		2007-08	105	120.34	88	112.65	17	7.69
		2008-09	67	16.08	34	6.48	33	9.60
		2009-10	55	84.65	20	24.29	35	60.36
		2010-11	35	176.76	3	32.08	32	144.68
		2011-12	38	752.67	1	1.51	37	751.16
		योग	**465**	**1186.70**	**309**	**210.17**	**156**	**976.53**
5.	पर्यावरण (3435)	1997-98	30	27.56	29	27.45	1	0.11
		1998-99	25	26.20	22	25.93	3	0.27
		योग	**55**	**53.76**	**51**	**53.38**	**4**	**0.38**
		कुल योग	**872**	**4459.18**	**675**	**1377.13**	**197**	**3082.05**
							या ₹ 30.82 करोड़	

स्त्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट 3.2

निकायों एवं प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये।
(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 108)

क्र.सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया व्यय (₹लाख में)
उच्च शिक्षा					
1	आदर्श डिग्री गर्ल्स महाविद्यालय, अजमेर	6	2006-07,2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	17.04	25.82
2	दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर	1	2011-12	275.05	749.89
3	अग्रवाल शिक्षा समिति, जयपुर	2	2010-11, 2011-12	116.81	300.64
4	लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, जयपुर	3	2009-10, 2010-11, 2011-12	65.53	194.91
5	एसएस जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर	1	2011-12	102.57	364.24
6	श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, जामडोली	2	2010-11, 2011-12	24.53	40.37
7	श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर	1	2011-12	61.37	62.90
8	श्री खण्डेलवाल वैश्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयपुर	6	2006-07,2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	46.18	85.45
9	संत जयाचार्य कन्या महाविद्यालय, जयपुर	2	2010-11, 2011-12	35.09	79.25
10	श्री सतसाई कन्या महाविद्यालय, जयपुर	2	2010-11, 2011-12	90.58	140.74
11	चिरावा महाविद्यालय, चिरावा, झुन्झुनू	1	2011-12	64.25	162.89
12	जेबी शाह कन्या (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, झुन्झुनू	2	2010-11, 2011-12	58.17	100.15
13	सेठ मोतीलाल (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, झुन्झुनू	2	2010-11, 2011-12	90.42	168.9
14	लाछू मेमोरियल विज्ञान महाविद्यालय, जोधपुर	6	2006-07,2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	38.00	125.65
15	महेश शिक्षण संस्थान, जोधपुर	1	2011-12	121.12	226.21
16	महिला महाविद्यालय, जोधपुर	1	2011-12	100.87	191.20
17	कुचामन महाविद्यालय, नागौर	1	2011-12	48.20	117.12
18	श्री जैन तेरापंथी महाविद्यालय, रानावास, पाली	2	2010-11, 2011-12	16.99	24.87
19	अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर	1	2011-12	40.77	68.43
20	सेठ रामकिशन धानुका कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर शेखावटी, सीकर	3	2009-10, 2010-11, 2011-12	10.85	17.22
21	भोपाल नोवल्स महाविद्यालय, उदयपुर	1	2011-12	133.99	414.48
22	मणिकलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर	1	2011-12	40.61	380.06
23	प्रताप शोध प्रतिष्ठान, भोपाल नोवल्स संस्थान, उदयपुर	1	2011-12	10.67	23.30
24	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	4	2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	271.87	1711.31
25	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	1	2011-12	4900.00	17987.42

परिशिष्ट 3.2

क्र.सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया व्यय (₹लाख में)
26	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	6	2006-07,2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	150.00	उपलब्ध नहीं
27	वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	2	2010-11, 2011-12	87.50	1700.87
28	जैन विश्व भारत संस्थान, लाडनूं, नागौर	1	2011-12	19.11	448.01
29	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1	2011-12	1800.00	4042.97
	योग	**64**		**8838.14**	**29955.27**
माध्यमिक शिक्षा					
1	सरस्वती बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर	2	2010-11, 2011-12	46.53	96.93
2	सेन्ट पॉल उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर	1	2011-12	71.15	141.39
3	विरजानन्द उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर	2	2010-11, 2011-12	32.04	89.73
4	सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनु मार्ग, अलवर	1	2011-12	32.94	38.33
5	आर्य विद्यापीठ, उच्च माध्यमिक विद्यालय, भुसावर, भरतपुर	3	2009-10, 2010-11, 2011-12	27.04	74.39
6	माणिक्य लाल वर्मा महिला उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीलवाड़ा	1	2011-12	155.58	215.80
7	बाल भारती विशिष्ट मोन्टेसरी विद्यालय, बीकानेर	2	2010-11, 2011-12	16.93	15.42
8	रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूरू	1	2011-12	53.01	79.94
9	श्री जमनादास महावीरजी उच्च माध्यमिक विद्यालय, खादगडा, डूंगरपुर	2	2010-11, 2011-12	41.94	52.23
10	एसपीआर सहरिया, उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालाडेरा, जयपुर	2	2010-11, 2011-12	60.28	104.73
11	सर प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	2	2010-11, 2011-12	42.83	59.60
12	बाल मन्दिर विद्यालय, भीम गंज मण्डी, कोटा	1	2011-12	8.25	46.31
13	बाल विद्यालय, कोटा	2	2010-11, 2011-12	29.76	134.31
14	श्री जेबी उच्च माध्यमिक विद्यालय, नागौर	1	2011-12	62.76	62.73
15	बगडिया बाल विद्यानिकेतन, उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मणगढ़, सीकर	2	2010-11, 2011-12	48.99	79.32
16	दिगम्बर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीकर	1	2011-12	86.65	124.54
17	श्री रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मणगढ़, सीकर	1	2011-12	53.90	96.36
18	गुरू नानक उच्च माध्यमिक विद्यालय, केसरीसिंहपुरा, श्रीगंगानगर	1	2011-12	17.44	20.75
19	ज्ञान ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर	2	2010-11, 2011-12	35.35	70.53
20	भोपाल नोबल, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर	1	2011-12	35.77	99.49
21	भोपाल नोबल्स संस्थान, उदयपुर	7	2005-06, 2006-07,2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	101.07	153.61
	योग	**38**		**1060.21**	**1856.44**

परिशिष्ट 3.2

क्र.सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया व्यय (₹लाख में)
तकनीकी शिक्षा					
1	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	3	2009-10, 2010-11, 2011-12	103.00	310.92
2	माणिक्य लाल वर्मा टैक्सटाईल एण्ड अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भीलवाड़ा	1	2011-12	127.00	512.36
3	लक्ष्मी नारायण मित्तल सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	3	2009-10, 2010-11, 2011-12	3732.92	831.21
4	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़	1	2011-12	202.17	289.05
	योग	**8**		**4165.09**	**1943.54**
प्रौढ़ शिक्षा					
1	जिला साक्षरता समिति, बीकानेर	4	2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	84.22	76.97
2	जिला साक्षरता समिति, सिरोही	2	2010-11, 2011-12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3	जिला साक्षरता समिति, बाड़मेर	4	2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	66.44	311.37
4	जिला साक्षरता समिति, भरतपुर	4	2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	161.86	189.61
5	जिला साक्षरता समिति, बीकानेर	1	2011-12	30.00	28.07
6	जिला साक्षरता समिति, डूंगरपुर	3	2009-10, 2010-11, 2011-12	उपलब्ध नहीं	10.32
7	राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर	1	2011-12	4000.00	3520.76
8	जन शिक्षण संस्थान, जोधपुर	1	2011-12	35.00	9.73
9	जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, करौली	2	2010-11, 2011-12	20.66	8.30
10	जिला साक्षरता समिति, उदयपुर	1	2011-12	19.15	4.40
	योग	**23**		**4417.33**	**4159.53**
खेलकूद					
1	भारतीय बैडमिन्टन संघ, जयपुर	6	2006-07,2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	271.94	उपलब्ध नहीं
2	भारतीय जिम्नास्टिक संघ, जोधपुर	7	2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	6.65	11.83
	योग	**13**		**278.59**	**11.83**
शहरी निकाय					
1	शहरी सुधार न्यास, कोटा	1	2011-12	857.14	23847.98
	योग	**1**		**857.14**	**23847.98**
श्रम					
1	बाल श्रम परियोजना संस्था, बाडमेर	9	2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2	बाल श्रम परियोजना संस्था, बारां	5	2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3	बाल श्रम परियोजना संस्था, बांसवाड़ा	8	2004-05, 2005-06, 2006-07,2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4	बाल श्रम परियोजना संस्था, भीलवाड़ा	1	2011-12	06.10	0.20

परिशिष्ट 3.2

क्र.सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया व्यय (₹लाख में)
5	बाल श्रम परियोजना संस्था, बीकानेर	8	2004-05, 2005-06, 2006-07,2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6	बाल श्रम परियोजना संस्था, बून्दी	2	2010-11, 2011-12	118.37	112.80
7	बाल श्रम परियोजना संस्था, चित्तौड़गढ़	8	2004-05, 2005-06, 2006-07,2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8	बाल श्रम परियोजना संस्था, चूरू	8	2004-05, 2005-06, 2006-07,2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
9	बाल श्रम परियोजना संस्था, धौलपुर	8	2004-05, 2005-06, 2006-07,2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10	बाल श्रम परियोजना संस्था, डूंगरपुर	2	2010-11, 2011-12	11.89	12.91.
11	बाल श्रम परियोजना संस्था, झालावाड़	1	2011-12	16.56	07.78
12	बाल श्रम परियोजना संस्था, जोधपुर	8	2004-05, 2005-06, 2006-07,2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13	बाल श्रम परियोजना संस्था, करौली	5	2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
14	बाल श्रम परियोजना संस्था, कोटा	2	2010-11, 2011-12	65.26	82.78
15	बाल श्रम परियोजना संस्था, नागपुर	1	2011-12	14.09	39.27
16	बाल श्रम परियोजना संस्था, सवाईमाधोपुर	5	2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
17	बाल श्रम परियोजना संस्था, टोंक	1	2011-12	65.05	75.35
	योग	**82**		**297.32**	**331.09**
पशुपालन					
1	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	1	2011-12	2220.83	1575.95
2	राजस्थान पशुपालन विकास बोर्ड, जयपुर	2	2010-11, 2011-12	854.64	1878.95
	योग	**3**		**3075.47**	**3454.90**
कृषि					
1	स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	1	2011-12	14980.88	1233.96
2	कृषि सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों की एसोसिएशन, राजस्थान, जयपुर	5	2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	20.00	29.26
3	राजस्थान उद्यान विकास सोसायटी, जयपुर	1	2011-12	4583.47	4832.09
4	राजस्थान उद्यान विकास सोसायटी (राजहंस), जयपुर	1	2011-12	428.62	40.85

परिशिष्ट 3.2

क्र.सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया व्यय (₹लाख में)
5	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	1	2011-12	11405.40	9013.05
	योग	**9**		**31418.37**	**15149.21**
उद्योग					
1	विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर	1	2011-12	380.46	335.64
2	निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर	1	2011-12	350.00	468.00
3	ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण, जयपुर	2	2010-11, 2011-12	176.37	180.84
4	भारतीय क्राफ्ट एवं डिजाइन संस्थान, जयपुर	5	2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	100.00	104.09
5	उद्यम एवं प्रबन्धन विकास संस्थान, जयपुर	2	2010-11, 2011-12	770.60	857.70
	योग	**11**		**1777.43**	**1946.27**
पर्यटन					
1	राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान, जोधपुर	2	2010-11, 2011-12	10.00	उपलब्ध नहीं
2.	फूड एवं क्राफ्ट संस्थान, अजमेर	1	2011-12	118.96	38.21
3.	फूड एवं क्राफ्ट संस्थान, उदयपुर	1	2011-12	223.45	63.35
	योग	**4**		**352.41**	**101.56**
कला एवं संस्कृति					
1.	राजस्थान ब्रज भाषा एकेडमी, जयपुर	6	2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	6.90	9.07
2.	राजस्थान सिन्धी एकेडमी, जयपुर	1	2011-12	21.64	22.75
	योग	**7**		**28.54**	**31.82**
आयुर्वेद					
1.	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	4	2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	270.00	172.31
	योग	**4**		**270.00**	**172.31**
वायु सेवा					
1.	राजस्थान राज्य उड्डयन विद्यालय, सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर	1	2011-12	47.00	25.33
	योग	**1**		**47.00**	**25.33**
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य					
1.	राजस्थान राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर	1	2011-12	4796.50	2288.78
2.	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	2	2010-11, 2011-12	110.00	443.75
	योग	**3**		**4906.50**	**2732.53**
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
1	अफीम नशामुक्ति उपचार एवं प्रशिक्षण अनुसंधान न्यास, जोधपुर	1	2011-12	36.09	28.25
2	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	4	2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	428.34	46.53
	योग	**5**		**464.43**	**74.78**
जनजाति क्षेत्रीय विकास					
1	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर	2	2010-11, 2011-12	435.95	370.76

परिशिष्ट 3.2

क्र.सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया व्यय (₹लाख में)
2.	स्वच्छता जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर	6	2006-07,2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	393.81	688.02
	योग	**8**		**829.76**	**1058.78**
महिला एवं बाल विकास					
1	जनजाति महिला विकास संस्थान, सवाईमाधोपुर	**3**	2009-10, 2010-11, 2011-12	31.74	45.44
	योग	**3**		**31.74**	**45.44**
	कुल योग	**287**		**63115.47**	**86898.61**
				या ₹ 631.16 करोड़	**₹ 868.99 करोड़**

परिशिष्ट 3.3

स्वायत्त निकायों के निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र
(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 109)

क्र.सं.	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जहाँ तक के लेखे प्राप्त हुये	अवधि जहाँ तक पृथक लेखापीक्षा प्रतिवेदन जारी किये गये	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विधानमण्डल में उपस्थापन	लेखों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	31.07.2013 तक विलम्ब की अवधि (माह में)
1	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, जयपुर	2007-08 से 2016-17	2011-12	2011-12	वर्ष 2001-02 से 2009-10 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 22.02.2013 को विधानसभा में उपस्थापित किये जा चुके है।	2012-13	01
2	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2006-07	2006-07	उपलब्ध नहीं	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	61 49 37 25 13 01
3	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2012-13	2011-12	उपलब्ध नहीं	शून्य	-
4	राजस्थान भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2011-12	2011-12	उपलब्ध नहीं	2012-13	01

स्त्रोतः विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.4

विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण-पत्र
(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.9.4 एवं 3.4; पृष्ठ 46 एवं 109)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	वर्ष जहाँ तक लेखाओं का अंतिमीकरण किया गया	वित्त अंतिमीकरण किये लेखों के अनुसार निवेश[8]	कुल संचित हानि
1	जेल विनिर्माण, अजमेर	2011-12	1.71	1.67
2	जेल विनिर्माण, अलवर	2011-12	0.54	0.58
3	जेल विनिर्माण, बीकानेर	2011-12	1.26	1.27
4	जेल विनिर्माण, जयपुर	2011-12	2.72	2.54
5	जेल विनिर्माण, जोधपुर	2011-12	1.77	1.67
6	जेल विनिर्माण, कोटा	2011-12	0.47	0.47
7	जेल विनिर्माण, उदयपुर	2011-12	1.46	1.18
8	वन कूप्स का विभागीय व्यापार	2011-12	शून्य[9]	
9	तेंदू पत्ता योजना	2011-12	शून्य[9]	
10	राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल, जयपुर	2011-12	11,210.71	8,859.49
	योग		**11,220.64**	**8,868.87**

स्त्रोतः विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

[8] निवेश वित्तीय वर्ष जब तक कि लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के अंतिम दिन सरकार के स्थाई एवं चालू पूँजी लेखे के शेष को दर्शाता है।

[9] सरकार का पूँजी निवेश शून्य है, क्योंकि उपक्रमों से प्रेषण सरकार द्वारा निवेशित राशि से अधिक थे।

परिशिष्ट 3.5

दुर्विनियोजन, चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहां जून 2013 के अन्त तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी)
(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 110)

(प्रकरणों की संख्या)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष एवं अधिक	प्रकरणों की कुल संख्या
1.	राजस्व	23	27	14	5	3	1	73
2.	शिक्षा	95	45	23	20	9	12	204
3.	चिकित्सा	39	17	9	11	3	2	81
4.	लोक निर्माण	1	3	3	21	5	5	38
5.	जल संसाधन	2	6	5	1	0	2	16
6.	भू-जल	5	11	2	2	3	0	23
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	2	1	6	2	1	0	12
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	6	9	5	2	1	1	24
9.	वन	3	0	3	3	1	0	10
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	40	87	87	44	39	14	311
11.	अन्य	59	68	26	17	7	10	187
	योग	**275**	**274**	**183**	**128**	**72**	**47**	**979**

स्त्रोतः विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.6

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण
(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 110)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	चोरी/हानि के प्रकरण		दुर्विनियोजन/गबन		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राजस्व	34	166.95	39	830.72	73	997.67
2.	शिक्षा	127	123.31	77	396.80	204	520.11
3.	चिकित्सा	39	58.73	42	379.78	81	438.51
4.	लोक निर्माण	9	5.51	29	473.10	38	478.61
5.	जल संसाधन	7	2.45	9	91.07	16	93.52
6.	भू-जल	21	33.24	2	3.51	23	36.75
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	11	24.81	1	0.80	12	25.61
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	19	88.05	5	69.73	24	157.78
9.	वन	7	36.57	3	78.23	10	114.8
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	288	233.99	23	174.60	311	408.59
11	अन्य	83	221.04	104	1191.15	187	1412.19
	योग	**645**	**994.65**	**334**	**3689.49**	**979**	**4684.14**

स्त्रोतः विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.7

वर्ष 2008-13 के दौरान असंचालित रहे निजी निक्षेप खातों का विवरण
(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 111)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	31.3.2008 को शेष	2008-13 के दौरान		31.3.2013 को शेष
			प्राप्ति	भुगतान	
1	खण्डीय वन अधिकारी, बांसवाड़ा	5.85	शून्य	शून्य	5.85
2	जिला वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण, बांसवाड़ा	1.78	शून्य	शून्य	1.78
3	जिला वन संरक्षक, अरावली राईडिंग, बांसवाड़ा	0.32	शून्य	शून्य	0.32
4	सहायक अभियन्ता, डब्ल्यू.ई एण्ड एस.सी., बांसवाड़ा	0.12	शून्य	शून्य	0.12
5	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए, बारां	1.48	शून्य	शून्य	1.48
6	सहायक अभियन्ता, मृदा संरक्षण एण्ड जल संसाधन, भरतपुर	21.93	शून्य	शून्य	21.93
7	सहायक अभियन्ता, कृषि एन्डब्ल्यूडीपी, भीलवाड़ा (लेखा संख्या 163)	0.03	शून्य	शून्य	0.03
8	सहायक अभियन्ता, कृषि एन्डब्ल्यूडीपी, भीलवाड़ा (लेखा संख्या 164)	0.02	शून्य	शून्य	0.02
9	जिलाधीश, रक्षा, बीकानेर	2.60	शून्य	शून्य	2.60
10	महिला बाल विकास, चित्तौड़गढ़	0.13	शून्य	शून्य	0.13
11	जिलाधीश, अल्प बचत अधिकारी, दौसा	0.07	शून्य	शून्य	0.07
12	प्राचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, घाटगेट, जयपुर	(-) 0.02	शून्य	शून्य	(-) 0.02
13	सहायक निदेशक, उद्यान विभाग, जयपुर (शहर)	1.92	शून्य	शून्य	1.92
14	निदेशक, एच एण्ड ई के एम आई कल्याण, जयपुर (सचिवालय)	0.01	शून्य	शून्य	0.01
15	पंजीयक, मालवीय राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, जयपुर	6.18	शून्य	शून्य	6.18
16	निदेशक, राज्य कृषि पबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर	7.13	शून्य	शून्य	7.13
17	निदेशक, राज्य ओपन विद्यालय, जयपुर (सचिवालय)	0.01	शून्य	शून्य	0.01
18	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	21.74	शून्य	शून्य	21.74
19	सहायक कृषि अधिकारी, जालौर	0.47	शून्य	शून्य	0.47
20	प्रबन्धक, जवाहर केन्द्रीय सहकारी बैंक, झालावाड़	- 0.01	शून्य	शून्य	- 0.01
21	अधीक्षण अभियंता, भू-जल भण्डारण, जोधपुर शहर	3.01	शून्य	शून्य	3.01
22	सहायक पंजीयक, के.एन. हॉल, जोधपुर शहर	0.03	शून्य	शून्य	0.03
23	अधीक्षण (गार्डन), पी.डब्ल्यू.डी., जोधपुर शहर	0.03	शून्य	शून्य	0.03
24	सहायक पंजीयक, कॉमर्स फैकल्टी, जोधपुर शहर	0.19	शून्य	शून्य	0.19
25	उप वन संरक्षक बफर, करौली	7.40	शून्य	शून्य	7.40
26	जिला रसद अधिकारी, करौली	25.09	शून्य	शून्य	25.09
27	सहायक कृषि अभियंता, जल ग्रहण विकास, करौली	(-) 0.18	शून्य	शून्य	(-) 0.18
28	जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी, करौली	0.06	शून्य	शून्य	0.06
29	प्रबन्धक, राजकीय नमक स्त्रोत, डीडवाना, नागौर	9.28	शून्य	शून्य	9.28
30	उप निदेशक, मृदा संरक्षण एवं जल संसाधन, राजसमन्द	3.41	शून्य	शून्य	3.41
31	उप निदेशक, कृषि विस्तार, कांकरोली, राजसमन्द	3.27	शून्य	शून्य	3.27
32	एमसीए रिकवरी, 1.7.04 के बाद ओबीसी, सीकर	0.04	शून्य	शून्य	0.04
33	आयुक्त, कामिक क्षतिपूर्ति, सीकर	4.11	शून्य	शून्य	4.11
34	सहायक निदेशक, उद्यान विभाग, सीकर	0.03	शून्य	शून्य	0.03
35	उपनिदेशक, मृदा एवं जल संरक्षण विभाग, सीकर	4.34	शून्य	शून्य	4.34
36	परियोजना निदेशक, डीआरडीए, सिरोही	68.31	शून्य	शून्य	68.31
37	मण्डल वन अधिकारी, टोंक	0.22	शून्य	शून्य	0.22
38	अन्य[10]	0.00	शून्य	शून्य	0.00
	योग	**200.40**			**200.40**

स्त्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान

[10] (i) जिला पर्यावरण प्रदूषण अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलवर:₹ 101, (ii) जिलाधीश, अल्प बचत अधिकारी, चित्तौड़गढ़ : ₹ 0.35, (iii) प्राचार्य, राजकीय उच्च महाराजा विद्यालय, जयपुर (शहर): ₹ 0.75 एवं (vi) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए), जयपुर (शहर): ₹ 0.03

परिशिष्ट 3.8

निजी निक्षेप खातों में दर्शाये गये ऋणात्मक शेषों का विवरण
(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 111)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कोषालय का नाम	राशि	आहरण वितरण अधिकारी/निजी निक्षेप खातों की संख्या
1.	अलवर	20.98	2
2.	बांसवाडा	108.08	1
3.	ब्यावर	0.06	1
4.	भीलवाड़ा	1.57	1
5.	बीकानेर	2.05	3
6.	चित्तौड़गढ़	6.95	1
7.	हनुमानगढ़	8.50	1
8.	जयपुर (शहर)	1,336.42	10
9.	जयपुर पीपीओ	0.63	1
10.	जयपुर सचिवालय	0.19	1
11.	जैसलमेर	16.67	2
12.	जालौर	27.78	3
13.	झालावाड़	12.66	3
14.	झुन्झुनू	11.81	1
15.	जोधपुर (सिटी)	13.59	3
16.	करौली	221.76	2
17.	कोटा	39.68	2
18.	नागौर	14.39	1
19.	पाली	1.16	1
20.	प्रतापगढ़	709.95	2
21.	सीकर	117.31	1
22.	टोंक	57.32	3
	योग	**2,729.51**	**46**

स्त्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट 3.9

मुख्य शीर्ष" 8658-उचन्त लेखे" के अन्तर्गत बकाया शेष
(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.10; पृष्ठ 114)

(₹ लाख में)

लघु शीर्ष का नाम	2010-11		2011-12		2012-13	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	2,931.36	164.67	1,046.24	88.54	1,043.50	57.29
निवल	**(नामे) 2,766.69**		**(नामे) 957.70**		**(नामे) 986.21**	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	396.93	543.61	399.44	0.48	382.30	(-) 1.09
निवल	**(जमा) 146.68**		**(नामे) 398.96**		**(नामे) 383.39**	
106-दूरसंचार लेखा कार्यालय उचन्त	0.01	-	0.01	-	0.01	-
निवल	**(नामे) 0.01**		**(नामे) 0.01**		**(नामे) 0.01**	
107-नकद परिशोधन उचन्त लेखा	0.02	-	-	-	-	-
निवल	**(नामे) 0.02**		**शून्य**		**शून्य**	
112-स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)-उचन्त	-	2,292.00	-	2,569.14	-	2,588.84
निवल	**(जमा) 2,292.00**		**(जमा) 2,569.14**		**(जमा) 2,588.84**	
123-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	-	13.19	-	15.53	-	16.08
निवल	**(जमा) 13.19**		**(जमा) 15.53**		**(जमा) 16.08**	
129-सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	-	(-) 115.28	-	(-) 358.18	-	(-) 208.57
निवल	**(जमा) (-) 115.28**		**(जमा) (-) 358.18**		**(जमा) (-) 208.57**	
निवल योग	**(नामे) 430.13**		**(जमा) 869.82**		**(जमा) 1,026.74**	

स्त्रोतः वित्त लेखे

परिशिष्ट 4.1 पदों की पारिभाषिक शब्दावली

पद	गणना का आधार
पैमाने की उत्प्लावकता	पैमाने की वृद्धि दर/जीएसडीपी वृद्धि दर
एक पैमाने (क) की अन्य पैमाने (ख) से उत्प्लावकता	पैमाने (क) की वृद्धि दर/ पैमाने (ख) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]* 100
विकासात्मक व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य सरकार द्वारा अदा किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2]* 100
रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त औसत ब्याज	रोकड़ शेष निवेश से प्राप्त ब्याज/[(प्रारम्भिक शेष + रोकड़ शेष निवेश लेखे के अंतिम शेष)/2]* 100
ब्याज विस्तार	जीएसडीपी - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टाक* ब्याज विस्तार
बकाया ऋण से प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(कर्जों तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष + अंतिम शेष)/2]* 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम- राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
पद	**विवरण**
चालू राजस्व शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाइये समस्त आयोजना अनुदान तथा मुख्य शीर्ष "2048-ऋण घटाने अथवा परिहार्य हेतु विनियोजन" के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत बजट अनुदानों के अन्तर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन में निधियों (मूल तथा अनुपूरक) की कुल राशि की तुलना में प्रत्येक के अन्तर्गत किये गये वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक अनुदान या विनियोजन में अव्ययीत प्रावधानों अथवा अधिक को प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमण्डल द्वारा नियमन करवाया जाना अपेक्षित है।
स्वायत्तशाषी निकाय	स्वायत्तशाषी निकाय (सामान्यत: पंजीकृत समितियाँ अथवा सांविधिक निगम) का गठन तब किया जाता है जब-जब यह अनुभव किया जाता है कि निश्चित कार्य सरकार के ढ़ाँचे से बाहर कुछ स्वतन्त्र और लचीलेपन के साथ बिना सरकार के रोज-रोज के हस्तक्षेप के पूरा करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राज्य सरकार का राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यत: ब्याज अदायगियाँ, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन तथा अर्थ-सहाय्य शामिल हैं, जिन पर वर्तमान ढ़ाँचे कार्यकारी का सीमित नियंत्रण है।
राज्य की कार्यकारी एजेन्सी	राज्य की कार्यकारी एजेन्सी में किसी संगठन/संस्थान के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठन भी शामिल है जिन्हें गाज्य में विशिष्ट कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिये राज्य क्रियान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इत्यादि के लिये राज्य स्वास्थ्य मिशन।
आकस्मिक निधि	विधानमण्डल द्वारा अग्रदाय की प्रकृति के रूप में विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित की गई है जिसमें उस विधि द्वारा निर्धारित राशियाँ समय-समय पर प्रदान की जाती है

परिशिष्ट 4.1

	तथा उक्त निधि राज्यपाल के अधिकार में रखी जाती है जो लम्बित अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा अनुच्छेद 116 के अधीन विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत उस व्यय के लिये उसके द्वारा अग्रिम के रूप में प्रदान की जाती है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन स्थापित निधि है जिसमें सभी प्राप्तियाँ, राजस्व एवं ऋण रखे जाते हैं। राज्य की समेकित निधि से सम्पूर्ण व्यय विनियोजन राजस्व या प्रभारित द्वारा होता है। इसके दो मुख्य प्रभाग हैं-राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूँजीगत लेखा (लोक ऋण एवं कर्जे इत्यादि)।
संदिग्ध दायित्व	संदिग्ध दायित्व किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा भविष्य की घटना जैसे न्यायालय के प्रकरण के परिणाम, पर निर्भर करते हुए बनता/नहीं बनता है।
संचित निधि	एक निधि जिसमें सरकार अपने ऋणों को समाप्त करने के लिये अधिक समय के लिये अलग राशि रखती है।
गारंटी मोचन निधि	गारंटियाँ उधारकर्त्ता जिसे गारंटी दी गई है की चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयतायें हैं। गारंटी मोचन निधि के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को चाहिये कि भुनायी जाने योग्य बकाया गारंटियों के साथ वर्ष के दौरान दी गई उत्तरोत्तर गारंटियों के परिणामस्वरूप भुनाये जाने योग्य राशि का कम से कम 1/5 वाँ भाग के बराबर अंशदान देवें।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत में जनता से लिये गये नियमित ऋण शामिल है, जिसे "भारत में लिये गये ऋण" भी कहा जाता है। इसे सीमित ऋणों के रूप में समेकित निधि में जमा किया जाता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय से आशय उस राजस्व व्यय से है जिसमें ब्याज अदायगियाँ शामिल नहीं है।
पुनर्विनियोजन	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी ऐसी इकाई को निधियों का अन्तरण है।
अव्ययीत प्रावधान का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के सभी विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोजनों में दृष्टिगत् हुए सभी प्रत्याशित अव्ययीत प्रावधानों को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है; वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय इन अभ्यर्पणों की स्वीकृति, जैसा उसके द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, लेखा अधिकारी तथा/अथवा लेखापरीक्षा अधिकारी जैसा भी मामला हो, को वित्त वर्ष समाप्त होने से पूर्व सम्प्रेषित करेगा।
अनुपूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष हेतु व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के लिए मूल बजट में अनपेक्षित किसी "नई सेवा" पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पैदा हो चुकी है, सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोजन प्राप्त करना होगा।
उचंत एवं विविध	प्राप्ति एवं भुगतान की मदें जिन्हें तुरन्त किसी अन्तिम शीर्ष या प्रभार में सूचना की कमी जैसे उसकी प्रकृति या अन्य कारणों से प्रभारित नहीं किया जा सकता है, को अस्थायी तौर पर लेखों के "एल उचन्त एवं विविध" भाग में मुख्य शीर्ष "8658-उचन्त लेखा" के अन्तर्गत रखा जायेगा। (अग्रेतर मार्गदर्शन के लिये लेखों के मुख्य/लघुशीर्षों की सूची के अन्तर्गत फुट नोट का संदर्भ लें)। किसी सेवा प्राप्ति जिसका पूरा ब्यौरा न दिया गया हो को "उचन्त शीर्ष" में नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि उसे राजस्व मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत "अन्य प्राप्ति" लघु शीर्ष जिससे वह सम्बन्धित लगता हो में विस्तृत विवरण प्राप्त होने तक उसका अन्तरण सही शीर्ष में लम्बित रखते हुए, जमा किया जाना चाहिए।
जन लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य के वार्षिक वित्त लेखे से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के परीक्षण अथवा ऐसे अन्य लेखे अथवा वित्त सम्बन्धी प्रकरणों जो समिति के सम्मुख रखे जाते हैं या जिनकी समिति संवीक्षा करना आवश्यक समझती है, के लिए विधानमण्डल द्वारा गठित एक समिति है।

परिशिष्ट 4.2 संक्षिप्त एवं परिवर्णी शब्द

एसी बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
एई	समेकित व्यय
बीई	बजट अनुमान
सीआर	पूँजीगत प्राप्तियाँ
सीएफ	आकस्मिकता निधि
सीई	पूँजीगत व्यय
डीसीसी बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल
डीई	विकासात्मक व्यय
ईएस	आर्थिक क्षेत्र
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
एफआरबीएम	राज वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम 2005 तथा 2011
एफआरपी	वित्तीय स्रोत आयोजना
एमटीएफपीएम	मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनआरएलपी	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना
एनटीआर	कर-भिन्न राजस्व
एनपीआरई	आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय
पीडी खाता	निजी निक्षेप खाता
पीईआरसी	लोक व्यय समीक्षा समिति
पीएचसीसीएल	पुलिस गृह एवं निर्माण निगम लिमिटेड
पीएस	पंचायत समिति
पीआरई	आयोजनागत राजस्व व्यय
पीपीपी	निजी जन सहभागिता
आरई	राजस्व व्यय
आरआर	राजस्व प्राप्तियाँ
आरआरएलपी	राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका परियोजना
आरयूआईएफडीसीओ	राजस्थान शहरी निर्माण वित्तीय विकास निगम
आरयूएसडीआईपी	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम
आरडब्ल्यूएसएससी	राजस्थान जलपूर्ति प्रबंधन एवं सफाई निगम
एससीए	विशेष केन्द्रीय सहायता
एसएस	सामाजिक सेवाऐं
एसडीआरएफ	राज्य आपदा मोचन निधि
एसएसई	सामाजिक क्षेत्र व्यय
एसटीपी	अवशिष्ट उपचार संयंत्र
वीजीएफ	वायाबिलिटी गैप फन्डिंग
XIII-एफसी	तेरहवें वित्त आयोग